

भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए  
राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ.  
पर प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2021 की प्रतिवेदन सं. 1



**भारत के  
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का  
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए  
राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ.  
पर प्रतिवेदन**

**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वर्ष 2021 की प्रतिवेदन सं. 1**



# विषय सूची

विवरण	संदर्भ में	
	पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		vii
विहंगावलोकन		ix
<b>अध्याय-I राजस्व क्षेत्र</b>		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1.1	1
राजस्व के बकायों का विश्लेषण	1.1.2	6
कर निर्धारण में बकाया	1.1.3	7
कर वापसी के लंबित मामलों का विवरण	1.1.4	7
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया	1.1.5	8
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.1.6	11
लेखापरीक्षा योजना	1.1.7	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.1.8	11
राजस्व अध्याय का कवरेज	1.1.9	12
<b>राजस्व विभाग</b>		
पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का गैर- उद्ग्रहण	1.2	13
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	1.3	14
<b>व्यापार एवं कर विभाग</b>		
इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा	1.4	16
स्थानीय व्यापारियों का अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का अनियमित दावा	1.5	18
ब्याज का गैर-उद्ग्रहण	1.6	19
कर, ब्याज तथा जुर्माने की माँग की गैर-वसूली	1.7	20
कर का कम उद्ग्रहण	1.8	21

<b>अध्याय II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली</b>		
<b>प्रस्तावना</b>		
सामान्य	2.1.1.1-2.1.1.2	23
उत्तरदायित्व संरचना	2.1.1.3	24
सांविधिक लेखापरीक्षा	2.1.1.4	25
समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता	2.1.1.5	25
सरकार एवं विधानसभा की भूमिका	2.1.1.6	26
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निवेश	2.1.1.7-2.1.1.9	26
अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ	2.1.1.10	28
<b>भाग I विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली</b>		
प्रस्तावना	2.1.2.1	29
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का गठन	2.1.2.2	30
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	2.1.2.3	30
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश	2.1.2.4	30
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता	2.1.2.5	31
रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन	2.1.2.6	32
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति	2.1.2.7	33
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन	2.1.2.8-2.1.2.19	34-45
विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1.2.20	45
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	2.1.2.21-2.1.2.23	46
<b>भाग II राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की कार्यप्रणाली</b>		
प्रस्तावना	2.1.3.1-2.1.3.2	48
राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश	2.1.3.3-2.1.3.4	49
राज्य सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण	2.1.3.5	51
राज्य सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता	2.1.3.6	51
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन	2.1.3.7	52
सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति	2.1.3.8	52-54
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का स्थानन	2.1.3.9	54
राज्य सा.क्षे.उ. के लेखाओं को गैर अंतिम रूप दिए	2.1.3.10	55

जाने का प्रभाव		
राज्य सा.क्षे.उ. का निष्पादन	2.1.3.11-2.1.3.23	55-68
राज्य सा.क्षे.उ. के लेखाओं पर टिप्पणियां	2.1.3.24-2.1.3.25	68
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	2.1.3.26	70
सरकारी उपक्रमों पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	2.1.3.27-2.1.3.28	70-71
<b>अनुपालना लेखापरीक्षा</b>		
<b>उद्योग विभाग</b>		
बवाना एवं नरेला औद्योगिक क्षेत्रों का परिचालन और अनुरक्षण	2.2	72-97
ब्याज का परिहार्य भुगतान	2.3	98
<b>विद्युत विभाग</b>		
कम बीमा किए जाने के कारण ₹ 22.83 करोड़ की हानि	2.4	100-101
<b>पर्यटन विभाग</b>		
सेवा कर की गैर-वसूली	2.5	102
<b>अध्याय III: सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर.सा.क्षे.उ.)</b>		
बजट रूपरेखा	3.1.1	105
सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग	3.1.2	105
निरंतर बचतें	3.1.3	106
भारत सरकार से सहायता अनुदान	3.1.4	106
स्वायत्त निकायों की वित्तीय विवरणी का प्रमाणन-लेखों को अन्तिम रूप देने में बकाया	3.1.5	107
लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन	3.1.6	108
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया	3.1.7	108
लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई वसूलियां	3.1.8	109
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव	3.1.9	109
अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन: लोकलेखा समिति (पी ए सी) में स्वतः ऐक्शन टेकन नोट्स का गैर-प्रस्तुतीकरण एवं पैराग्राफों की चर्चा	3.1.10	110
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों की वर्ष-वार विवरणी	3.1.11	110

अनुपालना लेखापरीक्षा		
<b>श्रम विभाग</b>		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली	3.2	111-141
<b>प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय</b>		
अतिरिक्त संस्वीकृत विद्युत भार के कारण नियत बिजली प्रभारों पर ₹ 1.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान	3.3	142
₹ 1.03 करोड़ के अतिरिक्त परिवहन भत्ते का अनियमित भुगतान	3.4	144

### अनुलग्नक

संख्या	विवरण	संदर्भ	
		पैराग्राफ	पृष्ठ सं.
1.1	निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.1.5	147
1.2	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफों की स्थिति व वसूल की गई राशि	1.1.6	148
1.3	व्यवसायिक के बजाय लागू की गई आवासीय दरें	1.3(क)	149-150
1.4	संपत्तियों के मूल्यांकन की गलत गणना	1.3(ख)	151-167
2.1	नवीनतम वर्ष के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों जिनके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया है के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम	2.1.2.8, 2.1.2.9 एवं 2.1.2.13	168
2.2	2001-02 से 31 मार्च 2019 तक चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेशित रा.रा.क्षे.दि.स. निधियों को दर्शाती विवरणी	2.1.2.12	169
2.3	31 मार्च 2019 तक राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित इक्विटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1.3.3	170-171



2.4	31 मार्च 2019 की इक्विटी ऋणों एवं गारंटी के शेष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं एवं राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्त लेखाओं के बीच अंतर को दर्शाती विवरणी	2.1.3.7	172
2.5	कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा), में राज्य सरकार द्वारा उस अवधि के दौरान किए गए निवेश की स्थिति को दर्शाती विवरणी जिनके लेखे बकाया हैं	2.1.3.8	173
2.6	राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा), जिनके लिए लेखे को अंतिम रूप दिया गया, के नवीनतम वर्ष, के लिए सारांशीकृत वित्तीय परिणाम	2.1.3.11 एवं 2.1.3.12	174-175
2.7	2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) राज्य सरकार की निधियों को दर्शाती विवरणी	2.1.3.15	176-177
2.8	दि.प.नि. को छोड़कर 2002-03 से 2018-19 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा निवेश तथा सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की वर्षवार विवरणी	2.1.3.15	178
2.9	बवाना तथा नरेला औद्योगिक क्षेत्रों में मासिक प्रभारों के संग्रह का विवरण	2.2.2	179
2.10	बवाना तथा नरेला औद्योगिक क्षेत्र में थर्ड पार्टी इंजीनियर के मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार कमियाँ	2.2.4.1, 2.2.4.2 एवं 2.2.5.1	180
3.1	एन.जी.ओ. का विवरण जिन्होंने 2018-19 के दौरान ₹ 25 लाख या उससे अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त किए	3.1.1	182

3.2	नि.म.ले.प. को प्रस्तुत किए जा रहे ब्यौरे तथा स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी	3.1.5	183
3.3	कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन	3.2.6.2(ग)	184

इस प्रतिवेदन में तीन भाग शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-I** सरकार के राजस्व क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्राप्तियों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत संचालित की जाती है। प्रतिवेदन का यह भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। यह अध्याय 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियों जैसे मूल्य वर्धित कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क तथा मोटर वाहनों पर कर की लेखापरीक्षा के परिणामों को प्रस्तुत करता है।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-II** राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। सरकारी कंपनियों के लेखों की लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 तथा 143 के अंतर्गत तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है। सरकार से अपेक्षित है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के इस भाग को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19क के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को प्रस्तुत करें।

इस प्रतिवेदन का **अध्याय-III** सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विभागों की लेखापरीक्षा से संबंधित है। प्रतिवेदन का यह भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के समक्ष रखने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2018-19 के दौरान लेखों की नमूना जाँच के दौरान संज्ञान में आए साथ ही वे मामले हैं जो उसके पूर्व के वर्षों में पता चले परन्तु जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। 2018-19 के बाद की अवधि के मामले जहां आवश्यक है वहां सम्मिलित किए गए हैं।

इस लेखापरीक्षा का संचालन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।



विहंगावलोकन



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय समाविष्ट हैं जिसमें राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा प्राप्तियां शामिल हैं। राजस्व क्षेत्र से संबंधित अध्याय I में अवनिर्धारण, कर का कम उद्ग्रहण ब्याज एवं जुर्माने पर सात पैराग्राफ हैं, जिसमें ₹ 137.77 करोड़ की धनराशि शामिल है। सा.क्षे.उ. से संबंधित अध्याय II में पावर एवं गैर-पावर क्षेत्र सा.क्षे.उ. तथा ₹ 30.23 करोड़ की शामिल चार अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ की कार्यप्रणाली पर एक विहंगावलोकन सम्मिलित है एवं सामाजिक तथा सामान्य क्षेत्र से संबंधित अध्याय III में ₹ 29.76 करोड़ को शामिल करते हुए तीन अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ सम्मिलित है। प्रतिवेदन में विस्तृत किए गए कुछ प्रमुख निष्कर्षों को नीचे संाराशीकृत कर किया गया है।

## अध्याय I: राजस्व क्षेत्र

### प्रस्तावना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) की कुल राजस्व प्राप्तियां वर्ष 2017-18 में ₹ 38,667.27 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 हेतु ₹ 43,112.60 करोड़ थी। इसमें से, 86 प्रतिशत कर राजस्व (₹ 36,624.67 करोड़) और गैर-कर राजस्व (₹ 644.16 करोड़) से उत्थित हुई थी। शेष 14 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान के रूप में (₹ 5,843.77 करोड़) प्राप्त हुई। पिछले वर्ष की तुलना में कर राजस्व में 2.54 प्रतिशत की वृद्धि तथा गैर-कर राजस्व में 15.91 प्रतिशत की कमी थी।

(पैराग्राफ 1.1.1)

वर्ष 2018-19 के दौरान व्यापार एवं कर, राजस्व तथा परिवहन विभाग की 60 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गई जिसमें 394 मामलों में शामिल ₹ 521.61 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया। वर्ष के दौरान, संबंधित विभागों ने ₹ 96.32 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया।

(पैराग्राफ 1.1.8.1)

## अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

### राजस्व विभाग

2014-15 से 2018-19 के दौरान निष्पादित, 118 करारों में उदगृहित स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.68 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

(पैराग्राफ 1.2)

संपत्तियों के गलत वर्गीकरण तथा संपत्तियों के अवमूल्यन की गलत संगणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.3)

### व्यापार एवं कर विभाग

निर्धारण प्राधिकारियों ने विक्रय व्यापारियों द्वारा कर जमा के विवरण का सत्यापन के बिना निर्धारितियों को ₹ 2.56 करोड़ का इनपुट ट्रेक्स क्रेडिट अनुमत्य किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.21 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 2.25 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.4)

रियायती कर की दर के लिए निर्धारिती की पात्रता सुनिश्चित करने में निर्धारण अधिकारी की विफलता के कारण ₹ 1.91 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 1.60 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 1.91 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.5)

निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त मांगों पर ब्याज उदग्रहण की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ के ब्याज का गैर-उदग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 1.6)

जिन निर्धारितियों का पंजीकरण रद्द हो चुका था विभाग उनसे ₹ 87.15 करोड़ की माँग वसूल करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 1.7)

निर्धारिती ने निर्माण सामग्री के संबंध में ₹ 29.94 करोड़ की कम बिक्री को दिखाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ के कर का कम उदग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.08 करोड़ के ब्याज तथा ₹ 2.75 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

(पैराग्राफ 1.8)



## अध्याय II: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.)

### सा.क्षे.उ. की कार्यप्रणाली

31 मार्च 2019 को 19 राज्य सा.क्षे.उ. थे जिसमें 17 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निकाय शामिल थे। कार्यशील सा.क्षे.उ. की 30 सितम्बर 2019 तक अद्यतन नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 9,318.69 करोड़ की वार्षिक टर्नओवर पंजीकृत थी। यह टर्नओवर वर्ष 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) (₹ 7,79,652.31 करोड़) के 1.20 प्रतिशत के बराबर थी। कार्यशील सा.क्षे.उ. के अद्यतन अन्तिम लेखों के अनुसार ₹ 3,492.05 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2019 तक राज्य सा.क्षे.उ. ने 0.30 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति की।

(पैराग्राफ 2.1.1.2)

31 मार्च 2019 तक पांच पावर सैक्टर उपक्रमों में ₹ 11,698.68 करोड़ का कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घ-अवधि-ऋण) हुआ। निवेश इक्विटी का 64.17 प्रतिशत तथा दीर्घ-अवधि ऋणों का 35.83 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 2.1.2.4)

इन सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ, 2014-15 में ₹ 297.55 करोड़ के प्रति 2018-19 में ₹ 806.48 करोड़ था। उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार इन पाँच सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ. ने लाभ अर्जित किया एवं दो सा.क्षे.उ. को हानि हुई। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 398.00 करोड़) एवं प्रगति पाँवर कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 264.38 करोड़) थी। इन्द्रप्रस्थ पाँवर कोरपोरेशन कम्पनी लिमिटेड को ₹ 19.84 करोड़ की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.1.2.9)

पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित लाभ ₹ 7,506.79 करोड़ के पूँजीगत निवेश के प्रति ₹ 869.91 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप निवल मूल्य ₹ 8,375.83 करोड़ था। पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से, दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड (-₹ 615.17 करोड़) में निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था।

(पैराग्राफ 2.1.2.13)

31 मार्च 2019 को इन 14 सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण) ₹ 14,093.20 करोड़ था। निवेश में 16.76 प्रतिशत इक्विटी तथा 83.24 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा दिया गया दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 99.84 प्रतिशत (₹ 11,712.20 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालिक ऋण का 0.16 प्रतिशत (₹ 18.74 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.3.4)

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितम्बर 2019 की अवधि के दौरान 14 सा.क्षे.उ. में से (ऊर्जा क्षेत्र के अलावा) 12 सा.क्षे.उ. ने 12 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था। आगे, 15 वार्षिक लेखे बकाया थे जो आठ सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं।

(पैराग्राफ 2.1.3.8)

सा.क्षे.उ. (ऊर्जा क्षेत्र के अलावा) ने 2014-15 से 2018-19 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र हानि उठाई। नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, 14 सा.क्षे.उ. में से, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 68.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,366.95 करोड़ की हानि उठाई (जिनमें डी.टी.सी. को ₹ 4,329.41 करोड़ की हानि शामिल है) एवं चार सा.क्षे.उ. को सीमांत हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.1.3.12)

14 गैर-विद्युत सा.क्षे.उ. में से, रा.रा.क्षे.दि.स. ने नौ सा.क्षे.उ. में निवेश किया जिसमें से दिल्ली परिवहन निगम का निवल मूल्य (-₹ 31,489.06 करोड़) पूर्णतः समाप्त हो गया था।

(पैराग्राफ 2.1.3.17)

## अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

### उद्योग विभाग

**“दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड द्वारा बवाना एवं नरेला में औद्योगिक क्षेत्रों का परिचालन और अनुरक्षण” की लेखापरीक्षा**

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को रा.रा.क्षे.दि. में औद्योगिक क्षेत्रों की व्यवस्थित स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिसमें उनके परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल थे।

बवाना तथा नरेला में औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास एवं परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य 15 वर्षों की अवधि के लिए क्रमशः बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स बवाना) तथा मेसर्स पीएनसी दिल्ली

इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स पीएनसी) को आवंटित किया गया। औद्योगिक क्षेत्र के प्रबंधन तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की थी।

**(पैराग्राफ 2.2.1)**

इन दोनों औद्योगिक क्षेत्रों के परिचालन एवं अनुरक्षण की लेखापरीक्षा से पता चला कि रियायत समझौते के अनुसार दो रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कार्य के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के संबंध में डीएसआईआईडीसी की तरफ से गंभीर कमियाँ थीं। डीएसआईआईडीसी के पास न तो प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा देय और भुगतान किए गए शुल्कों का पूरा ब्यौरा था, और न ही रियायत प्राप्तकर्ताओं को संग्रह की गई राशि हस्तांतरित करने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा आय एवं व्यय का आवश्यक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया गया था। रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण गतिविधियों पर प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा प्राप्त किए बिना ही मासिक अनुरक्षण शुल्कों में वृद्धि की अनुमति देकर रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ दिए गए।

**(पैराग्राफ 2.2.2.1 एवं 2.2.2.2)**

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पानी तथा सीवर कनेक्शन शुल्क का संग्रहण अनाधिकृत था और जिसके कारण उसके समायोजन में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, पार्किंग शुल्कों के समायोजन में भी विलम्ब था। आगे, बवाना औद्योगिक क्षेत्र में पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों के साथ-साथ बिजली एवं पानी बिलों के समायोजन में भी विलम्ब था।

**(पैराग्राफ 2.2.2.3 एवं 2.2.2.4)**

डीएसआईआईडीसी द्वारा अनुपयुक्त निगरानी से प्रतिकूल पर्यावरणीय जटिलता हुई। जैसे इन औद्योगिक क्षेत्रों में निगम के ठोस अपशिष्ट के गैर निपटान एवं संचय से ड्रेनों और सीवरों का जाम होना औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे वाटर ड्रेनों में प्रवाहित किया जाना। सड़कों की अपर्याप्त सफाई, पार्कों की सिंचाई एवं सफाई तथा मरम्मत कार्य इत्यादि की धीमी प्रगति इनके उदाहरण थे।

**(पैराग्राफ 2.2.4.1, 2.2.4.2 एवं 2.2.4.3)**

थर्ड पार्टी इंजीनियर द्वारा परिचालन एवं अनुरक्षण में बार-बार पाई गई कमियों के बताने एवं जुर्माने की वसूली की अनुशंसा करने में अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रभावी रूप से नहीं किया गया परन्तु डीएसआईआईडीसी ने सीएमडी द्वारा थर्ड पार्टी इंजीनियर की सेवा विस्तार देते समय इस उपबंध

को शामिल करने के निर्देश के बावजूद थर्ड पार्टी इंजीनियर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(पैराग्राफ 2.2.3 एवं 2.2.5.1)

शिकायत निवारण तंत्र पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

(पैराग्राफ 2.2.5.3)

दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम आयकर देयता में असफल रहा एवं अग्रिम कर के गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के अपरिहार्य ब्याज का भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.3)

## विद्युत विभाग

### प्रगति पावर निगम लिमिटेड

प्रगति पावर निगम लिमिटेड को ₹ 22.83 करोड़ की हानि हुई क्योंकि इसने अपने ऊर्जा संयंत्र का बीमा लेते समय उत्पाद एवं कस्टम शुल्क के मूल्य को शामिल न कर “मशीनरी ब्रेक डाउन” नीति के अन्तर्गत परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन किया था।

(पैराग्राफ 2.4)

## पर्यटन विभाग

### दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड

दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड रियायत प्राप्तकर्ताओं से समय पर सेवा कर वसूल करने में विफल रहा तथा सेवा कर पर ब्याज सहित ₹ 93.91 लाख अपने कोष से भुगतान किया।

(पैराग्राफ 2.5)

## अध्याय III: सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा.क्षे.उ.)

प्रतिवेदन के इस भाग में दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली एवं दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा विद्युतीय प्रभारों पर अतिरिक्त व्यय तथा इंद्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली द्वारा कर्मचारियों को परिवहन भत्ते की अधिक भुगतान से संबंधित ₹ 29.76 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ के तीन पैराग्राफ शामिल हैं।

## अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

### श्रम विभाग

#### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली की लेखापरीक्षा

दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन सितम्बर 2002 में उपकर एकत्रित करने तथा उसका उपयोग दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। हालांकि, बोर्ड ने अपने अनिवार्य उद्देश्यों के पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए कोई दीर्घावधि भावी योजना अथवा वार्षिक योजना तैयार नहीं की। बोर्ड ने 2002-19 वर्षों के दौरान उपकर, एकत्रित उपकर पर ब्याज तथा पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 3,273.64 करोड़ प्राप्त किए जिसमें से इसने निर्माण श्रमिकों के कल्याण पर केवल ₹ 182.88 करोड़ (5.59 प्रतिशत) व्यय किया तथा मार्च 2019 तक उपकर तथा ब्याज के साथ संग्रहित शुल्क से ₹ 2,709.46 करोड़ का संचय हुआ था।

(पैराग्राफ 3.2.6.2)

निर्माण श्रमिकों को कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। हालांकि, बोर्ड ने दिल्ली में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के लिए निर्माण श्रमिकों की पहचान हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं किया। मार्च 2019 तक अनुमानित 10 लाख निर्माण श्रमिकों में से केवल 17,339 (1.7 प्रतिशत) ने बोर्ड में पंजीकरण करवाया जिससे 98 प्रतिशत श्रमिक, बोर्ड द्वारा कार्यान्वित कल्याण योजनाओं के लाभ से वंचित रहे। पंजीकृत श्रमिकों के मामले में भी सीमित लाभ ही प्रदान किया गया, क्योंकि बोर्ड द्वारा कार्यान्वित 15 कल्याण योजनाओं में से छः पर कोई व्यय नहीं किया गया था। बोर्ड का प्रशासनिक व्यय भी कुल व्यय के पाँच प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बहुत अधिक था तथा यह 2016-17 में 14.42 प्रतिशत और 2018-19 में 12.20 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 3.2.6.1 एवं 3.2.10.1)

### प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप संस्वीकृत विद्युत भार के निर्धारण में विफलता के परिणामस्वरूप नियत प्रभारों के कारण जुलाई 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹ 1.55 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.3)

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना इंद्रप्रस्थ सूचना एवं तकनीकी संस्थान दिल्ली ने कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर परिवहन भत्ते की स्वीकृति दी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.03 करोड़ के अतिरिक्त प.भ. की राशि का अनियमित भुगतान हुआ।

**(पैराग्राफ 3.4)**

**अध्याय-I**  
**राजस्व क्षेत्र**





## अध्याय - I

### राजस्व क्षेत्र

#### 1.1 प्रस्तावना

##### 1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उत्थित कर तथा गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार (भा.स.) से प्राप्त सहायता अनुदानों तथा पिछले चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े तालिका-1.1 में नीचे दर्शाये गए हैं:

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा उत्थित राजस्व					
	कर राजस्व	26,603.90	30,225.16	31,139.89	35,717.02	36,624.67
	गैर-कर राजस्व	632.55	515.40	380.69	766.06	644.16
	कुल	27,236.45	30,740.56	31,520.58	36,483.08	37,268.83
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	सहायता अनुदान	2,348.14	4,258.29	2,825.16	2,184.19	5,843.77 <sup>1</sup>
3	रा.रा.क्षे.दि.स. की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	29,584.59	34,998.85	34,345.74	38,667.27	43,112.60
4	1 से 3 तक की प्रतिशतता	92	88	92	94	86

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

2014-15 से 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट-1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-1.1



<sup>1</sup> माल तथा सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन में से उत्थित किए गए राजस्व की कमी के मुआवजे के लिए 2018-19 में प्राप्त किए गए ₹ 4,182 करोड़ की राशि शामिल है। वर्ष 2017-18 में, राजस्व की कमी के लिए प्राप्त किया गया मुआवजा केवल ₹ 157.00 करोड़ था।

वर्ष 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा उत्थित राजस्व (कर तथा गैर-कर) ₹ 37,268.83 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियों का 86 प्रतिशत था। 2018-19 के दौरान प्राप्तियों का शेष 14 प्रतिशत भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुआ।

1.1.1.2 2014-15 से 2018-19 के दौरान उत्थित कर राजस्व का विवरण तालिका-1.2 में दिया गया है:

तालिका-1.2: उत्थित किए गए कर राजस्व का विवरण


क्रम. सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2015-16 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2016-17 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2017-18 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2018-19 (कुल कर राजस्व की प्रतिशतता)	2017-18 की अपेक्षा 2018-19 में वास्तविक वृद्धि (+) अथवा (-) की प्रतिशतता
1	राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी)	-	-	-	13,620.84 (38.14%)	19,186.57 (52.39%)	40.86
2	बिक्री कर	18,289.31 (68.75%)	20,245.82 (66.98%)	21,144.24 (67.90%)	11,149.17 (31.21%)	5,885.75 (16.07%)	-47.21
3	राज्य उत्पाद	3,422.39 (12.86%)	4,237.69 (14.02%)	4,251.40 (13.65%)	4,453.49 (12.47%)	5,028.19 (13.73%)	12.90
4	स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क	2,779.88 (10.45%)	3,433.60 (11.36%)	3,143.93 (10.10%)	4,117.07 (11.53%)	4,458.62 (12.17%)	8.30
5	वाहनों पर कर	1,558.83 (5.86%)	1,607.01 (5.32%)	1,808.78 (5.81%)	2,115.76 (5.92%)	2,054.75 (5.61%)	-2.88
6	वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	491.70 (1.85%)	700.53 (2.32%)	789.53 (2.53%)	259.18 (0.73%)	10.68 (0.03%)	-95.88
7	भूमि राजस्व	61.79 (0.23%)	0.51 (0.002%)	2.01 (0.01%)	1.51 (0.004%)	0.11 (0.0003%)	-92.72
	<b>कुल कर राजस्व</b>	<b>26,603.90</b>	<b>30,225.16</b>	<b>31,139.89</b>	<b>35,717.02</b>	<b>36,624.67</b>	

(₹ करोड़ में)

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

विभिन्न कर राजस्व की वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट-1.2 में दर्शाया गया है:

चार्ट-1.2



रा.रा.क्षे. दिल्ली की वास्तविक कर प्राप्तियां 2017-18 में ₹ 35,717.02 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 36,624.67 करोड़ तक ₹ 907.65 करोड़ (2.54 प्रतिशत) तक बढ़ गई। रा.रा.क्षे. दिल्ली की कुल वास्तविक कर प्राप्तियां बढ़ती हुई प्रवृत्ति को दर्शा रही थी जोकि 37.67 प्रतिशत से बढ़कर 2014-15 में ₹ 26,603.90 करोड़ से 2018-19 में ₹ 36,624.67 करोड़ हो गई। राजस्व प्राप्तियों का मुख्य अंशदान बिक्री कर/रा.मा.से.क. से था जोकि 2018-19 में पिछले वर्ष की तुलना में 1.22 प्रतिशत तक बढ़ गया। वर्ष 2018-19 के लिए वास्तविक प्राप्तियां 'राज्य उत्पाद' एवं 'स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क' शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः 12.90 प्रतिशत तथा 8.30 प्रतिशत तक बढ़ गई जबकि 'वाहनों पर कर' तथा 'भूमि राजस्व' शीर्ष के अन्तर्गत पिछले वर्ष की तुलना में प्राप्तियां क्रमशः 2.88 प्रतिशत तथा 92.72 प्रतिशत तक घट गई। जी.एस.टी. में सम्मिलित करने के पश्चात 'वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा ड्यूटी' शीर्ष के अन्तर्गत कर प्राप्तियां 2017-18 में ₹ 259.18 करोड़ से 2018-19 में ₹ 10.68 करोड़ तक घट गई।

वर्ष के दौरान भिन्नताओं के लिए संबंधित विभागों ने निम्नलिखित कारणों को बताया:

#### **एस.जी.एस.टी./बिक्री कर**

विभाग ने बताया कि जी.एस.टी. की शुरुआत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 01 जुलाई 2017 से हुई थी। 01 जुलाई 2017 से वैट केवल पेट्रोलियम पदार्थों तथा शराब पर संग्रहित किया जा रहा है और अन्य सभी माल जी.एस.टी. के अन्तर्गत कवर किए जा रहे हैं।

#### **राज्य उत्पाद**

उत्पाद राजस्व प्रवर्तन शाखा तथा उत्पाद गुप्तचर विभाग (ई.आई.बी.) द्वारा किए गए सामूहिक प्रयत्नों के कारण बढ़ गए। ई.आई.बी. शाखा ने वर्ष 2018-19 के दौरान 3,65,391 बोतलें जब्त की तथा प्रत्येक बोतलों को आंबटित किए गए बार कोड्स की स्कैनिंग द्वारा शराब की 100 प्रतिशत बिक्री की गयी।

#### **वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं ड्यूटी:**

विभाग ने बताया कि वर्ष 2018-19 के लिए मुख्य शीर्ष 'वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क' के अंतर्गत कर राजस्व घट गया था क्योंकि दिल्ली मनोरंजन एवं बैटिंग कर 01 जुलाई 2017 से रद्द कर दिया गया तथा जी.एस.टी. में शामिल कर दिया गया था।

## भूमि राजस्व

भूमि तथा भवन विभाग भूमि राजस्व का नियमित संग्राहक नहीं है। अक्टूबर 2013 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज सहित ₹ 2.48 करोड़ की वसूली का आदेश दिया गया। उपरोक्त आदेश की अनुपालना में 2017-18 में ₹ 1.50 करोड़ की अंश राशि प्राप्त की गई। आगे, वर्ष 2018-19 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दूसरे निर्णय में केवल ₹ 10.00 लाख की राशि प्राप्त की गई।

## स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क

राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि दस्तावेजों के पंजीकरण की वृद्धि अनाधिकृत कॉलोनियों के पंजीकरण के आरम्भ किए जाने, कर वसूली के निरंतर अनुवीक्षण तथा स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एस.एच.सी.आई.एल.) द्वारा ऑनलाइन स्टांप ड्यूटी के भुगतान के कारण हुई।

## वाहनों पर कर

राजस्व संग्रहण में कमी मुख्यतौर पर वाहनों के पंजीकरण में 2.11 प्रतिशत (2017-18 में 7,20,828 वाहनों से लेकर 2018-19 में 7,05,618 वाहन तक) की कमी के कारण थी।

1.1.1.3 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उत्थित किए गए गैर-कर राजस्व के विवरण को तालिका-1.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.3: उत्थित किए गए गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)


क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18 की तुलना में 2018-19 की वास्तविक वृद्धि (+) अथवा कमी (-) की प्रतिशतता
1	ब्याज प्राप्तियां	350.52	82.53	81.39	396.25	113.46	-71.37
2	चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	58.20	125.88	60.13	89.08	102.79	15.39
3	लोक निर्माण	14.74	18.47	22.23	14.34	17.75	23.78
4	पाँवर	16.38	42.06	21.40	26.25	53.15	102.48
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	98.91	89.43	111.33	99.88	132.06	32.22
6	अन्य गैर-कर प्राप्तियां	93.79	157.03	84.21	140.26	224.95	60.38
	<b>कुल</b>	<b>632.54</b>	<b>515.40</b>	<b>380.69</b>	<b>766.06</b>	<b>644.16</b>	

स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

<sup>2</sup> लाभान्श तथा लाभ, लोक सेवा आयोग, पुलिस, जेल, शिक्षा, परिवार कल्याण, आवास, शहरी विकास, सूचना एवं प्रचार, श्रम तथा रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, कृषि पालन, पशु पालन, मत्स्य, वन तथा वन्य जीवन, सहकारिता, अन्य कृषि कार्यक्रम, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई, ग्राम तथा लघु उद्योग, गैर-लौह - खनन उद्योग तथा धातु उद्योग, पर्यटन, नागरिक आपूर्ति, अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें।

विभिन्न गैर-कर राजस्व के वर्ष-वार प्रवृत्ति को चार्ट - 1.3 में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.3



रा.रा.क्षे. दिल्ली की गैर-कर प्राप्तियों का विचलन 2014-15 से 2018-19 की अवधि में अधिक हुआ। 2017-18 में राजस्व उपलब्धियों की तुलना में 2018-19 में 15.91 प्रतिशत तक की गिरावट हुई। गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में मुख्य अंशदान “ब्याज प्राप्तियों” तथा ‘अन्य प्रशासनिक सेवाओं’ से था। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान ब्याज प्राप्तियों में ₹ 282.79 करोड़ (71.37 प्रतिशत) तक गिरावट आई जबकि अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ₹ 32.18 करोड़ (32.22 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई।

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों में ‘चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य’, ‘पॉवर’ तथा ‘लोक निर्माण कार्य’ शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 13.71 करोड़ (15.39 प्रतिशत) ₹ 26.90 करोड़ (102.48 प्रतिशत) तथा ₹ 3.41 करोड़ (23.78 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विभिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए:

#### ब्याज प्राप्तियां

2017-18 की तुलना में 2018-19 में ब्याज प्राप्तियों में कमी दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड (डी.टी.एल.) द्वारा 2017-18 में पिछली अवधि से संबंधित ऋणों पर ₹ 300 करोड़ के ब्याज के भुगतान के कारण हुई थी।

## चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य

चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य में वृद्धि दिल्ली सरकारी कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डीजीईएचएस) के अधीन अंशदान के संशोधन के कारण हुई।

## पावर

राजस्व में वृद्धि टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टी.पी.डी.डी.एल.) तथा डी.टी.एल. से वार्षिक लाइसेंस शुल्क की प्राप्तियों के कारण हुई।

## अन्य गैर-कर प्राप्तियों

मुख्य वृद्धि शहरी विकास के अधीन प्राप्तियों के कारण हुई। लाभांशो तथा लाभ तथा श्रम व रोजगार शीर्षो के अधीन प्राप्तियां कम हुई।

- (i) 2018-19 के दौरान शहरी विकास के अधीन प्राप्तियां पिछले वर्ष की ₹ 32.23 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में ₹ 132.08 करोड़ तक दर्ज की गई क्योंकि जिला शहरी विकास एजेन्सी (डी.यू.डी.ए.) के अधीन विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएएलएडी) शहरी विकास विभाग के डीयूडीए से वापिस प्रत्यावर्तित किए गए तथा राशि को रिफंड कर दिया गया।
- (ii) पिछले वर्ष ₹ 15.91 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान लांभाशो तथा लाभ के अधीन प्राप्तियां ₹ 14.31 करोड़ थी।
- (iii) पिछले वर्ष ₹ 20.79 करोड़ की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान श्रम तथा रोजगार के अधीन प्राप्तियां घट कर ₹ 10.52 करोड़ हो गई।

## 1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

31 मार्च 2019 तक राजस्व के बकायों की राशि राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षो के अधीन ₹ 36,226 करोड़ की थी जिसमें से पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया ₹ 4,030 करोड़ के थे जैसा कि तालिका-1.4 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: राजस्व के बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 तक बकाया कुल राशि	31 मार्च 2019 तक पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया राशि	टिप्पणियां
1	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	36,226	4,033	निवेदन के बावजूद बकायों के संचयन तथा उन्हें वसूल किए जाने के लिए विभाग ने कारण नहीं बताए।
2	राज्य उत्पाद	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	निवेदन के बावजूद राजस्व के बकायों के आंकड़ों को उत्पाद विभाग ने नहीं बताया।
कुल		36,226	4,033	

स्रोत: व्यापार तथा कर विभाग

व्यापार तथा कर विभाग (डीटीटी) से संबंधित ₹ 4033 करोड़ का बकाया पांच वर्ष से अधिक तक वसूल नहीं किया जा सका जो दर्शाता है कि विभाग ने इन बकायों की वसूली के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए। इसके अतिरिक्त, डीटीटी का बकाया 31 मार्च 2018 को ₹ 33,010.14 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च 2019 को ₹ 36,226.00 करोड़ तक हो गया।

राजस्व कर के बकायों का वर्ष दर वर्ष संचयन होता जा रहा है।

विभाग को समयबद्ध तरीके से कर के बकायों की वसूलियों के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए, जिससे वह समय बाधित न हो जाएं।

### 1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी) और राज्य उत्पाद शुल्क विभाग तथा मनोरंजन एवं विलासिता विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित इकाइयों/मामलों एवं निर्धारण हेतु लंबित होने वाली इकाइयों/मामलों और वर्ष के दौरान निपटान की गई इकाइयों/मामलों तथा वर्ष के अन्त में अन्तिम रूप देने हेतु लंबित इकाइयों/मामलों की संख्या का विवरण तालिका-1.5 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: कर निर्धारण में लंबित

राजस्व शीर्ष	इकाइयों/मामलों के प्रारंभिक शेष	2018-19 के दौरान निर्धारण हेतु लंबित इकाइयों/मामले	कुल निर्धारण बकाया	2018-19 के दौरान निपटान की गई इकाइयों/मामले	वर्ष की समप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4 तक)
1	2	3	4	5	6	7
विलासिता कर	2530	0	2530	1688	842	66.72
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	0	4,13,135	4,13,135	4,13,135	0	100

स्रोत: व्यापार एवं कर विभाग, उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग

कर निर्धारण मामलों के निपटान की प्रतिशतता व्यापार एवं कर विभाग के संबंध में 100 प्रतिशत थी।

### 1.1.4 कर वापसी के लंबित मामलों का विवरण

वर्ष 2018-19 के प्रारंभ में लंबित कर वापसी के मामलों की संख्या वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों एवं वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2018-19 के अंत में लंबित मामलों की संख्या जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया है, को तालिका-1.6 में दर्शाया गया है:

### तालिका-1.6: कर वापसी के लंबन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट/जीएसटी		उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर		परिवहन	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	54,126	2,383.44	22	1.86	शून्य	शून्य
2	वर्ष के दौरान प्राप्त किए गये दावे	11,273	645.90	02	0.03	203	284.79
3	कुल दावे	65,399	3,029.34	24	1.89	203	284.79
4	वर्ष के दौरान की गई कर वापसियां	34,739	1,023.61	23	1.53	203	284.79
5	कुल दावे से वापसियों की प्रतिशतता	53.12	33.79	95.83	80.95	100	100
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	30,660	2,005.73	1	0.36	शून्य	शून्य

यदि अधिक प्राप्त राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो दिल्ली वैट अधिनियम सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान प्रदान करता है। निर्धारित अवधि के अन्दर दावों की वापसियां न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। हालांकि, विभाग द्वारा वापसी पर ब्याज के भुगतान की जानकारी नहीं दी गई।

#### 1.1.5 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभाग की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (प्र.म.ले.) नियमों तथा प्रक्रियाओं में जैसा निर्धारित है, के अनुसार लेन-देन की नमूना जाँच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख-रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए अगले उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रतियों के साथ निरीक्षित कार्यालय के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार अनुसरण होता है। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार से नि.प्र. में दर्शाई गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर प्र.म.ले. को अनुपालना रिपोर्ट भेजना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भेजा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई नि.प्र. की संक्षिप्त स्थिति इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2019 तक उनकी स्थिति **अनुलग्नक-1.1** में दर्शाई गई है।



वर्ष 2009-10 में ₹ 3,093.36 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए 4,481 (289 नि.प्र. में से) पैराग्राफ लंबित थे परन्तु 2018-19 के अंत में ₹ 7,346.42 करोड़ की धनराशि को शामिल करते हुए लंबित पैराग्राफों की संख्या बढ़कर 9,595 (910 नि.प्र. में से) हो गई जिससे यह संकेत मिलता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

जवाब न मिलने के कारण पैरों का अधिकता में लंबित होना इस बात का परिचायक है कि नि.प्र. में लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए दोषों, चूक एवं अनियमितताओं को सुधारने के लिए कार्यालयों एवं विभाग के प्रमुखों ने कार्रवाई प्रारंभ नहीं की। लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्यकारी कार्रवाई का अभाव जवाबदेही को कमजोर बनाता है एवं राजस्व के परिहार्य नुकसान के जोखिम को बढ़ाता है। लंबित लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या में निरंतर वृद्धि सरकार के ध्यान को आकर्षित करती है ताकि लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालना एवं निपटान की नियमित रूप से निगरानी एवं समीक्षा की जा सके।

#### 1.1.5.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार द्वारा नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तीव्र करने एवं निगरानी हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया गया। हालांकि, वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग द्वारा कोई भी लेखापरीक्षा समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया।

#### 1.1.5.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा के अभिलेखों की गैर-प्रस्तुति

नियंत्रक महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18(1) के अनुसार कोई भी खाता, किताबें, कागजात एवं अन्य दस्तावेज जिनका लेन-देन या प्रपत्र के आधार पर निपटान होता है या अन्यथा लेन-देन के लिए प्रासंगिक होते हैं जिनके लिए लेखापरीक्षा के संबंध में उनके कर्तव्यों का विस्तार होता है, ऐसे स्थान पर भेजे जाएं जहाँ वे अपने निरीक्षण के लिए नियुक्त हो सकें। कर राजस्व कार्यालय के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरंभ करने से एक माह पूर्व विभागों को सूचनाएँ जारी कर दी जाती है जिससे वे लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखने में सक्षम हो सकें।

व्यापारियों के प्राथमिक अभिलेख विभाग की डी-वैट प्रणाली में उपलब्ध थे, हालांकि, कुछ मामलों में इन अभिलेखों को किसी भी लेखापरीक्षा निष्कर्ष के लिए पर्याप्त नहीं माना गया था। गहन जाँच के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान 4021 व्यापारियों के प्रत्यक्ष अभिलेखों की लेखापरीक्षा की गई लेकिन विभाग

ने केवल 1,454 (36 प्रतिशत) व्यापारियों के अभिलेख प्रदान किए, जो कि डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 18(1) (ख) के अन्तर्गत प्रदान की गई नियंत्रक महालेखापरीक्षक की शक्तियों का उल्लंघन है। परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। राजस्व एवं परिवहन विभाग ने मांगे गये 100 प्रतिशत अभिलेख उपलब्ध कराये।

### 1.1.5.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-संक्षिप्त स्थिति

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में जारी किये गए मामलों पर कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा में दर्शाये गए सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः ऐक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) की शुरुआत करनी चाहिए, बिना इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन ए.टी.एन. को दिल्ली विधान मंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख से लेकर चार महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत जांच के बाद पी.ए.सी. को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

हालांकि, प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. में हुई देरी के संदर्भ में 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 को समाप्त वर्षों हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल 21 पैराग्राफों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) को राज्य विधान सभा के समक्ष मई 2015 से दिसम्बर 2019 के बीच प्रस्तुत किया गया। संबंधित विभागों से इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के संबंध में ए.टी.एन. छः माह की औसत देरी से प्राप्त हुए। 31 मार्च 2014, 2015, 2016, 2017 एवं 2018 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में 18 पैराग्राफों तथा एक निष्पादन लेखापरीक्षा (पी.ए.) से संबंधित ए.टी.एन. विभाग से प्राप्त नहीं हुए जैसा कि तालिका-1.7 में दर्शाया गया है:

#### तालिका-1.7: पैराग्राफ, निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा ए.टी.एन. का विवरण

क्रम. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	प्रतिवेदन में मुद्रित पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1.	2014	3+0 (पीए)	2+0 (पीए)
2.	2015	0+1 (पीए)	0+1 (पीए)
3.	2016	4+0 (पीए)	3+0 (पीए)
4.	2017	7+0 (पीए)	6+0 (पीए)
5.	2018	7+0 (पीए)	7+0 (पीए)
कुल		21+1 (पीए)	18+1(पीए)

लोक लेखा समिति ने 2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों/पी.ए. पर चर्चा नहीं की।

### 1.1.6 स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत किए गए पैराग्राफों तथा वसूल की गई धनराशि को **अनुलग्नक-1.2** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2008-09 से 2017-18 के लिए प्रतिवेदनों में ₹ 9,054.81 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ शामिल थी, जिसमें से ₹ 732.28 करोड़ की धनराशि से संबंधित अभ्युक्तियों को विभाग द्वारा स्वीकार किया गया। हालांकि, केवल ₹ 1.85 करोड़ (0.25 प्रतिशत) की धन राशि विभाग द्वारा वसूल की गई जो कि नगण्य थी। यह भी देखा गया कि 2018-19 में वसूली शून्य थी। वसूली की गई कम धनराशि में विभाग के लापरवाह दृष्टिकोण और खराब निगरानी को दर्शाया गया है।

**विभाग उन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने पर विचार कर सकता है जो स्वीकृत मामलों में वसूली करने में विफल रहे हैं।**

### 1.1.7 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अन्तर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पिछली प्रवृत्तियों तथा अन्य परिमाणों के अनुसार, उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाइयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसमें बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदनों (राज्य तथा केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशों, पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन के कारकों, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 166 इकाईयाँ थी, जिनमें से 60 इकाईयाँ की योजना बनाकर लेखापरीक्षा की गयी थी।

### 1.1.8 लेखापरीक्षा के परिणाम

#### 1.1.8.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षाओं की स्थिति

वर्ष 2018-19 के दौरान 166<sup>3</sup> लेखापरीक्षित इकाइयों में से ₹ 12,214.73 करोड़ की कर राजस्व प्राप्तियों<sup>4</sup> वाली 60<sup>5</sup> इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। अभिलेखों की नमूना जाँच में 394 पैराग्राफों में शामिल ₹ 521.61 करोड़ का अवनिर्धारण

<sup>3</sup> वैंट-126, स्टॉम्प एवं पंजीकरण-22, एमवीटी-17, उत्पाद शुल्क-01

<sup>4</sup> लेखापरीक्षित अवधि की कर प्राप्तियों की धनराशि को शामिल किया गया है।

<sup>5</sup> वैंट-42, एमवीटी-07, स्टॉम्प एवं पंजीकरण-11

कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को पाया गया जिसे तालिका-1.8 में दर्शाया गया है:

### तालिका-1.8: श्रेणी-वार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

क्रम. सं.	श्रेणियाँ	पैरा/मामलों की सं.	राशि (₹ करोड़ में)
<b>बिक्री कर/मूल्य वर्जित कर</b>			
1	इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा	9	5.71
2	स्थानीय व्यापारियों को अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का अनियमित दावा	1	5.42
3	ब्याज की गैर-वसूली	2	3.10
4	माँग की गैर-वसूली तथा परिणाम स्वरूप ब्याज की हानि	3	87.15
5	कर का कम उद्ग्रहण	1	7.52
6	अन्य अनियमितताएँ	211	379.73
<b>कुल</b>		<b>227</b>	<b>488.63</b>
<b>मोटर वाहन कर</b>			
1	अन्य अनियमितताएँ	42	0.00
<b>कुल</b>		<b>42</b>	<b>0.00</b>
<b>स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क</b>			
1	स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का गैर उद्ग्रहण	1	25.68
2	स्टॉम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण	1	3.19
3	अन्य अनियमितताएँ	123	4.11
<b>कुल</b>		<b>125</b>	<b>32.98</b>
<b>कुल योग</b>		<b>394</b>	<b>521.61</b>

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 521.61 करोड़ के कर/शुल्क का कम/गैर-उद्ग्रहण के मामलों को इंगित किया, उनमें से संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की ₹ 96.32 करोड़ की राशि को स्वीकार किया।

#### 1.1.9 राजस्व अध्याय का कवरेज

राजस्व क्षेत्र के इस अध्याय में सात पैराग्राफ हैं जिसमें ₹ 137.77 करोड़ के वित्तीय प्रभाव शामिल है। सरकार ने ₹ 96.32 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की हैं। इनकी चर्चा उत्तरवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

## अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

## राजस्व विभाग

## 1.2 पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का गैर-उद्ग्रहण

2014-15 से 2018-19 के दौरान 118 अनुबंध निष्पादित किए गए, उद्ग्रहणीय स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 25.68 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (16) के अनुसार पट्टे का अर्थ है किसी अचल सम्पत्ति का पट्टा और इसमें कोई (ए) पट्टा (बी) काबुलियत या लिखित रूप में कोई अन्य वचन भी शामिल होता है, जो अचल सम्पत्ति को विकसित करने, कब्जा करने या भुगतान करने अथवा किराये पर देने के लिए किसी पट्टे का प्रतिरूप न हो, (सी) कोई दस्तावेज जिसके द्वारा किसी भी प्रकार के टोल किराये पर दिये जाते हैं, (डी) किसी पट्टे के लिए किसी आवेदन पर कोई लिखित का आशय यह महत्व देने का है कि आवेदन स्वीकृत है। इसके अलावा, भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1ए की मद 35 के अनुसार, अचल सम्पत्ति को पट्टे पर या उप-पट्टे पर देने के लिए कोई भी दस्तावेज अथवा किराये पर या किराये पर लिए हुए को किराए पर देने के लिए कोई करार स्टाम्प ड्यूटी के लिए प्रभार्य है। इसके अलावा, पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (1) (डी) यह भी उपबन्ध करती है कि वर्ष-दर-वर्ष अचल सम्पत्ति का पट्टा या एक वर्ष से अधिक की किसी भी अवधि के लिए या आरक्षित वार्षिक किराये पर लेने के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए। पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी आरक्षित किराये की राशि के बराबर प्रतिफल के लिए निर्धारित दरों पर और पट्टे की अवधि<sup>6</sup> के आधार पर प्रभार्य है।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 01 के पैरा संख्या 2.6.6.1 का सन्दर्भ वर्णित किया जाता है, जिसमें दिल्ली के तीन<sup>7</sup> नगर निगमों, (एमसीडी) द्वारा पट्टा विलेखों के गैर-पंजीकरण पर टिप्पणी की गयी थी। इस

<sup>6</sup> किसी समर्पण के पट्टे किराए करार नामे के पंजीकरण की दरें हैं।

- 5 वर्ष तक -औसत वार्षिक किराये का 2%
- 10 वर्ष तक - औसत वार्षिक किराये का 3%
- 20 वर्ष तक - औसत वार्षिक किराये का 6%
- 30 वर्ष तक औसत वार्षिक किराये का 9%

<sup>7</sup> पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी)

अभ्युक्ति के जवाब में, विभाग ने जवाब दिया था (मार्च 2014) कि तीनों दिल्ली नगर निगमों को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पंजीकृत करने के लिए ऐसे दस्तावेजों पर पट्टा विलेखों/अनुबंधों को करते समय अपेक्षित स्टाम्प ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

तीनों एमसीएसडी के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल से जुलाई 2019 के बीच) कि वे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियमित आने जाने वालों के लिए पार्किंग स्थलों, यूनिपोल्स, बैंक्वेट हॉल, और 'टोल वसूलने का अधिकार' के करार करने के लिए निजी उद्यमियों के साथ अनुबंधों को निष्पादित कर रहे थे। ऐसे अनुबंधों पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहणीय थे। हालांकि, लेखापरीक्षा ने 2014-15 से 2018-19 के दौरान निष्पादित 118 अनुबंधों को देखा जहाँ स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहणीय था लेकिन भुगतान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 25.68 करोड़ के राजस्व की कम वसूली हुई।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति का विरोध किये बिना कहा (नवम्बर 2020) कि पट्टा विलेखों के गैर-पंजीकरण पर लेखापरीक्षा अवलोकन तीनों दिल्ली नगर निगमों को सूचित कर दिया गया है और प्रासंगिक कानूनों का कड़ाई से अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है तथा उनसे निजी कम्पनियों/उद्यमियों और उनके बीच निष्पादित दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया है।

विभाग को सभी निष्पादित अनुबंधों का समय समय पर विवरण प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि देय राजस्व वसूल हुआ, एक औपचारिक प्रक्रिया पर योजना बनाने की आवश्यकता है।

### 1.3 स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

सम्पत्तियों के गलत वर्गीकरण तथा सम्पत्तियों के मूल्यांकन की गलत संगणना के परिणामस्वरूप ₹ 3.19 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने 18 जुलाई 2007 की अधिसूचना द्वारा भूमि और भवनों के मूल्यांकन के लिए विभिन्न श्रेणियों के क्षेत्रों ('ए' से 'एच')<sup>8</sup> के अन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रीय दरों की शुरुआत की थी।

<sup>8</sup> 'ए' श्रेणी के लिए उच्चतम सर्कल दर और 'एच' श्रेणी के लिए सबसे कम क्षेत्रीय दर

न्यूनतम क्षेत्रीय दरों को अंतिम बार 22 सितम्बर 2014 की अधिसूचना द्वारा संशोधित किया गया था।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 27 उपबंध करती है कि इयूटी के साथ किसी दस्तावेज की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियाँ तथा सभी अन्य तथ्य तथा प्रतिफल (यदि कोई है) या इयूटी की राशि जिसके साथ यह प्रभार्य है, वह पूरी तरह और सही अर्थों में निर्धारित की जाए। जहाँ तथ्यों और इयूटी की प्रभार्यता को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के अभाव में स्टाम्प इयूटी की कमी निर्धारण योग्य नहीं है और दस्तावेज अधिनियम की धारा 27 के उल्लंघन में निष्पादित किया गया है, पंजीकरण अधिकारियों को ऐसे मामलों को स्टाम्प कलेक्टर को संदर्भित करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 64 के तहत अभियोजन के लिए सशक्त बनाया जाता है।

अभिलेखों की जाँच में स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क के कम उद्ग्रहण के निम्न मामले प्रकाश में आए हैं:

#### ए. संपत्तियों का गलत वर्गीकरण

स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क को प्रभारित करने के लिए, संपत्ति का न्यूनतम मूल्य संपत्ति के क्षेत्रफल के साथ न्यूनतम क्षेत्रीय दरों, इलाके की श्रेणी के अनुसार गुणा करके निकालना होता है। इसके अलावा, आवासीय एवं व्यावसायिक उद्देश्य के लिए भूमि की लागत की गणना के लिए क्रमशः “एक और तीन” के गुणक कारक का प्रयोग किया जाता है।

पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया (अप्रैल तथा जुलाई 2019 के बीच) कि दो उप-पंजीयक<sup>9</sup> कार्यालयों में छः मामले (अनुलग्नक-1.3) जिनमें भूमि एवं भवन को शामिल करते हुए सम्पत्तियाँ “वाणिज्यिक” थीं लेकिन उन पर स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क “आवासीय” सम्पत्तियों पर लागू दरों से लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.39 करोड़ के स्टाम्प इयूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने इन छः मामलों (सम्पत्तियाँ) में से दो का सत्यापन किया और पाया कि ये दो सम्पत्तियाँ सम्बन्धित एमसीडी के अभिलेखों में वाणिज्यिक के रूप में वर्गीकृत (प्रारम्भ से) की गई थी।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये गये मामलों को सुधारात्मक उपायों जैसे परिबंधन, शुल्क की वसूली, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन आदि को करने के लिए निर्देशन के साथ सम्बन्धित उप-पंजीयक/कलेक्टर ऑफ स्टाम्प/पंजीयक को भेजे गये हैं।

<sup>9</sup> आसफ अली रोड और बसई दारापुर

## बी. संपत्तियों के मूल्यांकन की गलत गणना

सितम्बर 2014 की अधिसूचना द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी किसी संपत्ति के पंजीकरण के समय प्रभार्य होती है। दिल्ली स्टाम्प (दस्तावेज के अधोमूल्यन की रोकथाम) नियमावली 2007, के नियम 5(1) के अनुसार कोई पक्ष अचल संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करते समय दस्तावेज के साथ “फॉर्म ए” में प्रतिलिपि में एक विवरण प्रस्तुत करेगा।

नौ उप-पंजीयक<sup>10</sup> कार्यालयों में पंजीकृत दस्तावेजों की नमूना जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 82 मामले (अनुलग्नक-1.4) पाये (अप्रैल तथा जुलाई 2019 के बीच) जिनमें स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना गलत प्रतिफल राशि के आधार पर विभिन्न कारणों की वजह से की गयी थी, जैसे कि दस्तावेज में और फॉर्म ए में बताये गये क्षेत्र में भिन्नता, गलत गणना, क्षेत्रफल की गलत श्रेणी, भूमि मूल्य की गणना में त्रुटि आदि। इसके परिणामस्वरूप ₹ 80.41 लाख की स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

विभाग ने कहा (नवम्बर 2020) कि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये गये मामलों को सुधारात्मक उपायों जैसे परिवर्धन, शुल्क की वसूली, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभियोजन आदि को करने के लिए निर्देशन के साथ सम्बन्धित उप-पंजीयक/कलेक्टर ऑफ स्टाम्प/पंजीयक को भेजे गये हैं।

### व्यापार एवं कर विभाग

#### 1.4 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा

विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरण को सत्यापित किए बिना निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा निर्धारितियों को ₹ 2.56 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) अनुमत्य किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.21 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 2.25 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 9(2)(जी) यह निर्धारित करता है कि एक व्यापारी या व्यापारियों के वर्ग को तब तक कोई कर क्रेडिट अनुमत्य नहीं होगा, जब तक कि विक्रेता व्यापारी द्वारा सरकार को क्रेता व्यापारी द्वारा वास्तविक रूप में भुगतान किए गये कर को जमा

<sup>10</sup> आसफ अली रोड़, बसई दारापुर, कालकाजी, लाजपत नगर, पीतमपुरा, रोहिणी, सरोजिनी नगर, सीलमपुर तथा विवेक विहार,



नहीं किया गया हो अथवा आउटपुट कर देयता के प्रति कानूनी रूप में समायोजन किया गया हो तथा संबंधित कर अवधि के लिए फाइल की गई रिटर्न में उचित रूप से दर्शाया गया हो। डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है जिसका विवरण सामग्री असत्य, भ्रामक या कपटपूर्ण है वह ₹ 10 हजार की राशि या कर की कम राशि जो भी अधिक है, जुर्माने के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा किसी राशि के भुगतान करने में किसी चूक के लिए वैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत ब्याज देने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

नौ वार्डों<sup>11</sup> के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (जून 2018 तथा फरवरी 2019 के मध्य) दर्शाती हैं कि निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए 34 निर्धारितियों ने अपनी त्रैमासिक रिटर्न को क्रय विवरणी (अनुलग्नक 2 ए) सहित फाइल किया। व्यापार एवं कर विभाग के ऑनलाईन पोर्टल पर निर्धारण वर्ष 2014-15 से 2016-17 के लिए उपलब्ध इन निर्धारितियों की क्रय विवरणी (अनुलग्नक 2 ए) के अनुसार निर्धारितियों ने ₹ 63.40 करोड़ के स्थानीय क्रय पर ₹ 2.56 करोड़ के आई.टी.सी का दावा किया। हालांकि विक्रय विवरणी (अनुलग्नक 2 बी) से प्रति- सत्यापन पर, यह पाया गया कि विक्रय व्यापारियों ने संबन्धित कर अवधि के लिए निर्धारितियों को केवल ₹ 3.98 करोड़ का विक्रय ही दर्शाया था। इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारितियों द्वारा अनुलग्नक 2 ए में अनियमित स्थानीय क्रय को दर्शाया गया था तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित दावा किया गया था।

इस प्रकार, 19 अगस्त 2015 तथा 23 सितम्बर 2016 के मध्य निर्धारण के दौरान विक्रय व्यापारियों द्वारा जमा किए गए कर के विवरणों को सत्यापित करने में निर्धारण प्राधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.25 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.21 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 2.25 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2020) कि सभी निर्धारितियों का 23 जुलाई 2018 तथा 7 जुलाई 2020 के मध्य पुनर्निर्धारण कर दिया है और ₹ 4.25 करोड़ की ब्याज और जुर्माने सहित अतिरिक्त मांग की गई है। आगे, उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

<sup>11</sup> वार्ड सं-44, 52,58,61,62,63,84,91 एवं 97

## 1.5 स्थानीय व्यापारियों का अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का अनियमित दावा

निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर की रियायती दर के लिए निर्धारितियों की पात्रता सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ का कर कम उद्ग्रहित हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.60 करोड़ का ब्याज और ₹ 1.91 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 की धारा 8(1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यापारी, जो अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान, एक पंजीकृत व्यापारी को माल बेचता है, तो वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कर जो राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत उपयुक्त राज्य के अंदर इस तरह के माल की बिक्री या खरीद पर लागू होता है या उसकी कुल बिक्री का दो प्रतिशत, जो भी कम हो, का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। अन्यथा, व्यापारी राज्य के अंतर्राज्यीय व्यापार पर सीएसटी अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत लागू कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 86(10) निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है, जो किसी सामग्री विशेष में गलत, भ्रामक या कपटपूर्ण है, तो वह जुर्माना के रूप में, 10 हजार रुपये या कर की कम राशि जो भी अधिक हो, का जुर्माने के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के तहत किसी राशि का भुगतान करने में किसी भी चूक के लिए ब्याज भी देय होगा।

वर्ष 2017-18 में वार्ड 202 में निर्धारित मामलों की संवीक्षा (अप्रैल 2018 तथा मई 2018 के मध्य) के दौरान, लेखापरीक्षा में पाया गया कि एक निर्धारित<sup>12</sup> के ऑनलाइन बिक्री सारांश (डी वैट 31)/अनुलग्नक 2 बी में ₹ 18.23 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री दर्शायी गयी है, जिसके लिए 2 प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया गया। हालांकि डी.टी.टी. के विभागीय पोर्टल में उपलब्ध ऑनलाइन डेटा से पता चला कि वास्तव में ₹ 18.23 करोड़ की बिक्री केवल दो स्थानीय व्यापारियों के साथ की गई थी, जिस पर 12.5 प्रतिशत का सामान्य कर लागू था।

इस प्रकार रियायत दर के लिए निर्धारितियों की पात्रता सुनिश्चित करने में निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्र.) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़<sup>13</sup>

<sup>12</sup> टिन सं. 07270393028

<sup>13</sup> ₹ 18.23 करोड़ की बिक्री पर 10.5 प्रतिशत (12.5 प्रतिशत-2 प्रतिशत) की दर से गणना

के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 1.60 करोड़ के ब्याज<sup>14</sup> और ₹ 1.91 करोड़ की जुर्माना राशि भी उद्ग्रहणीय थी।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई 2019) कि मामले का पुनर्निर्धारण किया जा चुका है तथा ब्याज सहित ₹ 3.40 करोड़ की एक अतिरिक्त माँग उद्धृत की। आगे उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

## 1.6 ब्याज का गैर-उद्ग्रहण

**अतिरिक्त माँग पर ब्याज लगाने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.10 करोड़ के ब्याज का गैर-उद्ग्रहण**

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 42(2) निर्धारित करती है कि जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय किसी कर, जुर्माने या अन्य राशि का भुगतान करने में असफल होता है, तो वह निर्धारित राशि के अतिरिक्त, सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित वार्षिक दर पर, जिसकी गणना दैनिक आधार पर की जाएगी, ऐसी राशि पर साधारण ब्याज का भुगतान, ऐसे चूक की तिथि से, जब तक कि वह इस राशि का भुगतान करने में चूक करना जारी रखता है, तब तक करने के लिए उत्तरदायी होगा। सरकार द्वारा दिनांक 25 अप्रैल 2005 की अधिसूचना के अंतर्गत उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 15 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर अधिसूचित की गई।

वर्ष 2013-14 से 2014-15 के लिए दो वार्डों<sup>15</sup> के अभिलेखों (सितम्बर 2018 तथा फरवरी 2019 के मध्य) की संवीक्षा से पता चला कि दिसंबर 2016 और फरवरी 2018 के मध्य पांच निर्धारितियों<sup>16</sup> का निर्धारण पूरा हो गया था। निर्धारण आदेशों से पता चला कि निर्धारण प्राधिकारियों (नि.प्र.) ने मामलों का निर्धारण करते समय (i) चार मामलों में ₹ 4.21 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) और (ii) एक मामले में अन्तर्राज्यीय विक्रय के स्थान पर बिना चालान जारी किये स्थानीय बिक्री के कारण ₹ 0.16 करोड़ की राशि अनुमत नहीं की तथा उसको उत्क्रमित करके ₹ 4.37 करोड़ के अतिरिक्त कर की माँग की। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि नि.प्र. ₹ 4.37 करोड़ की अतिरिक्त माँग पर ब्याज उद्ग्रहण करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ऐसी चूक की तारीख से, अर्थात् 22 अक्टूबर 2013 से 31 मई 2019 के बीच की अवधि का ₹ 3.10 करोड़ का ब्याज का गैर-उद्ग्रहण हुआ।

<sup>14</sup> ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से, कर कैलेंडर माह जो कि 31 मई 2019 तक की तिमाही के अगले महीने की 22 तारीख है के तुरंत अगले दिन से।

<sup>15</sup> वार्ड सं 63 तथा वार्ड 83

<sup>16</sup> टीन सं. 07946918577, 07120134169, 07250360835, 07940197447 और 07960390466

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जुलाई/अगस्त 2020) कि पाँच निर्धारितियों का नया मूल्यांकन किया गया तथा कर पर ₹ 1.46 करोड़<sup>17</sup> के ब्याज का उदग्रहण किया गया। हालांकि निर्धारिती द्वारा माँग का भुगतान नहीं किया गया था और इसलिए रिट ऑफ डिमाण्ड जारी किया गया। आगे उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2021)।

### 1.7 कर, ब्याज तथा जुर्माने की मांग की गैर वसूली

**विभाग उन निर्धारितियों से ₹ 87.15 करोड़ की मांग वसूलने में विफल रहा जिनके पंजीकरण रद्द कर दिये गये थे।**

दिल्ली मूल्य वर्धित कर (डीवैट) अधिनियम, 2004 की धारा 32(2) तथा 33(2) प्रावधान करती है कि आयुक्त द्वारा दिए गए निर्धारण आदेश में निर्धारित किये गए अतिरिक्त कर और जुर्माने की राशि निर्धारित तिथि के अंदर देय तथा भुगतान योग्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर की कोई राशि, ब्याज अथवा जुर्माना, संयोजन राशि अथवा अन्य देय राशि, जिसका देय तिथि के बाद भी भुगतान शेष है, डीवैट अधिनियम 43 के अंतर्गत वसूली योग्य होगी। इसके अतिरिक्त डीवैट अधिनियम की धारा 22(9) यह निर्धारित करती है कि पंजीकरण का रद्दीकरण किसी व्यक्ति के किसी अवधि के लिए देय कर, जो रद्दीकरण की तिथि तक बकाया था या उसके बाद मूल्यांकन द्वारा निर्धारित कर, दोनों की देयता को प्रभावित नहीं करेगा, बावजूद इसके कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान के लिए अन्यथा उत्तरदायी नहीं है। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अंतर्गत किसी भी राशि के भुगतान करने में चूक के लिए ब्याज भी उदग्रहणीय होगा।

तीन वार्डों<sup>18</sup> के वर्ष 2014-15 के अभिलेखों की जांच से पता चला कि (जुलाई 2018 तथा 2019 के मध्य) डीवैट अधिनियम की धारा 32 तथा 33 के अंतर्गत अगस्त 2015 और जुलाई 2018 के बीच ₹ 75.09 करोड़ (कर ₹ 39.77 करोड़, ब्याज ₹ 11.99 करोड़ और जुर्माना ₹ 23.33 करोड़) की अतिरिक्त मांग सृजित करते हुए 14 निर्धारितियों<sup>19</sup> का निर्धारण किया गया, यद्यपि विभाग द्वारा फरवरी 2014 तथा सितम्बर 2016 के बीच उनके

<sup>17</sup> दो निर्धारितियों के मामले में), टिन संख्या ने चूक की तिथि से निर्धारण आदेश की तिथि तक प्रा.नि 07120134169 तथा 07946918577 ब्याज का उदग्रहण नहीं किया था तथा इस प्रकार से कम ब्याज का उदग्रहण हुआ।

<sup>18</sup> वार्ड सं. 25, 52 और 63

<sup>19</sup> टिन संख्या 07586920327, 07246920320, 07486920285, 07416920275, 07766920325, 07396920286, 07656920822, 07056920279, 07146920278, 07860185269, 07376950270, 07096919384, 07946918577, और 076869113482

पंजीकरण पहले ही रद्द किये जा चुके थे। निर्धारितियों को निर्धारण में निर्धारित समय सीमा के अंदर, माँग जमा करने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित समय सीमा के अंदर, माँग न जमा किए जाने वाले मामलों में, विभाग को डीवैट अधिनियम की धारा 43 के अंतर्गत वसूली प्रमाण-पत्र जारी करके कर, ब्याज और जुर्माने की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता थी। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग के द्वारा निर्धारितियों के खिलाफ माँग की वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 87.15 करोड़ (कर- ₹ 39.77 करोड़, ब्याज<sup>20</sup> - ₹ 24.05 करोड़ और जुर्माना - ₹ 23.33 करोड़) के राजस्व की वसूली नहीं हुई। लेखापरीक्षा द्वारा संज्ञान में लाए जाने पर सरकार ने निर्धारण आदेशों के जारी करने की तारीख से 27 महीनों से 50 महीनों के बीत जाने के बाद वसूली प्रमाण-पत्र/डिमांड रिट जारी किये (मई 2019 तथा सितंबर 2020 के मध्य)। हालांकि ₹ 87.15 करोड़ की माँग अभी तक वसूल नहीं की गई है (जनवरी 2021)।

## 1.8 कर का कम उदग्रहण

निर्धारिती द्वारा निर्माण सामग्री के संबंध में ₹ 29.94 करोड़ की कम बिक्री दर्शायी गई थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़ का कर कम उदग्रहीत हुआ। इसके अलावा, ₹ 2.08 करोड़ का ब्याज और ₹ 2.72 करोड़ का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2004 की धारा 4 और केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों के अनुसार, वस्तुओं से संबंधित निर्धारिती की कुल बिक्री पर लागू दर पर कर का भुगतान किया जायेगा, जैसा कि समय-समय पर स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा, डीवैट अधिनियम की धारा 86(10) निर्धारित करती है कि कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न प्रस्तुत करता है, जिसका विवरण सामग्री गलत, भ्रामक या कपटपूर्ण है, जुर्माने के रूप में दस हजार रुपये या कर घाटे की राशि, जो भी अधिक हो, के भुगतान का उत्तरदायी होगा। डीवैट अधिनियम की धारा 42(2) के अन्तर्गत किसी भी राशि के भुगतान में चूक होने पर ब्याज भी देय होगा।

वार्ड-110 के अभिलेखों की जांच में पाया गया है (मार्च 2019) कि एक निर्धारिती<sup>21</sup> ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए अपना तिमाही रिटर्न फाईल

<sup>20</sup> 31 मई 2019 तक ब्याज की गणना की गई।

<sup>21</sup> टीन सं. 07180476546

किया तथा ₹ 63.38 करोड़ (पूँजीगत माल के अतिरिक्त) के माल के क्रय पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई टी सी) का दावा किया। चूँकि निर्धारिती ने ₹ 63.38 करोड़ के क्रय माल पर आई टी सी का दावा किया था, निर्माण सामग्री अर्थात् माल जो कि निर्माण संविदा के निष्पादन के लिए हस्तांतरित किया गया, का न्यूनतम<sup>22</sup> क्रय मूल्य ₹ 63.38 करोड़ था। इस वर्ष के लिए निर्धारिती का निर्धारण नवम्बर 2016 में किया गया। निर्धारिती द्वारा 31 मार्च 2013 को निर्माण सामग्री का अन्तिम स्टॉक 'शून्य' और इसके तुलन-पत्र में 31 मार्च 2014 को अन्तिम स्टॉक ₹ 13.68 करोड़ दिखाया था। अतः वर्ष के दौरान उपभोग की गयी निर्माण सामग्री ₹ 49.70 करोड़ (प्रारम्भिक स्टॉक: ₹ शून्य + खरीद: ₹ 63.38 करोड़ - अन्तिम स्टॉक: ₹ 13.68 करोड़) निकाली गई। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि निर्धारिती ने वर्ष 2013-14 के दौरान कुल बिक्री ₹ 19.76 करोड़ (श्रम घटक को छोड़कर) दर्शायी थी। इस प्रकार, निर्धारिती द्वारा वर्ष 2013-14 के अपने तिमाही रिटर्न में ₹ 29.94 करोड़ (₹ 49.70 करोड़ - ₹ 19.76 करोड़) की निर्माण सामग्री के तदनु रूप कम बिक्री दर्शाई गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.72 करोड़<sup>23</sup> का कर कम उदग्रहण किया गया। इसके अतिरिक्त, ₹ 2.08 करोड़ का ब्याज और ₹ 2.72 करोड़<sup>23</sup> का जुर्माना भी उदग्रहणीय था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2020) कि मामला आगे निर्धारिती के समक्ष बढ़ाया गया था जिसमें उसने बताया कि लेखापरीक्षा ने श्रम संघटकों तथा उपभोक्ताओं के स्टॉक पर विचार नहीं किया। आगे यह बताया गया है कि इस मामले में निर्धारण प्राधिकारी ने निर्माण संविदा सारांश, डी वैंट फॉर्म 30 तथा 31, व्यापार लेखा इत्यादि पर विचार करते हुए डी वैंट अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत निर्धारण किया था तथा उसके अनुसार कर तथा ब्याज की ₹ 6.22 लाख की माँग उद्धृत की गई थी। हालांकि जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपभोग्य निर्माण सामग्री की गणना करते हुए लेखापरीक्षा द्वारा श्रम संघटकों, स्टोर के स्टॉक तथा उपभोग्य वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया था।

<sup>22</sup> चूँकि लेखापरीक्षा ने अंतर्राज्यीय क्रय (पूँजीगत माल के अलावा) का संबंध विच्छेद नहीं किया है, इसलिए लेखापरीक्षा ने निर्माण सामग्री के क्रय के रूप में अंतर्राज्यीय क्रय के किसी भाग पर विचार नहीं किया है। हालांकि ऐसी संभावना है कि निर्धारितियों ने निर्माण सामग्री का अंतर्राज्यीय क्रय किया होगा।

<sup>23</sup> निर्धारिती द्वारा कर देयता की जो परिगणना 5 प्रतिशत तथा 12.5 प्रतिशत की दर से की गई थी को ध्यान में रखने हुए ₹ 13.69 करोड़ पर 5 प्रतिशत तथा ₹ 16.25 करोड़ पर 12.5 प्रतिशत कर की कम उगाही को परिकल्पित किया गया।

**अध्याय-II**  
**सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम**





## अध्याय-II

### प्रस्तावना

#### 2.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

##### 2.1.1 सामान्य

2.1.1.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राज्य सरकार की कंपनियाँ एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य सा.क्षे.उ. वाणिज्यिक प्रकृति की गतिविधियों को करने के लिए स्थापित किए जाते हैं एवं ये राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 31 मार्च 2019 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत दो<sup>1</sup> सांविधिक निगमों एवं 17 सरकारी कंपनियों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) में 19<sup>2</sup> सा.क्षे.उ. थे। इन सरकारी कंपनियों में से कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी।

2.1.1.2 इस प्रतिवेदन में 30 सितंबर 2019 तक 2014-15 से 2017-18 के वर्ष को छोड़कर नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के आधार पर वित्तीय निष्पादन शामिल है। सा.क्षे.उ. की प्रकृति एवं लेखाओं की स्थिति नीचे दी गई तालिका-2.1.1.1 में निर्दिष्ट की गई है:

तालिका-2.1.1.1: प्रतिवेदन में शामिल सा.क्षे.उ. की प्रकृति

सा.क्षे.उ. की प्रकृति	कुल संख्या	सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके लेखे रिपोर्टिंग अवधि <sup>3</sup> के दौरान प्राप्त हुए					सा.क्षे.उ. की संख्या, जिनके लेखे 30 सितंबर 2019 तक बकाया थे (कुल बकाया लेखे)
		2018-19 तक के लेखे	2017-18 तक के लेखे	2016-17 तक के लेखे	2016-17 से पूर्व के लेखे	कुल	
कार्यशील सरकारी कंपनियाँ <sup>4</sup>	17	10	3	1	1	15	7 (14)
सांविधिक निगम	2	0	1	-	-	1	2 (2)
<b>कुल</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>9 (16)</b>

स्रोत: अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक की अवधि के दौरान प्राप्त लेखाओं के आधार पर संकलित

कार्यशील सा.क्षे.उ. ने 30 सितंबर 2019 तक अपने नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार ₹ 9,318.69 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष

<sup>1</sup> दिल्ली वित्तीय निगम एवं दिल्ली परिवहन निगम

<sup>2</sup> भा.स. एवं एनडीएमसी द्वारा इक्विटी अंशदान के माध्यम से 2016-17 में निगमित एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड शामिल है। राराक्षेदिस ने कंपनी में कोई निवेश नहीं किया है। इसमें अप्रैल 1987 में निगमित इंटेलिजेंट कॉन्सुल्टिंग सिस्टम इंडिया भी शामिल है एवं लेखापरीक्षा दिसम्बर 2018 से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली को सौंपा गया।

<sup>3</sup> अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 तक

<sup>4</sup> सरकारी सा.क्षे.उ. में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में संदर्भित अन्य कंपनियाँ शामिल हैं।

2018-19 (₹ 7,79,652.31 करोड़) के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का 1.20 प्रतिशत था। कार्यशील सा.क्षे.उ. को अपने नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार ₹ 3,492.05 करोड़ की हानि हुई। मार्च 2019 तक, राज्य सा.क्षे.उ. ने 0.30 लाख कर्मचारियों को नियोजित किया था।

### उत्तरदायित्व संरचना

**2.1.1.3** सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 और 143 के तहत निर्धारित की गई है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कंपनी वह है जिसमें प्रदत्त पूंजी का न्यूनतम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के पास होता है, एवं इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो इस प्रकार की सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा आंशिक रूप से एवं एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में अथवा नियंत्रित किसी अन्य कंपनी<sup>5</sup> को इस रिपोर्ट में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी की तरह संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत किसी सरकारी कंपनी एवं सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों को नियुक्त करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षकों को नि.म.ले.प. द्वारा वित्तीय वर्ष शुरू होने से 180 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्त किया जाना है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी अथवा सरकार नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में, प्रथम लेखापरीक्षक को कंपनी के पंजीयन की तारीख से 60 दिनों के भीतर नि.म.ले.प. द्वारा नियुक्त किया जाना है और यदि नि.म.ले.प. उक्त अवधि के भीतर इस प्रकार के लेखापरीक्षक को नियुक्त नहीं करता है, तो कंपनी के निदेशक मंडल अथवा कंपनी के सदस्यों को ऐसे लेखापरीक्षक को नियुक्त करना है।

आगे, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, धारा 139 की उप-धारा (5) या उप-अनुभाग (7)

<sup>5</sup> कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय - (कठिनाईयों का विवरण) सातवाँ आदेश 2014, दिनांक 4 सितंबर 2014

के अंतर्गत शामिल किसी भी कंपनी के मामले में, यदि आवश्यक हो, एक आदेश द्वारा इस प्रकार की कंपनी के लेखाओं का लेखापरीक्षण किए जाने हेतु कह सकते हैं एवं नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(क) के प्रावधान इस प्रकार के नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर लागू होंगे। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा अथवा आंशिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा एवं आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व में अथवा नियंत्रित कोई भी सरकारी कंपनी या कोई अन्य कंपनी नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा के अधीन है। 31 मार्च 2014 को या इससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों के संबंध में कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी।

### सांविधिक लेखापरीक्षा

**2.1.1.4** सरकारी कंपनियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित है) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार नि.म.ले.प. द्वारा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षक उक्त अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत अन्य बातों को शामिल करते हुए वित्तीय विवरणों के अलावा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति नि.म.ले.प. को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर नि.म.ले.प. द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होंगे।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा, उनसे संबंधित कानूनों के अधीन होता है। दो सांविधिक निगमों में से नि.म.ले.प., दिल्ली परिवहन निगम का एकल लेखापरीक्षक होता है। दिल्ली वित्तीय निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा का संचालन राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाता है एवं पूरक लेखापरीक्षा नि.म.ले.प. द्वारा संचालित की जाती है।

### सा.क्षे.उ. द्वारा लेखे को प्रस्तुत करना

#### **2.1.1.5 समय पर अंतिम रूप देने एवं प्रस्तुत करने की आवश्यकता**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के तीन महीने के भीतर तैयार की जाती है एवं जितनी जल्द

हो सके ऐसी तैयारी के पश्चात् राज्य विधान मंडल के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ एवं नि.म.ले.प. द्वारा इस पर की गई टिप्पणी अथवा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अनुपूरक को रखा जाएगा। सांविधिक निगमों को नियंत्रित करने वाले संबंधित अधिनियमों में करीब-करीब समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र राज्य के समेकित निधि से कंपनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक आम बैठक आयोजित करना आवश्यक है। इसमें यह भी कहा गया है कि एक एजीएम की तारीख और अगली के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। आगे, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उनके विचार के लिए एजीएम में रखा जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना एवं कारावास जैसे दण्ड लगाने का प्रावधान है।

### सरकार एवं विधानसभा की भूमिका

**2.1.1.6** सरकार अपने प्रशासनिक विभागों द्वारा इन सा.क्षे.उ. के कार्यकलापों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यपालक एवं बोर्ड के निदेशक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

राज्य विधानमंडल सा.क्षे.उ. में सरकारी निवेश के लेखाओं व उपयोगिता की भी निगरानी करता है। इसके लिए, राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों एवं नि.म.ले.प. की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों, और सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अधिनियम 2019 की धारा 394 के अंतर्गत अथवा संबंधित अधिनियमों में विनिर्धारित शर्तों के अनुसार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। नि.म.ले.प. की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को नि.म.ले.प. (कर्तव्य, शक्तियाँ व सेवा की शर्त) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत प्रस्तुत की जाती है।

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा.क्षे.उ.) में राराक्षेदिस द्वारा निवेश

**2.1.1.7** राराक्षेदिस की इन सा.क्षे.उ. में उच्च वित्तीय हिस्सेदारी है। यह मुख्यतः दो प्रकार की है:

- **शेयरपूँजी व ऋण-** शेयरपूँजी के योगदान के अतिरिक्त, राराक्षेदिस समय-समय पर सा.क्षे.उ. को ऋण के रूप में भी वित्तीय सहायता देती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** राराक्षेदिस जब कभी आवश्यकता हो सा.क्षे.उ. को अनुदानों एवं सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता भी प्रदान करती है।

2.1.1.8 31 मार्च 2018 तक सा.क्षे.उ. में निवेश का क्षेत्रवार सारांश तालिका-2.1.1.2 में दिया गया है:


तालिका-2.1.1.2: 31 मार्च 2019 तक सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कंपनियाँ <sup>6</sup>	सांविधिक निगमों	कुल	निवेश <sup>7</sup> (₹ करोड़ में)		
				इक्विटी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
विद्युत	4	-	4	7,106.78	2,709.81	9,816.59
वित्त	1	1	2	51.38	33.92	85.30
सेवा	3	-	3	24.04	2.14	26.18
अवसंरचना	2	-	2	21.00	0	21.00
परिवहन	1	1	2	1,994.50	11,676.14	13,670.64
<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>9,197.70</b>	<b>14,422.01</b>	<b>23,619.71</b>

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

2.1.1.9 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को नीचे दिए गए चार्ट-2.1.1.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट-2.1.1.1: सा.क्षे.उ. में क्षेत्र-वार निवेश



स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित

विद्युत क्षेत्र में 2014-15 और 2018-19 के बीच कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 9,816.59 करोड़ और ₹ 10,946.09 करोड़ के बीच,

<sup>6</sup> एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, इंटेलिजेंट कॉम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. लिंकर लिमिटेड, दि.रा.औ.अ.वि.नि. मॉटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड को और दि.रा.औ.अ.वि.नि. ऊर्जा लिमिटेड को छोड़कर जिसमें राराक्षेदिस द्वारा कोई निवेश नहीं किए गए।

<sup>7</sup> निवेशों में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

परिवहन विभाग में ₹ 13,670.64 करोड़ और ₹ 13,733.64 करोड़ के बीच तथा अन्य क्षेत्र (वित्त, सेवा एवं अवसंरचना) सहित ₹ 125.07 करोड़ और ₹ 132.48 करोड़ के बीच था।

विद्युत क्षेत्र में निवेश के स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इस रिपोर्ट के भाग I<sup>8</sup> में पाँच विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. एवं प्रतिवेदन के भाग II<sup>9</sup> में 14 सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा परिणामों को प्रस्तुत कर रहे हैं।

### अनुपालना लेखापरीक्षा पैराग्राफ

**2.1.1.10** 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) के लिए, प्रतिवेदन के भाग-III में शामिल किए गए चार अनुपालना लेखापरीक्षा पैराओं (बवाना एवं नरेला औद्योगिक क्षेत्रों के परिचालन तथा अनुरक्षण पर एक लंबा पैरा सहित) को संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को जवाब प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया गया। सरकार से सभी अनुपालन लेखापरीक्षा पैराओं पर जवाब प्राप्त हुए हैं तथा पैरों को अंतिम रूप देते समय ध्यान में रखा गया है। इन चार अनुपालना लेखापरीक्षा पैराओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 30.23 करोड़ का है।

<sup>8</sup> भाग I में अध्याय-I (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली) शामिल है।

<sup>9</sup> भाग II में अध्याय-II (विद्युत क्षेत्र के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली) शामिल है।

भाग-I

2.1.2 विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कार्यप्रणाली

प्रस्तावना

2.1.2.1 विद्युत क्षेत्र उपक्रम राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना प्रदान करने के अलावा, यह क्षेत्र राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) में भी योगदान देता है। विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. के क्रियाकलापों की सीमा को दर्शाता है। तालिका-2.1.2.1 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए राराक्षेदिस के विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का टर्नओवर एवं स.रा.घ.उ. का विवरण प्रदान करती है:

तालिका-2.1.2.1: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की तुलना में दिल्ली के स.रा.घ.उ. का विवरण

(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर <sup>10</sup>	3,640.67	4,410.86	3,617.57	4,178.31	4,938.10
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	4,94,803.02	5,50,803.70	6,15,605.26	6,90,098.28	7,79,652.31
दिल्ली के स.रा.घ.उ. के टर्नओवर की प्रतिशतता	0.74	0.80	0.59	0.61	0.63

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखाओं एवं राज्य स.रा.घ.उ. आँकड़े

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की वृद्धि ने 2016-17 तक मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया और इसके बाद (-)17.98 प्रतिशत से 21.16 प्रतिशत के बीच सुधार हुआ है जबकि दिल्ली के स.रा.घ.उ. की वृद्धि ने 11.32 प्रतिशत से 12.98 प्रतिशत तक बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाया।

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर एकाधिक समयावधि में विकास दर मापने के लिए एक उपयोगी विधि है। विगत पाँच वर्षों के दौरान स.रा.घ.उ. के 12.04 प्रतिशत संयुक्त वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर में 7.92 प्रतिशत कम संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। स.रा.घ.उ. के लिए इन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014-15 में 0.74 प्रतिशत से कम होकर 2018-19 में 0.63 प्रतिशत तक हो गई।

<sup>10</sup> वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक लेखापरीक्षा किए गए नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 को प्राप्त नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं।

### विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का गठन

2.1.2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (राराक्षेदिस) ने (नवम्बर 2000) दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम 2000 (दि.वि.सु.अ. 2000) को एक विद्युत नियामक आयोग के गठन करने, विद्युत उद्योग के पुनर्गठन (विद्युत के उत्पाद, संचरण, वितरण एवं आपूर्ति के युक्तिकरण), विद्युत उद्योग में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अवसर बढ़ाने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में एक कुशल, वाणिज्यिक, किफायती एवं प्रतिस्पर्धी तरीके से विद्युत उद्योग के विकास एवं प्रबंधन के लिए अनुकूल उपाय करने एवं उनसे संबंधित या उनके प्रासंगिक मामलों हेतु अधिनियमित किया (नवम्बर 2000)। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, राराक्षेदिस ने दिल्ली विद्युत सुधार (स्थानांतरण योजना) नियम, 2001 (नवंबर 2001) को अधिसूचित किया। स्थानांतरण योजना दिल्ली विद्युत बोर्ड (दि.वि.बो.) के कार्यों को विभाजित करने एवं उत्तराधिकारी संस्थाओं में बोर्ड की मौजूदा परिसंपत्तियों, देनदारियों, प्रक्रियाओं एवं कार्मिकों के स्थानांतरण के लिए प्रबंध किया। तदनुसार, छह नई कंपनियाँ अर्थात् (i) होल्डिंग कंपनी (दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड-डीपीसीएल), (ii) जेनको, (इंद्रप्रस्थ विद्युत जनरेशन कंपनी लिमिटेड-आईपीजीसीएल), (iii) ट्रांस्को (दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड-डीटीएल), (iv) डिस्कॉम-1, (v) डिस्कॉम-2 एवं (vi) डिस्कॉम-3 को निगमित किया गया (जुलाई 2001), परन्तु 1 जुलाई 2002 से कार्य करना शुरू किया। डिस्कॉम-1, डिस्कॉम-2 एवं डिस्कॉम-3 निजी क्षेत्र को स्थानांतरित (जुलाई 2002) कर दी गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, दो विद्युत क्षेत्र उपक्रमों अर्थात् प्रगति विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीपीसीएल, जनवरी 2001 में निगमित) एवं दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम दिराऔअविनि एनर्जी लिमिटेड (मई 2011 में निगमित) की लेखापरीक्षा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली को सौंपी गई, लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रम आ गए जिसे तालिका 2.1.2.2 में दर्शाया गया।

### विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण

2.1.2.3 वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का कोई विनिवेश, पुनर्गठन एवं निजीकरण नहीं किया गया।

### विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश

2.1.2.4 31 मार्च 2019 तक विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेश का गतिविधि-वार सारांश तालिका-2.1.2.2 में दिया गया है।



तालिका-2.1.2.2: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में गतिविधि-वार निवेश

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				कुल
		इक्विटी		दीर्घकालिक ऋण		
		राराक्षेदिस	अन्य <sup>11</sup>	राराक्षेदिस	अन्य	
विद्युत का उत्पादन <sup>12</sup>	2	2,670.73	140.00	1,115.92	957.79	4,884.44
विद्युत का संचरण <sup>13</sup>	1	3,691.00	260.00	263.33	524.29	4,738.62
विद्युत का वितरण <sup>14</sup>	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य <sup>15</sup>	2	745.05	0.01	1,330.56	0	2,075.62
<b>योग</b>	<b>5</b>	<b>7,106.78</b>	<b>400.01</b>	<b>2,709.81<sup>16</sup></b>	<b>1,482.08</b>	<b>11,698.68</b>

स्रोत: 30 सितंबर 2019 को प्राप्त सा.क्षे.उ. के नवीनतम लेखाओं के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक, पाँच विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 11,698.68 करोड़ था। निवेश में 64.17 प्रतिशत इक्विटी एवं 35.83 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल थे। इक्विटी योगदान कुल इक्विटी का 94.67 प्रतिशत (₹ 7,106.78 करोड़) था, जबकि इक्विटी का 5.33 प्रतिशत (₹ 400.01 करोड़) भास/अन्य द्वारा योगदान दिया गया था। राराक्षेदिस द्वारा दिए गए दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 64.64 प्रतिशत (₹ 2,709.81 करोड़) थे, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋण का 35.36 प्रतिशत (₹ 1,482.08 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों एवं बैंकों से प्राप्त किए गए।

**विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता**

2.1.2.5 राराक्षेदिस विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को वार्षिक बजट द्वारा विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 में समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में वर्ष के दौरान जारी इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के बारे में बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण तालिका-2.1.2.3 में दिया गया है।

<sup>11</sup> अन्य में भारत सरकार (भास), सरकारी सा.क्षे.उ. और अन्य शामिल हैं

<sup>12</sup> आईपीजीसीएल और पीपीसीएल शामिल हैं।

<sup>13</sup> डीटीएल

<sup>14</sup> डिस्कॉम्स निजी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं।

<sup>15</sup> डीपीसीएल एवं दि.रा.औ.अ.वि.नि. एनर्जी लिमिटेड शामिल हैं।

<sup>16</sup> राराक्षेदिस का दीर्घकालिक ऋण ₹ 588.70 करोड़ की राशि को शामिल नहीं करता है जिसे ऋण की वर्तमान परिपक्वता अर्थात् अगले वर्ष के दौरान चुकाए जाने वाली (भारतीय एएस के अनुसार) होने के कारण पीएसयू के खाते में वर्तमान देयता के रूप में चित्रित किया गया है।

**तालिका-2.1.2.3: विगत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को बजटीय सहायता का विवरण**


(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>17</sup>	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी पूँजी (i)	0	0	0	0	0	0.00
प्रदत्त ऋण (ii)	3	469.98	3	465.80	2	400.00
प्रदत्त अनुदान/सहायता (iii)	3	188.94	0	0	1	3.57
कुल व्यय (i+ii+iii)	4	658.92	3	465.80	2	403.57

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना।

मार्च 2019 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय सहायता का विवरण चार्ट-2.1.2.1 में दिया गया है।

**चार्ट-2.1.2.1: इक्विटी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के प्रति बजटीय सहायता**



स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन सा.क्षे.उ. द्वारा प्राप्त की गई बजटीय सहायता ₹ 403.57 करोड़ से ₹ 755.00 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त की गई ₹ 403.57 करोड़ की बजटीय सहायता में राराक्षेदिस द्वारा दिए ₹ 400 करोड़ का ऋण एवं ₹ 3.57 करोड़ का अनुदान/सब्सिडी शामिल था।

**राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन**

**2.1.2.6** राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखाओं के अनुसार इक्विटी एवं ऋण के बकाया के आँकड़े राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं में प्रदर्शित होने वाले आँकड़ों से

<sup>17</sup> धन राशि केवल राज्य बजट से व्यय दर्शाती है।

मेल खाने चाहिए। यदि आँकड़े मेल नहीं खाते हैं, तो संबंधित सा.क्षे.उ. एवं वित्त विभाग को इनके अंतरों का समाशोधन करना चाहिए। 31 मार्च 2019 तक ऋण के आँकड़ों में अंतरों को तालिका-2.1.2.4 में दिया गया है।

**तालिका-2.1.2.4: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया ऋण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	बकाया ऋण		अन्तर
	वित्त लेखाओं के अनुसार	विद्युत क्षेत्र उपक्रम <sup>18</sup> के अभिलेखों के अनुसार	
कुल ऋण	5,426.02	5,436.70	-10.68

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं वे.एवं.ले.का., राराक्षेदिस से एकत्रित सूचना

संख्याओं के बीच अन्तर डीटीएल (₹ 10.14 करोड़) तथा आईपीजीसीएल (₹ 0.54 करोड़) से संबंधित है। यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार एवं सा.क्षे.उ. अंतरों का समयबद्ध तरीके से समाशोधन करें।

**विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति**

**2.1.2.7 विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयोचितता**

31 मार्च 2019 तक नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रम थे। सांविधिक आवश्यकतानुसार 30 सितंबर 2019 तक चार कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2018-19 के लेखे प्रस्तुत किए गए थे। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले विगत पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष का 30 सितंबर तक विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं की प्रस्तुति में बकायों के विवरण तालिका-2.1.2.5 में दिए गए हैं।

<sup>18</sup> इसमें ₹ 2,377.17 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण + ₹ 588.70 करोड़ के ऋण का चालू परिपक्वता जो अगले वर्ष पुनर्भुगतान किया जाना है + वर्तमान देयता को हस्तांतरित ऋण जो अभी तक पुनर्भुगतान किया जाना है यद्यपि पहले के वर्षों में ₹ 2,470.83 करोड़ का बकाया है जैसा कि बिजली क्षेत्र के उपक्रमों के लेखे में दर्शाया गया है।

**तालिका-2.1.2.5: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति**

क्रम. सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1.	सा.क्षे.उ. की संख्या	5	5	5	5	5
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	5	0	6	9	4
3.	चालू वर्ष के लेखाओं की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	1	0	1	4	4
4.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या, जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया	1	4	5	4	0
5.	सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	0	5	4	0	1 <sup>19</sup>
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	0	5	4	0	1
7.	बकायों की सीमा	शून्य	एक वर्ष	एक वर्ष	शून्य	एक वर्ष

स्रोत: अक्टूबर 2014 से सितंबर 2019 के दौरान प्राप्त किए गए सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित

**विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का निष्पादन**


**2.1.2.8** 30 सितंबर 2019 तक प्राप्त पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम उनके अद्यतन लेखाओं के अनुसार **अनुलग्नक-2.1** में वर्णित हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से अपेक्षा की जाती है कि उपक्रमों में सरकार द्वारा किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल मिले। 31 मार्च 2019 तक पाँच विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि ₹ 11,698.68 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 7,506.79 करोड़ एवं दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹ 4,191.89 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राराक्षेदिस के द्वारा चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (दिराऔअविनि एनर्जी लिमिटेड को छोड़कर) में ₹ 9,816.59 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 7,106.78 करोड़ की इक्विटी एवं ₹ 2,709.81 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ऋण के रूप में राराक्षेदिस के निवेश की वर्षवार स्थिति **चार्ट-2.1.2.2** में दी गई है।

<sup>19</sup> दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड

चार्ट-2.1.2.2: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में राराक्षेदिस का कुल निवेश



स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे


किसी कंपनी की लाभप्रदता का मूल्यांकन पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से किया जाता है। निवेश पर प्रतिफल किसी निश्चित वर्ष में इक्विटी एवं दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निवेशित धनराशि के संबंध में उठाए गए लाभ अथवा हानि को मापता है और इसे कुल निवेश के लाभ की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कंपनी की लाभप्रदता और उस क्षमता को मापता है जिसके साथ इसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है और इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज एवं करों से पूर्व कंपनी की आय को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल निष्पादन का एक माप है जो कि शेयरधारकों की निधियों द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके गणना की जाती है।

### निवेश पर प्रतिफल

**2.1.2.9** निवेश पर प्रतिफल, कुल निवेश की लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ<sup>20</sup> की समग्र स्थिति को चार्ट-2.1.2.3 में दर्शाया गया है।

<sup>20</sup> वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

### चार्ट-2.1.2.3: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अर्जित लाभ



स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

इन सा.क्षे.उ. द्वारा अर्जित लाभ, 2014-15 में ₹ 297.55 करोड़ के प्रति 2018-19 में ₹ 806.48 करोड़ था। उनके नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, इन पाँच सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ.<sup>21</sup> ने लाभ अर्जित किया एवं दो सा.क्षे.उ.<sup>22</sup> को हानि हुई (अनुलग्नक-2.1)। शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनियाँ दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड (₹ 398.00 करोड़) एवं प्रगति विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 264.38 करोड़) थीं।

2014-15 से 2018-19 के दौरान लाभ/हानि अर्जित/करने वाले विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की स्थिति तालिका-2.1.2.6 में दी गई है।

### तालिका-2.1.2.6: लाभ/हानि अर्जित/करने वाले विद्युत क्षेत्र उपक्रम

वित्तीय वर्ष	विद्युत क्षेत्र में कुल सा.क्षे.उ.	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	वर्ष के दौरान हानि उठाने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या
2014-15	5	3	2
2015-16	5	5	0
2016-17	5	3	2
2017-18	5	4	1
2018-19	5	3	2

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित

<sup>21</sup> पीपीसीएल, डीटीएल तथा डीपीसीएल

<sup>22</sup> आईपीजीसीएल (₹ 19.84 करोड़) तथा दिराओअविनि एनर्जी लिमिटेड (₹ 19,500)

**(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल**

**2.1.2.10** राज्य के पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से, राराक्षेदिस ने केवल चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया। राराक्षेदिस ने एक विद्युत क्षेत्र उपक्रम अर्थात् दिराऔअविनि एनर्जी लिमिटेड, में किसी भी प्रत्यक्ष निधि का किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अर्थात् दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (दिराऔअविनि) की सहायक कंपनी होने के नाते निवेश नहीं किया जिसने उसकी पूँजी के लिए योगदान दिया।

चार सा.क्षे.उ. से निवेश पर प्रतिफल की गणना राराक्षेदिस द्वारा सा.क्षे.उ. में केवल इक्विटी के रूप में किए गए निवेश पर की गई है क्योंकि चार सा.क्षे.उ. को कोई ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) नहीं दिया गया था। आगे, प्रबंधन एवं परिचालन व्यय के अलावा अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराए गए निधियों को निवेश के रूप में माना नहीं गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में अहर्क माने जाने योग्य नहीं हैं।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल तालिका-2.1.2.7 में दिया गया है।

**तालिका-2.1.2.7: ऐतिहासिक लागत आधार पर राराक्षेदिस के निवेश पर प्रतिफल**

वित्तीय वर्ष	इक्विटी, आईएफएल और अनुदान के रूप में राराक्षेदिस द्वारा निवेशित निधियाँ और ऐतिहासिक लागत के आधार पर परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के लिए सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल उपार्जन/हानि (₹ करोड़ में)	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
2014-15	8,955.86	297.47	3.32
2015-16	9,138.04	752.63	8.24
2016-17	9,314.05	512.86	5.51
2017-18	9,315.59	879.63	9.44
2018-19	9,319.16	806.48	8.65

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं उनके लेखाओं से प्राप्त सूचना

2014-19 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र सा.क्षे.उ. के निवेश पर प्रतिफल मिश्रित प्रवृत्ति को दर्शाया है।

**(ख) सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)**

**2.1.2.11** चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में राराक्षेदिस द्वारा महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए, ऐसे निवेश पर प्रतिफल, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से आवश्यक है। केवल निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर प्रतिफल की

पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणना धन के वर्तमान मूल्य (व.मू.) की अनदेखी करती है। सरकारी निवेशों के व.मू. की गणना निवेशों के ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस के निवेशों के व.मू. पर प्रतिफल की दर का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेशों की ऐतिहासिक लागत को इसके व.मू. तक लाने हेतु, राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस द्वारा निवेशित पिछले निवेशों/वर्षवार निधियों को सरकारी उधारी पर वर्षवार ब्याज की औसत दर जो कि संबंधित वर्ष के लिए सरकार को निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में माना जाता है, को चक्रवृद्धि दर पर किया गया है। इसलिए, राराक्षेदिस के निवेश के व.मू. की गणना की गई, जहाँ राराक्षेदिस द्वारा 2002-03<sup>23</sup> से 31 मार्च 2019 तक इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में निधियों का निवेश किया गया है।

विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में राराक्षेदिस के निवेश के व.मू. की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में माना नहीं गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>24</sup> के लिए सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर को व.मू. पर पहुँचाने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था चूँकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा उठाई गई लागत को दर्शाता है एवं इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में मानी जाती है।

**2.1.2.12** 2001-2002 से 31 मार्च 2019 तक चार<sup>25</sup> विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में इक्विटी एवं ब्याज मुक्त ऋण के रूप में राराक्षेदिस के निवेश की कंपनी-वार स्थिति **अनुलग्नक-2.2** में दर्शाई गई है। 2002-03 से 31 मार्च 2019 तक चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित राराक्षेदिस निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति **तालिका-2.1.2.8** में दर्शायी गई है:

<sup>23</sup> कंपनियों से प्राप्त आँकड़ों के अनुसार

<sup>24</sup> सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर, संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राराक्षेदिस) पर भारत के निमलेप की रिपोर्ट से अपनाई गई थी। 2001-02 के लिए औसत उधारी दर उपलब्ध नहीं थी।

<sup>25</sup> दिराऔअविनि ऊर्जा लिमिटेड में राराक्षेदिस का कोई निवेश नहीं है।



तालिका-2.1.2.8: 2002-03 से 2018-19 तक राराक्षेदिस द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण एवं सरकारी निधियों का वर्तमान मूल्य (व.मू.)

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	परिचालन और प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान और सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष <sup>26</sup> के लिए कुल उपाजन
i	ii	iii	iv	v (iii + iv)	vi = ii+iii+iv	vii	viii = {vi*(1+vii)/100}	ix=(vii*vi)/100	x
2002-03		323.14	0	323.14	323.24 <sup>27</sup>	11.17	359.35	36.11	-1104.40
2003-04	359.35	0.00	0.00	0.00	359.35	10.65	397.62	38.27	0.00
2004-05	397.62	0.00	0.00	0.00	397.62	10.34	438.73	41.11	-683.40
2005-06	438.73	0.00	0.00	0.00	438.73	8.87	477.65	38.92	-1002.00
2006-07	477.65	1.00	0.00	1.00	478.65	9.35	523.40	44.75	-13.15
2007-08	523.40	4087.50	13.13	4100.63	4624.03	9.84	5079.03	455.00	-575.26
2008-09	5079.03	464.50	0.00	464.50	5543.53	9.90	6092.34	548.81	27.27
2009-10	6092.34	497.54	75.00	572.54	6664.88	9.52	7299.38	634.50	222.95
2010-11	7299.38	239.00	332.35	571.35	7870.73	9.10	8586.97	716.24	420.50
2011-12	8586.97	450.00	175.00	625.00	9211.97	9.77	10111.97	900.01	216.41
2012-13	10111.97	299.00	463.65	762.65	10874.62	9.73	11932.73	1058.10	470.50
2013-14	11932.73	745.00	434.95	1179.95	13112.68	9.21	14320.35	1207.68	758.96
2014-15	14320.35	0.00	355.00	355.00	14675.35	8.59	15935.97	1260.61	297.47
2015-16	15935.97	0.00	182.18	182.18	16118.15	8.54	17494.64	1376.49	752.63
2016-17	17494.64	0.00	176.01	176.01	17670.65	8.65	19199.16	1528.51	512.86
2017-18	19199.16	0.00	1.54	1.54	19200.70	8.58	20848.12	1647.42	879.63
2018-19	20848.12	0.00	3.57	3.57	20851.69	8.64	22653.27	1801.59	806.48
<b>कुल</b>		<b>7,106.68</b>	<b>2,212.38</b>	<b>9,319.16</b>					

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं राज्य वित्त पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदन से प्राप्त सूचना

वर्ष के अंत में इन चार कंपनियों में राराक्षेदिस के इक्विटी निवेश 2002-03 में ₹ 323.24 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 7,106.78<sup>28</sup> करोड़ हो गया। 31 मार्च 2019 तक रा.रा.क्षे.दि.स. के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 22,653.27 करोड़ था।

इस तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-03 से 2018-19 की अवधि के दौरान कंपनियों का कुल उपाजन न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम था।

2014-15 से 2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत के अनुसार निवेश पर प्रतिफल एवं ऐसे निवेश के वर्तमान मूल्य की तुलना तालिका-2.1.2.9 में दी गई है:

<sup>26</sup> 2002-03 से 2011-12 के लिए, कर से पहले लाभ के आकड़े उपलब्ध कराए गए हैं क्योंकि कर के बाद लाभ के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

<sup>27</sup> 2001-02 में पीपीसीएल तथा डीपीसीएल में प्रत्येक में प्रारंभिक इक्विटी निवेश ₹ 0.05 करोड़ शामिल था।

<sup>28</sup> 2001-02 में पीपीसीएल तथा डीपीसीएल में प्रत्येक में प्रारंभिक इक्विटी निवेश ₹ 0.05 करोड़ शामिल था।

### तालिका-2.1.2.9: राराक्षेदिस की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल उपार्जन/हानि (-)	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा इक्विटी, आई.एफ.एल. तथा अनुदानों व परिचालन हेतु सब्सिडी तथा ऐतिहासिक लागत आधार पर प्रबंधन व्यय के रूप में निवेशित निधियां	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर राराक्षेदिस के निवेश पर प्रतिफल (%)	वर्ष के अंत में राराक्षेदिस के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए राराक्षेदिस के निवेश पर प्रतिफल (%)
2014-15	297.47	8,955.86	3.32	15,935.97	1.87
2015-16	752.63	9,138.04	8.24	17,494.64	4.30
2016-17	512.86	9,314.05	5.51	19,199.16	2.67
2017-18	879.63	9,315.59	9.44	20,848.12	4.22
2018-19	806.48	9,319.16	8.65	22,653.27	3.56

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं उनके लेखाओं से प्राप्त सूचना

2018-19 के दौरान ऐतिहासिक लागत पर आधारित प्रतिफल 8.65 प्रतिशत था, जबकि वर्तमान मूल्य पर आधारित प्रतिफल केवल 3.56 प्रतिशत था।

#### निवल मूल्य

2.1.2.13 निवल मूल्य का अर्थ है कि प्रदत्त पूँजी एवं फ्री रिजर्व्स व अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि और आस्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त की गई राशि। अनिवार्य रूप से यह एक माप है कि किसी इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा संपूर्ण निवेश को संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय से मिटा दिया गया है।

पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित लाभ<sup>29</sup> ₹ 7,506.79 करोड़ के पूँजीगत निवेश के सापेक्ष ₹ 869.91 करोड़ थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.87 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने के बाद ₹ 8,375.83 करोड़ का निवल मूल्य था (परिशिष्ट-2.1)। पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से, दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड में निवल मूल्य (-₹ 615.17 करोड़) पूरी तरह से मिट गया था।

तालिका-2.1.2.10 चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की कुल प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानि एवं निवल मूल्य को इंगित करती है, जिसमें राराक्षेदिस ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इक्विटी का निवेश किया है:

<sup>29</sup> फ्री रिजर्व्स-संचित हानि

**तालिका-2.1.2.10: 2014-15 से 2018-19 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों का निवल मूल्य**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	7,506.78	(-) 2,087.31	1.70	5,417.77
2015-16	7,506.78	(-) 1,658.02	1.59	5,847.17
2016-17	7,506.78	(-) 1,096.46	1.61	6,408.71
2017-18	7,506.78	92.50	0.32	7,598.96
2018-19	7,506.78	869.69	0.87	8,375.60

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

चार विद्युत कंपनियों की संचित हानि 2014-15 में ₹ 2,087.31 करोड़ से घटकर 2016-17 में ₹ 1,096.46 करोड़ हो गई एवं 2018-19 में संचित लाभ बढ़कर ₹ 869.69 करोड़ हो गया। निवल मूल्य 2014-15 में ₹ 5,417.77 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 8,375.60 करोड़ हो गया है।

चार<sup>30</sup> सा.क्षे.उ. में से एक सा.क्षे.उ. अर्थात् डीपीसीएल का निवल मूल्य विगत पाँच वर्षों 2014-15 से 2018-19 तक में पूर्णतया ऋणात्मक रहा, जैसा कि तालिका-2.1.2.11 में विस्तृत रूप में दिया गया है।

**तालिका-2.1.2.11: 2014-15 से 2018-19 के दौरान डीपीसीएल का निवल मूल्य**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में प्रदत्त पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	745.05	(-) 1,660.24	0.00	(-) 915.19
2015-16	745.05	(-) 1,609.47	0.00	(-) 864.42
2016-17	745.05	(-) 1,536.61	0.00	(-) 791.56
2017-18	745.05	(-) 1,524.16	0.00	(-) 779.11
2018-19	745.05	(-) 1,360.22	0.00	(-) 615.17

डीपीसीएल की संचित हानियाँ मुख्य रूप से तत्कालीन दिल्ली विद्युत बोर्ड के अलग-अलग होने के समय केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों को देय बकाया मूलधन पर ₹ 1,639.77 करोड़ के ब्याज की अदायगी के कारण थीं।

**लाभांश भुगतान**

**2.1.2.14** चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित लाभांश भुगतान जहाँ राराक्षेदिस द्वारा उस अवधि के दौरान इक्विटी निवेश की गई थी, को तालिका-2.1.2.12 में दर्शाया गया है।

<sup>30</sup> आईपीजीसीएल, पीपीसीएल, डीटीएल एवं डीपीसीएल

**तालिका-2.1.2.12: 2014-15 से 2018-19 के दौरान चार विद्युत क्षेत्र  
उपक्रमों का लाभांश भुगतान**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ., जहाँ राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी निवेश की गई थी		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ.		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित/ भुगतान किया गया लाभांश	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii=vii/v*100
2014-15	4	7,106.78	2	2,670.73	0	0	-
2015-16	4	7,106.78	4	7,106.78	0	0	-
2016-17	4	7,106.78	3	6,510.24	0	0	-
2017-18	4	7,106.78	4	7,106.78	0	0	-
2018-19	4	7,106.78	3	6,510.24	0	0	-

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, जिन सा.क्षे.उ. ने लाभ अर्जित किया, की संख्या दो से चार के बीच थी, परन्तु कोई भी उपक्रम ने किसी वर्ष के दौरान लाभांश घोषित नहीं किया था।

राज्य सरकार सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान के लिए लाभांश की न्यूनतम दर निर्दिष्ट करने वाली एक लाभांश नीति तैयार करे।

**इक्विटी पर प्रतिफल**

**2.1.2.15** इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह आकलन होता है कि प्रबंधन, लाभ सृजन करने के लिए कंपनी की संपत्तियों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहा है और इसकी गणना शेयरधारकों की निधि से निवल आय (अर्थात् करों के बाद शुद्ध लाभ) को विभाजित करके की जाती है। इसे प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है और किसी भी कंपनी के लिए इसकी गणना की जा सकती है यदि शुद्ध आय एवं शेयर-धारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएँ हैं।

कंपनी के शेयरधारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूँजी, फ्री रिजर्वस एवं संचित हानि का निवल अधिशेष तथा आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर किया जाता है एवं इससे यह पता चलता है कि यदि समस्त परिसंपत्तियों की बिक्री हो जाए व सभी ऋण का भुगतान कर दिया जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना शेष बच जाएगा। धनात्मक शेयरधारी निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारी इक्विटी का आशय है कि देयताएँ संपत्तियों से अधिक हैं।

इक्विटी पर प्रतिफल की गणना चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में की गई है, जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियों को निवेशित किया गया था। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित शेयरधारकों की निधियों एवं इक्विटी पर रिटर्न का विवरण तालिका-2.1.2.13 में दर्शाया गया है।

**तालिका-2.1.2.13 चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल, जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियों को निवेशित किया गया था**

वर्ष	वर्ष <sup>31</sup> के लिए निवल आय/कुल उपार्जन (₹ करोड़ में)	शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरओई (%)
2014-15	297.47	5,417.77	5.49
2015-16	752.63	5,847.17	12.87
2016-17	512.86	6,408.71	8.00
2017-18	879.63	7,598.96	11.58
2018-19	806.48	8,375.60	9.63

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मार्च 2019 को समाप्त विगत पाँच वर्ष की अवधि के दौरान, निवल आय और शेयरधारकों की निधि मिश्रित प्रवृत्ति दिखाने वाले आरओई के साथ धनात्मक थी।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**2.1.2.16** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता और उस क्षमता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है।

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना ब्याज एवं करों से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी<sup>32</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के आरओसीई का विवरण तालिका-2.1.2.14 में दिया गया है।

<sup>31</sup> वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (फिर से एकत्रित किया गया जहाँ कहीं आवश्यक हो) के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

<sup>32</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी+फ्री रिजर्व्स एवं अधिशेष+दीर्घकालिक ऋण-संचित हानि-आस्थगित राजस्व व्यय। वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फिर से एकत्रित किया गया जहाँ कहीं आवश्यक हो) के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

**तालिका-2.1.2.14: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%)
2014-15	1,276.80	12,459.40	10.25
2015-16	1,701.99	12,044.43	14.13
2016-17	1,485.48	12,229.72	12.15
2017-18	1,789.37	12,832.62	13.94
2018-19	1,659.63	12,567.49	13.21

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की आरओसीई की मिश्रित प्रवृत्ति दर्शायी गई है।

**कंपनियों के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण**

**2.1.2.17** 2014-15 से 2018-19 के दौरान उन कंपनियों जिनके पास लिवरेज था, के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण, कम्पनियों द्वारा ली गई ऋण को सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को देय ऋण को चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया गया। इसका मूल्यांकन ब्याज कवरेज अनुपात एवं ऋण-टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

**ब्याज कवरेज अनुपात**

**2.1.2.18** ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी कंपनी की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है तथा इसकी गणना उस अवधि की ब्याज व्यय से कंपनी के ई.बी.आई.टी. को भाग करके किया जाता है। यह अनुपात जितना कम होता है ऋण पर ब्याज भुगतान करने की कंपनी की क्षमता भी उतनी कम होती है। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि कंपनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। उन विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में जिनके पास 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान ब्याज भार था उनकी ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-2.1.2.15 में दिया गया है।

**तालिका-2.1.2.15: ब्याज कवरेज अनुपात**

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं कर से पूर्व उपार्जन (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या	1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली कंपनियों की संख्या
2014-15	725.21	1,276.80	4	2	2 <sup>33</sup>
2015-16	675.00	1,701.99	4	4	0
2016-17	684.96	1,485.48	4	3	1 <sup>34</sup>
2017-18	577.92	1,789.37	4	4	0
2018-19	496.06	1,474.03	3	2	1 <sup>35</sup>

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

<sup>33</sup> डीपीसीएल एवं डीटीएल

<sup>34</sup> आईपीजीसीएल

<sup>35</sup> आईपीजीसीएल

एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाले विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की संख्या में 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान उतार-चढ़ाव बना रहा।

### ऋण-टर्नओवर अनुपात

2.1.2.19 विगत पाँच वर्षों के दौरान, पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों की टर्नओवर 7.92 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की तथा ऋण में चक्रवृद्धि वार्षिक गिरावट 12.16 प्रतिशत थी जिसके कारण ऋण-टर्नओवर अनुपात में 2014-15 में 1.93 से संशोधित होकर 2018-19 में 0.85 हो गया, जैसा कि तालिका-2.1.2.16 में दिया गया है।

### तालिका-2.1.2.16: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण-टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार/बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण	7,041.63	6,197.26	5,821.01	5,233.66	4,191.89
टर्नओवर	3,640.67	4,410.86	3,617.57	4,178.31	4,938.10
ऋण-टर्नओवर अनुपात	1.93	1.41	1.61	1.25	0.85

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे (वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।)

### विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां

2.1.2.20 पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में से चार कंपनियों ने अक्टूबर 2018 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान अपने लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। सभी चार लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चुने गए जो 30 सितम्बर 2019 तक प्रगति<sup>36</sup> पर थे। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखाओं की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता है। 2016-19 के लेखाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. के टिप्पणियों के कुल धन मूल्य का विवरण तालिका-2.1.2.17 में दिया गया है।

<sup>36</sup> निमलेप की टिप्पणी 30 सितम्बर 2019 तक जारी नहीं हुई।

**तालिका-2.1.2.17: विद्युत क्षेत्र उपक्रमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**  
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	3	694.80	2	1,027.19	1	1,323.77
2.	लाभ में वृद्धि	1	433.27	6	2,325.39	2	2,288.54
3.	हानि में वृद्धि	1	91.04	1	93.30	0	0
4.	हानि में कमी	1	229.94	1	171.71	0	0
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	3	145.58	0	0	0	0
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	0	0	1	3	0	0

स्रोत: संबंधित वर्षों में जारी सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी पाँच लेखाओं के लिए योग्य प्रमाण-पत्र जारी किया था तथा तीन लेखाओं में लेखा मानकों के गैर-अनुपालन के तीन दृष्टांत देखे गए।

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

2.1.2.21 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विभागों को विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेश किए जाने के चार महीने के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित एक्शन टेकन नोट (एटीएन) सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। पाँच विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति तालिका-2.1.2.18 में दी गई है।

**तालिका-2.1.2.18: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति**  
(31 मार्च 2020 तक)

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की राज्य विधान सभा में स्थानन की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (निलेप) तथा पैरे		निलेप/पैराओं की संख्या जिनके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		निलेप	पैरे	निलेप	पैरे
2014	30.06.2015	0	0	0	0
2015	13.06.2016	0	5	0	0
2016	10.03.2017	1	3	0	0
2017	03.04.2018	0	3	0	1
2018	03.12.2019	0	0	0	0

स्रोत: राराक्षेदिस से प्राप्त एटीएन पर आधारित संकलन

**सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा**

2.1.2.22 31 मार्च 2020 तक कोगू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिखाए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा पैराओं की चर्चा की स्थिति तालिका-2.1.2.19 में दी गई है।



**तालिका-2.1.2.19: 31 मार्च 2020 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिखाए गए निष्पादन लेखापरीक्षा/पैराओं जिस पर चर्चा हुई**

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षाएं/पैराओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिखाए गए		चर्चा किए गए पैरे	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैरे	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैरे
2014	0	0	0	0
2015	0	5	0	0
2016	1	3	0	0
2017	0	3	0	2
2018	0	0	0	0

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोगू की चर्चा पर आधारित संकलन

**कोगू के प्रतिवेदनों की अनुपालना**

**2.1.2.23** 2014 से 2018 की अवधि के लिए कोगू से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

## भाग II

### 2.1.3 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की कार्यप्रणाली

#### प्रस्तावना

2.1.3.1 31 मार्च 2019 तक 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) थे जो विद्युत क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य सा.क्षे.उ. 1967 से 2016 के बीच निगमित किए गए थे तथा इसमें 12 सरकारी कंपनियाँ तथा दो सांविधिक निगम अर्थात्, दिल्ली वित्त निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम शामिल थे। उन्होंने एक कंपनी अर्थात्, एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड<sup>37</sup> (स्मार्ट सिटी) को 2016-17 में निगमित करके प्रधान महालेखाकार (प्रमले) को सौंपा यद्यपि राराक्षेदिस द्वारा कोई इक्विटी अंशदान नहीं किया गया। उन्होंने अप्रैल 1987 में निगमित एक अन्य कंपनी, इंटेलिजेन्ट कॉम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड<sup>38</sup> को भी शामिल किया तथा दिसम्बर 2018 से लेखापरीक्षा के लिए प्रधान महालेखाकार को सौंपा।

राज्य सरकार राज्य सा.क्षे.उ. को समय-समय पर इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 14 सा.क्षे.उ. में से रा.रा.क्षे.दि.स. ने केवल नौ राज्य सा.क्षे.उ. में निधियों का निवेश किया और इसने पांच सरकारी कंपनियों में कोई निधियाँ नहीं लगाई अर्थात् तीन सरकारी कंपनियाँ जो दि.रा.औ.अ.वि.नि. की सहायक के रूप में निगमित किए गए, में कोई निधियाँ नहीं लगाई तथा दो सरकारी कंपनियाँ (स्मार्ट सिटी तथा आई.सी.एस.आई.एल.) जिनमें रा.रा.क्षे.दि.स. का कोई निवेश नहीं है।

#### राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

2.1.3.2 स.रा.घ.उ. से सा.क्षे.उ. की टर्नओवर का अनुपात राज्य अर्थव्यवस्था में सा.क्षे.उ. की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। तालिका-2.1.3.1 मार्च 2019 को समाप्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की टर्नओवर तथा दिल्ली के स.रा.घ.उ. का विवरण प्रदान करती है:

<sup>37</sup> एनडीएमसी स्मार्ट सिटी का निगमन नई दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एनडीएमसी) द्वारा इक्विटी योगदान तथा भा.स के स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भारत सरकार से अनुदान के माध्यम से हुआ है।

<sup>38</sup> आईसीएसआईएल का निगमन दिराऔअविनि, टीसीआईएल तथा ओरिसन इन्फोकॉम प्रा.लि. द्वारा इक्विटी योगदान के माध्यम से हुआ है।

तालिका-2.1.3.1: दिल्ली के स.रा.घ.उ. की तुलना में सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर <sup>39</sup>	4,569.35	4,186.91	4,100.76	3,940.75	4,380.59
दिल्ली का स.रा.घ.उ.	4,94,803.02	5,50,803.70	6,15,605.26	6,90,098.28	7,79,652.31
दिल्ली के स.रा.घ.उ. में टर्नओवर की प्रतिशतता	0.92	0.76	0.67	0.57	0.56

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे तथा राज्य स.रा.घ.उ. आंकड़े

2017-18 तक इन सा.क्षे.उ. का टर्नओवर घटती प्रवृत्ति को दर्शाया तथा 2018-19 में ₹ 4,380.59 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान टर्नओवर में कमी की दर 8.37 प्रतिशत से 2.06 प्रतिशत के बीच थी, तथापि, यह 2018-19 में बढ़कर कर 11.16 प्रतिशत हो गया। उसी अवधि के दौरान राराक्षे दिल्ली के स.रा.घ.उ. में वृद्धि की दर 11.32 प्रतिशत तथा 12.98 प्रतिशत के बीच था। विगत पाँच वर्षों में स.रा.घ.उ. की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि 12.04 प्रतिशत था। स.रा.घ.उ. की 12.04 प्रतिशत की संयुक्त वार्षिक वृद्धि के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की टर्नओवर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान 1.05 प्रतिशत की ऋणात्मक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप राज्य स.रा.घ.उ. में इन सा.क्षे.उ. के टर्नओवर के हिस्से में 2014-15 में 0.92 प्रतिशत से 2018-19 में 0.56 प्रतिशत की गिरावट आई।

### राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश

2.1.3.3 कुछ सा.क्षे.उ. हैं जो नियत सेवाएँ, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों की वजह से प्रदान करने को इच्छुक नहीं हो सकता है, प्रदान करने में राज्य सरकार के उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने भी नियत व्यवसाय सेगमेंट में सा.क्षे.उ. के माध्यम से निवेश किया है जो निजी क्षेत्र उपक्रमों के साथ प्रतियोगात्मक वातावरण में कार्य करते हैं। इसीलिए इन सा.क्षे.उ. की स्थिति का दो मुख्य वर्गीकरण के अंतर्गत विश्लेषित किया गया है यानि, वे जो सामाजिक क्षेत्र में हैं तथा वे जो प्रतियोगात्मक वातावरण में कार्यरत हैं। इस के अतिरिक्त इन राज्य सा.क्षे.उ. में से तीन सा.क्षे.उ. को राज्य सरकार के लिए कुछ विशेष गतिविधियों को पूरा करने के लिए सम्मिलित किया गया, जिन्हे 'अन्य' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

<sup>39</sup> वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

31 मार्च 2019 तक इन 14 सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण के रूप में किए गए निवेश के विवरणों को अनुलग्नक-2.3 में वर्णित किया गया है।

2.1.3.4 31 मार्च 2019 को इन राज्य सा.क्षे.उ. में निवेश के क्षेत्र-वार सार को तालिका-2.1.3.2 में दिया गया है।

**तालिका-2.1.3.2: राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में क्षेत्र-वार निवेश**

क्षेत्र	सा.क्षे.उ. की सं.	निवेश (₹ करोड़ में)						
		राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी अंशदान	अन्य <sup>40</sup> द्वारा इक्विटी अंशदान	कुल इक्विटी	राराक्षेदिस से दीर्घकालिक ऋण	अन्य से दीर्घकालिक ऋण	कुल दीर्घकालिक ऋण	कुल
सामाजिक क्षेत्र	2 <sup>41</sup>	40.33	11.88	52.21	3.06	13.33	16.39	68.60
प्रतियोगात्मक वातावरण में सा.क्षे.उ.	9 <sup>42</sup>	2,039.83	9.46	2,049.29	11,709.14	5.41	11,714.55	13,763.84
अन्य	3 <sup>43</sup>	10.76	250.00	260.76	0.00	0.00	0.00	260.76
<b>कुल</b>	<b>14</b>	<b>2,090.92</b>	<b>271.34</b>	<b>2,362.26</b>	<b>11,712.20</b>	<b>18.74</b>	<b>11,730.94</b>	<b>14,093.20</b>

स्रोत: 30 सितंबर 2019 को सा.क्षे.उ. के नवीनतम अंतिम लेखाओं के आधार पर संकलित

31 मार्च 2019 को, इन 14 सा.क्षे.उ. में कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण) ₹ 14,093.20 करोड़ था। निवेश में 16.76 प्रतिशत इक्विटी तथा 83.24 प्रतिशत दीर्घकालिक ऋण शामिल था। राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी योगदान कुल इक्विटी का 88.51 प्रतिशत (₹ 2,090.92 करोड़) था, जबकि इक्विटी का 11.49 प्रतिशत (₹ 271.34 करोड़) योगदान भा.स./अन्य द्वारा किया गया। राराक्षेदिस द्वारा दिया गया दीर्घकालिक ऋण कुल दीर्घकालिक ऋण का 99.84 प्रतिशत (₹ 11,712.20 करोड़) था जबकि कुल दीर्घकालिक ऋण का 0.16 प्रतिशत (₹ 18.74 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थानों से लिया गया था।

<sup>40</sup> अन्य में भारत सरकार (भास), सरकारी सा.क्षे.उ. और अन्य शामिल हैं।

<sup>41</sup> दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड (डीएससीएफडीसी) तथा दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससीएल)

<sup>42</sup> दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) लिमिटेड तथा दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीडीसी) लिमिटेड, दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड (डीसीएडीएल), डीएसआईआईडीसी लिंकर लिमिटेड (डीएलएल), डीएसआईआईडीसी मॅटेनेन्स सर्विसेज लिमिटेड (डीएमएसएल), दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीटीआईडीसी), आईसीएलआईएल, दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी) तथा दिल्ली परिवहन निगम (दिपनि)

<sup>43</sup> जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड (जीडीएल), शाहजहानाबाद पुनर्विकास निगम लिमिटेड (एसआरसीएल) तथा स्मार्ट सिटी लिमिटेड

2014-15 में निवेश ₹ 13,859.88 करोड़ से 1.68 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में ₹ 14,093.20 करोड़ हो गया। 2014-15 से 2018-19 के दौरान निवेश में वृद्धि मुख्य रूप से स्मार्ट सिटी में इक्विटी के प्रति ₹ 250 करोड़ जुड़ने के कारण थी।

### राज्य सा.क्षे.उ. का विनिवेश, पुनर्गठन तथा निजीकरण

2.1.3.5 2018-19 के दौरान, राज्य सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार द्वारा कोई विनिवेश, पुनर्गठन अथवा निजीकरण नहीं किया गया था।

### राज्य सा.क्षे.उ. को बजटीय सहायता

2.1.3.6 राराक्षेदिस राज्य सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मार्च 2019 को समाप्त विगत तीन वर्षों के लिए राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में वर्ष के दौरान इक्विटी ऋणों, अनुदानों/सब्सिडी के बजटीय व्यय का सारकृत विवरण तालिका-2.1.3.3 में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.3: पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>44</sup>	2016-17		2017-18		2018-19	
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि	सा.क्षे.उ. की संख्या	राशि
इक्विटी पूँजी व्यय(i)	0	0	0	0	0	0
दिए गए ऋण(ii)	0	0	0	0	0	0
प्रदत्त अनुदान/आर्थिक सहायता(iii)	3	1,640.70	4	2,085.22	5	1,908.59
कुल व्यय(i+ii+iii)	3	1,640.70	4	2,085.22	5	1,908.59

स्रोत: सा.क्षे.उ. से एकत्रित सूचना

मार्च 2019 को समाप्त विगत पाँच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋण तथा अनुदानों/सब्सिडी के बजटीय व्यय से संबंधित विवरण चार्ट-2.1.3.1 में दिए गए हैं।

चार्ट-2.1.3.1: इक्विटी, ऋण तथा अनुदानों/सब्सिडी के प्रति बजटीय व्यय



स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

<sup>44</sup> धनराशि केवल राज्य बजट से व्यय दर्शाती है।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान इन सा.क्षे.उ. को वार्षिक बजटीय सहायता ₹ 1,055.35 करोड़ से ₹ 1,908.59 करोड़ के बीच थी। 2014-19 के दौरान बजटीय सहायता मुख्य रूप से डीटीसी (₹ 1,855.17 करोड़) ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में थी। 2014-19 के दौरान राराक्षेदिस ने इन सा.क्षे.उ. को इक्विटी के रूप में कोई सहायता प्रदान नहीं की।

### राराक्षे दिल्ली सरकार के वित्त लेखाओं के साथ समाशोधन

**2.1.3.7** राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के अभिलेखाओं के अनुसार इक्विटी तथा ऋण से संबंधित आंकड़ों का राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं में दिखाए गए आंकड़ों के साथ मेल होना चाहिए। यदि आंकड़े मेल नहीं खाते, संबंधित सा.क्षे.उ. तथा वित्त विभाग को अंतरों का समाशोधन करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 तक की स्थिति तालिका-2.1.3.4 में दी गई है।

#### तालिका-2.1.3.4: रासा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के अभिलेखाओं की तुलना में राराक्षेदिस के वित्त लेखाओं के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण

(₹ करोड़ में)

के संबंध में बकाया	वित्त लेखाओं के अनुसार राशि	राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखाओं के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	2,095.71	2,090.91	4.80
ऋण	11,783.32	11,772.00	11.32

स्रोत: सा.क्षे.उ. तथा वे. एवं. ले.का. से एकत्रित सूचना

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि नौ राज्य सा.क्षे.उ. जिनमें राज्य सरकार ने निवेश किया था, में से दो<sup>45</sup> सा.क्षे.उ. में ऐसे अंतर आए जैसा कि **अनुलग्नक-2.4** में दर्शाया गया है। संख्याओं के बीच अन्तर विगत कई वर्षों से बना हुआ है। इसलिए, यह सिफारिश की जाती है कि राज्य सरकार तथा संबंधित सा.क्षे.उ. को समयबद्ध ढंग से अंतरों का समाशोधन करना चाहिए।

### सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति

**2.1.3.8** 31 मार्च 2019 तक सभी 14 सा.क्षे.उ. (12 सरकारी कंपनियां तथा दो सांविधिक निगम) कैग के दायरे में थे। सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं को तैयार करने में अपनाई गई समयसीमा की स्थिति का वर्णन निम्नवत है:

#### कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयोचितता

सभी कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा वर्ष 2018-19 के लेखाओं को 30 सितंबर 2019 तक प्रस्तुत करना आवश्यक था। हालाँकि, 12 सरकारी कंपनियों में से, छः सरकारी कंपनियों ने 30 सितंबर 2019 को अथवा उससे पहले नि.म.ले.प.

<sup>45</sup> डीएससीएफडीसी तथा डीएससीएससी

द्वारा लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2018-19 के अपने लेखे प्रस्तुत किए, जबकि छः सरकारी कंपनियों के लेखे बकाया थे। दो<sup>46</sup> सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (दि.प.नि.) में नि.म.ले.प. ही एकमात्र लेखापरीक्षक है। वर्ष 2018-19 के लिए दोनों सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

30 सितंबर 2019 को कार्यशील सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के लेखाओं की प्रस्तुति में बकाया के विवरण तालिका-2.1.3.5 में दिए गए हैं।

**तालिका-2.1.3.5: कार्यशील सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) द्वारा लेखाओं की प्रस्तुति से संबंधित स्थिति**

क्र.स.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1	सा.क्षे.उ. की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अलावा)	12	12	12	13	14
2	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	9	7	15	18	12
3	चालू वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए	5	3	1	6	6
4	पूर्व वर्ष के लेखाओं की संख्या जिन्हें वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए,	3	5	8	12	6
5	कार्यशील सा.क्षे.उ. की संख्या जिनके लेखे बकाया हैं	4	8	7	4	8
6	बकाया लेखाओं की संख्या	15	20	17	12	15
7	बकाया की सीमा	एक से 11 साल	एक से 12 साल	एक से 13 साल	एक से छः साल	एक से सात साल

स्रोत: अक्टूबर 2014 से सितंबर 2019 की अवधि के दौरान सा.क्षे.उ. से प्राप्त लेखाओं के आधार पर संकलित

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 14 सा.क्षे.उ. में से 12 सा.क्षे.उ. ने 12 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया था जिसमें वर्ष 2018-19 के छः वार्षिक लेखे तथा पिछले वर्षों के 6 वार्षिक लेखे शामिल थे। आगे, 15 वार्षिक लेखे बकाया थे जो आठ सा.क्षे.उ. से संबंधित हैं जैसा कि अनुलग्नक-2.5 में वर्णित है। प्रशासनिक विभाग के पास इन निकायों की गतिविधियों की निगरानी करने एवं यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि इन सा.क्षे.उ. द्वारा विनिर्धारित अवधि के भीतर लेखे को अंतिम रूप दिया और अपनाया जाए। वित्त विभाग को लेखाओं को अंतिम रूप देने में बकायों के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा बार-बार सूचित किया गया तथा मामले को मई

<sup>46</sup> डीटीसी एवं डीएफसी

2019 एवं दिसम्बर 2019 में राराक्षेदिस के मुख्य सचिव के समक्ष भी उठाया गया था।

राराक्षेदिस ने वर्ष के दौरान तीन सा.क्षे.उ.<sup>47</sup> को ₹ 1,997.40 करोड़ (ऋण: ₹ 56 करोड़, अनुदान/सब्सिडी: ₹ 1,941.40 करोड़) प्रदान किए थे जिसके लिए लेखे बकाया थे, जिनके लेखे 30 सितंबर 2019 तक अंतिम रूप नहीं दिए गए थे जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत निर्धारित था। इन वर्षों के दौरान जिनके लिए लेखे बकाया हैं, राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का सा.क्षे.उ.-वार विवरण **अनुलग्नक-2.5** में दर्शाया गया है। हालाँकि, वर्ष 2018-19 के लिए चार<sup>48</sup> सा.क्षे.उ. के लेखे को अंतिम रूप दिया गया था तथा अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया गया था। चार<sup>49</sup> कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित 11 लेखे दिसंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

शेष चार सा.क्षे.उ. में लेखाओं को अंतिम रूप देने तथा उनकी अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या किए गए निवेश तथा व्यय को उचित रूप में लेखाबद्ध किया गया था तथा जिस उद्देश्य के लिए राशि को निवेशित किया गया था, वह प्राप्त हुई थी। इसलिए इन सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस का निवेश, राज्य विधायिका के नियंत्रण के बाहर रहा।

### सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का स्थानन

**2.1.3.9** वर्ष 2018-19 के लिए दोनों सांविधिक निगमों के लेखे 30 सितंबर 2019 तक प्रतीक्षित थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पृलेप) सांविधिक निगमों के लेखाओं पर नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं। इन प्रतिवेदनों को संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधान मंडल के समक्ष रखे जाते हैं। सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं तथा विधानमंडल में उनके पृलेप स्थानन की स्थिति **तालिका-2.1.3.6** में दी गई है।

<sup>47</sup> डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी तथा डीटीसी

<sup>48</sup> डीएससीएससी, डीएसआईआईडीसी, आईसीएसआईएल एवं डीएफसी

<sup>49</sup> डीएससीएफडीसी (2012-13 से 2018-19 तक 7 लेखे), डीटीआईडीसी (2), एनडीएमसी स्मार्ट सिटी (1) एवं डीटीसी (1)



### तालिका-2.1.3.6: सांविधिक निगमों के पृलेप स्थानन के प्रस्तुति की स्थिति

निगम का नाम	लेखे का वर्ष	राराक्षेदिस को प्रस्तुति की तिथि	एसएआर के स्थानन की माह
दिल्ली वित्तीय निगम	2015-16	25.01.2017	प्रस्तुत किया जाना है।
	2016-17	04.11.2019	प्रस्तुत किया जाना है।
	2017-18	04.11.2019	प्रस्तुत किया जाना है।
दिल्ली परिवहन निगम	2016-17	19.12.2018	25.02.2019

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

### राज्य सा.क्षे.उ. के लेखाओं को गैर अंतिम रूप दिए जाने का प्रभाव

2.1.3.10 जैसा कि पैरा 2.1.3.8 में इंगित है, लेखाओं को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी एवं सार्वजनिक धन के रिसाव का जोखिम भी हो सकता है। लेखाओं के बकाया की उपरोक्त स्थिति को देखते हुए वर्ष 2018-19 के लिए राज्य सघउ में राज्य सा.क्षे.उ. के वास्तविक योगदान को सुनिश्चित नहीं किया जा सका तथा राज्य कोषागार में उनके योगदान की सूचना भी राज्य विधान मंडल को नहीं दी गई थी।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा सख्ती से निगरानी किया जाना चाहिए तथा लेखाओं में बकाया का परिसमापन करने हेतु सख्त निर्देश जारी करने चाहिए। सरकार को सा.क्षे.उ. के लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के लिए जिम्मेदार बाधाओं पर भी गौर करना चाहिए तथा उन अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करना चाहिए जो लेखे को अंतिम रूप देने में देरी के लिए जिम्मेदार हैं।

### राज्य सा.क्षे.उ. का निष्पादन

2.1.3.11 30 सितंबर 2019 तक 14 सा.क्षे.उ. के उनके नवीनतम अंतिम लेखाओं के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा कार्यशील परिणाम अनुलग्नक-2.6 में विवरणित हैं।


सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल देने की आशा होती है। 31 मार्च 2019 तक (विद्युत क्षेत्र के अलावा) सा.क्षे.उ. में निवेश की राशि ₹ 14,093.20 करोड़ थी, जिसमें इक्विटी के रूप में ₹ 2,362.26 करोड़ तथा दीर्घकालिक ऋण के रूप में ₹ 11,730.94 करोड़ शामिल थे। इसमें से, राराक्षेदिस ने नौ सा.क्षे.उ.<sup>50</sup> में

<sup>50</sup> डीसीएडीएल, डीएलएल, डीएमएसएल, आईसीएसआईएल एवं एनडीएमसी स्मार्ट सिटी को छोड़कर

₹ 13,803.12 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 2,090.92 करोड़ इक्विटी के रूप में तथा ₹ 11,712.20 करोड़ दीर्घकालिक ऋण के रूप में शामिल हैं।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के अलावा सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस के निवेश की वर्ष-वार स्थिति चार्ट-2.1.3.2 में चित्रित की गई है।

**चार्ट-2.1.3.2: सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में राराक्षेदिस का कुल निवेश**




स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

किसी कंपनी की लाभप्रदता परंपरागत रूप से निवेश पर प्रतिफल, इक्विटी पर प्रतिफल तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल के माध्यम से मूल्यांकन की जाती है। निवेश पर प्रतिफल किसी निश्चित वर्ष में इक्विटी तथा दीर्घकालिक ऋण के रूप में निवेशित धनराशि से संबंधित लाभ अथवा हानि को बताता है एवं इसे कुल निवेश के लाभ की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है, जो कंपनी की लाभप्रदता तथा क्षमता को मापता है जिसके साथ इसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है तथा इसकी गणना नियोजित पूँजी द्वारा ब्याज एवं करों से पहले कम्पनी की कमाई को विभाजित करके की जाती है। इक्विटी पर प्रतिफल निष्पादन का एक माप है जिसकी गणना शेयरधारकों की निधि में से कर के पश्चात् निवल लाभ को विभाजित करके की जाती है।

### निवेश पर प्रतिफल

**2.1.3.12** निवेश पर प्रतिफल कुल निवेश के लाभ अथवा हानि की प्रतिशतता है। 2014-15 से 2018-19 के दौरान 14 कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) द्वारा अर्जित/उठाए गए लाभ/हानि की समग्र स्थिति को चार्ट-2.1.3.3 में दर्शाया गया है।

**चार्ट-2.1.3.3: वर्षों के दौरान 14 कार्यशील सा.क्षे.उ. द्वारा उठाई गई हानि**



स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे (वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।)

सा.क्षे.उ. ने 2014-15 से 2018-19 तक की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समग्र हानि उठायी। नवीनतम प्राप्त लेखाओं के अनुसार, 14 सा.क्षे.उ. में से, पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 68.42 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा पाँच सा.क्षे.उ. ने ₹ 4,366.95 करोड़ की हानि उठाई (जिनमें दि.प.नि. को ₹ 4,329.41 करोड़ की हानि शामिल है) एवं चार सा.क्षे.उ. को सीमांत हानि<sup>51</sup> हुई जैसा कि **अनुलग्नक-2.6** में विवरणित है।

शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कंपनी डीटीटीडीसी (₹ 37.26 करोड़) थी जबकि दिल्ली परिवहन निगम को ₹ 4,329.41 करोड़ का भारी हानि हुआ।

31 मार्च 2019 तक 14 सा.क्षे.उ. में से, 2014-15 से 2018-19 के दौरान वे कार्यशील सा.क्षे.उ. जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित/उठायी, की स्थिति **तालिका-2.1.3.7** में दी गई है।

**तालिका-2.1.3.7: 2014-15 से 2018-19 के दौरान उन कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) का विवरण जिन्होंने लाभ/हानि अर्जित किया/उठायी**

वित्त वर्ष	सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) की कुल संख्या	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किए	सा.क्षे.उ. की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान हानि उठायी
2014-15	12	7	5
2015-16	12	8	4
2016-17	12	8	4
2017-18	13	5	8
2018-19	14	5	9

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखाओं के आधार पर संकलित

<sup>51</sup> डीएमएसएल, डीएलएल, डीसीएडीएल तथा एसआरडीसी को क्रमशः ₹ 33,500, ₹ 32,700, ₹ 33,000 तथा ₹ 25,370 की हानि हुई।

### निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश पर प्रतिफल

**2.1.3.13** राज्य के 14 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से, राराक्षेदिस ने केवल नौ सा.क्षे.उ. में इक्विटी, दीर्घकालिक ऋण तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में निधियों का निवेश किया। राराक्षेदिस ने इन नौ सा.क्षे.उ. में ₹ 13,803.12 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें ₹ 2,090.92 करोड़ की इक्विटी तथा ₹ 11,712.20 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण शामिल हैं।

सा.क्षे.उ. से निवेश पर प्रतिफल राराक्षेदिस द्वारा सा.क्षे.उ. में इक्विटी तथा ऋण के रूप में किए गए निवेश पर परिकलित किया गया है। ऋण के मामले में, केवल ब्याज मुक्त ऋण को निवेश माना जाता है चूंकि सरकार ऐसे ऋण पर कोई ब्याज प्राप्त नहीं करती है और इसलिए सरकार द्वारा इक्विटी निवेश की प्रकृति सिवाय इस हद तक कि पुनर्भुगतान के नियमों एवं शर्तों के अनुसार ऋण को चुकाने का दायित्व है। इस प्रकार, इन नौ (विद्युत क्षेत्र उपक्रमों के अलावा) राराक्षेदिस का निवेश, इक्विटी और ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल) पर विचार करके हुआ है और ऐसे मामलों में जहाँ ब्याज मुक्त ऋण सा.क्षे.उ. द्वारा चुकाया गया है, ऐतिहासिक लागत एवं वर्तमान मूल्य (व.मू.) के आधार पर निवेश के मूल्य की गणना उस अवधि में ब्याज मुक्त ऋण की घटी हुई शेष राशि पर की गई थी, जैसा कि **तालिका-2.1.3.8** तथा **2.1.3.9** में विवरणित है। प्रबंधन एवं परिचालन व्यय के अलावा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं लिया गया है, क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं।

31 मार्च 2019 तक इन नौ सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार की इक्विटी ₹ 2,090.92 करोड़ थी। जारी किए गए ₹ 11,712.20 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण में से, ₹ 98.00 करोड़ आईएफएल थे जो उस अवधि में आईएफएल की घटी हुई शेष राशि के आधार पर थे तथा ₹ 10,620.81 करोड़ परिचालन एवं प्रबंधन व्यय (2001-02 से 2018-19 तक) हेतु अनुदान/सब्सिडी था। इस प्रकार, ऐतिहासिक लागत के आधार पर इन नौ सा.क्षे.उ. में राज्य सरकार का निवेश ₹ 12,809.73 करोड़ (₹ 2,090.92 करोड़ + ₹ 98.00 करोड़ + ₹ 10,620.81 करोड़) था।

2014-15 से 2018-19 की अवधि के लिए निवेश ऐतिहासिक लागत के आधार पर क्षेत्र-वार निवेश पर प्रतिफल **तालिका-2.1.3.8** में दिया गया है।

तालिका-2.1.3.8: निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निधियों पर प्रतिफल

वर्ष-वार क्षेत्र-वार ब्रेक-अप	वर्ष के दौरान कुल उपार्जन	राराक्षेदिस द्वारा ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी तथा आईएफएल के रूप में निवेशित निधियाँ		ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (%)		
	(₹ करोड़ में)	(₹ करोड़ में)				
<b>सामाजिक क्षेत्र</b>						
2014-15	13.00	96.33		13.50		
2015-16	11.24	96.33		11.67		
2016-17	11.60	96.33		12.04		
2017-18	-1.89	96.33		-1.96		
2018-19	-2.87	96.33		-2.98		
<b>अन्य</b>						
2014-15	1.26	18.69		6.74		
2015-16	3.19	18.69		17.07		
2016-17	3.19	18.69		17.07		
2017-18	2.92	18.69		15.62		
2018-19	2.51	18.69		13.43		
<b>प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र</b>						
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	-1,254.24	109.50	5,874.18	101.02	-21.35	108.39
2015-16	-2,816.87	100.89	7,108.93	101.77	-39.62	99.14
2016-17	-3,395.53	15.57	8,725.58	102.52	-38.91	15.19
2017-18	-3,776.22	67.40	10,803.76	103.52	-34.95	65.11
2018-19	-4,295.71	33.70	12,694.71	105.02	-33.84	32.09
<b>सभी क्षेत्रों के लिए कुल</b>						
2014-15	-1,239.98	123.76	5,989.20	216.04	-20.70	57.29
2015-16	-2,802.44	115.32	7,223.95	216.79	-38.79	53.19
2016-17	-3,380.74	30.36	8,840.60	217.54	-38.24	13.96
2017-18	-3,775.19	68.43	10,918.78	218.54	-34.58	31.31
2018-19	-4,296.07	33.34	12,809.73	220.04	-33.54	15.15

स्रोत: सा.क्षे.उ. एवं सा.क्षे.उ. के लेखाओं से प्राप्त सूचना

राज्य सरकार के निवेश पर समग्र प्रतिफल की गणना राज्य सरकार के निवेश की लागत से इन सा.क्षे.उ. के कुल उपार्जन<sup>52</sup> को विभाजित करके की जाती है। नौ गैर-ऊर्जा सा.क्षे.उ. द्वारा राज्य सरकार के निवेश पर 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान अर्जित प्रतिफल (-) 38.79 प्रतिशत और (-) 20.70 प्रतिशत के बीच रही। ऋणात्मक रिटर्न दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) को हुई भारी नुकसान के कारण थी जो 2014-15 में ₹ 1,363.74 करोड़ से 2018-19 में ₹ 4,329.41 करोड़ के बीच रही। दि.प.नि. को पृथक रखने के बाद शेष आठ सा.क्षे.उ. के लिए 2014-15 से 2018-19 तक सभी पाँच वर्षों के लिए निवेश पर प्रतिफल धनात्मक थी जो 13.96 प्रतिशत से 57.29 प्रतिशत के बीच रही।

<sup>52</sup> यह उन राज्य सा.क्षे.उ. के संबंधित वर्ष के लिए निवल लाभ/हानि शामिल करता है जहाँ निवेश राज्य सरकार द्वारा किये गए हैं

### सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

**2.1.3.14** उन नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जहाँ निधियाँ राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई थीं के संबंध में इन सा.क्षे.उ. की लाभप्रदता का मूल्यांकन करने के लिए निवेश की तुलना में उपार्जन का विश्लेषण किया गया था। निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर आधारित प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी गणनाएँ धन की वर्तमान मूल्य की अनदेखी करती हैं।

सरकारी निवेशों का व.मू., निवेशों की ऐतिहासिक मूल्य की तुलना में राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस के निवेशों के व.मू. पर प्रतिफल की दर का मूल्यांकन करने के लिए परिकलित किया गया है। 31 मार्च 2019 तक प्रत्येक वर्ष के अंत में निवेशों की ऐतिहासिक लागत को अपने वर्तमान मूल्य में लाने के लिए, राज्य सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस द्वारा निवेशित पिछला निवेशों/वर्ष-वार डाली गई निधियों की गणना सरकारी उधारी पर ब्याज की वर्षवार औसत दर पर की गई है जो संबंधित वर्ष हेतु सरकार के लिए निधियों की न्यूनतम लागत के रूप में मानी जाती है। इसलिए, राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य (व.मू.) की गणना उन नौ राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में की गई है, जहाँ राज्य सरकार द्वारा निधियाँ 31 मार्च 2019 तक इक्विटी तथा आईएफएल के रूप में निवेश की गई थीं। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, इन नौ सा.क्षे.उ. को निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल था।

नौ उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं पर गई है:

- ब्याज-मुक्त ऋण को राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधि के रूप में माना गया है। हालाँकि, सा.क्षे.उ. द्वारा ऋण के पुनर्भुगतान के मामले में, व.मू. को संपूर्ण अवधि के दौरान ब्याज मुक्त ऋण की घटी हुई शेष राशि पर परिकलित किया गया। प्रबंधन और परिचालन खर्चों के अलावा अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों को निवेश के रूप में नहीं माना गया है क्योंकि वे निवेश के रूप में अर्हता प्राप्त करने योग्य नहीं हैं जैसा कि पैरा 2.1.3.13 में निर्दिष्ट सब्सिडी की प्रकृति द्वारा दर्शाया गया है।

- संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>53</sup> के लिए सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर को वर्तमान मूल्य पर पहुँचाने के लिए चक्रवृद्धि दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे साल के लिए निधियों के निवेश की दिशा में सरकार द्वारा लागत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर प्रतिफल की न्यूनतम अनुमानित दर के रूप में माना गया।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के लिए, जब इन नौ कंपनियों ने हानि उठायीं, तब निष्पादन को मापने का अधिक उचित उपाय हानि के कारण निवल मूल्य का अपक्षरण है। कंपनियों के निवल मूल्य के अपक्षरण पर पैरा 2.1.3.17 में टिप्पणी की गई है।

**2.1.3.15** इन नौ राज्य सा.क्षे.उ. में 2002-03 से 2018-19 की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर इक्विटी, ऋण तथा प्रबंधन एवं परिचालन व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में राज्य सरकार के निवेश की सा.क्षे.उ.-वार स्थिति को **अनुलग्नक-2.7** में दर्शाया गया है। आगे, उसी अवधि में राज्य सरकार के निवेश के व.मू. की समेकित स्थिति तथा इन सा.क्षे.उ. से संबंधित कुल उपार्जन को **तालिका-2.1.3.9** में दर्शाया गया है।

**तालिका-2.1.3.9: 2002-03 से 2018-19 की अवधि के लिए दि.प.नि. सहित राराक्षेदिस द्वारा निवेशों तथा सरकारी निवेशों के वर्तमान मूल्य का वर्ष-वार विवरण**

(₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान तथा सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी ऋण पर ब्याज की औसत दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूली के लिए न्यूनतम अनुमानित प्रतिफल	वर्ष <sup>54</sup> के लिए कुल उपार्जन
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii	ix={vii*(1 + viii)/100}	x={viii*vii}/100}	xi
2002-03	182.96 <sup>55</sup>	1.27	0.00	0.20	1.47	184.43	11.17	205.03	20.60	-768.54
2003-04	205.03	0.00	0.00	0.20	0.20	205.23	10.65	227.09	21.86	-534.27
2004-05	227.09	0.00	0.00	0.20	0.20	227.29	10.34	250.79	23.50	-691.88
2005-06	250.79	0.00	0.00	130.87	130.87	381.66	8.87	415.51	33.85	-857.78
2006-07	415.51	2.11	0.00	42.07	44.18	459.69	9.35	502.67	42.98	-850.94
2007-08	502.67	384.30	0.00	20.43	404.73	907.40	9.84	996.69	89.29	-1174.20
2008-09	996.69	250.69	0.00	19.25	269.94	1266.63	9.90	1392.03	125.40	-1699.94
2009-10	1392.03	630.71	0.00	21.25	651.96	2043.99	9.52	2238.58	194.59	-2011.63
2010-11	2238.58	225.00	0.00	70.63	295.63	2534.21	9.10	2764.82	230.61	-1978.31
2011-12	2764.82	215.48	40.00	589.59	845.07	3609.89	9.77	3962.58	352.69	-2185.59
2012-13	3962.58	199.55	50.00	846.89	1096.44	5059.02	9.73	5551.26	492.24	-2246.25
2013-14	5551.26	0.00	1.00	974.75	975.75	6527.01	9.21	7128.15	601.14	-2793.65

<sup>53</sup> सरकारी उधारी पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (राराक्षेदिस) पर भारत के नि. एवं. म.ले.प. के प्रतिवेदनों से ली गई है।

<sup>54</sup> 2002-03 से 2011-12 के लिए, कर से पहले लाभ के आकड़े उपलब्ध कराए गए हैं क्योंकि कर के बाद लाभ के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे। कर के बाद लाभ के आँकड़े 2012-13 के बाद दर्शाए गए हैं।

<sup>55</sup> यह राराक्षेदिस द्वारा किए गए निवेश का आरंभिक शेष है।

2014-15	7128.15	-1.15	7.00	1083.75	1089.60	8217.75	8.59	8923.65	705.90	-1239.98
2015-16	8923.65	0.00	0.00	1234.75	1234.75	10158.40	8.54	11025.93	867.53	-2802.44
2016-17	11025.93	0.00	0.00	1616.65	1616.65	12642.58	8.65	13736.16	1093.58	-3380.74
2017-18	13736.16	0.00	0.00	2078.18	2078.18	15814.34	8.58	17171.21	1356.87	-3775.19
2018-19	17171.21	0.00	0.00	1890.95	1890.95	19062.16	8.64	20709.13	1646.97	-4296.07
<b>कुल</b>		<b>1907.96</b>	<b>98.00</b>	<b>10620.61</b>	<b>12809.53</b>					

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना एवं राज्य वित्त पर भारत के नि. एवं म.ले.प. के प्रतिवेदन

इन सा.क्षे.उ. में वर्ष के अंत में राराक्षेदिस द्वारा निवेश का 2002-03 में ₹ 184.43 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 19,062.16 करोड़ हो गया, क्योंकि राराक्षेदिस ने 2002-03 से 2018-19 की अवधि के दौरान इक्विटी, ब्याज मुक्त ऋणों तथा परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान/सब्सिडी के रूप में आगे निवेश किया। राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2019 तक निवेशित निधियों का व.मू. ₹ 20,709.13 करोड़ था।

2002-03 से 2018-19 के दौरान, इन सा.क्षे.उ. में वर्ष का कुल उपार्जन, इनमें निवेशित निधियों की लागत वसूल करने के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा क्योंकि इस अवधि के दौरान दिल्ली परिवहन निगम को काफ़ी हानि हुई। डीटीसी के घाटे में वृद्धि का मुख्य कारण ब्याज लागत (वर्तमान वर्ष का ₹ 4,487.48 करोड़ जिसका भुगतान नहीं हुआ था), वार्षिक अनुरक्षण शुल्कों (एएमसी) में वृद्धि, वेतन संशोधन (2015-16 से 2017-18 तक) का प्रावधान, बसों की बढ़ी हुई स्क्रेपिंग तथा अमितव्ययी किराया संरचना (नवम्बर 2009 में अंतिम बार किराया संशोधन किया गया) थी। 2002-19 की अवधि के दौरान अन्य सा.क्षे.उ. का उपार्जन दि.प.नि. द्वारा नुकसान की ओर बढ़ने लगा जिसके कारण कुल कमाई न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से नीचे रहा, जैसा कि तालिका-2.1.3.9 में विवरण दिया गया है। दि.प.नि. को छोड़कर निवल वर्तमान मूल्य की गणना अनुलग्नक-2.8 में किया गया है। यह देखा गया कि सभी सा.क्षे.उ. (डीटीसी को छोड़कर) के उपार्जन 2008-09, 2016-17 और 2018-19 को छोड़कर 2002-03 से 2018-19 तक सभी वर्षों में न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से अधिक हो गया।

**2.1.3.16** 2014-15 से 2018-19 के दौरान, सरकार को इन सा.क्षे.उ. में किए निवेश पर प्रतिफल ऋणात्मक था।

#### निवल मूल्य का अपक्षरण

**2.1.3.17** निवल मूल्य का तात्पर्य प्रदत्त पूँजी तथा फ्री रिजर्व्स एवं अधिशेष के कुल योग एवं संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय से घटाव है। अनिवार्य रूप से, यह इस बात का माप है कि एक इकाई का मालिकों के लिए क्या मूल्य है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य इंगित करता है कि मालिकों द्वारा



समस्त निवेश का संचित हानि तथा आस्थगित राजस्व व्यय द्वारा सफाया हो गया है।

**तालिका-2.1.3.10** इन गैर-विद्युत क्षेत्र की कंपनियों<sup>56</sup> के कुल प्रदत्त पूँजी, कुल संचित लाभ/हानि, एवं कुल निवल मूल्य को इंगित करता है, जहाँ राराक्षेदिस ने प्रत्यक्ष निवेश किया है।

**तालिका-2.1.3.10: 2014-15 से 2018-19 के दौरान विद्युत क्षेत्र के अलावा उपक्रमों का निवल मूल्य**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत में सा.क्षे.उ. का प्रदत्त पूँजी		वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानि (-)		आस्थगित राजस्व व्यय	कम्पनी का निवल मूल्य	
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर		दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	2,091.76	107.91	-18,474.36	496.66	0	-16,382.60	604.57
2015-16	2,091.82	107.97	-21,249.72	639.06	0	-19,157.90	747.03
2016-17	2,091.88	108.03	-24,565.12	734.88	0	-22,473.24	842.91
2017-18	2,091.94	108.09	-28,307.57	835.92	0	-26,215.63	944.01
2018-19	2,111.22	127.37	-32,607.67	865.24	0	-30,496.45	992.61

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

14 गैर-विद्युत सा.क्षे.उ. में से राराक्षेदिस ने नौ सा.क्षे.उ. में निवेश किया। इन नौ में से, सात सा.क्षे.उ.<sup>57</sup> में धनात्मक निवल मूल्य था और दि.प.नि. (एक कंपनी<sup>58</sup> के लिए निवल मूल्य शून्य मान लिया गया) में ऋणात्मक निवल मूल्य था। सात सा.क्षे.उ. का धनात्मक निवल मूल्य (₹ 992.61 करोड़) दि.प.नि. के धनात्मक निवल मूल्य (₹ 31,489.06 करोड़) से बड़ा था और इन नौ सा.क्षे.उ. का कुल निवल मूल्य 2014-15 से 2018-19 के दौरान ऋणात्मक रहा। हालाँकि दि.प.नि. को छोड़ देने के पश्चात् सात सा.क्षे.उ. का कुल निवल मूल्य इस अवधि के दौरान धनात्मक था।

**लाभांश भुगतान**

**2.1.3.18** नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित लाभांश अदायगी जहाँ उस अवधि के दौरान राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी निवेश की गई थी, को **तालिका-2.1.3.11** में दर्शाया गया है।

<sup>56</sup> एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, आईसीएसआईएल, डीएमएसएल, डीएलएल तथा डीसीएडीएल को छोड़कर

<sup>57</sup> डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी, डीएसआईआईडीसी, डीटीटीडीसी, डीटीआईडीसी, डीएफसी एवं जीडीएल

<sup>58</sup> एसआरडीसी कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर मुनाफा वाली कम्पनी है।

**तालिका-2.1.3.11: 2014-15 से 2018-19 के दौरान नौ सा.क्षे.उ. का लाभांश भुगतान**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल सा.क्षे.उ. जहाँ राराक्षेदिस द्वारा इक्विटी निवेश की गई		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किए		सा.क्षे.उ. जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश की घोषणा/भुगतान किया		लाभांश अदायगी अनुपात (प्रतिशत)
	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	राराक्षेदिस द्वारा निवेशित इक्विटी	सा.क्षे.उ. की संख्या	सा.क्षे.उ. द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश	
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii=vii/v*100
2014-15	9	2,083.51	6	81.61	1	0.50	0.61
2015-16	9	2,083.51	7	99.66	1	0.50	0.50
2016-17	9	2,083.51	7	99.66	1	0.50	0.50
2017-18	9	2,083.51	5	66.74	1	0.50	0.75
2018-19	9	2,090.92	4	34.69	0	0	-

स्रोत: सा.क्षे.उ. से प्राप्त सूचना

2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले सा.क्षे.उ. की संख्या चार से सात तक थी। 2014-15 से 2017-18 की अवधि के दौरान, केवल एक सा.क्षे.उ. (डीएससीएससी) ने राराक्षेदिस को लाभांश की घोषणा/भुगतान किया तथा लाभांश अदायगी भुगतान अनुपात 0.50 प्रतिशत से 0.75 प्रतिशत तक था। 2018-19 के दौरान लाभ कमाने वाली चार कंपनियों में से किसी ने लाभांश भुगतान नहीं किया।

राज्य सरकार सा.क्षे.उ. द्वारा योगदान के लिए लाभांश की न्यूनतम दर निर्दिष्ट करने वाली एक लाभांश नीति तैयार करे।

### इक्विटी पर प्रतिफल

**2.1.3.19** इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) वित्तीय निष्पादन का एक माप है जिससे यह आकलन किया जाता है कि प्रबंधन लाभ अर्जित करने के लिए शेयरधारकों की निधि का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग कर रही है तथा इसकी गणना शेयरधारकों की निधि के द्वारा निवल आय (अर्थात् करों के पश्चात् निवल लाभ) को भाग करके की जाती है। इसे एक प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा किसी भी कंपनी के लिए परिकल्पित किया जा सकता है जब निवल आय तथा शेयरधारकों की निधि दोनों धनात्मक संख्याएं हों।

किसी कंपनी के शेयरधारकों के निधि की गणना प्रदत्त पूँजी तथा संचित हानि का फ्री रिजर्व्स नेट, एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़कर की जाती है और इससे पता चलता है कि यदि सभी परिसंपत्तियों की बिक्री कर दी जाए तथा सभी ऋणों का भुगतान हो जाए तो कंपनी के हितधारकों के लिए कितना शेष

बच जाएगा। एक धनात्मक शेयरधारी की निधि से पता चलता है कि कंपनी के पास अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्तियाँ हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारी इक्विटी का आशय है कि देयताएँ संपत्तियों से अधिक हैं।

नौ उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के संबंध में आर.ओ.ई. की गणना की गई है जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियाँ निवेश की गई थीं। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित शेयरधारकों की निधि तथा आर.ओ.ई. का विवरण तालिका-2.1.3.12 में दिए गए हैं।

**तालिका-2.1.3.12: सा.क्षे.उ. जहाँ राराक्षेदिस द्वारा निधियाँ निवेशित की गई थीं, से संबंधित इक्विटी पर प्रतिफल**

वर्ष	नौ सा.क्षे.उ. का कर के पश्चात निवल लाभ/हानि (₹ करोड़ में)		नौ सा.क्षे.उ. के शेयरधारकों की निधि (₹ करोड़ में)		आर.ओ.ई. (प्रतिशत)	
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	-1,239.98	123.76	-16,382.60	604.57	-	20.47
2015-16	-2,802.44	115.32	-19,157.90	747.03	-	15.44
2016-17	-3,380.74	30.36	-22,473.24	842.91	-	3.60
2017-18	-3,775.19	68.43	-26,215.63	944.01	-	7.25
2018-19	-4,296.07	33.34	30,496.45	992.61	-	3.36

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे

गत पाँच वर्षों के दौरान, दि.प.नि. के अलावा आठ कंपनियों के संबंध में निवल आय, सभी पाँच वर्षों के लिए धनात्मक थी, तथा परिणामस्वरूप, इक्विटी पर 3.36 प्रतिशत से 20.47 प्रतिशत तक धनात्मक प्रतिफल मिला। हालाँकि, दि.प.नि. द्वारा भारी नुकसान उठाए जाने, जो 2014-15 में ₹ 1,363.74 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में ₹ 4,329.41 करोड़ हो गया, के कारण नौ कंपनियों के लिए निवल आय सभी पाँच वर्षों में ऋणात्मक हो गया और इस प्रकार, इस अवधि के लिए आर.ओ.ई. नहीं निकाला जा सका।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**2.1.3.20** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरओसीई) एक अनुपात है जो किसी कंपनी की लाभप्रदता तथा क्षमता को मापता है जिसके साथ उसकी पूँजी नियोजित है। आरओसीई की गणना किसी कंपनी की ब्याज एवं करों से पूर्व

उपार्जन (ईबीआईटी) को नियोजित पूँजी<sup>59</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान नौ सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) का कुल आरओसीई का विवरण तालिका-2.1.3.13 में दिया गया है।

**तालिका-2.1.3.13: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्ष <sup>60</sup>	सा.क्षे.उ. के लिए ई.बी.आई.टी. (₹ करोड़ में)		सा.क्षे.उ. के लिए नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)		सा.क्षे.उ. <sup>61</sup> के लिए आर.ओ.सी.ई. (प्रतिशत)	
	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर	दि.प.नि. को शामिल कर	दि.प.नि. को छोड़ कर
2014-15	1,356.53	230.07	-4,614.54	696.49	-	33.03
2015-16	94.89	176.68	-7,396.50	832.29	-	21.23
2016-17	3.91	112.61	-10,673.17	966.84	-	11.65
2017-18	180.58	174.00	-14,438.43	1,045.07	-	16.65
2018-19	376.98	201.39	-18,765.59	1,047.33	-	19.23

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेख

मार्च 2019 को समाप्त पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान, दि.प.नि. के अतिरिक्त अन्य आठ कंपनियों के संबंध में समग्र नियोजित पूँजी, सभी पाँच वर्षों के लिए धनात्मक थी एवं परिणामस्वरूप, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल भी 11.65 प्रतिशत से 33.03 प्रतिशत तक धनात्मक था। हालाँकि, दि.प.नि. को शामिल किए जाने से, इन कंपनियों के लिए नियोजित पूँजी सभी पाँच वर्षों के लिए ऋणात्मक हो गयी।

### सा.क्षे.उ. के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण

**2.1.3.21** 2014-15 से 2018-19 के दौरान उन सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) जिनके पास लिवरेज था, के दीर्घकालिक ऋण का विश्लेषण कंपनियों द्वारा ली गई ऋण को सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों को चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए किया गया था। इसका निर्धारण ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण बिक्री अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

<sup>59</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + दीर्घवधि ऋण + निर्बाध आरक्षितियाँ- संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।

<sup>60</sup> वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।

<sup>61</sup> डीटीसी सहित सा.क्षे.उ. के लिए नियोजित पूँजी सभी वर्षों के लिए नकारात्मक है और इस प्रकार, उस वर्ष के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकती।

### ब्याज कवरेज अनुपात

**2.1.3.22** ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की किसी सा.क्षे.उ. की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना उस अवधि की ब्याज व्यय से सा.क्षे.उ. के ईबीआईटी को विभाजित करके किया जाता है। अनुपात जितना कम होगा, सा.क्षे.उ. की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात इंगित करता है कि सा.क्षे.उ. ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा है। 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान जिन सा.क्षे.उ. में ब्याज भार था, उनसे संबंधित धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात का विवरण तालिका-2.1.3.14 में दिया गया है।

**तालिका-2.1.3.14: राज्य सा.क्षे.उ. से संबंधित ब्याज कवरेज अनुपात**

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	सरकार तथा बैंको और अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाली सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सा.क्षे.उ. की संख्या	एक से कम ब्याज कवरेज अनुपात वाली सा.क्षे.उ. की संख्या
2014-15	2,518.35	1,356.52	7	3	4 <sup>62</sup>
2015-16	2,862.25	94.88	6	3	3 <sup>63</sup>
2016-17	3,325.38	3.91	6	3	3 <sup>64</sup>
2017-18	3,874.95	166.31	6	2	4 <sup>65</sup>
2018-19	4,509.40	171.13	6	1 <sup>66</sup>	5 <sup>67</sup>

स्रोत: सा.क्षे.उ. के लेखे (वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के अनुसार तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार लिए गए हैं।)

2018-19 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण की देयता वाले छः सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) में से, एक सा.क्षे.उ. का ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक था जबकि दो सा.क्षे.उ. में ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था, जो इंगित करता है कि ये दो सा.क्षे.उ. उस अवधि के दौरान ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर सके। शेष तीन सा.क्षे.उ. में कोई ब्याज देयता नहीं था।

<sup>62</sup> डीएससीएससी, जीडीएल, डीसीएडी एवं डीटीसी

<sup>63</sup> डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी एवं डीसीएडी

<sup>64</sup> डीएससीएससी, डीसीएडी एवं डीटीसी

<sup>65</sup> डीएससीएफडीसी, डीएससीएससी, डीसीएडी एवं डीटीसी

<sup>66</sup> डीएससीएफडीसी

<sup>67</sup> डीएफसी एवं डीटीसी के पास 1 से कम ब्याज कवरेज अनुपात था। डीएससीएससी, डीसीएडी एवं डीएलएल के पास ब्याज देयता नहीं है।

### ऋण टर्नओवर अनुपात

**2.1.3.23** विगत पाँच वर्षों के दौरान, सा.क्षे.उ. के टर्नओवर में 1.05 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक गिरावट तथा ऋण में 0.08 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2014-15 में 2.58 से घटकर 2018-19 में 2.68 हो गया जैसा कि नीचे तालिका-2.1.3.15 में दिया गया है।

#### तालिका-2.1.3.15: राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित ऋण टर्नओवर अनुपात

विवरण	(₹ करोड़ में)				
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार तथा अन्य (बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों) से ऋण	11,768.09	11,761.43	11,800.10	11,801.24	11,730.94
टर्नओवर	4,569.35	4,186.91	4,100.76	3,940.75	4,380.59 <sup>68</sup>
ऋण टर्नओवर अनुपात	2.58:1	2.81:1	2.88:1	2.99:1	2.68:1

स्रोत: वर्ष 2014-15 से 2017-18 के आँकड़े अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक लेखापरीक्षा किए गए नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं तथा वर्ष 2018-19 के आँकड़े 30 सितम्बर 2019 को प्राप्त नवीनतम लेखों के अनुसार लिए गए हैं।

इस अवधि के दौरान ऋण-टर्नओवर अनुपात 2.58 तथा 2.99 के बीच था।

### राज्य सा.क्षे.उ. के लेखे पर टिप्पणियाँ

**2.1.3.24** 1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 की अवधि के दौरान 11 कंपनियों ने अपने 11 लेखापरीक्षित लेखे को प्रधान महालेखाकार को प्रेषित किया। ये सभी 11<sup>69</sup> लेखे पूरक लेखापरीक्षा के लिए चयन कर लिए गए। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों तथा नि.म.ले.प. द्वारा की गई पूरक लेखापरीक्षा ने इंगित किया कि लेखे की गुणवत्ता में काफी हद तक सुधार करने की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नि.म.ले.प. की टिप्पणियों का कुल धनमूल्य का विवरण तालिका-2.1.3.16 में दिया गया।

<sup>68</sup> 14 कंपनियों के लिए टर्नओवर

<sup>69</sup> 11 लेखे में से छः लेखे की लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2019 तक प्रगति पर था।

**तालिका-2.1.3.16: कार्यशील कंपनियों (विद्युत क्षेत्र के अलावा) पर  
लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	15.94	2	39.36	2	17.30
2.	लाभ में वृद्धि	0	0	1	0.05	2	9.41
3.	हानि में वृद्धि	0	0	1	4.45	2	152.50
4.	हानि में कमी	1	0.06	1	0.4	2	2.12
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों की गैर-प्रकटीकरण	1	7.96	1	1.22	1	165.29
6.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ	0	0	1	1.74	1	16.13

स्रोत: सरकारी कंपनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. के टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018-19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक<sup>70</sup> लेखा पर प्रतिकूल मत, पाँच<sup>71</sup> लेखे के लिए योग्य प्रमाण-पत्र तथा पाँच<sup>72</sup> लेखे के लिए अयोग्य प्रमाण पत्र जारी किए। सा.क्षे.उ. द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन खराब रहा क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों के गैर-अनुपालन के नौ दृष्टांत को इंगित किया।

**2.1.3.25** राराक्षेदिस के दो सांविधिक निगम हैं, जैसे (i) दिल्ली परिवहन निगम (दि.प.नि.) तथा (ii) दिल्ली वित्त निगम (दि.वि.नि.)। नि.म.ले.प., दि.प.नि. का एकमात्र लेखापरीक्षक हैं।

1 अक्टूबर 2018 से 30 सितंबर 2019 के दौरान, दि.प.नि. ने वर्ष 2017-18 के अपने वार्षिक लेखाओं को प्रेषित किया जबकि दि.वि.नि. के वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखे को अंतिम रूप दिया गया। दोनों लेखाओं को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा नि.म.ले.प. की एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षा ने लेखाओं के अनुरक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता को इंगित किया।

सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों के समग्र धन मूल्य तथा नि.म.ले.प. द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के विवरण तालिका-2.1.3.17 में दिए गए हैं:

<sup>70</sup> डीटीआईडीसी (2016-17)

<sup>71</sup> डीएससीएफडीसी (2011-12), डीएससीएससी (2017-18), डीएसआईआईडीसी (2017-18), एनडीएमसी स्मार्ट सिटी (2017-18) तथा डीएलएल (2018-19)

<sup>72</sup> डीटीटीडीसी (2018-19), डीएमएल (2018-19), डीसीएडी (2018-19), जीडीएल (2018-19) तथा एसआरडीसी (2018-19)

**तालिका-2.1.3.17: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	1	3.78	1	10.56	0	0
2.	लाभ में वृद्धि	0	0	1	0.37	0	0
3.	हानि में वृद्धि	1	2,389.34	1	2,332.74	1	11.09
4.	हानि में कमी	1	15.1	1	19.65	1	0.18
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	2	127.94	2	125.39	0	0
6.	वर्गीकरण में त्रुटियाँ	1	25.24	1	1.02	0	0

स्रोत: सांविधिक निगमों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/नि.म.ले.प. की टिप्पणियों से संकलित।

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई**

**बकाया जवाब**

**2.1.3.26** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में कार्यकारी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, विभागों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेश किए जाने के चार महीने के भीतर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत् रूप से पुनरीक्षित किया हुआ ऐक्शन टेकेन नोट (एटीएन) सरकारी उपक्रमों पर समिति (कोगु) को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति तालिका-2.1.3.18 में दी गई है।

**तालिका-2.1.3.18: विद्युत क्षेत्र के अलावा सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर एटीएन की स्थिति (31 मार्च 2020 को)**

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स्थानन की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से संबंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (निलेप) तथा पैराओं		निलेप/पैराओं की संख्या जिनके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए थे	
		नि.ले.	पैराओं	नि.ले.	पैराओं
2014	30.06.2015	1	2	0	0
2015	13.06.2016	1	1	0	0
2016	10.03.2017	0	3	0	1
2017	03.04.2018	1	5	0	0
2018	03.12.2019	1	2	1	2

स्रोत: राराक्षेदिस से प्राप्त एटीएन पर आधारित संकलन

**सरकारी उपक्रमों पर समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

**2.1.3.27** सा.क्षे.उ. (ऊर्जा क्षेत्र के अलावा) से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा पैराग्राफों जिन्हें 31 मार्च 2020 को कोगू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.क्षे.उ.) में दर्शाया गया था, पर चर्चा की स्थिति तालिका-2.1.3.19 में दी गई है।



**तालिका-2.1.3.19: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निलेप/पैराओं जिनकी कोगू में चर्चा की गई है की स्थिति (31 मार्च 2020 तक)**

समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/पैराओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित		चर्चा किए गए पैराओं	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैराओं	निष्पादन लेखापरीक्षा	पैराओं
2014	1	2	1	0
2015	1	1	0	0
2016	0	3	0	0
2017	1	5	0	0
2018	1	2	0	0

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोगू की चर्चा पर आधारित संकलन

**कोगू के प्रतिवेदनों का अनुपालन**

**2.1.3.28** 2014 से 2018 की अवधि के लिए कोगू से कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुई है।

## उद्योग विभाग

### दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

#### 2.2 बवाना एवं नरेला में औद्योगिक क्षेत्रों का परिचालन और अनुरक्षण

##### 2.2.1 भूमिका

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार (राराक्षेदिस) के लिए औद्योगिक नीति 2010-21 में बेहतर परिचालन एवं अनुरक्षण के माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों (औ.क्षे.) के अवसंरचना विकास की कल्पना की गई क्योंकि नियोजित औद्योगिक सम्पदा का बुनियादी ढाँचा खराब था और जल भराव, खराब गुणवत्ता की सड़कों एवं अतिक्रमणों से ग्रसित था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाध्यताओं का सामना योजनागत अवसंरचना बनाने तथा औद्योगिक विकास में वित्त पोषण से हो रहा था। इसके अनुसरण में रा.रा.क्षे.दि. में औद्योगिक क्षेत्रों, आद्योगिक संपदा तथा फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सों जिसमें एकल कार्यान्वयन एजेंसी अर्थात् दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआईआईडीसी)<sup>73</sup> शामिल है, की सुव्यवस्थित स्थापना के उद्देश्य से दिल्ली औद्योगिक विकास एवं अनुरक्षण अधिनियम 2010 (डीआईडीओएम) बनाया गया (मार्च 2010)। डीआईडीओएम अधिनियम के अनुसार, डीएसआईआईडीसी को औद्योगिक क्षेत्रों, संपदाओं एवं एफएफसी अर्थात् भूमि, बिल्डिंग तथा अचल मर्दों के निपटान, सभी फीस, शुल्कों, किराया इत्यादि से प्राप्त सभी पैसों को जमा कर के औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक संपदा एवं फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्सों (एफएफसी) के विकास, परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए एक कोष बनाने की अनुमति दी गई थी।

उद्योग विभाग, राराक्षेदिस ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों (1996) के अनुसार, डीएसआईआईडीसी को उद्योगों के पुनर्वास का कार्य आवासीय क्षेत्रों में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरित करने के लिए सौंपा गया (1998)। पुनर्वास योजना के अन्तर्गत, बवाना तथा आसपास के गाँवों - नरेला, बादली, झिलमिल एवं पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण किया गया।

दिल्ली के पास 4,647 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ 33 औ.क्षे. है। इस कुल क्षेत्र में से जुलाई 2020 तक बवाना (1,922 एकड़) तथा नरेला (496 एकड़) औ.क्षे. का 2,418 एकड़ (52.03 प्रतिशत) है। बवाना तथा नरेला<sup>74</sup> औ.क्षे. पुनर्वास योजना के अन्तर्गत 2001-02 में विकसित किए गए। अगस्त 2019

<sup>73</sup> पीएसयू स्थापित 1971 में

<sup>74</sup> नरेला औ.क्षे. प्रारंभ में 1978 अस्तित्व में आया और पुनर्वास योजना के अन्तर्गत आगे विकसित किया गया।

तक 16,312 प्लॉटों में से 15,756 बवाना औ.क्षे. में तथा 3,376 प्लॉटों में से 3,222 नरेला औ.क्षे. में अधिग्रहण किए गए।



चित्र 1: राराक्षेदिस का मानचित्र, बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के सांकेतिक स्थान के साथ

राराक्षेदिस द्वारा बवाना तथा नरेला औ.क्षे. में विकास और परिचालन एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर करने की मंजूरी दी गई (मार्च 2010)। बवाना तथा नरेला में औ.क्षे. को शामिल करते हुए, औ.क्षे. के पुनर्विकास हेतु परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए मेसर्स इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईडीएफसी) को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया (जनवरी 2009)।

डीएसआईआईडीसी ने तथापि, बवाना और नरेला औ.क्षे. के लिए मौजूदा अवसंरचना का अभ्युत्थान एवं पुनर्विकास निजी क्षेत्र की भागीदारी से अपग्रेड-ऑपरेट-मेनटेन-ट्रॉसफर (यूओएमटी) आधार पर करने का निर्णय लिया। इस उद्देश्य के लिए आईडीएफसी ने परियोजना लाईफ-साईकल लागत (पूँजी तथा परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय सहित) तथा कुल राजस्व (अनुरक्षण शुल्कों तथा अन्य शुल्कों) का अनुमान लगाया तथा निष्कर्ष निकाला कि परियोजनाओं के

लिए निजी रियायत प्राप्तकर्ताओं को डीएसआईआईडीसी द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता होगी।

एन्यूटि भुगतान (पुनर्विकास कार्यों के पूर्ण होने की तिथि से) हेतु सबसे कम बोली के आधार पर, बवाना तथा नरेला में औ.क्षे. के पुनर्विकास एवं परिचालन तथा अनुरक्षण का कार्य 15 वर्षों की अवधि के लिए क्रमशः मैसर्स बवाना इन्फ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स बवाना) तथा मैसर्स पीएनसी दिल्ली इंडस्ट्रीयल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड (मैसर्स पीएनसी) को आबंटित किया गया। दोनों औ.क्षे. हेतु रियायत समझौते जुलाई 2011 में हुए। बवाना और नरेला औ.क्षे. के पुनर्विकास का कार्य क्रमशः दिसम्बर 2013 एवं अक्टूबर 2013 में पूरे<sup>75</sup> हुए। तथापि, औ.क्षे. के प्रबंधन तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की थी।

### 2.2.1.1 लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

सभी आवश्यक अवसंरचना जैसे कि सड़कों, ड्रेनेज, जल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइटिंग और पार्किंग सुविधाओं के साथ एक आधुनिक औद्योगिक संपदा उपलब्ध कराने के लिए बवाना और नरेला औ.क्षे. विकसित किए गए थे।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य आकलन करना था कि क्या:

- बवाना तथा नरेला में औद्योगिक क्षेत्रों का प्रबंधन कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से हो रहा था;
- रियायत प्राप्तकर्ताओं के निष्पादन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण के लिए कोई तंत्र मौजूद और पर्याप्त था; तथा
- औद्योगिक इकाइयों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रभावी तंत्र मौजूद था।

लेखापरीक्षा जाँच मई 2019 से नवम्बर 2019 की अवधि के दौरान की गई। लेखापरीक्षा ने बवाना और नरेला औ.क्षे. के परिचालन तथा अनुरक्षण से संबंधित 2016-17 से 2018-19 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा ने डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधि के साथ संयुक्त रूप से ठोस अपशिष्ट के डंपिंग, सड़कों एवं पार्कों आदि की सफाई, स्टॉर्म वाटर ड्रेन आदि के जाम होने तथा ओवरफ्लो होने से संबंधित औ.क्षे. का भौतिक सत्यापन भी किया। लेखापरीक्षा ने प्रश्नावली के माध्यम से औ.क्षे. में रियायत प्राप्तकर्ताओं

<sup>75</sup> थर्ड पार्टी इंजीनियर (टीपीई) द्वारा जारी अनंतिम प्रमाण-पत्र के अनुसार

द्वारा दिए गए सेवा सुविधाओं की गुणवत्ता के बारे में सूचना प्राप्त की तथा 483 औद्योगिक इकाइयों और तीन औद्योगिक संघों से भी सूचना प्राप्त की। प्रबंधन के साथ प्रविष्टि एवं निर्गम सम्मेलन क्रमशः 30 अप्रैल 2019 और 29 जनवरी 2020 को हुए। सरकार से प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के जवाब अगस्त 2020 में प्राप्त हुए तथा उपयुक्त रूप से शामिल किए गए हैं।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

रियायत समझौते की यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ता परियोजना सुविधाओं अर्थात् सड़कों, ड्रेन, सीवरेज, स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति, ठोस अपशिष्ट निपटान आदि का परिचालन और अनुरक्षण समझौते में दिए गए सेवा स्तर मानकों के अनुसार करें। तथापि, डीएसआईआईडीसी प्रगति/निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से सेवा सुविधाओं की समग्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

### 2.2.2 संग्रहण का वित्तीय प्रबंधन एवं रियायत प्राप्तकर्ताओं को भुगतान

रियायत समझौते के खण्ड 11.4 के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता एन्यूटि प्रारंभ होने की तिथि<sup>76</sup> से अनुरक्षण शुल्क लगाने तथा संग्रह करने के हकदार थे तथा नियुक्त तिथि<sup>77</sup> से यूनिट धारकों से पानी, सीवरेज शुल्क एवं सीईटीपी शुल्क/संग्रह किए गए शुल्कों को एक निर्दिष्ट खाते में जमा किया जाना था। खण्ड 11.6 के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता एक एस्करो खाता खुलवाएगा और डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता को प्राप्य एवं देय सभी भुगतानों को महीना खत्म होने के 15 दिनों के भीतर इस खाते में जमा करेगा।

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा जमा की गई संग्रहण राशि सेवा स्तर की कमियों यदि कोई हो के लिए लगाए गए जुर्माने को घटाने के बाद इसे एस्करो खाते के माध्यम से भुगतान किया जाना था, पानी तथा बिजली बिल रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा देय था परन्तु डीएसआईआईडीसी द्वारा भुगतान किया

<sup>76</sup> एन्यूटि प्रारंभ की तिथि वह तिथि है जिस पर सभी अनिवार्य कैपिटल परियोजनाओं के संबंध में रियायत समझौता के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं। रियायत समझौता के खण्ड 9.10 के अनुसार, परियोजना पूर्ण माना जाएगा जब पूर्णता प्रमाण-पत्र अथवा अंतिम प्रमाण-पत्र, जैसा मामला हो, जारी किया जाता है। नरेला औ.क्षे. के मामले में पीसी 31.10.2013 को जारी किया गया तथा बवाना औ.क्षे. के मामले में 15.12.2013 को।

<sup>77</sup> नियुक्ति की तिथि (15 दिसम्बर 2011) वह तिथि है जब रियायत प्राप्तकर्ताओं और डीएसआईआईडीसी रियायत समझौता के खण्ड 3.2 तथा 3.3 में उल्लेखित अपने संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं।

गया तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कार्यालय परिसर का किराया लिया गया।

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा औद्योगिक इकाईयों से किए गए संग्रहण में से किए गए जमा तथा डीएसआईआईडीसी द्वारा 2012-13 से 2018-19 की अवधि में इसे किए गए भुगतान के विवरण नीचे तालिका 2.2.1 में दिये गये हैं। प्रत्येक औ.क्षे. द्वारा संग्रह किए गए मासिक शुल्कों का विवरण परिशिष्ट 2.9 में दिए गए हैं।

**तालिका-2.2.1 रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नामित खाते में जमा किए गए तथा डीएसआईआईडीसी एस्करो खाते में जारी किए गए मासिक शुल्कों के विवरण**

(₹ करोड़ में)

औ.क्षे.	सीईटीपी	पानी शुल्क	अनुरक्षण शुल्क	नामित खाते में जमा की गई कुल राशि	एस्करो खाते में जारी की गई राशि
बवाना	56.65	48.23	144.22	249.10	205.34
नरेला	20.57	11.55	57.42	89.54	80.90
कुल	77.22	59.78	201.64	338.64	286.24

**2.2.2.1 मासिक संग्रहण राशि के जारी करने से पहले प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र पर जोर देने में डीएसआईआईडीसी की विफलता**

रियायत समझौते के खण्ड 11.7(अ) के अनुसार, परियोजना से जुड़े हुए आय एवं व्यय से संबंधित रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा डीएसआईआईडीसी को उपलब्ध कराए गए कोई दावा या दस्तावेज तभी मान्य और प्रभावी होगा यदि वह रियायत प्राप्तकर्ता के वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2019 तक रियायत प्राप्तकर्ताओं को जारी किए गए ₹ 286.24 करोड़ सीईटीपी से संग्रहण से संबंधित है, अनुरक्षण और पानी शुल्क पूरी तरह से रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्व-प्रमाणन पर आधारित था तथा एस्करो खाते में जारी की गई राशि का उपयोग परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों पर किया गया, यह वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणन पर आधारित नहीं था जैसा कि रियायत समझौते के तहत आवश्यक था।

आगे, डीएसआईआईडीसी के पास व्यक्तिगत यूनिट धारकों द्वारा देय और भुगतान किए गए मासिक शुल्कों का विवरण नहीं था, जो रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा संग्रह एवं जमा राशि का मिलान करने के लिए आवश्यक था। चूँकि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा भी संग्रह नकद में किए जा रहे थे,

यूनिट-वार विवरण के अभाव में लेखापरीक्षा में संग्रहण की को सत्यापित नहीं किया जा सका।

सरकार ने अपने जवाब (अगस्त 2020) में इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की।

### 2.2.2.2 अनुरक्षण शुल्कों का निर्धारण

राराक्षेदिस ने अधिसूचित किया (जनवरी 2012) कि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बिल्डिंग, अनुरक्षण और परियोजना सुविधाओं के परिचालन पर किए गए व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 10 प्रति वर्ग मीटर (व.मी.) की दर से मासिक अनुरक्षण शुल्क औद्योगिक यूनिटों से (एन्यूटि प्रारंभ होने की तिथि से) संग्रह होगा। इसके अलावा, बिल्डिंग अनुरक्षण तथा प्रबंधन एवं परियोजना सुविधाओं के परिचालन में शामिल व्यय के संबंध में मासिक अनुरक्षण शुल्कों में लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के अनुसार वार्षिक वृद्धि की गई। उपरोक्त अधिसूचना के आधार पर तथा समझौते की शर्तों के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ताओं ने ₹ 10 प्रति व.मी. की दर से अनुरक्षण शुल्क, एन्यूटि प्रारंभ होने की तिथि (31 अक्टूबर 2013 - नरेला औ.क्षे. और 15 दिसम्बर 2013 - बवाना औ.क्षे.) से संग्रह करना शुरू कर दिया और ये वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 के लिए क्रमशः ₹ 11.51, ₹ 11.98, ₹ 12.34 और ₹ 12.70 प्रति व.मी. कर दिए गए।

मासिक अनुरक्षण शुल्क ₹ 10 प्रति व.मी. निर्धारण का विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए। इसके अलावा, सभी औद्योगिक इकाइयों में अनुरक्षण शुल्क समान थे, भले ही उनका औद्योगिक प्रकार कुछ भी हो, क्योंकि विभिन्न प्रकार के उद्योगों की अनुरक्षण आवश्यकताओं में भिन्नता है। आगे, वार्षिक आधार पर मासिक अनुरक्षण शुल्क में वृद्धि की अनुमति उचित नहीं थी क्योंकि रियायत प्राप्तकर्ताओं ने इन औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण पर किए गए व्यय विवरण के साथ-साथ पैरा 2.2.2.1 में कथित रियायत समझौते के अनुसार इनमें से किसी भी वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों के प्रमाणन भी उपलब्ध नहीं करवाए गए।

सरकार ने जवाब दिया (अगस्त 2020) कि उचित विचार करने के बाद, प्रारंभिक अनुरक्षण शुल्क ₹ 10 प्रति व.मी. अपना लिया गया और 2012 की अधिसूचना के अनुसार लागत मुद्रास्फीति सूचकांक पर आधारित वृद्धि की अनुमति दी गई। सरकार, हालांकि, अपने तर्क को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा कि ₹ 10 प्रति व.मी. अनुरक्षण शुल्क उचित विचार करने के बाद निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, अनुरक्षण

शुल्क का संग्रह परिचालन एवं प्रबंधन में शामिल वास्तविक व्यय से संबंध नहीं था। इससे इंगित होता है कि अनुरक्षण शुल्क वास्तविक अनुरक्षण आवश्यकताओं एवं व्ययों पर विचार किए बिना, अवैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किए गए थे।

### 2.2.2.3 पार्किंग, पानी और सीवर कनेक्शन शुल्कों की गैर-वसूली/समायोजन

रियायत समझौते के खण्ड 11.4 (अ) के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता केवल अनुरक्षण, पानी शुल्कों, सीवरेज शुल्कों एवं सीईटीपी शुल्कों का संग्रह करने के लिए अधिकृत है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- डीएसआईआईडीसी ने रियायत प्राप्तकर्ताओं को पार्किंग शुल्क भी संग्रह करने के लिए क्रमशः मार्च 2016 और जून 2016 में अधिकृत किया। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने सितम्बर/अक्टूबर 2018 में जून 2017 से मार्च 2018 तक की अवधि के लिए केवल नरेला औ.क्षे. के रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा संग्रह किए गए ₹ 45.93 लाख पार्किंग शुल्क वसूल किया। इसके परिणामस्वरूप उक्त राशि पर ₹ 3.59 लाख के ब्याज का नुकसान हुआ। बवाना औ.क्षे. के मामले में, चूँकि डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा संग्रह किए गए पार्किंग शुल्कों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहा, लेखापरीक्षा डीएसआईआईडीसी को हुए नुकसान की सीमा का आकलन नहीं कर सका।
- नरेला औ.क्षे. का रियायत प्राप्तकर्ता पानी और सीवर कनेक्शन शुल्कों का संग्रह करने के लिए डीएसआईआईडीसी द्वारा अधिकृत नहीं था। तथापि, रियायत प्राप्तकर्ता बिना किसी प्राधिकार के 2013-14 से 2018-19 की अवधि के लिए ₹ 1.06 करोड़ का शुल्क संग्रह किया। यद्यपि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा प्रस्तुत मासिक मिलान विवरणों में इन शुल्कों के संग्रहण का विवरण विशेष रूप से वर्णित था, तथापि, डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता को भुगतान जारी करते समय इसे नामित खाते से आज तक (अगस्त 2020) वसूल करने में विफल रहा। इस प्रकार, डीएसआईआईडीसी को ₹ 29.75 लाख<sup>78</sup> के ब्याज का परिहार्य नुकसान हुआ, जो उस पर अर्जित किया जा सकता था।
- बवाना औ.क्षे. के संबंध में, डीएसआईआईडीसी ने यूनिट धारकों को पानी एवं सीवर कनेक्शन की मंजूरी देने और शुल्क संग्रह करने तथा उस राशि को नामित खाते में जमा करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ता (दिसम्बर 2016)

<sup>78</sup> जुलाई 2019 तक संगणित



को अधिकृत किया। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआईआईडीसी 24 फरवरी 2017 से 20 अक्टूबर 2017 तक की अवधि के लिए ₹ 1.11 करोड़ के संग्रह की वसूली करने में विफल रहा तथा ये कटौती मार्च तथा अप्रैल 2018 में की गई। बाद की अवधि 21 अक्टूबर 2017 से 31 मार्च 2019 के लिए ₹ 1.11 करोड़ का शुल्क अप्राप्य रहा। इससे उस पर ₹ 12.05 लाख के ब्याज का नुकसान हुआ।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि नरेला औ.क्षे. के रियायत प्राप्तकर्ता से पार्किंग शुल्क की वसूली जुलाई 2017 के बाद से की गई जब रियायत प्राप्तकर्ता ने इसे बैंक खाते में जमा करना शुरू किया। जवाब इसकी पुष्टि करता है कि यद्यपि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा पार्किंग शुल्क की वसूली जून 2017 से की गई, डीएसआईआईडीसी द्वारा इसकी वसूली केवल सितम्बर और अक्टूबर 2018 में की गई। सरकार ने नरेला औ.क्षे. में अप्रैल 2016 से मई 2017 तक की अवधि के लिए तथा बवाना औ.क्षे. के संबंध में सम्पूर्ण अवधि के लिए पार्किंग शुल्क के संग्रह के बारे में जवाब नहीं दिया। सरकार ने पानी तथा सीवर कनेक्शन शुल्कों पर लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया।

#### 2.2.2.4 बिजली और पानी बिल के भुगतान में विलंब

समझौते के खण्ड 6.10 के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता को बिजली और पानी के बिलों का भुगतान युटिलिटी प्रदाता को करना था। लेखापरीक्षा ने तथापि देखा कि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि अर्थात् 2016-17 से 2018-19 के दौरान बवाना औ.क्षे. के रियायत प्राप्तकर्ता कई बार युटिलिटी प्रदाता को बिजली बिलों एवं पानी बिलों का भुगतान करने में विफल रहा। क्षेत्र में इन युटिलिटीज की निरंतर सेवाएँ बनाए रखने के लिए डीएसआईआईडीसी ने बिजली और पानी बिलों का भुगतान किया, जिससे रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ मिला। डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ता की ओर से लगातार विफलता के बावजूद रियायत प्राप्तकर्ता के खिलाफ कोई दण्डात्मक कार्रवाई नहीं की थी। डीएसआईआईडीसी द्वारा मेसर्स बवाना की ओर से सीधे भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 9.34 लाख के ब्याज का नुकसान हुआ, जो डीएसआईआईडीसी द्वारा अर्जित किया जा सकता था, यदि युटिलिटीज को सीधे तौर पर भुगतान नहीं किया होता।

#### 2.2.3 थर्ड पार्टी इंजीनियर की नियुक्ति

रियायत समझौते का खण्ड 10.1 अनुबंध करता है कि डीएसआईआईडीसी समझौते और अच्छे उद्योग प्रथाओं के प्रावधानों के अनुसार रियायत

प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए प्रोजेक्ट सुविधाओं/कार्यों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र सलाहकार (“थर्ड पार्टी इंजीनियर” (टीपीई)) की नियुक्ति करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि डीएसआईआईडीसी दिसम्बर 2011 में टीपीई के साथ प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए ₹ 90 लाख<sup>79</sup> के पारिश्रमिक पर समझौता किया। आगे देखा गया कि टीपीई की नियुक्ति प्रस्तावों की प्रतिस्पर्धा का मूल्यांकन करने के लिए बिना किसी बोली के नामांकन आधार पर किया गया। प्रतिस्पर्धात्मक दरों की उपलब्धता के अभाव में, टीपीई को दी जाने वाली दरों की तर्कसंगतता को लेखापरीक्षा में शामिल नहीं किया जा सका। यद्यपि टीपीई नामांकन आधार पर तीन वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् दिसम्बर 2014 तक नियुक्त किया गया था, तथापि, इसका कार्यकाल नया टीपीई नियुक्त करने के लिए प्रयास किए बिना मार्च 2017 तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद, डीएसआईआईडीसी ने नया टीपीई नियुक्त करने के लिए अप्रैल 2017 से चार बार बोली आमंत्रित किया परन्तु खराब प्रतिक्रिया की वजह से किसी फर्म का चयन नहीं हो सका तथा मौजूदा टीपीई को कार्यकाल को अगस्त 2019 तक बढ़ा दिया गया। बाद में, नामांकन आधार पर नया टीपीई को ₹ 1.60 लाख प्रति माह और ₹ 1.40 लाख प्रति माह की पारिश्रमिक पर क्रमशः बवाना एवं नरेला औ.क्षे. के लिए नियुक्त किया गया (सितम्बर 2019)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई के कार्यकाल को इसके निष्पादन को संतोषजनक मानते हुए तीन वर्षों की सहमत अवधि पूरा होने के बाद समय-समय पर बढ़ाया गया। यद्यपि टीपीई ने सौंपे गए कुछ कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया, जैसा कि पैरा 2.2.5.1 में वर्णित है, परन्तु इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनकी सेवाओं में कमियों के लिए टीपीई के साथ किए गए समझौते में जुर्माना लगाने का प्रावधान नहीं था।

यह उल्लेख करना उचित है कि 2015 में टीपीई को एक्सटेंशन देते समय डीएसआईआईडीसी के सक्षम प्राधिकारी (सीएमडी) ने समझौते में जुर्माने का उपबंध शामिल करने का निर्देश दिया था परन्तु उसका पालन नहीं किया गया और टीपीई को एक्सटेंशन देते समय तथा नए टीपीई को नामांकन आधार पर कार्य अर्वाइ करते समय ऐसा कोई उपबंध शामिल नहीं था।

<sup>79</sup> ₹ 3 लाख \* 12 महीना \* 2 वर्ष = ₹ 72 लाख पुनर्विकास अवधि के दौरान जोड़ ₹ 1.50 लाख \* 12 महीना \* 1 वर्ष = ₹ 18 लाख प्रत्येक औ.क्षे. के लिए वर्ष की अनुरक्षण अवधि के लिए।

## 2.2.4 औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण में कमियाँ

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बवाना एवं नरेला औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

### 2.2.4.1 नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के निपटान में कमियाँ

रियायत समझौते की अनुसूची 2 के खण्ड 2डी के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ताओं को ठोस अपशिष्ट के निपटान से संबंधित सुविधाएँ देना था। अनुसूची 3 डी (iii) के अनुसार एमएसडब्ल्यू के लिए सेवा स्तर मानकों (एसएलएस) की यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ताओं एमएसडब्ल्यू के उचित परिवहन, डोर-टू-डोर अपशिष्ट संग्रहण, उपचार सुविधा के लिए परिवहन अथवा लैंडफिल सुविधा, और बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन-बायोडिग्रेडेबल घटकों में अपशिष्ट के पृथक्करण को सुनिश्चित करे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बवाना और नरेला औ.क्षे. में एमएसडब्ल्यू का निपटान बहुत खराब था क्योंकि ठोस अपशिष्टों के खुले में, स्ट्रॉर्म वाटर ड्रेन में तथा सीवरेज सिस्टम में डम्पिंग की घटनाएँ विभिन्न प्लेटफॉर्मों जैसे कि; शिकायत निवारण समिति (जीआरसी), मेनटेनेन्स बोर्ड (एमबी) की बैठकों आदि में लगातार सूचित किए गए। एम.एस.डब्ल्यू. के निपटान हेतु समझौते में यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ता 4-5 कि.मी. के भीतर लैंडफिल साइट पर अपशिष्ट का निपटान करे। तथापि, अपशिष्ट का निपटान करने हेतु उपयोग/प्रदान किया गया लैंडफिल साइट (लगभग) 20 कि.मी. की दूरी पर अवस्थित था। यह समझौते के खराब निर्धारण को दर्शाता है। यह डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधि के साथ किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा भी अवलोकन किया गया, जैसाकि नीचे चित्रों में दिखाया गया है:



चित्र 1 एवं 2: बवाना औ.क्षे. में खुले क्षेत्र में एमएसडब्ल्यू डम्पिंग के उदाहरण, संयुक्त भौतिक सत्यापन (दिसम्बर 2019) के दौरान अवलोकन किया गया।



चित्र 3: नरेला औ.क्षे. में खुले क्षेत्र में एमएसडब्ल्यू डम्पिंग के उदाहरण, संयुक्त भौतिक सत्यापन (जनवरी 2020) के दौरान अवलोकन किया गया।

आगे अवलोकन किया गया कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति (ईपीसीए) ने डीएसआईआईडीसी को निर्देश (दिसम्बर 2017) दिया कि बवाना और नरेला औ.क्षे. से अपशिष्ट का निपटान मेसर्स रामकी लिमिटेड द्वारा चलाए जा रहे बवाना में अपशिष्ट ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) संयंत्र में किया जाए ताकि संचय होने के साथ ही साथ ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाने से रोका जा सके। डीएसआईआईडीसी ने अक्टूबर 2018 में उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) से अपेक्षित अनुमति प्राप्त किया, तथा जुलाई 2019 तक 49,827 मिट्रिक टन मलबा (गारबेज) डब्ल्यूटीपी संयंत्र पर निपटान किया गया। उपरोक्त में से, करीब 34,123 मिट्रिक टन गारबेज अक्टूबर 2018 तक की अवधि से संबंधित है जो अक्टूबर 2018 से पूर्व की अवधि के दौरान गारबेज संचय को इंगित करता है। यह रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा गारबेज के निपटान हेतु अपर्याप्त प्रयासों तथा औ.क्षे. के परिसंचालन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान डीएसआईआईडीसी द्वारा इसके अपर्याप्त निगरानी को दर्शाती है।

ईपीसीए ने भी अक्टूबर 2018 में औ.क्षे. के अपने दौरे में ठोस अपशिष्ट के खुले में डम्प करने तथा जलाने की घटनाओं को देखा, तथा निर्देश दिया कि खाली भूखण्डों के चारों ओर उसमें कुड़ा डम्प करने से रोकने के लिए चाहरदीवारी बनाया जाए। तथापि, केवल बवाना औ.क्षे. में इसके लिए कार्रवाई शुरू की गयी (मई 2019)।

ईपीसीए के दौरे के बाद ही डीएसआईआईडीसी द्वारा निरीक्षणों, चूककर्त्ता यूनिटों को सील करने, तथा सख्त कार्रवाई और जुर्माना लगाने के लिए चूककर्त्ता की सूचियों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को भेजने के रूप में कुछ कार्रवाई की गई। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई ने बार-बार एमएसडब्ल्यू (अनुलग्नक-2.10) के निपटान में कमियों को उजागर किया था जो रियायत प्राप्तकर्ताओं की जिम्मेदारी थी। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने रियायत प्राप्तकर्ताओं (एक बार मई 2018 में छोड़कर

जब मेसर्स बवाना पर ₹ 18.55 लाख का जुर्माना लगाया गया) पर एमएसडब्ल्यू के उचित रूप से निपटान करने में उनकी विफलता के लिए जुर्माना नहीं लगाया।

सरकार ने स्वीकार किया (अगस्त 2020) कि ढलाऊ<sup>80</sup> समय-समय पर भर गया। सरकार ने आगे कहा कि डीएसआईआईडीसी ने खुद सर्वे/निरीक्षण कराया और रियायत प्राप्तकर्ताओं पर मासिक आधार पर वसूली फरवरी 2019 के बाद से किए जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि यद्यपि अक्टूबर 2018 के बाद परिस्थिति में सुधार हुआ है और नियमित जुर्माना फरवरी 2019 से लगाना शुरू हुआ, खुले में, स्ट्रॉम-वाटर ड्रेन आदि में ठोस अपशिष्ट डम्प करने की घटनाएँ अभी भी जीआरसी बैठक में सूचित किया जाना जारी है जैसा कि पैरा 2.2.5.3 में बताया गया है। इसके अलावा, पिछले वर्षों में इन कमियों के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की कमी के बारे में जवाब नगण्य था।

#### 2.2.4.2 ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम के अनुरक्षण तथा कॉमन एफ्लुएन्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट (सीईटीपी) के परिचालन एवं अनुरक्षण में कमियाँ

स्ट्रॉम-वाटर ड्रेन के लिए रियायत समझौते की (अनुसूचि 3 ए (III) के खण्ड 3 ए 3 (II)) सेवा स्तर मानकों (एसएलएस) की आवश्यकता है कि रियायत प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करे कि स्ट्रॉम-वाटर ड्रेन में सीवेज का मिश्रण नहीं है, स्ट्रॉम-वाटर प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित अन्तराल पर ड्रेनों की सफाई की जाती है, खुले क्षेत्रों में स्ट्रॉम-वाटर नहीं बहाया जाता जिससे कि औद्योगिक क्षेत्र में बाढ़/जल जमाव हो। आगे, सीवरेज सिस्टम के संबंध में एसएलएस (अनुसूचि 3 सी (III) के खण्ड 3 सी 3(II)) की आवश्यकता है कि रियायत प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करे कि सीवर कनेक्शन सिस्टम में कोई रिसाव नहीं है और बंद इनलेट्स और ड्रेन की जाँच करे। सीईटीपी के अनुरक्षण की आवश्यकता यह है कि रियायत प्राप्तकर्ता एसएलएस (अनुसूचि 3 सी (III) के खण्ड 3 सी 3(II)) को पूरा करने के लिए डिस्चार्ज आवश्यकता के अनुसार सीवेज प्रवाह के अंतिम निक्षेप, नियमित अन्तराल पर पानी की गुणवत्ता का आउटफॉल परीक्षण तथा कीचड़ के पर्याप्त निपटान को सुनिश्चित करे।

<sup>80</sup> एमएसडब्ल्यू के भंडारण के लिए ठोस संरचना



चित्र 4 एवं 5: नरेला औ.क्षे. में जाम ड्रेनों और अतिप्रवाह ड्रेनों, जैसा कि जनवरी 2020 में भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।



चित्र 6 एवं 7: ड्रेनों में अपशिष्टों का डम्पिंग तथा बवाना औ.क्षे. में जाम ड्रेनों, जैसा कि दिसम्बर 2019 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि विभिन्न एजेंसियों जैसे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) द्वारा गठित यमुना नदि के लिए निगरानी समिति, उद्योग विभाग, राराक्षेदिस, मेनटेनेन्स बोर्ड इत्यादि ने औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे स्टॉर्म वाटर ड्रेनों में और अन्ततः बिना उपचार के मुख्य ड्रेन में बहाव की कई दृष्टांतों पर ध्यान दिया, जिससे जल प्रदूषण बढ़ रहे हैं। आगे, डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधियों के साथ बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने ऐसी दृष्टांतों का अवलोकन किया जैसा कि ऊपर चित्रों में दिखाया गया है।

बवाना और नरेला औ.क्षे. दोनों के औद्योगिक संघों और यूनिट धारकों ने शिकायत निवारण समिति तथा मेनटेनेन्स बोर्ड की विभिन्न बैठकों में जाम ड्रेनों और सीवर्स के मुद्दों को बार-बार उठाया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई ने सीईटीपी, ड्रेन तथा सीवर (अनुलग्नक-2.10) से गाद न हटाए जाने को बार-बार (जनवरी 2016 से) उजागर किया, जो रियायत प्राप्तकर्ताओं की जिम्मेदारी थी। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने रियायत प्राप्तकर्ताओं पर ड्रेनेज एवं सीवरेज तथा सीईटीपी का अनुरक्षण करने में उनकी विफलता के लिए जुर्माना (एक बार

मई 2018 में छोड़कर जब मेसर्स बवाना पर ₹13.60 लाख का जुर्माना लगाया गया) नहीं लगाया।

औद्योगिक इकाईयों द्वारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन में औद्योगिक अपशिष्टों के निर्वहन का मामला निगरानी समिति (एनजीटी द्वारा गठित) की बैठक में तथा दिसम्बर 2018 में उद्योग मंत्री, राराक्षेदिस द्वारा निरीक्षण के दौरान भी उजागर किया गया (दिसम्बर 2018)। इन चिंताओं को दूर करने के लिए, डीएसआईआईडीसी ने दिसम्बर 2018 से जुलाई 2019 की अवधि के दौरान सर्वे किया और बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के क्रमशः 1,358 तथा 340 यूनिटों पर ₹ 50,000 प्रति यूनिट पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लगाया। तथापि, जुलाई 2019 तक बवाना और नरेला औ.क्षे. में क्रमशः 510 यूनिटों तथा 180 यूनिटों ने ही जुर्माने का भुगतान किया।

डीपीसीसी द्वारा लेखापरीक्षा के आग्रह पर बवाना एवं नरेला औ.क्षे. में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के पानी के नमूने की नमूना-जाँच (सितम्बर 2019) से पता चला कि नौ नमूनों में से सात में टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स (टीएसएस), बायो-केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (बीओडी) तथा केमिकल ऑक्सीजन डिमाण्ड (सीओडी) के ऊच्च स्तर असाधारण रूप से मौजूद थे जो दर्शाता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो केवल स्टॉर्म/बारिश का पानी ले जाने के लिए था, वास्तव में औद्योगिक अपशिष्ट ले जा रहा था, जैसा कि तालिका-2.2.2 में दिखाया गया है:

**तालिका-2.2.2: सितम्बर 2019 में लिए गए बवाना और नरेला औ.क्षे. के स्टॉर्म वाटर ड्रेनों के नमूनों के परिणाम**

	टीएसएस	बीओडी	सीओडी
<b>अधिकतम अनुमत्य सीमा</b>	<b>100</b>	<b>30</b>	<b>250</b>
बवाना स्क्रेप ड्रेन	280	110	360
बवाना औ.क्षे. सै.5	480	165	440
बवाना औ.क्षे. सै.5 पॉकेट पी नजदीक सीएनजी पम्प	140	135	396
बवाना स्क्रेप ड्रेन सै.5 पॉकेट पी के मिलने के बाद	160	135	440
बवाना आउटलेट सीईटीपी बवाना स्क्रेप ड्रेन से मिलने के पहले	40	25	84
नरेला औ.क्षे. रोड सं.55, बाँई ओर	244	125	368
नरेला औ.क्षे. रोड सं.55, दाँई ओर	972	200	680
नरेला औ.क्षे. रोड सं.102, दाँई ओर	926	180	540
नरेला औ.क्षे. रोड सं.102, बाँई ओर	50	28	100

इसके अलावा, सीईटीपी की स्थिति पर थर्ड पार्टी निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे, जैसा कि रियायत समझौते की आवश्यकता थी। तथापि, अभिलेखों के अनुसार सीईटीपी के मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा था।

अतः, रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा स्टॉर्म वाटर ड्रेन, सीवर तथा सीईटीपी के परिचालन/अनुरक्षण में शिथिलता के बावजूद, डीएसआईआईडीसी अन्य प्राधिकारियों के निर्देशों से पूर्ण सेवा स्तर मानकों को लागू करने के लिए कार्रवाई करने में विफल रहा। 2018 के बाद भी, कमियाँ जीआरसी/एमबी बैठक में सूचित किए गए और लेखापरीक्षा द्वारा साइट विज़िट के दौरान भी देखा गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि जल-प्रदूषण को दूर करने के लिए नरेला और बवाना औद्योगिक क्षेत्रों का डोर-टू-डोर सर्वे कराया गया तथा डिफॉल्टिंग यूनितों को नोटिस दिए गए। इसके अतिरिक्त, 2018-19 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क भी लगाया गया, जिसके परिणामस्वरूप सीईटीपी में अपशिष्ट जल का प्रवाह बढ़ गया। इसने आगे कहा कि डीपीसीसी पर्यावरण कानूनों के प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी सांविधिक प्राधिकारी है। यह भी कहा कि औ.क्षे. में कई स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, जो अपने अपशिष्ट जल को सीधे स्टॉर्म वाटर ड्रेन में प्रवाहित कर रहे हैं।

सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीएसआईआईडीसी द्वारा औद्योगिक इकाइयों का डोर-टू-डोर सर्वे, जुर्माना तथा इकाइयों को सील करने का कार्य अन्य प्राधिकारियों<sup>81</sup> द्वारा इसे गंभीरता से लेने के बाद ही किया गया था। आगे, औ.क्षे. के अनुरक्षण का कार्य रियायत प्राप्तकर्ताओं/डीएसआईआईडीसी का है और उन्हें पर्यावरण कानूनों के अनुसार इन औ.क्षे. में अपशिष्ट जल के उपचार तथा ड्रेनेज एवं सीवरेज सिस्टम का अनुरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए था। यद्यपि, सीईटीपी की क्षमता उपयोगिता में वृद्धि हुई है, बवाना और नरेला औ.क्षे. में सीईटीपी के क्षमता का क्रमशः केवल 71 प्रतिशत और 46 प्रतिशत ही इस्तेमाल हो सका। अधिक प्रयास से, रियायत प्राप्तकर्ता/डीएसआईआईडीसी सीईटीपी में अपशिष्ट के प्रवाह में वृद्धि को सुनिश्चित कर सकता था। अनाधिकृत स्ट्रीट फूड वेंडर्स तथा ड्रेनों में अपशिष्ट प्रवाह के संबंध में इसे नियंत्रण करने के लिए डीएसआईआईडीसी पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसे करने में वह विफल रहा।

#### 2.2.4.3 औद्योगिक क्षेत्रों की सफाई

रियायत समझौते की अनुसूची 2 के खण्ड 2 के अनुसार, रियायत प्राप्तकर्ता अन्य सेवाएँ, जैसे कि झाड़ू लगाना तथा सड़कों को कूड़े, झाड़ियों एवं मलबों से मुक्त रखना, कर्ब स्टोन की मरम्मत तथा रंगाई करना आदि के लिए उत्तरदायी थे। रियायत समझौते का सेवा स्तर मानकों (अनुसूची 3 ए (iii))

<sup>81</sup> निगरानी समिति तथा उद्योग मंत्री, राराक्षेदिस



की यह आवश्यकता थी कि रियायत प्राप्तकर्ता यह सुनिश्चित करे कि सड़कों की सतहें बराबर हैं, क्षतिग्रस्त सड़कें मरम्मत की जाती हैं, फुटपाथ टूटे हुए नहीं हैं, सभी हरित क्षेत्र, पार्क और लैंडस्क्रैप क्षेत्र साफ हैं और उत्पन्न होने वाले सभी हरित कूड़े, कचरे तथा सिविल मलबे का निपटान किया जाता है, एमएसडब्ल्यू के लिए भंडारण की सुविधाएँ/कंटेनर्स/डिब्बे उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ उत्पन्न न हो।

तथापि, टीपीई द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध मासिक प्रतिवेदनों, औद्योगिक संघों द्वारा जीआरसी में उठाए गए शिकायतों तथा लेखापरीक्षा द्वारा औद्योगिक संघों/आबंटितियों से प्राप्त किए गए प्रतिपुष्टि के अनुसार, यह अवलोकन किया गया कि सड़कों तथा पेवर ब्लॉकों का मरम्मत, कचरे हटाने का कार्य धीमा था, पार्कों एवं ग्रीन बेल्टों में अपर्याप्त सिंचाई और डस्टबिन की स्थिति खराब थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि रियायत प्राप्तकर्ताओं पर उचित कार्रवाई/जुर्माने की सिफारिश न तो टीपीई द्वारा की गई और न ही डीएसआईआईडीसी द्वारा स्वयं जुर्माना लगाया गया, केवल मई 2018 में एक बार को छोड़कर जब मेसर्स बवाना पर ₹ 18.66 लाख का जुर्माना लगाया गया।

दिसम्बर 2019 और जनवरी 2020 में लेखापरीक्षा तथा डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधियों द्वारा औ.क्षे. के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लिए गए निम्नलिखित चित्र औ.क्षे. की सफाई की खराब स्थिति को दर्शाती है।



चित्र 8 एवं 9: बवाना औ.क्षे. में सड़क के किनारे और खुले क्षेत्रों में कचरा/मलबा, जैसा कि दिसम्बर 2019 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।



चित्र 10 एवं 11: नरेला औ.क्षे. में सड़क के किनारे और खुले क्षेत्रों में कचरा/मलबा, जैसा कि जनवरी 2020 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान अवलोकन किया गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा दैनिक आधार पर अनुरक्षण कार्य/सेवाएँ की गईं और यदि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कमियाँ दूर नहीं की गईं तो जुर्माना लगाया गया तथापि, तथ्य यह है कि यद्यपि सेवाओं में कमियाँ नियमित रूप से देखे गए लेकिन डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ताओं पर नियमित रूप से जुर्माना फरवरी 2019 से लगाना शुरू किया।

#### 2.2.4.4 अपर्याप्त जल आपूर्ति

डीएसआईआईडीसी बवाना में औद्योगिक इकाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी था। तथापि, ऐसा करने में यह विफल रहा और यह मुद्दा इकाइयों/संघों द्वारा जीआरसी बैठक में तथा लेखापरीक्षा द्वारा औद्योगिक संघों एवं आबंटितों से प्राप्त प्रतिपुष्टि द्वारा भी उजागर किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि डीएसआईआईडीसी ने अपर्याप्त जल आपूर्ति का मुद्दा कई मौकों पर दिल्ली जल बोर्ड (दिजबो) के साथ उठाया पर इसने इस मामले को सरकार के स्तर पर कभी नहीं उठाया। आगे देखा गया कि डीएसआईआईडीसी के पास बवाना औ.क्षे. में 10 बोरवेल थे जो एसडीएम कार्यालय द्वारा सील कर दिए गए (सात 2016 में और तीन 2017 में)। दिजबो ने पर्याप्त जल आपूर्ति के अभाव में इन बोरवेलों का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान किया परन्तु डीजेबी से इन बोरवेलों को नियमित करने के लिए आवश्यक कोडल औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गईं। यद्यपि डीएसआईआईडीसी ने दिजबो के साथ कोडल औपचारिकताएँ पूरी की (2017), परन्तु क्षेत्र में अतिरिक्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन बोरवेलों को डी-सील करवाने के लिए सक्षम अधिकारी के साथ मुद्दा उठाने में यह विफल रहा।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि डीएसआईआईडीसी एसडीएम कार्यालय के साथ बोरवेल को डी-सील करने के मुद्दे का जोरों के साथ उठाया। तथापि, तथ्य यह है कि डीएसआईआईडीसी जल की अपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार के साथ उच्च स्तर पर इन बोरवेलों को डी-सील करवाने के मुद्दे को उठाने में विफल रहा।

#### 2.2.4.5 स्ट्रीट लाइटों का कार्यचालन

रियायत समझौते की अनुसूची 3 जी III, खण्ड 9.1.1 (सी) में वर्णित सेवा स्तर मानकों के अनुसार, गैर-कार्यचालन स्थिति में पाँच प्रतिशत से ज्यादा लाइटें नहीं होनी चाहिए और इसे शिकायत प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर ठीक किया जाना चाहिए।

बवाना तथा नरेला औ.क्षे. में आवधिक रूप से किए गए सर्वे के दौरान स्ट्रीट लाइटों के कार्यचालन की स्थिति तालिका 2.2.3 में दिया गया है।

**तालिका 2.2.3: बवाना तथा नरेला औ.क्षे. में डीएसआईआईडीसी द्वारा किए गए सर्वे का विवरण**

क्र.सं.	बवाना औद्योगिक क्षेत्र		नरेला औद्योगिक क्षेत्र	
	सर्वे की तिथि	कार्यचालन स्थिति में नहीं पाए गए स्ट्रीट लाइटों की प्रतिशतता	सर्वे की तिथि	कार्यचालन स्थिति में नहीं पाए गए स्ट्रीट लाइटों की प्रतिशतता
1	30 अगस्त 2018	28.70	31 अगस्त 2018	14.99
2	27 सितम्बर 2018	19.63	17 सितम्बर 2018	14.72
3	29 दिसम्बर 2018	15.73	17 अक्टूबर 2018	36.34
4	-	-	17 नवम्बर 2018	32.93

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि स्ट्रीट लाइटों सेवा स्तर के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। तथापि, डीएसआईआईडीसी द्वारा रियायत प्राप्तकर्ताओं पर जुर्माना नहीं लगाया गया।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि इन औ.क्षे. में स्ट्रीट लाइटों के सर्वे में पायी गई कमियों को रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुमत्य समय के भीतर पुरे कर दिए गए। जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने पाया कि रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा इन कमियों को 48 घंटे के अनुमत्य समय के बाद ठीक किए गए।

#### 2.2.5 निगरानी तंत्र में कमियाँ

ऊपर चर्चा की गई कमियों से अलग, बवाना और नरेला औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण का डीएसआईआईडीसी/टीपीई द्वारा की गई निगरानी तथा पर्यवेक्षण में निम्नलिखित कमियाँ भी पायी गई:

### 2.2.5.1 थर्ड पार्टी इंजीनियर द्वारा रिपोर्टिंग में कमियाँ

रियायत समझौते की अनुसूची 5 के खण्ड 4 के अनुसार, टीपीई रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा परियोजना सुविधाओं के अनुरक्षण पर दिए गए मासिक स्थिति प्रतिवेदन की समीक्षा करेगा और उस पर अपनी टिप्पणी डीएसआईआईडीसी तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं को भेजेगा। उपरोक्त के अलावा, टीपीई साइटों का निरीक्षण करने के बाद यदि कोई कमियां हो, खास तौर पर विनिर्देश एवं मानकों के संदर्भ में तो उनका उल्लेख करते हुए। नियमित आवधिक निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) (कम से कम महीने में एक बार) डीएसआईआईडीसी को प्रस्तुत करेगा, और रियायत प्राप्तकर्ता नि.प्र. में बताए गए ऐसी कमियों यदि कोई हो, को ठीक करेगा। टीपीई रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय की समीक्षा करेगा और निर्धारित करेगा कि समझौते के अनुसार मरम्मत या सुधारात्मक कार्यों के पूरा होने में कोई देरी हुई है या नहीं, और इस तरह की देरी एवं कमियों के लिए डीएसआईआईडीसी को रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा देय क्षति/जुर्माना, यदि कोई हो, निर्धारित करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि टीपीई अपनी मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं में कमियों को नियमित रूप से अवलोकन करता आ रहा था और इस तरह की कमियों को डीएसआईआईडीसी को नियमित रूप से सूचित भी कर रहा था जैसा कि **अनुलग्नक-2.10** में विस्तृत है परन्तु इसके द्वारा प्रस्तुत मासिक नि.प्र. में ये सूचित नहीं किए गए थे। नि.प्र. में कमियों को सूचित करने के परिणामस्वरूप त्वरित सुधारात्मक उपाय होता, क्योंकि सुधारात्मक कार्रवाई में कोई भी देरी रियायत प्राप्तकर्ताओं पर क्षति/जुर्माना होगा।

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि अन्य एजेंसियों जैसे कि ईपीसीए, एनजीटी और उद्योग विभाग द्वारा उजागर की गई तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा नियमित रूप से उठाई गई कमियों (सड़कों की सफाई, ग्रीन बेल्टों और पार्कों आदि की सिंचाई में तेजी को छोड़कर) को टीपीई द्वारा अपनी नि.प्र. में कभी नहीं सूचित किया गया। इसके अलावा, डीएसआईआईडीसी ने टीपीई को प्रभावी ढंग से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में उसकी विफलता के लिए चेतावनी नहीं दिया। यद्यपि टीपीई का निष्पादन संतोषजनक नहीं था, टीपीई के साथ किए गए समझौते में जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं था जैसा कि पैरा 2.2.3 में वर्णित है।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि टीपीई/डीएसआईआईडीसी द्वारा पायी गई कमियों को नियमित रूप से रियायत प्राप्तकर्ताओं को सूचित किया गया और यदि शिकायत निवारण में देरी हुई तो समझौते के अनुसार जुर्माना लगाया गया।

उत्तर टीपीई के असंतोषजनक निष्पादन का मुद्दा तथा समझौते में जुर्माना खण्ड का गैर-समावेश की व्याख्या नहीं करता है।

### 2.2.5.2 शिकायत तंत्र और उस पर कार्रवाई में कमियाँ

रियायत समझौते के खण्ड 10.3 और 10.4 रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा शिकायत/परिवाद सुलझाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है तथा निम्नलिखित तथ्य प्रदान करता है:

- विभिन्न विवरणों के साथ शिकायत दर्ज करने तथा उस पर की गई कार्रवाई के लिए एक शिकायत पंजिका का रखरखाव।
- डीएसआईआईडीसी रियायत प्राप्तकर्ताओं के परामर्श से इलेक्ट्रॉनिक रूप (वेब पोर्टल सहित) में शिकायत करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है।

आगे, रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दिए गए शिकायत पंजिका के आधार पर शिकायत निवारण के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु डीएसआईआईडीसी द्वारा रियायत प्राप्तकर्ताओं को सलाह देना था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- यद्यपि शिकायत पंजिका का रखरखाव किया गया था पर बवाना के शिकायत पंजिका में अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए प्रविष्टि से इंगित हुआ कि 22,753 शिकायतें दर्ज की गई, औसतन 21 शिकायतें प्रतिदिन (लगभग 632 प्रति माह)। इसीप्रकार, नरेला औ.क्षे. का अप्रैल 2016 से मार्च 2019 तक की अवधि के लिए शिकायत पंजिका से इंगित हुआ कि 9,428 शिकायतें दर्ज की गई, औसतन नौ शिकायतें प्रतिदिन (लगभग 262 प्रतिमाह)।
- दोनों औ.क्षे. में ई-शिकायत पोर्टल अस्तित्व में नहीं था।
- टीपीई ने अपने मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में शिकायतों/की गई सुधारात्मक कार्रवाई के समापन की पुष्टि करने वाली साक्ष्य के अभाव पर शिकायत संबंधी मुद्दे को बार-बार सूचित किया पर शिकायत पंजिका की छायाप्रति न तो हस्ताक्षरित कि जा रही थी न ही रियायत प्राप्तकर्ताओं के किसी प्रतिनिधि द्वारा मुहर लगाए जा रहे थे तथा शिकायत दूर करने के बाद

की गई कार्रवाई की सत्यता को संबल करने के लिए शिकायतकर्ता का हस्ताक्षर नहीं लिया गया। रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा शिकायत पंजिका का ठीक तरीके से रखरखाव करने के लिए टीपीई के दिशानिर्देशों/निर्देशों का अनुरक्षण करने के लिए सुधारात्मक उपाय भी नहीं किए गए। इसके अतिरिक्त दण्डात्मक कार्रवाई न तो टीपीई द्वारा प्रस्तावित किया गया और न ही डीएसआईआईडी द्वारा कार्रवाई की गई।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि बवाना और नरेला में शिकायतों की पंजिका का रखरखाव किए जा रहे थे जिसमें बवाना के लिए कॉल सेन्टर की सुविधा भी शामिल है और प्राप्त सभी शिकायतें दर्ज किए गए और दूर किए गए (कॉल सेन्टर सहित)। आगे, बवाना में ऑन लाईन शिकायत सिस्टम विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

जवाब मान्य नहीं है क्योंकि टीपीई ने अपने मासिक प्रगति प्रतिवेदनों में शिकायत संबंधित मुद्दों को बार-बार सूचित किया था। कमियों को भी जीआरसी बैठक में नियमित रूप से सूचित किए गए जो इंगित करता है कि शिकायत निवारण तंत्र संतोषजनक नहीं था।

### 2.2.5.3 शिकायत निवारण समिति तथा मेनटेनेन्स बोर्ड के माध्यम से दोनों औ.क्षे. में अप्रभावी सर्वेक्षण

रियायत समझौते का खण्ड 10.5 के अनुसार डीएसआईआईडीसी के प्रतिनिधियों, रियायत प्राप्तकर्ताओं और यूनियों के संघों/ औद्योगिक संपदा अधिभोगियों के साथ मिलकर डीएसआईआईडीसी एक शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) का गठन करेगा। औद्योगिक संपदा में यूनियों/अधिभोगियों से प्राप्त शिकायत की स्थिति में, जीआरसी रियायत प्राप्तकर्ता को नोटिस भेजेगा जो सात दिनों के भीतर उस पर अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। जवाब के आधार पर, जीआरसी का निर्णय रियायत प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाएगा जो इस पर बाध्यकारी होगा। डीएसआईआईडीसी, जीआरसी के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर समझौते के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ता पर जुर्माना भी लगा सकता है, यदि कोई हो।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डीएसआईआईडीसी द्वारा जीआरसी का गठन सितम्बर 2017 में अर्थात् समझौते की तिथि से छः वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद किया गया। इसप्रकार, जीआरसी का गठन होने तक शिकायत निवारण के लिए कोई तंत्र नहीं था, जिससे रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ पहुँचा और लाभार्थियों का हित असुरक्षित रह गया।

जीआरसी के बैठक की कार्यवृत्त की संवीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अनेक कमी संबंधी मुद्दे<sup>82</sup> आवंटितियों (औद्योगिक इकाईयों) और उनके संघों द्वारा बार-बार उठाए गए। डीएसआईआईडीसी/टीपीई ने जीआरसी बैठक और जीआरसी द्वारा लिए गए निर्णय के दौरान की गई शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अलावा, डीएसआईआईडीसी आवधिक निरीक्षणों आदि के माध्यम से परियोजना सुविधाओं की स्थिति की निगरानी करने के लिए रियायत समझौते के खण्ड 10.6 के अनुसार मेनटेनेन्स बोर्ड<sup>83</sup> (एमबी) का गठन अगस्त 2017 तक करने में विफल रहा। यहाँ तक कि जब गठन हो गया, एमबी द्वारा परियोजना सुविधा का कोई निरीक्षण नहीं किया गया परिणामस्वरूप परियोजना सुविधाओं का अप्रभावी पर्यवेक्षण हुआ।

सरकार ने जीआरसी तथा एमबी की सूचना में देरी को स्वीकार किया (अगस्त 2020) और कहा डीएसआईआईडीसी, रियायत प्राप्तकर्ताओं, टीपीई, औद्योगिक संघ इकाई धारकों के कार्यालय बवाना और नरेला औ.क्षे. में अवस्थित हैं, इसलिए नियमित बातचीत किए जा रहे थे और पायी गई कमियों के लिए सुधारात्मक उपाय किए जा रहे थे।

तथापि, तथ्य यह है कि चूँकि बवाना और नरेला औ.क्षे. 2,418 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, सभी औद्योगिक इकाई धारक व्यक्तिगत रूप से प्राधिकारी के संपर्क में होने की स्थिति में नहीं होंगे तथा अधिक मजबूत शिकायत तंत्र के होने की जरूरत है, जैसे जीआरसी और एमबी जो शिकायतों की उचित एवं समयबद्ध निवारण एवं प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेगा। आगे, डीएसआईआईडीसी ने सेवाओं में कमियों के लिए नियमित रूप से मासिक आधार पर जुर्माना लगाना फरवरी 2019 के बाद से शुरू किया।

#### 2.2.5.4 सेवा सुविधाओं के प्रबंधन के लिए इनपुट डाटा की कमी

डीएसआईआईडीसी बवाना तथा नरेला औ.क्षे. के रोजमर्रा के परिचालन एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी था, परन्तु इसके पास औद्योगिक इकाईयों से संबंधित कोई डाटा नहीं था, जैसे कि नगर निगम द्वारा लाइसेंस प्रदान करना, व्यापार/विनिर्माण गतिविधि, व्यापार में बदलाव, लाइसेंस का नवीनीकरण, फायर विभाग तथा डीपीसीसी से वैध एनओसी, वाटर इंटेन्सिव यूनिट, प्रत्येक

<sup>82</sup> ड्रेनों और सीवर लाईन का रूकावट, खुले/खाली प्लॉटों में ठोस औद्योगिक अपशिष्ट का डम्पिंग, सड़कों और पार्कों की सफाई, अनंतिम सीईटीपी शुल्क की वसूली

<sup>83</sup> डीएसआईआईडीसी द्वारा नामित अधिकारी, डीपीसीसी का प्रतिनिधि, रियायत प्राप्तकर्ता, और औद्योगिक कल्याण संघ शामिल हैं। डीएसआईआईडीसी द्वारा गठित एमबी के सदस्यों में डीपीसीसी का प्रतिनिधि नहीं था।

औद्योगिक इकाई द्वारा उत्सर्जित औद्योगिक एवं ठोस अपशिष्ट की औसत मात्रा, व्यक्तिगत औद्योगिक इकाई द्वारा टीपीई का अधिष्ठापन/ओएण्डएम तथा कार्यरत श्रमिकों की संख्या आदि।

ऐसी सूचना तथा नियंत्रण तंत्र के अभाव में, डीएसआईआईडीसी औद्योगिक अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट के प्रभावी निपटान के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा अभिनियोजित किए जाने वाले श्रम शक्ति/उपकरण आदि की आवश्यकता जिसमें सड़कों/पार्कों/खाली पड़े भूखण्डों की नियमित सफाई तथा स्ट्रीट लाईटों का अनुरक्षण आदि शामिल है, जो अन्ततः कमी वाली सेवाओं में परिलक्षित हुई है, का सही रूप से आँकलन नहीं कर सका एवं निर्धारित तथा निगरानी नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि बवाना औ.क्षे. में जनवरी 2018 में विस्फोटक सामग्री/पटाखे बनाने वाली यूनिट में आग की एक बड़ी घटना हुई जो दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में उद्योगों के निषिद्ध सूची में है।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि चूँकि ये क्रियाकलाप डीएसआईआईडीसी के कार्यक्षेत्र में नहीं आते इसलिए डीएसआईआईडीसी द्वारा इनकी निगरानी नहीं की जाती है। आगे, यह कहा गया कि श्रमशक्ति तथा मशीन/उपकरण की आवश्यकता निर्धारित नहीं किए गए थे लेकिन सेवा स्तर के मानकों का रियायत समझौते में अनुबंध किया गया है।

तथ्य यह है कि डीएसआईआईडीसी/टीपीई, इन औ.क्षे. का संपदा प्राधिकारी होने के नाते, औद्योगिक इकाईयों से इन पहलुओं पर आवधिक सूचना संग्रह करने के लिए तंत्र निर्धारित करके सुविधाओं की आवश्यकता का बेहतर आँकलन कर सकता था तथा सेवा स्तर मानकों को प्रभावी ढंग से अधिरोपित करके इन औ.क्षे. का प्रबंधन कर सकता था।

### 2.2.6 निष्कर्ष

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार के लिए औद्योगिक नीति 2010-21 में औद्योगिक क्षेत्रों (औ.क्षे.) के बेहतर परिचालन एवं अनुरक्षण के माध्यम से अवसंरचना के विकास की कल्पना की गई। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) को रा.रा.क्षे.दि. में औद्योगिक क्षेत्रों की व्यवस्थित स्थापना की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें उनके परिचालन एवं अनुरक्षण शामिल थे। बवाना और नरेला राराक्षेदिस में दो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और सभी औ.क्षे. के कुल क्षेत्र का 52 प्रतिशत हिस्सा है।



बवाना और नरेला औ.क्षे. के पुनर्विकास तथा परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य 15 सालों की अवधि के लिए क्रमशः मेसर्स बवाना इन्फ्रा डेवलपमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड (मेसर्स बवाना) और मेसर्स पीएनसी दिल्ली इंडस्ट्रियल इन्फ्रा प्राईवेट लिमिटेड (मेसर्स पीएनसी) को आवंटित किया गया। औ.क्षे. के प्रबंधन तथा रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा दी गई सेवाओं की सम्पूर्ण जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की थी।

इन दोनों औ.क्षे. के परिचालन एवं अनुरक्षण की लेखापरीक्षा से पता चला कि रियायत समझौते के अनुसार रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा कार्य के उचित निर्वहन को सुनिश्चित करने के संबंध में डीएसआईआईडीसी की तरफ से गंभीर कमियाँ थीं। डीएसआईआईडीसी के पास न तो प्रत्येक औद्योगिक इकाई द्वारा देय और भुगतान किए गए शुल्कों का पूरा ब्यौरा था, और न ही रियायत प्राप्तकर्ताओं को संग्रह की गई राशि हस्तांतरित करने से पहले वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा आय एवं व्यय का आवश्यक प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया गया था। रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा ओएण्डएम गतिविधियों पर किए गए व्यय का ब्यौरा प्राप्त किए बिना ही मासिक अनुरक्षण शुल्कों में वृद्धि की अनुमति देकर रियायत प्राप्तकर्ताओं को अनुचित लाभ दिए गए।

रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नरेला औद्योगिक क्षेत्र में पानी तथा सीवर कनेक्शन शुल्क का संग्रहण अनाधिकृत था और उसके समायोजन में विलम्ब हुआ। इसके अतिरिक्त, पार्किंग शुल्कों के समायोजन में भी विलम्ब था। आगे बवाना औ.क्षे. में पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों के साथ-साथ बिजली एवं पानी बिलों के समायोजन में विलम्ब था। पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों, पार्किंग शुल्कों, रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा बिजली एवं पानी के बिलों का समय पर भुगतान, उचित अपशिष्ट निपटान आदि जैसे मुद्दों पर समझौता में उचित विचार नहीं किया गया जिससे बाद के चरणों में परिचालन संबंधी समस्याएँ पैदा हुईं। इस प्रकार, डीएसआईआईडीसी द्वारा रियायत प्राप्तकर्ताओं के साथ किए गए समझौते प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण थे। इससे नरेला के रियायत प्राप्तकर्ता द्वारा पानी एवं सीवर कनेक्शन शुल्कों का गैरकानूनी संग्रह भी हुआ है।

डीएसआईआईडीसी द्वारा अनुपयुक्त निगरानी से प्रतिकूल पर्यावरणीय उलझाव हुआ, जैसे इन औ.क्षे. में एमएसडब्ल्यू के गैर-निपटान एवं संचय से ड्रेनों और सीवरों का जाम होना तथा औद्योगिक अपशिष्टों को सीधे स्टॉर्म वाटर ड्रेनों में

प्रवाहित किया जाना सड़कों की अपर्याप्त सफाई, पार्कों की सिंचाई एवं सफाई तथा मरम्मत कार्य की धीमी प्रगति आदि इनके उदाहरण थे।

यद्यपि, टीपीई परिचालन एवं अनुरक्षण में कमियों की लगातार घटनाओं को उजागर कर तथा जुर्माने की वसूली की सिफारिश कर अपने कर्तव्यों का प्रभावी रूप से निर्वहन करने में विफल रहा, टीपीई को एक्टेंशन देते समय इस उपबंध को निगमित करने के लिए सीएमडी से निर्देशों के बावजूद डीएसआईआईडीसी टीपीई के साथ किए गए समझौते में दण्डात्मक उपबंध के अभाव में टीपीई के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रहा।

शिकायत निवारण तंत्र प्रर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर रहा था।

### 2.2.7 अनुशंसाएँ

डीएसआईआईडीसी को जरूरत है:

- यह सुनिश्चित करना कि परिचालन एवं अनुरक्षण कार्यों के लिए कोई भी नया समझौता में पानी कनेक्शन, सीवेज कनेक्शन तथा पार्किंग शुल्कों की वसूली से संबंधित उपयुक्त प्रावधान है ताकि गैरकानूनी/अनापेक्षित मुद्रा संग्रह/आकस्मिक व्यय से बचा जा सके।
- रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा नियमित आधार पर किए जा रहे ओएण्डएम गतिविधियों की अधिक प्रभावी निगरानी एवं पर्यवेक्षण;
- रियायत प्राप्तकर्ताओं की आय एवं व्यय का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त करना तथा मासिक संग्रहण शुल्कों के उचित लेखे को सुनिश्चित करना ताकि रियायत प्राप्तकर्ता रियायत समझौते द्वारा अनुमत्य शुल्कों के अलावा कोई अन्य शुल्क की वसूली न करे। इसके अतिरिक्त, रियायत प्राप्तकर्ताओं से किए गए वसूलियों का मासिक आधार पर नियमित समायोजन होना चाहिए।
- सेवाओं में कमियों के लिए जवाबदेही तय करने हेतु जुर्माना लगाने के लिए टीपीई के साथ समझौते में उपयुक्त उपबंध निगमित करना;
- एमएसडब्ल्यू के निपटान तथा जल प्रदूषण से संबंधित मुद्दों की निगरानी करना और उसका नियमित आधार पर निपटान करना, ताकि पर्यावरण तथा जन स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को कम किया जा सके;
- रियायत प्राप्तकर्ताओं द्वारा ओएण्डएम गतिविधियों को लागू करने में औद्योगिक इकाइयों/संघों के शिकायतों के निपटान में जीआरसी की अधिक प्रभावी भूमिका को सुनिश्चित करना और शिकायतों का समय से

निवारण न करने के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की सिफारिश करना।

## 2.3 ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर देयता की समयोचित मूल्यांकन करने में डीएसआईआईडीसी की विफलता तथा अग्रिम कर का अनुवर्ती गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 208 कहता है कि अग्रिम कर किस्तों में भुगतान किया जाना है जो जून, सितम्बर, दिसम्बर और मार्च के 15 तारीख को देय है। अधिनियम की धारा 234बी प्रति माह या किसी महीने के हिस्से पर एक प्रतिशत साधारण ब्याज लगाने का प्रबंध करता है, जब कर दाता अग्रिम कर चुकाने में विफल हो गया हो या जहाँ चुकाया गया अग्रिम कर निर्धारित कर का 90 प्रतिशत से कम है। अधिनियम की धारा 234सी अग्रिम कर के किस्तों के भुगतान में चूक के लिए ब्याज लगाने का प्रबंध करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा (जून 2019) कि दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) ने मूल्यांकन वर्ष 2018-19 में अपने कर योग्य आय का आकलन ₹ 92.38 करोड़ किया (मार्च 2018) तथा तदनुसार, अपने आयकर दायित्व की गणना ₹ 31.97 करोड़ किया और अग्रिम कर के रूप में ₹ 31.11 करोड़<sup>84</sup> मार्च 2018 तक भुगतान कर दिया। तथापि, डीएसआईआईडीसी ने बाद में अपने आयकर योग्य राशि को संशोधित कर ₹ 184.88 करोड़ कर दिया (सितम्बर 2018) तथा तदनुसार आयकर दायित्व की गणना ₹ 63.98 करोड़ किया। कर योग्य आय के संशोधन में अन्तर मुख्य रूप से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (केओसुब) को बेचे गए फ्लैटों से ₹ 66.50 करोड़ के लाभ के लेखांकन के कारण था। डीएसआईआईडीसी ने ₹ 32.87 करोड़ (₹ 63.98 करोड़ - ₹ 31.11 करोड़) की आयकर की राशि का कम भुगतान किया तथा धारा 234बी तथा 234सी के अधीन सितम्बर 2018 में दण्ड के रूप में ₹ 3.74 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि फ्लैट के लिए भुगतान सितम्बर 2015 से जून 2017 के बीच प्राप्त हुआ तथा सीआईएसएफ को फ्लैट सौंपे जाने की प्रक्रिया भी जून 2017 तक पूरा हो गया परन्तु डीएसआईआईडीसी अनुमानित आय से होने वाले लाभ का लेखांकन करने में विफल रहा। डीएसआईआईडीसी यदि मार्च 2018 से पहले अग्रिम कर की गणना हेतु ₹ 66.50 करोड़ के लाभ का लेखांकन किया होता तथा सितम्बर 2018 में 2017-18 के वार्षिक लेखे को

<sup>84</sup> ₹ 31.11 करोड़ (₹ 22.47 करोड़ अग्रिम कर तथा ₹ 8.64 करोड़ टीडीएस) मार्च 2018 तक

अंतिम रूप देते समय शामिल किया होता तो ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज के भुगतान से बचा जा सकता था।

सरकार ने कहा (अगस्त 2020) कि डीएसआईआईडीसी ने ₹ 28.64 करोड़ के व्यवसायिक व्ययों की स्वीकार्य कटौती का दावा करके नई कानूनी धारणा के आधार पर कर योग्य आय को संशोधित किया है। संशोधित कर योग्य आय के कारण, धारा 234बी तथा 234सी के अधीन ₹ 3.74 करोड़ के पूर्व-संशोधन ब्याज के मुकाबले ₹ 2.64 करोड़ आकलित होता है। यह भी कहा गया कि डीएसआईआईडीसी वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अग्रिम कर का अनुमान लगाते समय सटीक कर योग्य लाभ पर विचार नहीं कर सका, क्योंकि कम लागत वाली आवासीय परियोजना की लागत मध्यस्थता दायित्व में ठेकेदार के लंबित दावे के कारण 100 प्रतिशत निर्धारित नहीं थी (अभी भी लंबित) और इस कारण से, यह सामान्य दिनचर्या आय नहीं थी।

जवाब मान्य नहीं है, क्योंकि डीएसआईआईडीसी के औसुब को फ्लैटों की बिक्री से अर्जित लाभ तथा सितम्बर 2015 और जून 2017 के बीच भुगतान की प्राप्ति से भलीभाँति परिचित था, तथा तदनुसार अग्रिम कर 31 मार्च 2018 तक चुकाया जाना था। आगे, तर्क है कि लंबित मध्यस्थता मुकदमा में मेरिट नहीं होने से मध्यस्थता मामले की वस्तु-स्थिति सितम्बर 2018 में वही रही जब डीएसआईआईडीसी ने धारा 234बी तथा 234सी के अधीन ब्याज सहित कर जमा किया था, जिसके कारण फ्लैटों की कीमत मार्च 2018 तक सुनिश्चित नहीं किया जा सका। आगे, सरकार का यह जवाब कि व्यवसायिक व्यय के रूप में ₹ 28.64 करोड़ का दावा करके संशोधित प्रतिफल मार्च 2020 तक मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष विचार हेतु दायर किया गया, संतोषजनक नहीं है क्योंकि उसकी स्वीकृति आयकर विभाग द्वारा अंतिम आकलन पर निर्भर करती है।

आयकर देयता की समयोचित मूल्यांकन करने में डीएसआईआईडीसी की विफलता तथा अग्रिम कर का अनुवर्ती गैर-भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

## विद्युत विभाग

### प्रगति ऊर्जा निगम लिमिटेड

#### 2.4 कम बीमा किए जाने के कारण ₹ 22.83 करोड़ की हानि

पीपीसीएल को ₹ 22.83 करोड़ का नुकसान हुआ क्योंकि इसने अपने ऊर्जा संयंत्र का बीमा लेते समय उत्पाद एवं कस्टम शुल्क के मूल्य को शामिल न कर “मशीनरी ब्रेकडाउन” के अन्तर्गत संपत्ति का कम मूल्यांकन किया था।

प्रगति ऊर्जा निगम लिमिटेड (पीपीसीएल) ने बवाना में 2012 में कमीशन किए गए अपने 1,371.20 मे.वा. ऊर्जा संयंत्र हेतु 7 फरवरी 2015 से 6 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए ₹ 8.24 करोड़ के प्रीमियम पर औद्योगिक समस्त जोखिम बीमा पॉलिसी लिया (फरवरी 2015) जिसमें मानक अग्नि तथा विशेष आपदा के अन्तर्गत समस्त जोखिम शामिल था तथा अपने संयुक्त चक्र बिजली स्टेशन हेतु ₹ 4,321.09 करोड़ की बीमा राशि के साथ विशेष जोखिम लिया जिसमें भूकम्प (₹ 4,534.34 करोड़ प्लिन्थ नींव सहित), लाभ की अग्नि से नुकसान (₹ 1,187.39 करोड़) तथा मशीनरी ब्रेकडाउन (₹ 3,152.27 करोड़) शामिल हैं।

बीमा पॉलिसी की धारा 1 की विशेष शर्तों के खण्ड 1 के अनुसार, यह आवश्यकता थी कि पॉलिसी के शेड्यूल में बताई गई बीमाकृत राशि पुनर्स्थापन/ प्रतिस्थापन लागत<sup>85</sup> से कम नहीं होगी मानो बीमा की अवधि के पहले दिन ऐसी संपत्ति को पुनर्स्थापित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा किया कि यद्यपि 7 फरवरी 2015 से 6 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए पॉलिसी में बीमाकृत राशि पुनर्स्थापन/प्रतिस्थापन लागत के आधार पर था, परन्तु पीपीसीएल ने ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की पूँजी लागत के आधार पर मशीनरी ब्रेकडाउन के लिए संपत्ति का बीमा कराया जिसमें मेगा ऊर्जा संयंत्र<sup>86</sup> होने के कारण छुट होने पर उत्पाद एवं कस्टम शुल्क शामिल नहीं है।

<sup>85</sup> बीमा की पुनर्स्थापन लागत संपत्तियों की बीमा राशि जिसमें लागत प्लस देय कर एवं शुल्क शामिल है, पर आधारित है।

<sup>86</sup> वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार की अधिसूचना सं. 21/2002-कस्टम्स तिथि 1 मार्च, 2002 पठित सं. 49/2006- कस्टम्स तिथि 26 मई, 2006 के अनुसार, मेगा ऊर्जा संयंत्र हेतु पूँजीगत उपकरण की आयात कस्टम ड्युटी मुक्त होगा। निर्दिष्ट मेगा ऊर्जा संयंत्र के लिए आपूर्ति किए गए कुछ निर्दिष्ट सामान जैसे कि मशीनरी, अपारेटस, उपकरण, केबल, कम्पोनेन्ट्स अथवा कच्चा सामग्री अधिसूचना सं. 12/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 17 मार्च 2012 के अधीन प्रविष्टि सं. 338 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छुट प्राप्त है।

लेखापरीक्षा ने नोट किया (मार्च 2019) कि ऊर्जा संयंत्र का एक गैस टर्बाइन (जीटी-1) 16 जुलाई 2015 को क्षतिग्रस्त हो गया था तथा आवश्यक मरम्मत के बाद दिसम्बर 2016 तक सेवा में वापस लाया गया। पीपीसीएल ने सामग्री, संबद्ध पार्ट्स खरीदने में तथा जीटी रोटर के मरम्मत पर समतुल्य राशि खर्च किया तथा मशीनरी ब्रेकडाऊन क्लॉज के अन्तर्गत मार्च 2017 में बीमा कम्पनी (मेसर्स ओरिएण्टल कं.लि.) पर ₹ 112.06 करोड़ का दावा ठोका जिसके विरुद्ध 29 मार्च 2017 को ₹ 50.00 करोड़ का भुगतान जारी किया गया। सर्वेक्षक ने बीमा कर्त्ता की शुद्ध देयता का ₹ 88.02 करोड़ आकलन किया (अगस्त 2018)। सर्वेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर, बीमा कम्पनी ने देय विशुद्ध देयता ₹ 83.62 करोड़<sup>87</sup> निकाला। तथा ₹ 33.58 करोड़ की शेष राशि (₹ 0.04 करोड़ का कुछ शुल्क) का भुगतान 14 नवम्बर 2018 को जारी किया। विशुद्ध देयता निकालने के लिए बीमा कम्पनी ने सर्वेक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर कम बीमा (21.44 प्रतिशत) के कारण ₹ 112.05 करोड़ के नुकसान में से ₹ 24.02 करोड़ घटाया। इसके परिणामस्वरूप पीपीसीएल<sup>88</sup> को ₹ 22.83 करोड़ का विशुद्ध नुकसान हुआ।

यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि पीपीसीएल ने बाद में पुनर्स्थापन लागत में उत्पाद एवं कस्टम शुल्क को शामिल कर 7 फरवरी 2018 से 6 फरवरी 2019 तक की अवधि के लिए बीमा पॉलिसी लिया। यदि पीपीसीएल 7 फरवरी 2015 से 6 फरवरी 2016 तक की अवधि के लिए पुनर्स्थापन लागत में उत्पाद एवं कस्टम शुल्क शामिल करने के बाद पुनर्स्थापन लागत पर पॉलिसी का नवीनीकरण किया होता, जैसाकि 7 फरवरी 2018 से 6 फरवरी 2019 तक की अवधि के लिए किया था, तो ₹ 22.83 करोड़ के नुकसान से बच जाता।

सरकार ने तथ्य को स्वीकार किया (27 जुलाई 2020) और कहा कि पीपीसीएल द्वारा आगे की अवधि के लिए पुनर्स्थापन की लागत का ध्यान रखा गया है।

<sup>87</sup> पॉलिसी की शर्तों के अनुसार 5 प्रतिशत के हिसाब से ₹ 4.40 करोड़ की कटौती के बाद

<sup>88</sup> बीमा पॉलिसी की शर्तों के आधार पर 5% के रूप में ₹ 24.02 करोड़ @ 95 प्रतिशत काटा जाना था।

## पर्यटन विभाग

### दिल्ली पर्यटन एवं यातायात विकास निगम लिमिटेड

#### 2.5 सेवा कर की गैर-वसूली

डीटीटीडीसी रियायत प्राप्त कर्ता से समयोजित सेवा कर वसूल करने में विफल रहा तथा सेवा कर पर ब्याज सहित ₹ 93.91 लाख अपने कोष से भुगतान किया।

सड़कों के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने दिल्ली पर्यटन एवं यातायात विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी) को राष्ट्रमण्डल खेलों के आसपास के क्षेत्रों में चिन्हित पीडब्ल्यूडी सड़कों पर स्ट्रीट फर्नीचर<sup>89</sup> लगाने तथा रख-रखाव करने की परियोजना के लिए आवेदकों को बोली दस्तावेज जारी करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी और चयनित बोलीदाताओं के साथ-सात वर्षों की अवधि के लिए रियायत समझौता किया। तदनुसार, डीटीटीडीसी ने चार रियायत प्राप्तकर्ताओं के साथ पाँच क्लसटर्स<sup>90</sup> के लिए रियायत समझौता किया (मई 2010)।

समझौता के अनुच्छेद 4.9(आर) के अनुसार, रियायत प्राप्त कर्ता समस्त करों, शुल्कों और व्यय का भुगतान करने का उत्तरदायी था। तदनुसार, चार रियायत प्राप्त कर्ता सेवा प्राप्त कर्ता होने के नाते विज्ञापन हेतु जगह की बिक्री के लिए सेवा कर<sup>91</sup> के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे।

लेखापरीक्षा ने नोट किया (जून 2019) कि डीटीटीडीसी द्वारा नवम्बर 2011 से जून 2012, अक्टूबर 2014 से मार्च 2016 की अवधि के लिए ₹ 60.50 लाख की सेवा कर रियायत प्राप्त कर्ताओं से संग्रह नहीं किया गया तथा सेवा कर विभाग में जमा नहीं कराया गया। तथापि, जुलाई 2016 में, डीटीटीडीसी ने वर्ष 2015-16 का ब्याज ₹ 4.20 लाख सहित सेवा कर ₹ 26.74 लाख अपनी कोष से जमा किया, यद्यपि इसका त्रैमासिक रूप से भुगतान किया जाना था।

<sup>89</sup> कार्य जैसे कि ट्रैफिक/पुलिस बूथ, वेंडिंग कियोस्क, सार्वजनिक शौचालयों, ट्री गार्ड्स, इस्टबीन, सूचना पैनल बेंच तथा फ्री स्टैंडिंग पैनल एवं ऑटो प्रोपेड बूथ इत्यादि।

<sup>90</sup> क्लस्टर 1- दिल्ली विश्वविद्यालय, क्लस्टर 2-इंदिरा गांधी स्टेडियम, क्लस्टर 3- आर के खन्ना टेनिस परिसर, क्लस्टर 4- श्री फोर्ट स्पोर्ट्स परिसर तथा डॉ. करनी सिंह शूटिंग रेंज एवं क्लस्टर 5- खेल गांव तथा यमुना स्पोर्ट्स परिसर।

<sup>91</sup> वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडएम) के अनुसार



इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा सितम्बर 2016 तथा नवम्बर 2017 में बताए जाने पर डीटीडीडीसी द्वारा नवम्बर 2011 से मार्च 2012 तथा अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि का सेवा कर क्रमशः ₹ 17.99 लाख तथा ₹ 15.77 लाख के साथ ₹ 23.86 लाख तथा ₹ 10.62 लाख ब्याज अपनी कोष से नवम्बर 2017 तथा जनवरी 2017 में जमा कराया गया। डीटीडीडीसी ने, सेवा कर कानून जो यह प्रावधान करता है कि सेवा प्रदाता चाहे अपने ग्राहक से भुगतान प्राप्त करे या नहीं, वह उसके द्वारा दी गई सेवा के संबंध में कानूनी तौर पर सेवा कर दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य है, के अनुसार ब्याज सहित सेवाकर अपने कोष से जमा किया।

डीटीडीडीसी ने उक्त अवधि के लिए रियायत प्राप्तकर्ताओं से उसके द्वारा चुकाए गये सेवा कर तथा ब्याज की वसूली का मुद्दा उठाया परन्तु 2015-16 का सेवा कर मात्र ₹ 5.27 लाख ही वसूल कर सका।

सरकार ने कहा (मार्च 2020) कि डीटीडीडीसी पहले ही रियायत प्राप्त कर्ता के साथ सेवा कर की प्रतिपूर्ति का मुद्दा उठा चुका है जिसे डीटीडीडीसी द्वारा सेवा कर विभाग को जमा करा दिया गया है। आगे, अप्रैल 2016 के बाद से डीटीडीडीसी सभी रियायत प्राप्त कर्ताओं को फीस के लिए लगातार बीजक जारी कर रहा है और वे नियमित रूप से सेवा कर/जीएसटी के साथ फीस जमा करा रहे हैं। इसने आगे कहा कि डीटीडीडीसी द्वारा चुकाए गए सेवा कर की प्रतिपूर्ति के लिए सभी रियायत प्राप्त कर्ताओं को कानूनी नोटिस जारी किया गया है (7 जनवरी 2020)। हालाँकि तथ्य यह है कि डीटीडीडीसी द्वारा रियायत प्राप्त कर्ताओं के तरफ से जमा कराया गया सेवा कर अभी तक वसूल नहीं हुआ है (सितम्बर 2020)।

इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि सेवा कर चुकाने का दायित्व रियायत प्राप्तकर्ताओं का था तथा समझौता में रियायत प्राप्तकर्ता से सेवा कर वसूल करने का प्रावधान था, डीटीडीडीसी रियायत प्राप्तकर्ता से समयोचित सेवा कर वसूल करने में विफल रहा तथा सेवा कर पर ब्याज सहित ₹ 93.91 लाख अपने कोष से चुकाया।



## **अध्याय-III**

**सामाजिक, सामान्य तथा आर्थिक क्षेत्र  
(गैर-सामाजिक क्षेत्र उपक्रम)**



## अध्याय - III

### सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा.क्षे.उ.)

#### 3.1 प्रस्तावना

##### 3.1.1 बजट रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के तहत 81 विभाग और 67 स्वायत्त निकाय हैं। यहां 23 ऐसे गैर-सरकारी संस्थान भी हैं जिन्होंने 2018-19 में ₹ 25 लाख से अधिक राशि प्राप्त की है (अनुलग्नक 3.1)। रा.रा.क्षे.दि.स. के 2014-19 के दौरान बजट अनुमान और उनके वास्तविक आंकड़ों की स्थिति तालिका-3.1.1 में दी गई है।

#### तालिका-3.1.1: 2014-19 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. का बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
<b>राजस्व व्यय</b>										
सामान्य सेवाएं	6,763.15	5,983.40	7,055.66	6,427.12	7,210.04	6,590.28	7,851.52	7,195.96	8,294.23	7,605
सामाजिक सेवाएं	14,800.52	13,306.11	16,193.02	14,817.83	18,431.53	16,578.89	21,231.39	19,602.11	23,902.16	21,663
आर्थिक सेवाएं	3,573.12	3,318.99	4,302.65	4,138.71	5,412.43	5,111.41	6,149.61	5,862.01	5,332.53	5,219
सहायता अनुदान एवं अंशदान	900.99	900.99	958.89	958.89	1,022.44	1,021.34	1,093.94	1,093.94	2,364.98	2,365
<b>कुल(1)</b>	<b>26,037.78</b>	<b>23,509.49</b>	<b>28,510.22</b>	<b>26,342.55</b>	<b>32,076.44</b>	<b>29,301.92</b>	<b>36,326.46</b>	<b>33,754.02</b>	<b>39,893.89</b>	<b>36,852</b>
<b>पूंजीगत व्यय</b>										
पूंजीगत परिव्यय	4,937.41	4,403.94	5,308.25	4,723.47	4,686.10	3,754.30	3,852.08	3,242.92	4,176.99	3,266
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	2,138.06	1,679.94	2,711.35	2,684.32	2,782.84	2,552.52	2,509.03	2,247.49	2,492.76	2,402
लोक ऋण की पुनर्भुगतान	1,676.75	1,346.73	1,435.18	1,435.17	1,654.63	1,654.62	1,682.43	1,682.43	3,636.36	3,636
आकस्मिक निधि	0	0	0	10.00	0	0	0	2.40	0	90
संवितरित लोक लेखे	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
अंतिम नकद शेष	0	1,517.07	0	3,654.94	0	2,645.35	0	2,982.52	0	4,463
<b>कुल (2)</b>	<b>8,752.22</b>	<b>8,947.68</b>	<b>9,454.78</b>	<b>12,507.90</b>	<b>9,123.57</b>	<b>10,606.79</b>	<b>8,043.54</b>	<b>10,157.76</b>	<b>10,306.11</b>	<b>13,857</b>
<b>कुल योग (1+2)</b>	<b>34,790.00</b>	<b>32,457.17</b>	<b>37,965.00</b>	<b>38,850.45</b>	<b>41,200.01</b>	<b>39,908.71</b>	<b>44,370.00</b>	<b>43,911.78</b>	<b>50,200</b>	<b>50,709</b>

स्रोत: वार्षिक वित्तीय विवरण तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखे

##### 3.1.2 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

सरकार का कुल व्यय<sup>1</sup> 43.98 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 29,593.37 करोड़ से 2018-19 में ₹ 42,610 करोड़ हो गया। जबकि राजस्व व्यय 56.75 प्रतिशत बढ़कर 2014-15 में ₹ 23,509.49 करोड़ से 2018-19 में ₹ 36,852 करोड़ हो गया, पूंजीगत व्यय 2014-15 में ₹ 4,403.94 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में

<sup>1</sup> लोक ऋण तथा नकद शेष के पुनर्भुगतान को छोड़कर

₹ 4,723.47 करोड़ एवं 2016-17 में ₹ 3,754.30 करोड़ तक घट गया तथा बाद में 2017-18 में ₹ 3,242.92 करोड़ तक घट गया लेकिन 2018-19 में ₹ 3,266 करोड़ तक बढ़ गया।

कुल व्यय के एक घटक के रूप में राजस्व व्यय 2014-15 में 79.44 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018-19 में 86.49 प्रतिशत हो गया, जबकि पूंजीगत व्यय 14.88 प्रतिशत से घटकर 7.66 प्रतिशत हो गया। 2014-19 की अवधि के दौरान कुल व्यय 5.99 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ा, जबकि राजस्व प्राप्तियां 10.82 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़कर ₹ 29,584.59 करोड़ से ₹ 43,112 करोड़ हो गईं।

### 3.1.3 निरंतर बचतें

तीन अनुदानों में, पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹ 2.50 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें हुईं जैसा कि तालिका-3.1.2 में है।

#### तालिका-3.1.2: 2014-19 के दौरान निरंतर बचत वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	अनुदान संख्या और नाम	बचत की गई धनराशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
<b>राजस्व (दत्तमत)</b>						
1.	अनुदान सं. 3: न्याय का प्रशासन: 2014 बी.1(2)(1)- न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय	8.05 16.85%	15.29 24.50%	8.13 13.90%	7.86 13.31%	21.87 30.64%
2.	अनुदान सं. 7: चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य: 2211 के 1 (3)(1)-शहरी परिवार कल्याण केंद्र (सीएसएस)	9.21 86.32%	8.71 87.10%	17.76 92.21%	2.50 58.28%	16.53 82.69%
<b>पूंजीगत (दत्तमत)</b>						
3.	अनुदान सं. 8: समाज कल्याण: 5055 डीडी.1(3)(1)- इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजी बसें-वैकल्पिक परिवहन प्रणाली का प्रारंभ	3.00 100%	11.00 100%	11.73 100%	12.66 42.20%	4.37 28.27%

स्रोत: विनियोजन लेखे

बचतें मुख्यतः (i) रिक्त पदों के न भरें जाने, (ii) प्रत्याशित बिलों की गैर-प्राप्ति (iii) भारत सरकार (भा.स.) से निधियों की गैर-अदायगी के कारण हुई थीं।

### 3.1.4 भारत सरकार से सहायता अनुदान

वर्ष 2014-19 के दौरान भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका-3.1.3 में दी गई हैं।

तालिका-3.1.3: भा.स. से प्राप्त सहायता अनुदान का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गैर-योजनागत अनुदान	327.95	2,905.02	1,118.71	0	0
राज्य योजनागत योजनाओं हेतु अनुदान	1,467.35	486.72	550.17	0	0
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	552.84	866.55	1,156.28	0	0
केन्द्र प्रायोजित योजना	--	--	--	994.72	807
राज्य/के.शा.प्र. के साथ विधान सभा को अन्य स्थानांतरण/अनुदान	--	--	--	1,189.46	5,037
<b>कुल</b>	<b>2,348.14</b>	<b>42,58.29</b>	<b>2,825.16</b>	<b>2,184.18</b>	<b>5,844</b>
पिछले वर्षों के दौरान वृद्धि (+)/ कमी (-) की प्रतिशतता	(+) 67.38	(+) 81.35	(-)33.66	(-)22.68	(+)167.56
राजस्व प्राप्तियां	29,584.59	34,998.85	34,345.74	38,667.27	43,113
राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान की प्रतिशतता	7.94	12.17	8.23	5.65	13.55

स्रोत: 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्तों पर प्रतिवेदन

इन पांच वर्षों में भा.स. से सहायता अनुदान की घटती-बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई गई थी। जहां यह 2014-15 तथा 2015-16 में बढ़ गयी पर 2016-17 एवं 2017-18 में घट गयी तथा 2018-19 में पुनः बढ़ गयी। राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता का अंश 2014-19 में 5.65 से 13.55 प्रतिशत के बीच की श्रेणी में थी।

**3.1.5 स्वायत निकायों की वित्तीय विवरणी का प्रमाणन-लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया**

स्वायत निकायों की वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के सेक्शन 19(3) तथा 20(1) के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय विवरणी में बैलेंस शीट, आय तथा व्यय के लेखे और/अथवा प्राप्ति तथा भुगतान के लेखे शामिल होते हैं। प्रत्येक लेखापरीक्षित स्वायत निकाय के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण विधियों की अनुपालना, लेखाकरण मानकों, प्रकटीकरण मानदंडों इत्यादि के संबंध में लेखापरीक्षा व्यवहार पर हमारी टिप्पणियाँ होती हैं। रा.रा.क्षे.दि.स. में 10 स्वायत निकायों के लेखों की लेखापरीक्षा म.नि.ले.प. को सौंपी गई। 31 मार्च 2019 तक लेखा परीक्षा सौंपे जाने, लेखापरीक्षा के लेखों को प्रस्तुत किए जाने, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.) को जारी किये जाने तथा

विधान सभा में उसको पेश किये जाने की स्थिति **अनुलग्नक 3.2** में दर्शायी गयी है।

### 3.1.6 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों तथा योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम निर्धारण के साथ प्रारंभ होती है तथा इसमें गतिविधियों की विवेचनात्मकता/जटिलता प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा पणधारियों के हित तथा पूर्व लेखापरीक्षा परिणामों का निर्धारण भी शामिल होता है। इस जोखिम निर्धारण के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा समयसीमा तय की जाती है एवं एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के बाद, परिणामों की निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा कार्यालय प्रमुख को चार सप्ताह में उत्तर प्रदान करने के अनुरोध के साथ जारी की जाती है। जब उत्तर प्राप्त हो जाते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा आगे अनुपालना के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए संसाधित किया जाता है जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 48 के अधीन दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

2018-19 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षे.दि.स. के 147 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) तथा 15 स्वायत्त निकायों की अनुपालना लेखापरीक्षा की गई।

### 3.1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

पिछले वर्षों में, लेखापरीक्षा ने कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में अनेक महत्वपूर्ण कमियों के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता को बताया है जिसका विभागों के कार्यक्रमों तथा क्रियाकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव था। अभीष्ट लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त सिफारिशें देने पर ध्यान दिया गया था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों को शामिल करने हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा प्रधान सचिवों/संबंधित विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा परिणामों की ओर ध्यान दिलाते हुए उन पर अपने उत्तर छः सप्ताह में भिजवाने हेतु अग्रेषित किया जाता है। विभागों/सरकार से प्रत्युत्तर की गैर-प्राप्ति के तथ्य को



लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में ऐसे पैराग्राफों के अंत में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाता है। तीन पैराग्राफों को इस अध्याय में शामिल किए जाने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को भेजा गया। दिसम्बर 2020 तक, इन लेखा परीक्षा पैराग्राफों के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

### 3.1.8 लेखापरीक्षा के आग्रह पर की गई वसूलियां

सरकार के विभागों के लेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान संज्ञान में आने वाली वसूलियों को शामिल करते हुए लेखापरीक्षा परिणामों को लेखापरीक्षा को सूचना देते हुए पुष्टि व आगे की कार्रवाई के लिए विभिन्न आहरण व संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को भेजा गया था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 108 मामलों में इंगित की गई ₹ 161.59 करोड़ की वसूली के प्रति संबंधित डीडीओ ने 78 मामलों में केवल ₹ 5.44 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की।

### 3.1.9 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया का अभाव

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हुए लेन-देन की नमूना जांच और महत्वपूर्ण लेखाकरण और अन्य अभिलेखों का विनिर्धारित नियमों व प्रक्रियाओं के अनुसार रखरखाव का सत्यापन करते हैं। इस निरीक्षण के बाद वार्षिक निरीक्षण प्रतिवेदनों (आईआर) को जारी किया जाता है। जब लेखापरीक्षा निरीक्षणों के दौरान पाई गई बड़ी अनियमितताओं का मौके पर निपटान नहीं होता, तो ये आईआर निरीक्षण किए गए कार्यालयाध्यक्षों को जारी की जाती है। कार्यालयाध्यक्षों और अन्य वरिष्ठ प्राधिकारियों को ले.प.प्र. की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर दिल्ली के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अपनी अनुपालना के बारे में सूचना देना आवश्यक है।

31 मार्च 2019 तक, 2,043 ले.प.प्र. में सम्मिलित 9,277 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थीं जैसाकि तालिका-3.1.4 में दर्शाया गया है

#### तालिका-3.1.4: बकाया आईआर तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र का नाम	मार्च 2017 को			मार्च 2018 को			मार्च 2019 को		
	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि	नि.प्र.	पैरा	राशि
सामाजिक क्षेत्र	1,124	4,578	106.41	1,097	4,191	105.49	1,152	4,746	105.95
सामान्य क्षेत्र	641	3,499	457.15	711	3,869	509.15	752	4,042	579.91
आर्थिक क्षेत्र (गैर. सा.क्षे.उ.)	175	614	5,437.51	162	550	5,255.70	139	489	5,404.61
	1,940	8,691	6,001.07	1,970	8,610	5,870.34	2,043	9,277	6,090.47

बड़ी संख्या में बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां दर्शाती है कि सरकार को लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मामलों का पता लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है जिससे वित्तीय प्रबंधन तथा विश्वसनीयता को सुधारा जा सके।

### 3.1.10 अनुवर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन : लोक लेखा समिति (पीएसी) में स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स का गैर-प्रस्तुतीकरण एवं पैराग्राफों की चर्चा

विविध लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, प्रस्तुत किए गए मामलों पर कार्यकारियों के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा में दर्शाये गये सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स (एटीएन) की शुरुआत करनी चाहिए बगैर इस तथ्य को ध्यान में रखे कि इनकी लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा चर्चा की गयी है या नहीं। इन एटीएन को दिल्ली विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख से लेकर चार महीने की अवधि के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले.प.), दिल्ली द्वारा यथावत् जांच के बाद पीएसी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2008-09 से 2017-18 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सिविल अध्यायों में प्रस्तुत 36 निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 119 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में से दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 17 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में स्वतः ऐक्शन टेकेन नोट्स प्राप्त नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2019 तक चार निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा 19 लेखापरीक्षा पैराग्राफों की चर्चा पीएसी द्वारा की गई है।

### 3.1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दिए गए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरणी

पिछले तीन वर्षों के लिए निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के वर्ष-वार विवरण जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उनको धन मूल्य सहित दर्शाए गए थे, को तालिका-3.1.5 में दिया गया है।

**तालिका-3.1.5: मार्च 2016-मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सा.क्षे.उ.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाई गई निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा लेखापरीक्षा पैराग्राफों का विवरण**

मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन	निष्पादन लेखापरीक्षा		लेखापरीक्षा पैराग्राफ		प्राप्त उत्तर	
	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	निष्पादन लेखापरीक्षा	लेखापरीक्षा पैराग्राफ
2016	5	107.93	15	365.91	4	12
2017	3	231.68	13	184.40	1	9
2018	1	136.15	10	128.14	1	2

सरकार को नौ निष्पादन लेखापरीक्षाएं तथा 38 लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किए गए थे। हालाँकि, सरकार/विभागों से केवल छः निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 23 लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में उत्तर प्राप्त हुए थे।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, अध्याय III में जिनके धन मूल्य ₹ 29.76 करोड़ हैं, सम्मिलित किए गए हैं। जहां कहीं भी उत्तर प्राप्त हुए थे, उन्हें उचित स्थान पर शामिल कर दिया गया है।

## श्रम विभाग

### 3.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की कार्यप्रणाली

#### 3.2.1 प्रस्तावना

भारत सरकार (भा.स.) ने 1996 में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए उपकर के उद्ग्रहण/एकत्रण के माध्यम से उन्हें सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण उपाय प्रदान कराने के उद्देश्य से भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (भ.अ.नि.श्र.) अधिनियम लागू किया तथा 1998 में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली (उपकर नियमावली) को भी निर्दिष्ट किया। अधिनियम के प्रावधान उस प्रत्येक प्रतिष्ठान<sup>2</sup> पर लागू किए जाते हैं जो किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में दस अथवा अधिक भवन श्रमिकों को पूर्वगामी बारह महीनों के किसी दिन में नियुक्त करती है अथवा कर चुकी थी। इसके अतिरिक्त अधिनियम में प्रावधान है कि 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में प्रत्येक भवन श्रमिक को जो किसी कानून के अंतर्गत स्थापित किसी कल्याण निधि का सदस्य नहीं था तथा पूर्वगामी बारह महीनों के दौरान राज्य में निर्माण श्रमिक के रूप में सेवा के नब्बे दिन की सेवा अवधि को समाप्त कर चुका था, को लाभार्थी के रूप में पंजीकृत किया जा सकता था।

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने उपकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भ.अ.नि.श्र. अधिनियम के लागू होने से साढ़े पाँच वर्षों के विलंब के पश्चात दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक नियमावली 2002 (दि.भ.अ.नि.श्र. नियमावली) को अधिसूचित किया (जनवरी 2002) तथा नियोक्ताओं द्वारा

<sup>2</sup> प्रतिष्ठान का तात्पर्य ऐसे प्रतिष्ठान से है जो सरकार, किसी व्यक्ति, संस्था अथवा फर्म, एक व्यक्ति अथवा संस्था अथवा व्यक्तियों के अन्य निकाय जिसे या जो किसी भवन या अन्य निर्माण कार्य में भवन श्रमिकों को नियुक्त करता है से संबंधित है अथवा उनके नियंत्रण में है और इसमें ऐसा प्रतिष्ठान शामिल है जो ठेकेदार से संबंधित है परन्तु ऐसे व्यक्ति को शामिल नहीं करता है जो किसी भवन अथवा अपने स्वयं के आवास से संबंधित निर्माण कार्य में ऐसे श्रमिकों को नियुक्त करता है, ऐसे निर्माण की कुल लागत ₹ 10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।

किए गए निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर पर श्रम उपकर के एकत्रण हेतु अधिसूचना जारी की (10 जनवरी 2002)। दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बोर्ड) को विभिन्न कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गठित किया गया (सितंबर 2002)। अन्य बातों के साथ साथ बोर्ड के कार्यों में लाभार्थियों को विभिन्न सुविधाएं जैसे दुर्घटना के मामले में सहायता; उन लोगों को पेंशन का भुगतान जिनकी आयु साठ वर्ष की हो चुकी है; घर के निर्माण हेतु ऋण एवं अग्रिम; समूह बीमा योजना; बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता; बड़ी बीमारियों के इलाज हेतु चिकित्सा व्यय; मातृत्व लाभ; तथा अन्य निर्धारित कल्याण उपाय तथा सुविधाएं प्रदान करना सम्मिलित है।

तदनंतर भ.अ.नि.श्र. अधिनियम के प्रावधानों के गैर-प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित फाइल की गई याचिका के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को भवन श्रमिकों के अव्यवस्थित वर्ग तक अधिनियम के लाभों के अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार के निर्देश दिए (18 जनवरी 2010)। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को भी निर्धारित किया गया;

- प्रत्येक राज्य द्वारा तीन महिनों के भीतर पर्याप्त पूर्ण अवधि स्टाफ के साथ कल्याण बोर्डों का गठन किया जाना है। बोर्ड को अपने सांविधिक कार्यों को पूरा करने के लिए दो महिनों में कम से कम एक बार अथवा निर्दिष्ट नियमों के अनुसार बैठक करनी चाहिए।
- भवन श्रमिकों को पंजीकरण तथा अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभों के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। अधिनियम से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम एवं उपलब्ध लाभों को प्राप्त करने हेतु मीडिया, रेडियो एवं दूरदर्शन का प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य सरकार पंजीयन अधिकारियों को नियुक्त करेगी तथा प्रत्येक जिले में आवेदनों की प्राप्ति व पंजीकरण तथा आवेदनों के लिए रसीदें जारी करने हेतु केन्द्रों की स्थापना करेगी।
- पंजीकृत व्यापार संघ, कानूनी सेवा प्राधिकरण तथा एन.जी.ओ. द्वारा श्रमिकों को पंजीकरण करने तथा लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
- सरकारों के साथ सभी ठेकों में अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण तथा अधिनियम के अंतर्गत ऐसे श्रमिकों के लाभों का विस्तार करना आवश्यक होगा।

- कल्याण बोर्डों के सदस्य सचिव तथा श्रम सचिव अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक राज्य का श्रम मंत्री अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु विशेष अभियान चलाएगा।

सभी बोर्ड व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे जैसाकि अधिनियम तथा संबंधित सरकार के नियमों के अंतर्गत आवश्यक है।

### 3.2.2 संगठनात्मक ढांचा

बोर्ड की अध्यक्षता श्रम मंत्री द्वारा पदेन अध्यक्ष के रूप में की जाती है। श्रम विभाग का आयुक्त भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए मुख्य निरीक्षक होता है जबकि बोर्ड का सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। जिला स्तर पर उप-श्रम आयुक्तों तथा श्रम अधिकारियों को क्रमशः निर्माण श्रमिकों और इन श्रमिकों से काम ले रहे प्रतिष्ठापनों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण अधिकारियों के रूप में नामित किया गया था (नवंबर 2018 तक)। दिसंबर 2018 में, बोर्ड ने उप-सचिवों को निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण के उद्देश्य से पंजीकरण अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। उप राज्यपाल द्वारा श्रम विभाग के अधिकारियों जैसे श्रम अधिकारियों/निरीक्षण अधिकारियों तथा उप-श्रम आयुक्त को उपकर कलेक्टरों तथा कर निर्धारण अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया था (जुलाई 2005)।

### 3.2.3 लेखापरीक्षा रूपरेखा

वर्ष 2016-19 के लिए बोर्ड की लेखापरीक्षा अप्रैल-दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान यह निश्चित करने के लिए की गई कि व्यय उपकर का निर्धारण, उद्ग्रहण तथा एकत्रण कुशलतापूर्वक किया गया था, कल्याण उपायों को प्रभावी रूप से योजित तथा कार्यान्वित किया गया था और उपकर एकत्रण हेतु निगरानी तंत्र तथा कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन उचित रूप से हो रहा था।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य से बोर्ड के मुख्यालयों तथा नौ जिलों<sup>3</sup> में से तीन जिलों के कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच की गई। इन जिलों का चयन लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान जिलों में एकत्रित उपकर की उच्च राशि तथा पंजीकृत श्रमिकों की संख्या के आधार पर किया गया।

<sup>3</sup> दक्षिण, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम जिले

## लेखापरीक्षा उपलब्धियाँ

### 3.2.4. अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु योजना तथा बजटिंग का अभाव

किसी संस्था के उद्देश्यों को प्रभावी रूप से पूरा करने में शुरु की जाने वाली वर्ष-वार विकास गतिविधियों की रूपरेखा वाली दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य योजना लम्बे समय तक चलती है। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने कल्याण गतिविधियों को पूर्ण करने हेतु तथा निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ इत्यादि प्रदान करने के लिए कोई दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य या वार्षिक योजना तैयार नहीं की थी।

भ.अ.नि.श्र. अधिनियम की धारा 25 में निर्धारित है कि बोर्ड अपनी अनुमानित प्राप्तियों तथा व्यय को दर्शाते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करेगा तथा उसे राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को भेज देगा। हालांकि यह पाया गया कि बोर्ड ने 2002 में अपनी स्थापना के समय से कभी भी बजट तैयार नहीं किया था। जो अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन था।

### 3.2.5 उपकर का एकत्रण

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम 1996 नियोक्ता द्वारा भ.अ.नि.श्र. अधिनियम के अंतर्गत गठित बोर्ड के संसाधनों की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए किए गए निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर से उपकर के उद्ग्रहण तथा एकत्रण को बताता है। प्रत्येक निर्माण श्रमिक लाभार्थी के रूप में ₹ 5 के पंजीकरण शुल्क तथा एक वर्ष के लिए ₹ 20 का अंशदान देकर बोर्ड के अंतर्गत पंजीकरण के लिए पात्र होगा। बोर्ड मुख्यालयों के अभिलेखों के अनुसार बोर्ड ने वर्ष 2016-19 के दौरान उपकर के रूप में ₹ 581.08 करोड़ वसूल किए जिसमें से ₹ 324.29 करोड़ की राशि चयनित जिलों से संबंधित थी।

मार्च 2019 तक एकत्रित उपकर/अंशदान/पंजीकरण शुल्क तथा अर्जित ब्याज का विवरण तालिका-3.2.1 में दिया गया है:

**तालिका-3.2.1: उपकर की वास्तविक प्राप्ति, लाभार्थियों का अंशदान तथा अर्जित ब्याज**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्तियाँ			
	एकत्रित उपकर	लाभार्थियों का अंशदान	अर्जित व्याज	कुल
3/2016 तक	1,608.67	1.72	606.70	2,217.09
2016-17	185.65	0.42	168.34	354.41
2017-18	199.20	0.42	151.08	350.70
2018-19	196.23	0.08	155.13	351.44
<b>कुल</b>	<b>2,189.75</b>	<b>2.64</b>	<b>1,081.25</b>	<b>3,273.64</b>

स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना

उपकर के संग्रहण से संबंधित चयनित जिलों के अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

### 3.2.5.1 उपकर कलेक्टरों द्वारा जिला मास्टर रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण

सचिव (श्रम) के आदेशों (अगस्त 2005) के अनुसार, उपकर कलेक्टरों के लिए जनवरी 2002 से विधिवत् अनुमोदित स्थानीय प्राधिकरणों से सभी भवन योजनाओं के विवरण एकत्र करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त आदेश के अनुसार उपकर कलेक्टरों को स्थानीय स्टेशन के मुख्य अधिकारियों द्वारा किए जा रहे सभी निर्माण कार्यों की सूची एकत्र करना आवश्यक था। इसके अतिरिक्त सचिव ने भी अनुदेश दिया था कि उपकर कलेक्टरों द्वारा जिला मास्टर रजिस्टर (जि.मा.र.) रखा जाए जिसमें सूचना, जैसे नियोक्ता का नाम व पता, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा भवन योजना की स्वीकृति की संख्या तथा तिथि, निर्माण स्थल का पता, रिटर्न की प्राप्ति की तिथि, निर्धारण आदेश की तिथि, एकत्रित उपकर चैकों की माँग राशि एवं विवरण इत्यादि भरे जाने आवश्यक हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों के उपकर कलेक्टरों ने न तो जिला मास्टर रजिस्टर बनाए और न ही स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित भवन योजनाओं की संख्या के बारे में जानकारी दी थी। लेखापरीक्षा में देखा गया कि दक्षिणी तथा उत्तरी दिल्ली नगर निगम (दि.न.नि.) द्वारा वर्ष 2016-19 के दौरान 4,682 भवन योजनाओं को अनुमोदित किया गया था। लेखापरीक्षा में आवश्यक अभिलेखों के अभाव में एकत्रित उपकर की शुद्धता एवं प्रमाणिकता तथा वास्तव में जमा उपकर को सत्यापित/निश्चित नहीं किया जा सकता था।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2020) कि उपकर कलेक्टरों को रजिस्टर बनाने के अनुदेश दिए गए हैं तथा सभी जिला प्रभारियों को अभिलेखों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं।

### 3.2.5.2 उपकर कलेक्टरों, जिलों तथा बोर्ड मुख्यालयों के अभिलेखों के अनुसार उपकर राशि के आंकड़ों में अंतर

सरकारी विभाग तथा निजी निकाय ठेकेदारों के बिलों से उपकर की कटौती के पश्चात इन्हें चैकों के माध्यम से श्रम विभाग के अधिसूचित कलेक्टरों (श्रम अधिकारी एवं निरीक्षक) को भेजते हैं। चैकों की प्राप्ति के पश्चात उपकर कलेक्टर इन चैकों को जिला कार्यालय में तैनात बोर्ड के स्टाफ को दे देते हैं जो बाद में इन चैकों को बैंक में जमा करता है। 2016-19 की अवधि के लिए उपकर कलेक्टर, चयनित जिलों तथा बोर्ड मुख्यालयों के अनुसार एकत्रित उपकर के आंकड़े तालिका-3.2.2 में दिए गए हैं।

### तालिका-3.2.2: उपकर कलेक्टरों, जिला कार्यालयों तथा बोर्ड के अभिलेखों के अनुसार एकत्रित उपकर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपकर कलेक्टर के अभिलेखों के अनुसार उपकर			जिला अभिलेखों के अनुसार उपकर राशि			उपकर कलेक्टरों तथा जिला कार्यालय के बीच अंतर			बोर्ड के अनुसार उपकर राशि			जिला तथा बोर्ड के बीच अंतर		
	2	3	4	5	6	7	8(5-2)	9(6-3)	10(7-4)	11	12	13	14 (11-5)	15(12-6)	16(13-7)
	द.प	द.	उ.प.	द.प.	द.	उ.प.	द.प.	द.	उ.प.	द.प.	द.	उ.प.	द.प.	द.	उ.प.
2016-17	उ.न.	उ.न.	28.22	25.66	45.87	28.22	उ.न.	उ.न.	शून्य	25.78	46.11	28.14	0.12	0.24	0.08
2017-18	उ.न.	उ.न.	30.93	28.36	50.81	30.93	उ.न.	उ.न.	शून्य	29.02	57.65	29.61	0.66	6.84	1.32
2018-19	13.30	उ.न.	34.24	16.77	43.98	34.24	3.47	उ.न.	शून्य	26.72	48.53	32.73	9.95	4.55	1.51
<b>कुल</b>	<b>13.30</b>	<b>उ.न.</b>	<b>93.39</b>	<b>70.79</b>	<b>140.66</b>	<b>93.39</b>	<b>3.47</b>	<b>उ.न.</b>	<b>शून्य</b>	<b>81.52</b>	<b>152.29</b>	<b>90.48</b>	<b>10.73</b>	<b>11.63</b>	<b>2.91</b>

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

जैसाकि तालिका से देखा जा सकता है कि उपकर कलेक्टरों, जिला कार्यालयों तथा स्वयं बोर्ड द्वारा प्रदत्त एकत्रित उपकर आंकड़ों के बीच विसंगतियाँ थीं। वर्ष 2018-19 के लिए उपकर कलेक्टरों तथा जिला कार्यालयों के उपकर आंकड़ों के बीच ₹ 3.47 करोड़ का अंतर था। इसके अतिरिक्त, जिलों (दक्षिण-

<sup>4</sup> उपलब्ध नहीं



पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर-पश्चिम) तथा बोर्ड के आंकड़ों के बीच 2016-17, 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹10.73 करोड़, ₹ 11.63 करोड़ तथा ₹ 2.91 करोड़ का अंतर था। लेखापरीक्षा ने देखा कि अंतरों को समायोजित नहीं किया गया था और इसलिए लेखापरीक्षा में आंकड़ों की शुद्धता को सत्यापित नहीं किया जा सकता था।

इसके अतिरिक्त, दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण जिलों में उपकर कलेक्टरों के पास वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के उपकर से संबंधित आंकड़े नहीं थे जैसाकि तालिका में निर्दिष्ट है। दक्षिण जिले में 2018-19 के उपकर से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं थे।

सी.ए.जी. ने भी 2016-17 तक जारी पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बोर्ड द्वारा लेखों की पुस्तकों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों, प्राप्तियों और भुगतानों के विवरण की गैर-तैयारी, उपकर का गैर-जमा, बैंक समाधान विवरण की गैर-तैयारी, बैंक से अन्तः शेष प्रमाणपत्र प्राप्त न करना और बोर्ड द्वारा रोकड़ बही के गैर-रखरखाव के मामले को उठाया। यह भी दर्शाया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में एकत्रित सदस्यता शुल्क और उपकर के लिए चैक तथा रखे गए रजिस्ट्रों की शुद्धता की जाँच में उत्तरदायी अधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जाँचा नहीं गया था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (सितंबर 2020) कि सभी जिला अधिकारियों को संबंधित जिलों के उपकर आंकड़ों का समायोजन बोर्ड के साथ समन्वित करने का सुझाव के बारे में बताया गया है।

### 3.2.5.3 दि.न.नि. द्वारा की गयी उपकर कटौती को जमा न कराना

दि.न.नि. के परिपत्र (जुलाई 2006) के अनुसार भवन योजना की स्वीकृति के समय अनुमानित लागत का एक *प्रतिशत* उपकर के रूप में एकत्र किया जाना आवश्यक था जो आगे कल्याण बोर्ड को भेजा जाना था।

योजनाओं को अनुमोदित करते समय वे निर्माण की अनुमानित लागत के आधार पर देय उपकर की राशि को वसूल करते हैं। दि.न.नि. द्वारा एकत्रित उपकर को एकत्रण की लागत की कटौती के पश्चात बोर्ड को वापिस किया जाना था। वर्ष 2016-19 के दौरान दक्षिणी तथा उत्तरी दि.न.नि. ने 944 तथा 3688 निजी प्रतिष्ठानों की भवन योजनाओं को अनुमोदित किया जिनके प्रति क्रमशः ₹ 83.29 करोड़ तथा ₹ 39.42 करोड़ की राशि का उपकर एकत्र किया गया। हालांकि जिला कार्यालयों अथवा बोर्ड (मुख्यालयों) के अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह इंगित हो कि दि.न.नि. द्वारा एकत्रित

उपकर को बोर्ड में जमा किया गया। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा कटौती किए गए तथा जमा कराए गए उपकर के संबंध में स्थानीय निकायों के साथ मामले को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया था।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2020) कि श्रम विभाग अधिकारी द्वारा उपकर के गैर-जमा का मामला विभागाध्यक्ष सहित विभिन्न नगर निगम निकायों के साथ विभिन्न स्तरों पर आरंभ किया गया है।

#### 3.2.5.4 उपकर का निर्धारण

उपकर अधिनियम की धारा 4 के अनुसार प्रत्येक नियोक्ता<sup>5</sup> जो किसी भवन अथवा निर्माण कार्य को कर रहा है, देय उपकर की राशि का निर्धारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी को एक रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होता है जिसमें अन्य बातों के अलावा निर्माण की अनुमानित लागत की सूचना तथा किए गए अग्रिम भुगतान का विवरण शामिल होना चाहिए। वर्ष 2016-19 के दौरान दक्षिण, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम जिलों में निर्धारण अधिकारियों ने क्रमशः 15, 51 तथा 20 मामलों में देय उपकर का निर्धारण किया। कर निर्धारण फाइलों की संवीक्षा से उपकर के निर्धारण में निम्नलिखित कमियों का पता चला।

#### • निर्माण की लागत के विवरण अनुपलब्ध

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर नियमावली के नियम 3 के अनुसार उपकर के उद्ग्रहण के उद्देश्य के लिए निर्माण की लागत में उन सभी व्ययों को शामिल किया जाएगा जो नियोक्ता द्वारा वर्कमैन कंपनसेशन अधिनियम 1923 के अंतर्गत भूमि की लागत तथा अदा की गई किसी क्षतिपूर्ति को छोड़कर भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य के संबंध में किए गए थे।

दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से यह पाया गया कि निर्धारिती द्वारा 66 में से किसी भी मामले में निर्माण की लागत के पूर्ण विवरण जैसे उधार की लागत, भूमि विकास प्रभार, डिजाइन तथा तकनीकी सहायता की लागतें और प्रगति में चल रहे कार्यों के पूर्ण विवरण इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए गए और न ही उन्हें निर्धारण अधिकारियों द्वारा ढूँढा गया। विवरणों के अभाव में कर निर्धारण अधिकारी देय उपकर का सही ढंग से

<sup>5</sup> भ.अ.नि.श्र. अधिनियम की धारा 2 (i) के अनुसार किसी प्रतिष्ठान के संबंध में नियोक्ता का तात्पर्य उसका मालिक है।

निर्धारण करने की स्थिति में नहीं हो सकता था और अवनिर्धारण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता था।

- **उपकर के निर्धारण से संबंधित अभिलेखों की गैर-उपलब्धता**

उपकर नियमों के नियम 6 व 7 में निर्धारित है कि प्रत्येक नियोक्ता अपने कार्य के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर कार्य की अनुमानित लागत से संबंधित आंकड़े जमा कराए गए उपकर के भुगतान का विवरण इत्यादि को शामिल करते हुए प्रपत्र -I में सूचना भर कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करता है जिससे सुनिश्चित हो जाए कि देय उपकर की गणना सही ढंग से की गई है।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारण अधिकारियों ने नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र-I से संबंधित अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया था। आंकड़ों के अभाव में लेखापरीक्षा यह सत्यापित नहीं कर सकती थी कि निर्माण लागत तथा देय उपकर को सही ढंग से परिकलित किया गया था।

लेखापरीक्षा में दिल्ली अग्नि शमन सेवा की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना की दुतरफा जाँच की गई तथा देखा गया कि 2003 तथा 2018 की अवधि के बीच में उत्तर-पश्चिम जिले में 23 शॉपिंग मॉल/कार्यालय भवन/स्कूल/बैंकट हॉल/गेस्ट हाउस/स्वास्थ्य एवं शिक्षा सोसाइटी इत्यादि तथा 31 दक्षिण जिले में निर्मित किए गए थे। हालांकि बोर्ड में न तो इन प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया और न ही उनके द्वारा उपकर जमा किए गए। दक्षिण पश्चिम जिले के मामले में वेबसाइट से यह देखा गया कि नौ होटल 2012 तथा 2016 की अवधि के दौरान इंदिरा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की एयरोसिटी में निर्मित किए गए थे, परन्तु न तो इन होटलों को और न ही इनकी जमाओं के निर्माण पर उपकर को जिला कार्यालय बोर्ड में पंजीकृत किया गया।

संयुक्त श्रमायुक्त (उत्तर पश्चिम) ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए कहा (दिसंबर 2019) कि सभी मालिकों/नियोक्ता को निर्धारण अधिकारियों के कार्यालयों में आने के निर्देश के नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि यह पाया गया कि नोटिस लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात जारी किए गए थे।

- **उपकर का कम जमा करना**

उत्तर-पश्चिम जिला के निर्धारण अभिलेखों की जाँच से पता चला कि मैसर्स सरोज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने 2008-15 के दौरान पूरे किए गए

मरम्मत तथा रखरखाव कार्यों पर ₹ 6.40 करोड़ का व्यय किया। निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए निर्धारण (29 जून 2016) के आधार पर अस्पताल के लिए ₹ 13.35 लाख की राशि का उपकर जमा कराना आवश्यक था जिसमें ₹ 6.96 लाख का ब्याज भी शामिल था। अस्पताल ने ₹ 3.07 लाख का अग्रिम उपकर जमा किया (नवंबर 2015/जनवरी 2016)। हालांकि यह देखा गया कि ₹ 10.28 लाख की राशि के बकाया उपकर (उपकर ₹ 3.32 लाख तथा ₹ 6.96 लाख का ब्याज) को मार्च 2020 तक जमा नहीं किया गया।

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2020) कि अस्पताल ने जुलाई 2016 में श्रम आयुक्त जो अपीली प्राधिकारी है, की बजाय बोर्ड के साथ निर्धारण आदेश के विरुद्ध एक अपील फाइल की थी तथा उसे अपीली प्राधिकारी के साथ अपील फाइल करने की सलाह दी गई थी। हालांकि उत्तर अपील के परिणाम का उल्लेख नहीं करता है।

- **उपकर का अवनिर्धारण**

सचिव (श्रम) के आदेश (जनवरी 2006) के अनुसार शॉपिंग मॉल/स्टार होटलों के मामले में निर्माण की लागत की गणना के उद्देश्य से ₹ 20,000 प्रति वर्ग मीटर की राशि को निर्माण की लागत के रूप में माना जाना आवश्यक था जबकि अस्पतालों के मामलों में ₹ 18,000 प्रति वर्ग-मीटर की लागत को माना जाना था। अन्य विकास कार्यों की लागत जैसे सीवरेज, बाह्य सड़कें अप्रोच सड़कें, भूदृश्य निर्माण तथा चारदीवारी की लागत को पृथक रूप से लिया जाना चाहिए। यदि मालिक द्वारा सूचित कुल लागत निर्धारण अधिकारी द्वारा परिकलित लागत की अपेक्षा उच्चतर है तब उच्चतर लागत पर उपकर की गणना करने हेतु विचार किया जाना चाहिए। चार मंजिला, चार मंजिला से अधिक तथा बेसमेंट तक के आवासीय भवनों के लिए क्रमशः ₹ 6000 प्रति वर्गमीटर, ₹ 6200 प्रति वर्ग मीटर तथा ₹ 8000 प्रति वर्ग मीटर की न्यूनतम दर पर विचार किया जाना आवश्यक था।

मैसर्स सेवन सीस होस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में निर्माण कार्य, 36307.97 वर्ग मीटर के क्षेत्र में पूरा किया गया (मार्च 2016) जिसमें 15216.31 वर्गमीटर का बेसमेंट क्षेत्र भी शामिल था। निर्धारिती ने ₹ 66.61 करोड़ की निर्माण की लागत घोषित की जो निर्धारण अधिकारी द्वारा परिकलित ₹ 54.36 करोड़ की निर्माण की लागत से उच्चतर थी। तदनुसार उपकर को निर्धारिती द्वारा घोषित लागत पर परिकलित किया गया। यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा 21091.66 वर्ग मीटर के लिए निर्माण की लागत ₹ 20000 प्रति वर्ग मीटर की दर से परिकलित की गई जबकि

15216.31 वर्ग मीटर वाले बेसमेंट क्षेत्र के लिए लागत को ₹ 20000 प्रति वर्ग मीटर की बजाय ₹ 8000 प्रति वर्गमीटर (आवासीय भवनों के लिए दर) की दर पर परिकल्पित किया गया। इसके साथ ही निर्धारित प्राधिकारी द्वारा ₹ 2.85 करोड़ की राशि की चारदीवारी तथा अन्य विकास प्रभारों की लागत को निर्माण की लागत में शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार कर निर्धारण ₹ 75.47 करोड़ के निर्माण की वास्तविक लागत के बजाय ₹ 66.61 करोड़ पर किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 8.86 करोड़ तक निर्माण की लागत का अवनिर्धारण किया गया जिसमें ₹ 8.86 लाख<sup>6</sup> का उपकर भी निहित है।

सरकार ने उत्तर दिया (सितंबर 2020) कि प्रबंधन द्वारा घोषित निर्माण की लागत निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित लागत की अपेक्षा बहुत अधिक थी तथा उपकर का निर्धारण 2006 में जारी प्रशासनिक आदेश के आधार पर किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारण प्राधिकारी ने लागत का निर्धारण जनवरी 2006 के प्रशासनिक आदेशों के आधार पर नहीं किया था।

### 3.2.5.5 अस्वीकृत चैकों के कारण उपकर की गैर-वसूली

जिला कार्यालयों में उपकर कलेक्टरों (श्रम अधिकारियों तथा निरीक्षण अधिकारियों) द्वारा नियोक्ताओं, ठेकेदारों, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र उपक्रमों, निगमों इत्यादि से एकाउंटपेयी चैकों के माध्यम से उपकर एकत्रित किया जाता है। तब इन चैकों को जिला कार्यालयों में तैनात बोर्ड स्टॉफ को बैंक खाते में जमा कराने के लिए सौंपा जाता है।

चयनित जिलों के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि जून 2016 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान दक्षिण जिले द्वारा ₹ 16 लाख के नौ चैक प्राप्त तथा जमा किए गए तथा दक्षिण-पश्चिम जिले द्वारा ₹ 26 लाख के 13 चैक खाते में अपर्याप्त शेष/पुराने चैक/विशेष कारण के उल्लेख किए बिना अस्वीकृत कर दिए गए तथा जिला कार्यालयों में पड़े थे। बोर्ड/उपकर कलेक्टरों ने राशि की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार ₹ 42 लाख की राशि का उपकर दिसंबर 2019 तक चूककर्ताओं से वसूल नहीं किया गया परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा निगरानी की कमी के कारण उपकर की हानि हुई।

इस मामले को मार्च 2014 को समाप्त वर्ष की भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में यह इंगित करते हुए उठाया गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 54 लाख की राशि के प्राप्त 28 चैक अस्वीकृत हो गए तथा दक्षिण पश्चिम जिला/उपकर कलेक्टर को वापिस किए गए परन्तु जनवरी 2020 तक कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

<sup>6</sup> (₹ 75.47 करोड़ ₹ 66.61 करोड़) का एक प्रतिशत

सरकार ने उत्तर दिया (सितम्बर 2020) कि मामले की विभिन्न बैठकों में चर्चा की गई तथा इस संबंध में जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि उपरोक्त उत्तर के संबंध में लेखापरीक्षा को प्रलेखित प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया।

### 3.2.6 कल्याण के उपाय

#### 3.2.6.1 निर्माण श्रमिकों की पहचान तथा पंजीकरण

दिल्ली भ.अ.नि.श्र. नियमावली 2002 के नियम 266 के अनुसार एक निर्माण श्रमिक को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों का लाभ उठाने के लिए बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकृत होने के लिए श्रमिकों को 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच का तथा किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में लगा होना आवश्यक है जो पूर्व के बारह महीनों के दौरान 90 दिनों से कम न हो। श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अपने पंजीकरण का नवीकरण कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दि.भ.अ.नि.श्र.क. के नियम 266(3) के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ नियोक्ता अथवा ठेकेदार से यह प्रमाणपत्र कि आवेदक एक निर्माण श्रमिक है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघों द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड ने दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिकों की पहचान के लिए न तो कोई सर्वेक्षण किया था और न ही किसी पद्धति को अपनाया था। दिल्ली में 10 लाख निर्माण श्रमिकों के बोर्ड के अनुमान (जनवरी 2019) के विपरीत मार्च 2019 तक केवल 17,339 (1.73 प्रतिशत) पंजीकृत किए गए थे जैसाकि तालिका-3.2.3 में दिया गया है।

#### तालिका-3.2.3: बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या

क्रम. सं.	वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में पंजीकृत श्रमिकों की सं.	वर्ष के दौरान नये सिरे से पंजीकृत श्रमिकों की संख्या (कॉलम 3 में से)	वर्ष के दौरान पंजीकृत नए श्रमिकों की संख्या	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिकों की कुल संख्या (जीवित सदस्य <sup>7</sup> )
1	2	3	4	5	6 (4+5)
1	2016-17	1,52,289	34,266	1,11,352	1,45,618
2	2017-18	1,45,618	69,388	67,823	1,37,211
3	2018-19	1,37,211	11,930	5,409	17,339

स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना

<sup>7</sup> नए व पुराने दोनों सदस्य जिनके पंजीकरण का नवीकरण किया गया है

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजीकृत श्रमिकों की संख्या में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। वर्ष 2018-19 में श्रमिकों का पंजीकरण काफी कम था जो 2017-18 में 67,823 से कम होकर 5,409 हो गया।

कल्याण बोर्ड में निर्माण श्रमिकों का कम पंजीकरण होने से भी वे श्रमिक जिनका जीवन कोविड 19 महामारी के दौरान प्रभावित हुआ था, को अनुग्रही भुगतान प्रदान करने के प्रयास अवरूद्ध हुए थे। बोर्ड ने अनुमानित 10 लाख निर्माण श्रमिकों के प्रति 24 मार्च 2020 को 37,127 पंजीकृत श्रमिकों तथा 12 मई 2020 को 39,600 पंजीकृत श्रमिकों को ₹ 5,000 की दो किश्तों में अनुग्रह सहायता भुगतान की अदायगी की।

बोर्ड ने अपने उत्तर में स्वीकार किया कि उसने दिल्ली में अनुमानित निर्माण श्रमिकों की पहचान नहीं की थी।

#### (क) पंजीकरण प्रक्रिया में पायी गयी कमियाँ

- मार्च 2019 तक दक्षिण पश्चिम जिला में पंजीकृत 1,44,325 निर्माण श्रमिकों में से नवम्बर 2018 तक 1,43,904 पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के आवेदन पत्र जिले में उपलब्ध नहीं थे। आवेदन पत्रों के अभाव में, जिला कार्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की पात्रता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।
- नियम 266 (8) निर्धारित करता है कि सचिव या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी प्रत्येक लाभार्थी को उस लाभार्थी की फोटो सहित एक पहचान पत्र<sup>8</sup> जारी करेगा एवं निर्धारित फार्म में पहचान पत्र का एक रजिस्टर रखेगा। लेखापरीक्षा ने पाया कि दक्षिण पश्चिम जिले में नवम्बर 2018 तक पंजीकृत 1,43,904 श्रमिकों के पहचान पत्र का रजिस्टर नहीं रखा गया था जबकि अप्रैल 2016 से मार्च 2019 की अवधि के दौरान उत्तर पश्चिम जिला के साथ पंजीकृत 1,19,082 श्रमिकों में से 45,545 पहचान पत्र निर्माण श्रमिकों के बदले विभिन्न पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघों को जारी किए गए जिससे श्रमिकों की पहचान की वास्तविकता संदिग्ध हो गई थी।
- विभिन्न निर्माण क्षेत्रों पर कार्यरत निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण एवं नये सिरे से पंजीकृत की प्रक्रिया को गति देने एवं जाली निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण को रोकने के संदर्भ में उपराज्यपाल ने (अप्रैल 2018) उनकी

<sup>8</sup> पहचान पत्र एक प्रलेखित प्रमाण के रूप में होता है कि जो श्रमिक 90 दिनों से अधिक के लिए निर्माण कार्य में लगे हुए थे, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण तथा लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

परियोजनाओं में कार्यरत निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण अधिकारी के रूप में एनडीएमसी, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, डीजेबी, एमसीडी, डीडीए इत्यादि के सहायक अभियन्ता (सिविल/इलेक्ट्रीकल) को अधिसूचित किया। हालाँकि इन पंजीकरण अधिकारियों में से किसी ने भी जनवरी 2020 तक उनकी किसी भी परियोजना में कार्यरत किसी भी निर्माण श्रमिक को पंजीकृत नहीं किया।

### 3.2.6.2 बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1996 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न लाभ जैसे सामान्य कार्यदिवसों के लिए नियत घंटे, विश्राम दिवस हेतु साप्ताहिक भुगतान, समयोपरि मजदूरी, स्थल पर आधारभूत कल्याण सुविधाएं, स्थल के निकट अस्थायी रूप से रहने के लिए आवास, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य उपाय प्रदान करता है। इसके अलावा अधिनियम भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण योजनाएं भी निर्धारित करता है। भ.अ.नि.श्र. अधिनियम 1996 की धारा 22 बोर्ड के 10 कार्यों को निर्धारित करती है नामतः (i) दुर्घटनाओं के मामले में लाभार्थी को तत्काल सहायता प्रदान करना (ii) साठ वर्ष की आयु पूरी कर चुके लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान (iii) गृह निर्माण हेतु लाभार्थी को ऋणों व अग्रिमों की संस्वीकृति (iv) लाभार्थियों को ग्रुप बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में भुगतान (v) लाभार्थी के बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (vi) लाभार्थी/आश्रितों की बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सा व्ययों का पूरा भुगतान (vii) महिला लाभार्थियों को मातृत्व लाभ (viii) ऐसे अन्य कल्याण उपायों तथा सुविधाओं का सुधार तथा प्रावधान बनाना (ix) किसी प्रतिष्ठान में भवन श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना में सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण अथवा नियोक्ता को ऋण अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करना (x) उस स्थानीय प्राधिकरण अथवा नियोक्ता को सहायता अनुदान का भुगतान जो भवन श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लाभ हेतु बोर्ड द्वारा सुविधाओं की संतुष्टता प्रदान करता है।

इस उद्देश्य के लिए 2002 में अधिसूचित दिल्ली भ.अ.नि.श्र. नियमावली में 10 कल्याण योजनाओं को निर्धारित किया जैसे (i) मातृत्व लाभ (ii) गृह निर्माण हेतु अग्रिम (iii) अशक्तता पेंशन तथा एक्स-ग्रेशिया भुगतान (iv) कार्य से संबंधित उपस्करों की खरीद हेतु ऋण (v) मृत्यु लाभ का भुगतान तथा अंतिम संस्कार करने में सहायता (vi) लाभार्थियों को चिकित्सा सहायता



(vii) बच्चों की शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (viii) विवाह हेतु वित्तीय सहायता (ix) पेंशन योजना तथा (x) पारिवारिक पेंशन।

तदनुसार दिल्ली सरकार ने अतिरिक्त कल्याण योजनाओं को अधिसूचित किया जैसे (i) कार्य से संबंधित उपस्करों की खरीद हेतु अनुदान [2012] (ii) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण एकेडमी की स्थापना [2012] (iii) उपयोगिता की वस्तुएं प्रदान करना [2012] तथा (iv) गर्भपात के लिए वित्तीय सहायता [2016]।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि भ.अ.नि.श्र. अधिनियम 1996 में निर्दिष्ट इन तीन योजनाओं जैसे (i) लाभार्थियों को ग्रुप बीमा योजना के लिए प्रीमियम के संबंध में भुगतान (ii) किसी प्रतिष्ठान में भवन श्रमिकों के कल्याण के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी योजना में सहायता के लिए स्थानीय प्राधिकरण अथवा नियोक्ता को ऋण अथवा आर्थिक सहायता प्रदान करना और (iii) उस स्थानीय प्राधिकरण अथवा नियोक्ता को सहायता अनुदान का भुगतान जो भवन श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लाभ हेतु बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट मानक से बोर्ड के कल्याण उपायों तथा सुविधाओं की संतुष्टता प्रदान करता है, में श्रम विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने योजनाओं को लागू करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं की थी।

#### (क) बोर्ड द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का अपर्याप्त कार्यान्वयन

उपकर के संग्रह करने का मूल उद्देश्य निर्माण श्रमिकों हेतु विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी उपायों को वित्तीय मदद करना था। हालांकि यह पाया गया एकत्रित किए गए उपकर का एक छोटा भाग ही कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया गया एवं पिछले कुछ वर्षों से एकत्रित उपकर संचित हो रहा है। वर्ष 2002-19 के दौरान बोर्ड ने उपकर, उपकर पर अर्जित व्याज एवं पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 3,273.64 करोड़ की राशि प्राप्त की जिसके विरुद्ध इसने कल्याणकारी योजनाओं पर मात्र ₹ 182.88 करोड़ खर्च किये। अतः एकत्रित उपकर के मात्र 5.59 प्रतिशत ही श्रमिकों को दिये जाने वाले लाभों पर खर्च किये गये। 2016-19 के दौरान संग्रहित किये गये कर ₹ 1056.55 करोड़ थे एवं कल्याणकारी योजनाओं पर किये गए खर्च ₹ 121.47 करोड़ (11.50 प्रतिशत) था। ब्याज सहित एकत्रित उपकर एवं शुल्क मार्च 2019 तक ₹ 2709.46 करोड़ संचित हो गया था। यह भी पाया गया कि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 3919 दावे भुगतान के लिए जिला कार्यालयों के पास लंबित थे (जुलाई 2019) परन्तु लंबित दावों के निपटान

हेतु बोर्ड/जिला कार्यालयों द्वारा कोई प्रयास नहीं किये गये। अप्रयुक्त उपकर निधि को मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में भी इंगित किया गया परन्तु इस संबंध में कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे।

#### **(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का गैर-अनुपालन**

उच्चतम न्यायालय के निर्देश (18 जनवरी 2010) के अनुसार राज्यों के लिए भवन श्रमिकों के पंजीकरण, भ.अ.नि.श्र. अधिनियम के अंतर्गत उपलब्ध लाभों तथा लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए मीडिया, ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन का उपयोग प्रभावी रूप से करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बोर्ड द्वारा 2016-19 की अवधि के दौरान योजना के लाभों की जानकारी देने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा बोर्ड के अभिलेखों में संगठित कैम्पों अथवा कोई पेम्पलेट इत्यादि जो कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में श्रमिकों के संज्ञान को बढ़ाने के लिए कभी बांटी गई हैं, के संबंध में कुछ नहीं था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि श्रमिकों के बीच केवल कुछ लाभार्थी, बोर्ड द्वारा चलाई गई योजनाओं की गैर-प्रचारता के कारण कल्याण योजनाओं के लाभ प्राप्त कर रहे थे। इसके अलावा बोर्ड ने ऐसे श्रमिकों जो अपने पंजीकरण का नवीकरण कराने में विफल रहे, की पहचान करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया।

इस प्रकार बोर्ड निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपाय प्रदान करने के अपने कार्यों को प्रभावी रूप से पूरा नहीं कर सका।

#### **(ग) बोर्ड की कल्याण योजनाओं का निधिकरण स्तर**

अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को योजनाओं के अंतर्गत लाभ लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में दावा आवेदन प्रस्तुत करना पड़ता है। बोर्ड, दावों को मंजूरी देने के बाद चैक और आर.टी.जी.एस. द्वारा वित्तीय सहायता का वितरण करता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-19 के दौरान 15 कल्याण योजनाओं में से छः पर कोई व्यय नहीं था (अनुलग्नक 3.3)। इनमें से तीन योजनाएँ जैसे (i) कार्य से संबंधित उपस्करों की खरीद हेतु अनुदान (ii) पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना तथा निर्माण एकेडमी की स्थापना तथा (iii) उपयोगिता की वस्तुएं प्रदान करना, श्रमिकों की उत्पादकता

के सुधार के लिए थी। इन योजनाओं पर व्यय न करने से श्रमिक अपनी योग्यता/उत्पादकता में सुधार के अवसर से वंचित रह गए जिससे बाद में निर्माण श्रमिकों की आय में वृद्धि हो सकती थी। इस अवधि के दौरान बाकी बची हुई नौ योजनाओं पर बोर्ड ने आगे ₹ 121.47 करोड़ वितरित किये जिसमें से ₹ 104.74 करोड़ सीधे शिक्षा निदेशालय के माध्यम से स्कूली बच्चों एवं एमसीडी स्कूलों के बच्चों के लिए भी शिक्षण हेतु वित्तीय सहायता के रूप में वितरित किए गये। हालांकि निर्माण श्रमिकों के बच्चों जिन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी से संबंधित कोई डेटा बोर्ड के पास उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा ने चार योजनाओं अर्थात् मृत्यु लाभ, मातृत्व लाभ, पेंशन योजना तथा विवाह सहायता के अंतर्गत किए गए भुगतानों से संबंधित तीन चयनित जिलों के रिकार्ड की जाँच की क्योंकि अन्य योजनाओं के अधीन खर्च कम था। इन चार योजनाओं पर समग्र रूप से बोर्ड तथा चयनित जिलों द्वारा इस अवधि के दौरान किया गया व्यय तालिका-3.2.4 में दिया गया है।

**तालिका-3.2.4: चार कल्याणकारी योजनाओं पर व्यय के ब्यौरे**

(₹ करोड़ में)

कल्याणकारी योजना	बोर्ड द्वारा समग्र रूप से वितरित राशि		चयनित जिलों द्वारा वितरित राशि	
	श्रमिकों की संख्या	वितरित राशि	श्रमिकों की संख्या	वितरित राशि
मृत्यु लाभ	671	5.88	391	3.35
पेंशन लाभ	209	2.31	128	0.72
मातृत्व लाभ	1508	3.52	936	2.07
विवाह सहायता	1092	4.98	612	2.79
<b>कुल</b>	<b>3480</b>	<b>16.69</b>	<b>2067</b>	<b>8.93</b>

स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना

लेखापरीक्षा ने 2016-19 के दौरान चयनित जिलों में इन चार योजनाओं के अंतर्गत पारित एवं भुगतान किये गये 2067 दावों की जाँच की एवं पाई गई कमियों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है:-

**(i) मृत्यु लाभों हेतु योजना का कार्यान्वयन**

दिल्ली भ.अ.नि.श्र. नियमावली 2002 के नियम 266 के अनुसार एक निर्माण श्रमिक के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उपायों के लाभों के प्राप्त करने के लिए बोर्ड में पंजीकृत कराना आवश्यक है। पंजीकृत होने के लिए श्रमिकों को 18 और 60 वर्ष की आयु के बीच का होना जरूरी है तथा आने वाले 12 महीनों के दौरान किसी भवन अथवा अन्य निर्माण कार्य में 90 दिनों से कम कामपर न लगे हुए हों। श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष अपने पंजीकरण का नवीकरण कराना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दि.भ.अ.नि.श्र.क. के

नियम 266(3) के अनुसार पंजीकरण हेतु आवेदन के साथ नियोक्ता अथवा ठेकेदार से यह प्रमाणपत्र कि आवेदक एक निर्माण श्रमिक है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि ऐसा प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघों द्वारा जारी प्रमाणपत्र अथवा संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त अथवा पंचायत के कार्यकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया जा सकता है। नियम 266(8) निर्धारित करता है कि सचिव अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी प्रत्येक लाभार्थी को उस लाभार्थी की फोटो सहित एक पहचान पत्र जारी करेगा। वह पहचान पत्र एक प्रलेखित प्रमाण के रूप में होता है कि श्रमिक निर्माण कार्य में 90 दिनों से अधिक से लगा हुआ है, पंजीकरण के लिए पात्र है तथा अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है।

दि.भ.अ.नि.श्र. नियमावली 2002 का नियम 278 निर्धारित करता है कि बोर्ड एक सदस्य की मृत्यु के मामले में मृत्यु लाभ के लिए सदस्य के नामित/आश्रितों को ₹ एक लाख की राशि संस्वीकृत कर सकती है। यदि मृत्यु रोजगार के समय के दौरान दुर्घटना के कारण होती है, सदस्य के नामित/आश्रितों का मृत्यु लाभ के लिए ₹ दो लाख संस्वीकृति किए जा सकते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि;

- 54 मामलों में जहाँ ₹ 46.94 लाख के मृत्यु लाभ वितरित किये गये थे, उसमें यह पाया गया कि पंजीकरण हेतु लाभार्थियों के आवेदन करने से पहले ही श्रमिकों को पहचान पत्र जारी कर दिये गये थे।
- इनमें से सात मामलों में जिसमें ₹ 6.60 लाख के भुगतान किये गये थे उसमें पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि निर्माण श्रमिक के मृत्यु की तिथि के बाद थी यद्यपि आवेदन पर मृतक श्रमिक के हस्ताक्षर थे तथा निर्माण श्रमिक संघ द्वारा जारी रोजगार का प्रमाणपत्र भी लगा हुआ था इसके अतिरिक्त इनमें से एक मामले में निर्माण श्रमिक के जन्म प्रमाण पत्र को उसकी मृत्यु की तिथि से 225 दिन बाद नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया था।

पंजीकरण हेतु आवेदनों के जमा करने से पहले पहचान पत्रों के जारी होने, पंजीकरण की तिथि एवं संघों इत्यादि द्वारा जारी प्रमाण पत्रों की तिथि के बीच कमियां बोर्ड के आंतरिक नियंत्रणों में बड़ी खराबियां तथा योजना के अंतर्गत अयोग्य दावेदारों द्वारा लिये जा रहे लाभों के जोखिम को बढ़ा देता है।

(ii) पेंशन लाभों का कार्यान्वयन

डीबीओसीडब्ल्यू नियम 2002 के नियम 272 बताता है कि निधि के कोई सदस्य जो नियमों के शुरु होने के बाद एक वर्ष से कम भवन श्रमिकों के रूप में कार्य किया है, साठ वर्ष के आयु पूरा करने पर पेंशन<sup>9</sup> हेतु योग्य होगा। इसके अतिरिक्त वर्ष में एक बार पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि:-

- सात मामलों में जिसमें ₹ 9.91 लाख पेंशन राशि का जारी होना शामिल था, श्रमिक जिन्हें पेंशन जारी किया गया था वे 60 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद दर्ज पाये गए। अभिलेखों में उपलब्ध अतिरिक्त दस्तावेजों के अनुसार, जिसमें आवेदकों के द्वारा प्रस्तुत उन शपथ पत्रों से अलग जन्मतिथि देखी गई।
- चार मामलों में 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले निर्माण श्रमिकों को ₹ 2.67 लाख की पेंशन राशि जारी की गई।
- सात मामलों, जिनमें ₹ 8.61 लाख की पेंशन राशि जारी की गई थी, श्रमिक स्कूलों के उप प्रधानाचार्य/कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर पंजीकृत किये गये थे जो कि अवैध थे, क्योंकि डीबीओसीडब्ल्यू नियम के अनुसार नियोक्ता या ठेकेदार या पंजीकृत निर्माण श्रमिक यूनियन या संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रमिक आयुक्त या पंचायत के कार्यकारी अधिकारी से प्रमाण पत्र आवश्यक है।

ग्यारह मामलों के संबंध में, बोर्ड ने उत्तर दिया कि जन्म की तारीख श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए शपथ पत्र के आधार पर सत्यापित कर ली गई थी जोकि नियमानुसार एक मान्य दस्तावेज है। उत्तर में श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजों में दिखाई गई जन्मतिथि के अंतर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। बाकी बचे सात मामलों में यह बताया गया की पंजीकरण निरीक्षण अधिकारी/डीसीडी की सत्यापन रिपोर्ट और सहायक श्रम आयुक्त(ए.एल.सी)/श्रम अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर किया गया था। डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 266 (2) के अनुसार बोर्ड का तर्क सही नहीं है, पंजीकरण केवल ठेकेदार पंजीकृत निर्माण श्रमिक संघ या एएलसी द्वारा जारी रोजगार का प्रमाण

<sup>9</sup> ₹ 150 प्रतिमाह (9.2.2012 तक), ₹ 1000 प्रतिमाह (3.3.2016 तक) और ₹ 3000 प्रतिमाह (4.3.2016 के बाद) प्रतिवर्ष ₹ 10 की वृद्धि के साथ, हर साल ₹ 10 और ₹ 300 प्रत्येक वर्ष

पत्र के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है न कि अन्य अधिकारियों के सत्यापन और एएलसी की अनुशंसा पर।

इस प्रकार कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में कमी थी क्योंकि प्रसव/मातृत्व लाभ, पेंशन आदि की योजनाओं के तहत लाभ अयोग्य कर्मियों को दिये गए थे।

### 3.2.7 क्रेच के प्रावधान का ना होना

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 35 में प्रत्येक स्थान पर क्रेच के प्रावधानों की आवश्यकता होती है, जहां 50 से अधिक महिला निर्माण श्रमिकों को नियोजित किया जाता है साथ ही ऐसी महिला श्रमिकों के छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए कमरा या कमरे हों।

हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस संबंध में बोर्ड के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किए गए थे।

### 3.2.8 निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा व स्वास्थ्य मानकों से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों का लागू न होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम की धारा 38 से 41 निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा हेतु विभिन्न सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान उपलब्ध कराते हैं जैसाकि सुरक्षा समितियों की रचना, सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति, भवन श्रमिकों के रोजगार की दशा में सुरक्षा व स्वास्थ्य हेतु मानकों को अपनाना, सुरक्षा सुनिश्चितता हेतु आवश्यक उपकरण व यन्त्र उपलब्ध कराना, रोजगार के दौरान स्वास्थ्य व बचाव, भवनों के बिध्वंस के संबंध में एहतियाती मानक, प्रत्येक कार्यस्थल पर पर्याप्त व उपयुक्त प्रकाश, किसी कार्यस्थल पर श्रमिकों को लाने व ले जाने हेतु सुरक्षित परिवहन, श्रमिकों के सुरक्षा व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने से संबंधित नीति इत्यादि।

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 42 निर्धारित करती है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी को भवन व अन्य निर्माण निरीक्षण हेतु मुख्य निरीक्षक की नियुक्त कर सकती है। इसके अतिरिक्त सरकार अधिनियम के उद्देश्यों हेतु निरीक्षकों के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है जो मुख्य निरीक्षक के नियंत्रक व पर्यवेक्षण के तहत कर्तव्य निभाएंगे। तदनुसार, श्रमआयुक्त और निरीक्षकों को बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम के लिए मुख्य निरीक्षक व निरीक्षक नियुक्ति किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधानों को लागू करने का काम औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय (डी.आई.एस.एच.), श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सौंपा गया था (नवम्बर 2010)। आगे यह देखा गया कि डी.आई.एस.एच. के साथ पंजीकृत प्रतिष्ठानों निर्माण स्थलों इत्यादि से संबंधित आँकड़ों के गैर आदान प्रदान के कारण बोर्ड/श्रम विभाग द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा और स्वास्थ्य मानक सुनिश्चित नहीं किए गए थे।

उप-निदेशक (डी.आई.एस.एच.) ने अपने उत्तर (अगस्त 2019) में कहा कि पंजीकरण विवरण जैसे कि स्थलों की संख्या, पंजीकरण संख्या, पता, श्रमिकों की संख्या संबंधित जे.एल.सी./डी.एल.सी. के द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई थी, जोकि बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम के तहत सुरक्षा व स्वास्थ्य प्रावधानों को लागू करने से संबंधित है।

सरकार ने अपने उत्तर (सितम्बर 2020) में कहा कि दिल्ली में एक नीतिगत मामले की तरह संस्थानों का निरीक्षण नहीं किया गया है और जब कोई शिकायत लिखित रूप में आती है तब नियमानुसार उचित कदम उठाये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो डीआईएसएच और ना ही बोर्ड ने निर्माण श्रमिकों के लिए सुरक्षा तथा स्वास्थ्य प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जैसाकि अधिनियम में प्रावधान था।

### 3.2.9 प्रतिष्ठानों का पंजीकरण

#### 3.2.9.1 निर्माण कार्य में लगे प्रतिष्ठानों की पहचान व पंजीकरण

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम की धारा 6 एवं 7 यह निर्धारित करती है कि निर्माण श्रमिकों को लगाकर निर्माण करने वाला प्रत्येक नियोक्ता, कार्य के प्रारंभ होने से 60 दिनों के भीतर प्रतिष्ठान के पंजीकरण के लिए जिले के पंजीकरण अधिकारी को एक आवेदन करेगा।

लेखापरीक्षा ने ऐसे उदाहरणों को देखा जहाँ बोर्ड निर्माण गतिविधियों में लगे प्रतिष्ठान के बारे में जानता था परन्तु उसे पंजीकृत करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक था। इसके अलावा बोर्ड/जिला कार्यालयों के भाग पर कार्यवाही ना करने के कोई कारण अभिलेखों में दर्ज नहीं थे। इनकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

- यद्यपि उनके द्वारा किये गये निर्माण कार्य के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों जैसे कि लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास

प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली नगर निगम इत्यादि द्वारा उपकर जमा किये गये परन्तु ठेकेदारों के प्रतिष्ठानों जो निर्माण श्रमिकों के वास्तविक नियोक्ता थे, के पंजीकरण हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य में निर्माण गतिविधियों के साथ जुड़े प्रतिष्ठानों के वास्तविक संख्या से संबंधित डेटा, बोर्ड/जिला कार्यालयों के पास उपलब्ध नहीं था। यह दर्शाता है कि अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की पहचान के लिए बोर्ड द्वारा कोई तंत्र गठित नहीं किया गया था।

सचिव(बोर्ड) ने अपने उत्तर (मई 2019) में स्वीकार किया कि इस संबंध में बोर्ड/राज्य सरकार द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया। उत्तर इस तथ्य का द्योतक है कि बोर्ड एवं श्रम अधिकारी ने श्रमिकों के उचित पंजीकरण हेतु कोई पर्याप्त कार्यवाही नहीं की।

- दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम जिलों में अप्रैल 2016 से मार्च 2019 के दौरान 368 एवं 698 निजी प्रतिष्ठानों द्वारा क्रमशः ₹ 13.23 करोड़ एवं ₹ 16.82 करोड़ की राशि उपकर के रूप में जमा की गई। हालाँकि कोई भी प्रतिष्ठान बोर्ड में पंजीकृत नहीं पाये गये। इसके अतिरिक्त 51 प्रतिष्ठानों जहाँ आंकलन अधिकारी (दक्षिण पश्चिम) द्वारा उपकर का आंकलन किया गया था, में से 48 प्रतिष्ठान बोर्ड में पंजीकृत नहीं पाये गये।
- दक्षिण व उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने चयनित जिलों में निजी पार्टियों द्वारा किये गये निर्माण कार्य के संबंध में 4682 भवन योजनाओं को मंजूरी दी। हालाँकि कोई भी प्रतिष्ठान जिला कार्यालयों में पंजीकृत नहीं पाये गये।

इस प्रकार दि.न.नि. तथा बोर्ड में उपकर की कटौती तथा जमा करने के लिए तैनात अन्य एजेंसियों में समन्वय की कमी के कारण 5796 निजी प्रतिष्ठान अपंजीकृत रह गए जो अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निजी प्रतिष्ठानों जिनके भवन योजनाए स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदित थे और जो भवन और अन्य निर्माण कार्यों में व्यस्त थे, के पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था।

सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि 2018 में ऑन-लाइन पंजीकरण आरंभ होने के पश्चात लगभग 400 प्रतिष्ठानों को ऑन-लाइन पंजीकृत किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जिन प्रतिष्ठानों ने बोर्ड को उपकर जमा किया था, वे बोर्ड में पंजीकृत नहीं पाए गए थे।



### 3.2.9.2 प्रमाणपत्रों के जारी होने में देरी

डीबीओसीडब्ल्यू नियम के नियम 24 (i) निर्धारित करता है कि पंजीकरण अधिकारी आवेदन प्राप्त करने के बाद प्रतिष्ठान को पंजीकृत करेगा व आवेदन प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर आवेदक को पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा।

अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि निर्माण गतिविधियों में शामिल 64 एवं 61 प्रतिष्ठानों को 2016-19 के दौरान क्रमशः दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम जिलों में पंजीकृत किया गया जबकि वर्ष 2016-18 के दौरान दक्षिण जिला में 56 प्रतिष्ठानों को पंजीकृत किया गया था (2018-19 हेतु डेटा नहीं दिया गया)। इन 181 मामलों में से 70 (38 प्रतिशत) मामलों में पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने में 15 से 390 दिनों की देरी हुई।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए सहायक श्रमायुक्त (दक्षिण पश्चिम) द्वारा यह कहा गया (अगस्त 2019) कि देरी सवालों के गैर-निपटान व सर्वर समस्याओं के कारण उत्पन्न हुई।

### 3.2.9.3 कार्य प्रारंभ करने से संबंधित सूचना प्रेषित नहीं करने के कारण जुर्माने का गैर आरोपित होना

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम का धारा 48 यह निर्धारित करती है कि यदि नियोक्ता भवन या अन्य निर्माण कार्य के प्रारंभ होने की सूचना देने में विफल रहता है तो उसे अधिकतम तीन महीने की जेल या ₹ 2000 तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकती हैं।

दक्षिण पश्चिम जिले के अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि बोर्ड में पंजीकृत 64 प्रतिष्ठानों में से नौ मामलों में वर्ष 2016-19 के दौरान नियोक्ताओं द्वारा कार्य प्रारंभ करने की कोई सूचना नहीं दी गई। आगे, 698 (दक्षिण पश्चिम) व 368 (दक्षिण) निजी प्रतिष्ठानों जिसने उस अवधि के दौरान उपकर जमा किया था, में से किसी ने भी कार्य प्रारंभ के बारे में सूचना प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिम जिले के आकलन अधिकारी द्वारा किए गए 51 आंकलनों में से किसी की भी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, 4682 प्रतिष्ठानों जहाँ भवन योजनाओं की अनुमति एमसीडी द्वारा दी गई थी, में से किसी ने कार्य प्रारंभ करने से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की। यह दर्शाता है कि न तो पंजीकरण अधिकारी और न ही आकलन अधिकारी ने प्रतिष्ठान के पंजीकरण/आकलन के समय उक्त तथ्यों को उठाया।

इस प्रकार, अधिनियम में प्रावधान के बावजूद पंजीकरण अधिकारी/आकलन अधिकारी ₹ 1.16 करोड़<sup>10</sup> का जुर्माना लगाने में विफल रहा।

#### 3.2.9.4 नियोक्ता द्वारा निर्धारित विवरणी प्रस्तुत ना करना

डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 242 में कहा गया है कि पंजीकृत प्रतिष्ठान का प्रत्येक नियोक्ता प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति के बाद 15 फरवरी तक अपने अधिकार क्षेत्र के पंजीकरण अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में प्रतिष्ठान से संबंधित वार्षिक विवरणी भेजेगा। प्रारूप में सूचनाएं जैसे स्थापना का नाम व पता, नियोक्ता का नाम व पता, भवन के कार्य की प्रकृति, वर्ष में नियोजित निर्माण श्रमिकों की संख्या, घटित दुर्घटनाएं, अगर कोई हो, भेजी जानी चाहिए।

रिकॉर्ड की नमूना जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष 2016-2019 में दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम जिलों में क्रमशः 56, 64 और 61 प्रतिष्ठान पंजीकृत की गई थीं।

यद्यपि, यह नोटिस किया गया कि ना तो पंजीकृत स्थापनाओं ने निर्धारित विवरणी भेजी थी और ना ही पंजीकरण अधिकारी द्वारा पूछा गया था। विवरणों की अनुपलब्धता में बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि इन स्थापनाओं में लगे निर्माण श्रमिक बोर्ड से पंजीकृत हैं और बोर्ड द्वारा चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का लाभ ले रहे हैं।

सहायक श्रम आयुक्त (दक्षिण पश्चिम) ने स्वीकार किया (अगस्त 2019) कि ये विवरणी जागरूकता के अभाव के कारण प्राप्त नहीं हो रही थी। वास्तविकता यह है कि पंजीकृत संस्था द्वारा विहित विवरणी नहीं भेजी गई।

#### 3.2.9.5 रोजगारदाता के अभिलेखों का निरीक्षण नहीं होना

बी.ओ.सी.डब्ल्यू अधिनियम की धारा 15 में कहा गया है कि प्रत्येक नियोक्ता एक पंजिका का अनुरक्षण इस प्रारूप में करेगा जिसमें कि भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में नियोजित लाभार्थियों के रोजगार का विवरण दर्शाया जा सकता है, और इसी का निरीक्षण बोर्ड के सचिव या बोर्ड के द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 43 श्रम विभाग के निरीक्षक को किसी संस्था जहाँ निर्माण कार्य चलाए जा रहे हैं के परिसर के निरीक्षण का अधिकार देता

<sup>10</sup> (698+368+51+9+4682) x ₹ 2000

है। यह निरीक्षण अपंजीकृत नियोक्ताओं और लाभार्थियों की पहचान में सहायक होगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड/चयनित जिलों के सहायक श्रमायुक्तों ने न तो निरीक्षणों के लिए स्थायी कोई लक्ष्य निर्धारित किया और न ही श्रम विभाग के निरीक्षकों के द्वारा किए निरीक्षण के किसी आँकड़ों का अनुरक्षण किया। इसके परिणामस्वरूप, पूरी संभावना है कि निर्माण कार्यों में लगे हुए श्रमिक, बोर्ड के साथ पंजीकृत होने शेष थे।

### 3.2.10 अन्य मुद्दे

#### 3.2.10.1 अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं से अधिक का प्रशासनिक व्यय

बीओसीडब्ल्यू अधिनियम 1996 की धारा 24 (3) प्रदान करती है कि किसी वित्तीय वर्ष में बोर्ड का प्रशासनिक व्यय उस वर्ष के कुल व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, 2016-17 एवं 2018-19 के दौरान प्रशासनिक व्यय कुल व्यय के क्रमशः 14.42 प्रतिशत एवं 12.20 प्रतिशत था जैसा कि तालिका-3.2.5 में दिया गया है। तालिका 3.2.5 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2016-17 और 2018-19 के दौरान कुल व्यय के विरुद्ध प्रशासनिक व्यय में प्रतिशत वृद्धि, कल्याणकारी योजनाओं पर कम खर्च के कारण थी।

तालिका-3.2.5: व्यय के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

वर्ष	योजनाओं पर व्यय	प्रशासनिक व्यय	कुल व्यय	कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक व्यय
2016-17	17.93	3.02	20.95	14.42
2017-18	72.89	3.59	76.48	4.69
2018-19	30.65	4.26	34.91	12.20

स्रोत: बोर्ड द्वारा प्रदत्त सूचना

#### 3.2.10.2 जिला कार्यालयों में कैश बुक का तैयार न होना

अभिलेखों की जाँच दर्शाती है कि दक्षिण, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम जिलों क्रमशः जनवरी 2017, जुलाई 2016 एवं दिसम्बर 2016 से पहले कैश बुक नहीं बनाते थे। 86,305 (नवम्बर 2016 तक) एवं 50,720 (दिसम्बर 2016 तक) श्रमिक क्रमशः उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण जिलों में पंजीकृत थे जिसे ₹ 34.26 लाख<sup>11</sup> (लगभग) की पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना था। हालाँकि, कैशबुक के अभाव में, लेखापरीक्षा में यह जाँच नहीं की

<sup>11</sup> पंजीकृत श्रमिकों की संख्या 137025 x ₹ 25

जा सकी कि क्या जो राशि निर्माण श्रमिकों से ली गई थी वास्तव में सरकारी खाते में जमा की गई थी।

दक्षिण पश्चिम जिला जुलाई 2016 से पहले जिले में पंजीकृत श्रमिकों की कुल संख्या के बारे में अनभिज्ञ था।

### 3.2.10.3 रसीद बुक का खोज से परे होना

पंजीकरण के समय, जिला कार्यालयों ने निर्माण श्रमिकों द्वारा भुगतान किए गए पंजीकरण शुल्क एवं वार्षिक शुल्क हेतु नकद रसीद (टीआर5) जारी की। लेखापरीक्षा ने पाया कि बोर्ड मुख्यालय द्वारा दक्षिण पश्चिम जिले को जारी किये गये 33,000 टीआर-5 फार्मों में से केवल 600 के रिकार्ड ही जिला कार्यालय के पास उपलब्ध थे। जारी किये गये शेष 29,400 टीआर-5 फार्मों/रसीदों और इन प्रतियों के विरुद्ध जमा की गई कुल राशि उपलब्ध नहीं थी। इन परिस्थितियों के अंतर्गत एकत्रित राशि के दुरुपयोग की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता।

### 3.2.10.4 प्राप्त राशि को बोर्ड के खाते में जमा नहीं करना

वर्ष 2016-17 के लिए दक्षिण पश्चिम जिले की कैश बुक की जाँच दर्शाती है कि निर्माण श्रमिकों से पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त ₹ 7.63 लाख में से ₹ 7.16 लाख की राशि को बोर्ड के खाते में जमा किया गया। ₹ 0.47 लाख की शेष राशि जनवरी 2020 तक जमा नहीं की गई। कम जमा की गई राशि को कैशबुक में नहीं दिखाया गया। यह दर्शाता है कि प्राप्त राशि के बोर्ड के खाते में जमा होने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रभावी तरीका या जाँच नहीं थी।

### 3.2.10.5 ब्याज की हानि

बोर्ड विभिन्न प्रतिष्ठानों व निर्माण श्रमिकों से जमा उपकर व अंशदान शुल्क के लिए 12 बैंक खातों संचालित करता है।

दस्तावेजों के परीक्षण से पता चला कि बोर्ड ने (मई 2014) 47 बैंकों से ₹ 100 करोड़ और ₹ 1100 करोड़ रेंज के बीच निधियों के निवेश के लिए दर विवरण आमंत्रित किए। 34 बैंकों के द्वारा भिन्न ब्याज दर के प्रस्ताव थे और बैंको द्वारा उद्घृत उच्चतम ब्याज की दर के आधार पर ₹ 100 करोड़, ₹ 500 करोड़, ₹ 258.50 करोड़ और 258.50 करोड़ की राशि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला विजया बैंक, केनरा बैंक और सेंट्रल बैंक में क्रमशः 9.25 प्रतिशत,

9.15 प्रतिशत, 9.10 प्रतिशत और 9.10 प्रतिशत के ब्याज की दर से निवेश किये थे।

यद्यपि आंध्रा बैंक ₹ 200 करोड़ और ज्यादा के निधियों के निवेश के लिए 9.15 प्रतिशत की ब्याज की दर उद्घृहित कर चुका था, बोर्ड ने ₹ 517 करोड़ एक न्यूनतम ब्याज की दर 9.10 प्रतिशत पर निवेश किये, परिणामस्वरूप मार्च 2019 तक ₹ 0.50 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

### 3.2.11 निगरानी और आंतरिक नियंत्रण तंत्र

एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रबंधन प्रक्रियाओं की सम्पूर्ण गुणवत्ता पर एक उचित आश्वासन प्रदान करती है और एक संगठन के द्वारा निष्पादित परिचालनों की निगरानी की सीमा दिखाती है। आंतरिक नियंत्रण और निगरानी तंत्र कमजोर था जैसाकि अनुगामी परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

#### 3.2.11.1 बोर्ड की बैठकें आयोजित करने में कमी

बोर्ड को कल्याण निधि के प्रशासन सरकार को संस्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु वार्षिक बजट और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, खातों का उचित अनुरक्षण व लेखों की लेखापरीक्षा, निधि हेतु अंशदान का संग्रह, हितों की संस्वीकृति और उचित व समय पर बोर्ड की बकाया किसी राशि के वसूलने की जिम्मेदारी सौंपी गई, डी.बी.ओ.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू. नियम 253 निर्धारित करता है कि बोर्ड गतिविधियों की निगरानी हेतु सामान्यतः दो महीने में एक बार बैठक करेगा। इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय भी निर्देशित करता है (दिसम्बर 2014) कि बोर्ड को उसके वैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन हेतु दो महीने में न्यूनतम एक बार बैठक करनी चाहिए।

यह पाया गया कि विदित 18 बैठकों के विपरीत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान मात्र सात बैठक संचालित की गई। इसके अतिरिक्त, वाँछित 81 बैठकों की संख्या संचालित होने के विपरीत (सितम्बर 2002 से मार्च 2016 तक, बोर्ड के गठन से), मात्र 27 बैठक संचालित की गई। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद, जहाँ बोर्ड की बैठकों की संख्या में 54 (33 प्रतिशत) कमी थी, जोकि बोर्ड को आदेशित उद्देश्यों के अनुसरण पर उसके पदाधिकारियों द्वारा उचित पर्यवेक्षण में कमी को दर्शाता है।

#### 3.2.11.2 समितियों का गठन न करना

- अधिनियम की धारा 4 (1) निर्धारित करती है कि राज्य सरकार एक समिति अर्थात् राज्य सलाहकार समिति (एस.ए.सी.), राज्य सरकार के

अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न ऐसे मामलो पर सलाह हेतु गठन करेगी और एस.ए.सी. छः महीने में न्यूनतम एक बार बैठक<sup>12</sup> का संचालन करेगी।

लेखापरीक्षा में पाया कि एस.ए.सी.<sup>13</sup>, डी.बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम की अधिसूचना के पश्चात दो बार<sup>14</sup> गठित हुई थी। एस.ए.सी. के गठन की अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, समिति की समयावधि अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की थी। उसी प्रकार, 2002 में गठित समिति 2005 तक अस्तित्व में थी और उसके पश्चात एस.ए.सी. जून 2019 में पुनः गठित हुई थी अर्थात् प्रथम एस.ए.सी. की समयावधि पूर्ण होने की तिथि से 14 वर्षों के पश्चात/एस.ए.सी. की कोई बैठक उसके कार्यकाल में अयोजित नहीं हुई। यह विहित मानदंड छः महीने में एक बैठक के आयोजन के विरुद्ध था।

- इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 5 (i) निर्धारित करती है कि सरकार एक या ज्यादा विशेषज्ञ समितियाँ भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में योग्य व्यक्तियों को शामिल कर अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए सरकार को सलाह देने के लिए गठन कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सरकार के द्वारा ऐसी विशेषज्ञ समितियों का गठन नहीं किया गया। ऐसी समितियों के अभाव में, श्रमिकों के अपेक्षित लाभ उपलब्ध कराने की योजनाएं प्रभावी रूप से लागू नहीं हो सकी।

उपर्युक्त समितियों के अभाव में, सरकार के पास अधिनियम और भवन व अन्य संरचना श्रमिकों के कल्याण के भी सुचारू क्रियान्वयन की सुनिश्चितता हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी।

### 3.2.11.3 प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत न करना

बो.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम की धारा 26 में कहा गया है कि बोर्ड एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा, गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखाजोखा होगा और इसकी एक प्रति राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को सौंपेगा। इसके अतिरिक्त, जैसाकि धारा 27 में प्रदत्त है बोर्ड के लेखों और

<sup>12</sup> डी.बी.ओ.सी.डब्ल्यू. नियम 20(1) के प्रावधानों के तहत

<sup>13</sup> श्रम मंत्री, राराक्षेदिस चैयरमैन, विधान मंडल के दो चयनित सदस्य, श्रम आयुक्त तथा निदेशक/उपनिदेशक औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पदेन सदस्य श्रम आयुक्त और निदेशक/उप निदेशक, उद्योगिक एवं स्वास्थ्य होंगे, एक केन्द्र सरकार द्वारा नामित, चार रोजगारदाता और चार कर्मियों के प्रतिनिधि, एक राज्य स्तरीय आरकीटैक्ट समिति और दुर्घटना बीमा संस्थान से एक सदस्य एस.ए.सी. में होंगे।

<sup>14</sup> (i) अक्टूबर 2002 और (ii) जून 2019

संबंधित अभिलेखों का उचित अनुरक्षण और निर्धारित प्रारूप में लेखों का एक वार्षिक विवरण तैयार करना चाहिए।

बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम का धारा 27 कहती है कि बोर्ड पर्याप्त लेखे और अन्य संबंधित अभिलेख बनाए रखेगा और लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में, जैसा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श में विधित हो, तैयार करेगा। सीएजी लेखापरीक्षा बोर्ड के लेखों की सीएजी डीपीसी अधिनियम की धारा 19(2) के साथ बी.ओ.सी.डब्ल्यू. अधिनियम 1996 की धारा 27(3) के साथ पठन के तहत होती है और एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार होती है जिसे राज्य विधान मंडल में रखा जाता है।

बोर्ड के वार्षिक लेखे मात्र वर्ष 2016-17 तक तैयार और लेखापरीक्षित हुए थे, जबकि वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लेखों को तैयार नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप सरकार बोर्ड की कार्यप्रणाली/निष्पादन तथा इसकी वित्तीय स्थिति की समुचित निगरानी करने की स्थिति में नहीं थी।

अतः सरकार बोर्ड के कार्यों/ प्रदर्शन और इसकी वित्तीय स्थिति की ठीक से देखरेख करने की स्थिति में नहीं थी।

### 3.2.12 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

आंतरिक लेखापरीक्षा का व्यय पर जाँच करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में कार्य करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विभिन्न गतिविधियों पर जाँच में मदद करती है। इस प्रकार किसी संगठन के सुचारु कार्य को सुनिश्चित करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण तंत्र है। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि बोर्ड ने वित्त सहित विभिन्न गतिविधियों पर जाँच में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने और उपकर संग्रह के उद्देश्य से कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नामित अधिकारियों की गतिविधियों की निगरानी करने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण शाखा की स्थापना नहीं की थी।

### 3.2.13 निष्कर्ष

बोर्ड की स्थापना दिल्ली में भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, और कल्याणकारी उपाय प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की गयी थी और उपकर की उगाही व संग्रहण इसका एक साधन था। यह पाया गया कि बोर्ड उपकर का संग्रहण कर रहा था और निर्माण श्रमिकों को कोई अनुरूप लाभ प्रदान किए बिना इसका संग्रहण कर रहा है। अपनी अनिवार्य जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बोर्ड ने कोई परिपेक्ष्य योजना या वार्षिक योजना तैयार नहीं की थी। हालाँकि बोर्ड के लिए प्रत्येक वित्तीय

वर्ष हेतु बोर्ड की अनुमानित प्राप्तियों व व्ययों को दिखाने वाला बजट तैयार करना आवश्यक था और इसे सरकार को अग्रेषित करना था, यह वर्ष 2002 में इसकी शुरुआत से एक बार भी तैयार नहीं हुआ जो बीओसीडब्ल्यू अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था।

वर्ष 2002-19 के दौरान, बोर्ड ने उपकर, उपकर पर कमाये ब्याज और पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹ 3,273.64 करोड़ की राशि प्राप्त की परन्तु श्रमिकों के लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर मात्र ₹ 182.88 करोड़ खर्च किए जोकि कुल संग्रहण का मात्र 5.59 प्रतिशत था। प्रशासकीय व्यय की सीमा कुल व्यय की पाँच प्रतिशत जैसा अधिनियम में विदित है, से अधिक थी, अर्थात् यह 2016-17 में 14.42 प्रतिशत और 2018-19 में 12.20 प्रतिशत थी। 2016-19 के दौरान बोर्ड द्वारा कार्यान्वित 15 कल्याण योजनाओं में से छः पर कोई व्यय नहीं हुआ था।

दिल्ली में जैसाकि डीबीओसीडब्ल्यू बोर्ड में अनुमानित 10 लाख निर्माण श्रमिकों में से, मात्र 17,339 (1.73 प्रतिशत) मार्च 2019 तक बोर्ड के साथ पंजीकृत थे, शेष श्रमिक (98 प्रतिशत) बोर्ड के द्वारा लागू कल्याणकारी योजनाओं की परिधि से बाहर थे। लेखापरीक्षा में कल्याणकारी योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के वितरण में कमियों को भी पाया जैसाकि अयोग्य लाभार्थियों को सहायता जारी करना, उचित दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण के बिना भुगतान या अमान्य दस्तावेजों के आधार पर भुगतान इत्यदि।

उपकर निर्धारण और संग्रहण में भी कमियाँ पायी गईं। यह सुनिश्चित करने के लिए जिला कार्यालयों में कोई तंत्र नहीं था कि निर्धारितियों ने अपने उपकर रिटर्न में निर्माण की लागत में पूरा विवरण शामिल किया है, और जहाँ विवरण उपलब्ध थे कुछ मामलों में कम उपकर लगाया गया।

बोर्ड के वार्षिक लेखे मात्र 2016-17 तक तैयार और लेखापरीक्षित किए गए थे। उपकर कलेक्टरों, जिला कार्यालयों और स्वयं बोर्ड के द्वारा प्रदत्त उपकर संग्रहण के आँकड़ों में अंतर था। अंतर मिलाये नहीं गए थे और इसलिए अंको की शुद्धता का सत्यापन लेखापरीक्षा में नहीं हो सकता था। बैंकों द्वारा चैकों की अस्वीकृति के कारण उपकर की कम वसूली भी हुई जिसके लिए बोर्ड द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इस प्रकार, बोर्ड दिल्ली में निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावी ढंग से सुरक्षित और बढ़ावा देने में सक्षम नहीं था, जैसा कि अधिनियम में परिकल्पित है। इसलिए, सरकार को बोर्ड के कार्यों की समीक्षा करने और दिल्ली में सभी निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और



सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है जैसा की अधिनियम में विदित है।

### 3.2.14 सिफारिशें

बोर्ड के लिए आवश्यक है:

- सभी भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की पहचान तथा पंजीकरण के लिए प्रणाली बनाना
- निर्माण कार्य में लगे प्रतिष्ठानों की पूरी सूची एकत्र करना तथा उसका रखरखाव करना
- स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा अनुमोदित सभी भवन योजनाओं के संपूर्ण डाटा को एकत्र करना तथा जिला मास्टर रजिस्ट्रों के रखरखाव के साथ-साथ निर्माण की अनुमानित लागत उपकर के भुगतान के विवरण इत्यादि से संबंधित सूचना प्राप्त करना तथा सुनिश्चित करना कि देय उपकर की गणना उचित रूप से की गई है।
- निर्माण श्रमिकों के मध्य अधिनियम के अंतर्गत उन्हें उपलब्ध लाभों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना

## प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय

### 3.3 अतिरिक्त संस्वीकृत विद्युत भार के कारण नियत बिजली प्रभारों पर ₹ 1.55 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान

डीटीयू द्वारा वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप संस्वीकृत विद्युत भार के निर्धारण में विफलता के परिणामस्वरूप नियत प्रभारों के कारण जुलाई 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹ 1.55 करोड़ का अधिक व्यय हुआ।

दिल्ली बिजली आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक (तीसरा संशोधन) विनियमन, 2016 (विनियमन) अनुबंध करता है कि लाइसेंसधारी मैक्सिमम डिमांड रीडिंग के औसत के उच्चतम को लेते हुए ग्राहक के संस्वीकृत विद्युत भार की समीक्षा करेगा जो पिछले वित्तीय वर्ष में लगातार किन्हीं चार महीनों के बिलिंग चक्र के अनुसार रिकार्ड किया गया हो। घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं जिनके पास 5 किलोवाट से अधिक संस्वीकृत विद्युत भार है, लाइसेंसधारी को विद्युत भार कम करने हेतु जहाँ एक अलग नोटिस के माध्यम से जरूरी समझा जाता है, ग्राहक की अनुमति लेना आवश्यक होता है। आगे, दिल्ली बिजली आपूर्ति कोड एवं निष्पादन मानक विनियमन 2007 का पैरा 21 बताता है कि उपभोक्ता विद्युत भार में कमी के कारणों के साथ 100 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए मूल ऊर्जन से एक वर्ष के पश्चात तथा 100 किलोवाट से अधिक के कनेक्शन के लिए मूल ऊर्जन से दो वर्षों के पश्चात विद्युत भार में कमी के लिए आवेदन कर सकता है।

दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) के पास 4256 किलोवाट के संस्वीकृत विद्युत भार के साथ लाइसेंसधारी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (टीपीडीडीएल) का एक घरेलू बिजली कनेक्शन है। टीपीडीडीएल द्वारा जारी संस्वीकृत विद्युत भार बिल पर आधारित एक निश्चित घटक और वास्तविक बिजली खपत के आधार पर भिन्न घटक होता है। आवश्यकता से अधिक संस्वीकृत विद्युत भार बढ़े हुए नियत प्रभारों के कारण अतिरिक्त व्यय को बढ़ा देता है।

डीटीयू के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2019) से पता चला कि विद्युत शक्ति (अधिकतम विद्युत भार) की वास्तविक मांग 2015-16, 2016-17 तथा 2017-18 वर्षों के दौरान क्रमशः 756-1866 किलोवाट, 679-1962 किलोवाट तथा 714-2042 किलोवाट के बीच की रेंज में थी। डीटीयू ने 4256 किलोवाट के संस्वीकृत विद्युत भार से बहुत कम वास्तविक

आवश्यकता होने के बावजूद लाइसेंसधारियों से मिलकर संस्वीकृत विद्युत भार को कम करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की जिससे अतिरिक्त संस्वीकृत विद्युत भार पर नियत प्रभारों के भुगतान से बचा जा सके। टीपीडीडीएल ने जुलाई 2018 से आरंभ हो रही बिलिंग अवधि से संस्वीकृत विद्युत भार में कमी के लिए डीटीयू को सूचित किया (मई 2018) क्योंकि वर्ष 2017-18 के दौरान अधिकतम डिमांड विद्यमान 4256 किलोवाट के विरुद्ध केवल 1709 किलोवाट संस्वीकृत विद्युत भार की ही आवश्यकता थी। हालांकि टीपीडीडीएल से नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, डीटीयू ने इस हेतु सहमति देने के लिए कोई आवश्यक कार्यवाही नहीं की तथा 4256 किलोवाट संस्वीकृत विद्युत भार के आधार पर बिजली शुल्क के भुगतान को जारी रखा। डीटीयू ने जुलाई 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान इस पर ₹1.55 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

इंगित किये जाने पर, डीटीयू ने कहा (अप्रैल 2019) कि यह एक अनुसंधान एवं नवीनीकरण विश्वविद्यालय था एवं विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करता था जिसे हर समय बिजली की उपलब्धता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय को संस्वीकृत विद्युत भार उपलब्ध हो।

संस्वीकृत विद्युत भार को कम न करने का कारण संतोषजनक नहीं है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय की वास्तविक आवश्यकता मई 2018 में नोटिस प्राप्त होने से पहले और बाद में संस्वीकृत विद्युत भार की अपेक्षा निरन्तर बहुत कम थी तथा इन वर्षों के दौरान आवश्यकताओं में ऐसी कोई अनिश्चितता नहीं थी। इसके अतिरिक्त विनियम जब कभी आवश्यकता होती है, वास्तविक उपभोग के आधार पर संस्वीकृत विद्युत भार को बढ़ाने के बारे में भी बताता है। इसके अलावा 2017-18 के दौरान संस्वीकृत विद्युत भार मैक्सिमम डिमांड रीडिंग की अपेक्षा 149.03 प्रतिशत अधिक था। इस प्रकार संस्वीकृत विद्युत भार वास्तविक बिजली खपत के समकालिक नहीं था तथा इसकी नियत बिजली प्रभारों के कारण व्यय को कम करने के लिए समीक्षा की जानी थी। डीटीयू द्वारा वास्तविक आवश्यकता पर आधारित संस्वीकृत विद्युत भार के सुधार हेतु कार्रवाई न करने की विफलता के परिणामस्वरूप जुलाई 2018 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹ 1.55 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। यदि संस्वीकृत विद्युत भार को वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित नहीं किया जाता है तो भविष्य में भी इससे संचित व्यय होगा।

### 3.4 ₹ 1.03 करोड़ के अतिरिक्त परिवहन भत्तों का अनियमित भुगतान

रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर पर परिवहन भत्ते (प.भ.) प्रदान किये जाने के कारण ₹ 1.03 करोड़ के अतिरिक्त प.भ. का अनियमित भुगतान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (रा.रा.क्षे.दि.स.) के वित्त विभाग के दिनांक 18 जुलाई 2011 के आदेश के पैरा 19 (ए) के संदर्भ में स्वायत्त निकायों/अनुदान संस्थानों के कर्मचारियों की सेवा के निबंधन व शर्तें अर्थात् वेतनमान, भत्ते इत्यादि सरकार में समान कैटेगरी के कर्मचारियों को लागू वेतनमान भत्ते इत्यादि से अधिक नहीं होंगे।

इनद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आई.आई.आई.टी.डी.), कैम्पस में रह रहे अपने कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों हेतु निर्धारित दरों पर परिवहन भत्ते (प.भ.) का भुगतान कर रहा है। कर्मचारियों को परिवहन भत्ते पर महँगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है। हालाँकि, आई.आई.आई.टी.डी. के शासक मंडल ने कैम्पस के बाहर रह रहे कर्मचारियों को मौजूदा दरों से दुगुना प.भ. प्रदान करने की अनुमति दी (अगस्त 2013) जिसके लिए वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. से अनुमति नहीं ली गई। परिणामस्वरूप आई.आई.आई.टी.डी. के 92 कर्मचारियों जो कैम्पस के बाहर रह रहे हैं, को अगस्त 2013 से दुगुने दर से प.भ. प्रदान किया जा रहा था। परिणामस्वरूप मई 2019 तक अतिरिक्त परिवहन भत्ते पर ₹ 103.45 लाख का अनियमित व्यय हुआ जो दिनांक 18 जुलाई 2011 के सरकारी आदेशों का उल्लंघन था।


आई.आई.आई.टी. दिल्ली ने अपने उत्तर (अप्रैल 2018 एवं जुलाई 2019) में कहा कि संस्थान पूर्णतः स्वायत्त है एवं इसके बोर्ड को इसके अधिनियम के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के निबंधन व शर्तों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सके। उन्होंने आगे कहा कि यह ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में परिवहन की लागत बहुत अधिक है तथा हाल के वर्षों में जो कैम्पस से बाहर रह रहे हैं, उनके लिए यह काफी ज्यादा हो गई है तथा उन्हें यह अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा है। अतः बोर्ड द्वारा उन्हें अतिरिक्त परिवहन भत्ता प्रदान किये जाने की अनुमति दी गई है।

आई.आई.आई.टी.डी. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रा.रा.क्षे.दि.स. के दिनांक 18 जुलाई 2011 के आदेश के अनुसार सभी स्वायत्त निकायों/अनुदान ग्राही संस्थानों को वित्तीय अनुशासन व व्यय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के

लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा समय-समय पर जारी सभी मितव्ययिता अनुदेशों का पूर्ण रूप से पालन करना था तथा इन अनुदेशों में किसी छूट के लिए वित्त विभाग की सहमति आवश्यक थी। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को परिवहन लागत में वृद्धि की पूर्ति के लिए परिवहन भत्ते पर महँगाई भत्ता भी दिया जाता है।

इस प्रकार रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग से पूर्व सहमति प्राप्त किए बिना दुगुनी दर पर परिवहन भत्ता प्रदान करने के कारण ₹ 1.03 करोड़ के अतिरिक्त प.भ. का अनियमित भुगतान हुआ।

नई दिल्ली  
दिनांक: 24 मई 2021



(समर कान्त ठाकुर)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 27 मई 2021



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



अनुलग्नक





**अनुलग्नक 1.1**  
**(पैराग्राफ 1.1.5 देखें)**  
**निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति**

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	आरम्भिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निकासी			अन्तिम शेष		
	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य	नि.प्र.	पैराग्राफ	धन मूल्य
2009-10	289	4,481	3,093.36	108	2,972	2,900.71	11	301	218.47	386	7,152	5,775.60
2010-11	386	7,152	5,775.60	54	2,009	1,831.89	85	564	434.09	355	8,597	7,173.40
2011-12	355	8,597	7,173.40	96	2,204	3,079.27	24	657	394.02	427	10,144	9,858.65
2012-13	427	10,144	9,858.65	104	1,610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
2013-14	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	0.00	558	11,941	11,595.76
2014-15	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12,288	11,747.93
2015-16	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	9	129	4.12	690	12,617	11,796.04
2016-17	690	12,617	11,796.04	111	650	169.04	11	357	484.30	790	12,910	11,480.78
2017-18	790	12,910	11,480.78	70	499	1,038.00	9	3,879	5,383.67	851	9,530	7,135.11
2018-19	851	9530	7,135.11	65	393	510.05	6	328	298.74	910	9,595	7,346.42

**अनुलग्नक 1.2**  
**(पैराग्राफ 1.1.6 देखें)**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफों की स्थिति व वसूल की गई राशि

(राशि ₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों का धन मूल्य	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धन मूल्य	वर्ष 2018-19 के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2019 तक स्वीकृत मामलों की वसूल की गई संचित स्थिति	वसूली की प्रतिशतता
2008-09	15	1,729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1,764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1,479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
2014-15	1	1.34	1	1.34	-	0.02	1.49
2015-16	4	122.13	4	7.02	-	0.01	0.14
2016-17	7	254.46	7	7.04	-	00	0.00
2017-18	7	705.58	7	390.39	-	0.00	0.00
<b>कुल</b>	<b>90</b>	<b>9,054.81</b>	<b>42</b>	<b>732.28</b>	<b>-</b>	<b>1.85</b>	<b>0.25</b>

**अनुलग्नक 1.3**  
**(पैरा 1.3 (ए) देखें)**  
**व्यावसायिक के बजाय लागू की गई आवासीय दरें**

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	पंजी. संख्या/बुक सं./वॉल्यूम सं./दिनांक	क्षेत्र/प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग मी.)	सर्कल रेट के अनुसार संपत्ति की राशि	देय स्टाम्प ड्यूटी (एसडी) और पंजीकरण शुल्क(पंजी.शु.) {एसडी की दर-6% (पुरुष) या 4% (महिला), पंजी.शु.की दर-1% }	भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	अन्तर	टिप्पणियां
1.	5180/1/1743 4/91-106/ 28.05.2018	1227.67, 552	भू.ला. =127680*3*1227.67 = 470246717 नि.ला. =12840*.6*552 = 4252608 कुल लागत : 474499325	एसडी-28469960 पंजी.शु.-4744993 कुल =33214953	एसडी-9627000 पंजी.शु.-1604452 कुल =11231452	21983501	संपत्ति निटको लॉजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड द्वारा 1975 में खरीदी गई थी और इसका उपयोग इसकी शाखा कार्यालय के रूप में किया गया था। बाद में इसे सुजाता होटल्स प्राईवेट लिमिटेड ने वर्ष 2005 में खरीद लिया लेकिन इसके अनुरोध पर इस विलेख के माध्यम से एसएचपीएल रियल्टी प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में विलेख बनाया गया। संपत्ति 1975 के बाद से व्यावसायिक रूप में उपयोग में है। इस प्रकार, इसे व्यावसायिक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए।
2.	14220/1/240 61/87-94 /14.12.2018	139.63, 130.90	भू.ला. =139.63*127680*3 = 53483875 नि.ला. =130.90*12840 =1680756 कुल लागत : 55164631 संपत्ति की लागत का 50% =27582316	एसडी-1654939 पंजी.शु.-275823 कुल=1930762	एसडी-921000 पंजी.शु.-153500 कुल=1074500	856262	हस्तांतरण के तहत संपत्ति व्यावसायिक दुकान प्लॉट पर बनाई गई है। इस प्रकार संपत्ति व्यावसायिक है।

3.	10455/16734/ 1-15/ 08.12.2016	12.76, 63.777	भू.ला. =12.76*127680*3 = 4887590 नि.ला.=63.777*12840 = 818897 कुल लागत= 5706487	एसडी-342389 पंजी.शु.-57065 कुल=399454	एसडी-141000 पंजी.शु.-23500 कुल=164500	234954	प्रस्तुतीकरण विवरण के अनुसार संपत्ति को दुकान के रूप में दिखाया गया है, साथ ही पूरे मंजिल को मानचित्र में दुकान के रूप में दिखाया गया है। बगल के हिस्से को भी समान क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य संपत्ति को 'व्यावसायिक' के रूप में पंजीकृत किया गया है।
4.	10456/16734/ 16-30/ 08.12.2016	12.76, 63.777	भू.ला. =12.76*127680*3 = 4887590 नि.ला.=63.777*12840 =818897 कुल लागत=5706487	एसडी-342389 पंजी.शु.-57065 कुल=399454	एसडी-141000 पंजी.शु.-23500 कुल=164500	234954	प्रस्तुतीकरण विवरण के अनुसार संपत्ति को दुकान के रूप में दिखाया गया है, साथ ही पूरे मंजिल को मानचित्र में दुकान के रूप में दिखाया गया है। बगल के हिस्से को भी समान क्रेताओं और विक्रेताओं के मध्य संपत्ति को 'व्यावसायिक' के रूप में पंजीकृत किया गया है।
5.	10574/16739/ 59-68/ 19.12.2016	232.43, 901.29	भू.ला. =232.43*70080*3 =48866083 नि.ला. =901.29*.6*10800 =5840359 कुल लागत= 54706442 15% अंश= 8205966	एसडी-328239 पंजी.शु.-82060 कुल=410299	एसडी-192000 पंजी.शु.-48000 कुल=240000	170299	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार संपत्ति में किसी भी आवासीय मंजिल अर्थात् पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल पर कोई रसोई नहीं है। इसके अलावा, इन मंजिलों के सभी कमरे शौचालय युक्त हैं और कमरे इतने व्यवस्थित हैं कि पैसेज से हर एक की सेवा एक होटल की तरह कर सकते हैं। इसके अलावा, एनडीएमसी से सत्यापित किया गया और पाया कि संपत्ति एक व्यावसायिक संपत्ति है।
6.	7728/1/2284 5/101- 120/11.08.20 16	108.70, 371.6	भू.ला. 108.70*127680*3/4 =10409112 नि.ला. 92.90*12840 =1192836 कुल लागत-11601948	एसडी-696117 पंजी.शु.-116019 कुल=812136	एसडी-360000 पंजी.शु.-60000 कुल=420000	392136	हस्तांतरण के तहत संपत्ति व्यावसायिक दुकान की प्लॉट पर बनाई गई है।
<b>कुल</b>						<b>23872106</b>	

**अनुलग्नक 1.4**  
**(पैरा 1.3 (बी) देखें)**  
**संपत्तियों के मूल्यांकन की गलत गणना**

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	पंजी. संख्या/बुक सं./वालयूम सं./पंजीकरण तिथि	क्षेत्र/प्लिंथ क्षेत्र (वर्ग मी.)	सर्कल रेट के अनुसार संपत्ति की राशि	देय स्टाम्प ड्यूटी {दर-6%(पुरुष) या 4% (महिला)} और पंजीकरण शुल्क दर -1%	भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क	अन्तर	टिप्पणियां
<b>उप-पंजीयक विवेक विहार</b>							
1.	4704/1/811/ 05.07.2016	41.805, 82.9	भू.ला. -56640*41.805*1 = 2367835 नि.ला. - 8220*82*.9*1 = 606636 दूसरी मंजिल - 8220*41*1*1 = 337020 कुल लागत - 3311491	6%=198689 1%=33115 = 231804	प्रतिफल राशि ₹ 38000  199800 + 1000 = 200800	31004	पंजीकरण शुल्क ₹ 33115 के स्थान पर ₹1000 भुगतान किया गया
2.	4996/1/822/ 15.07.2016	32.16, 107.99	भू.ला. -127680*32.16*3 = 12318566 नि.ला. - 12840*107.99*1*1 = 1386592 कुल लागत - 13705158 83.4% @6%- 11430102 16.6%@4% - 2275056	6%=685806 4%=91002 1%= 137052 = 913860	प्रतिफल राशि ₹ 7000000  749000 + 132000 = 881000	32860	नि.ला. की गणना करते समय सुपर क्षेत्र नहीं लिया गया।
3.	5142/1/827/ 20.07.2016	7.54, 7.54	भू.ला. -70080*7.54*3 = 1585210 नि.ला. - 10800*7.54*.8*1 = 65146 कुल लागत - 1650356	4%=66014 1%=16504 = 82518	प्रतिफल राशि ₹ 750000  30000 + 7500 = 37500	45018	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

4.	5161/1/828/ 21.07.2016	44.93, 44.93	भू.ला. - 70080*44.93*3/1 = 9446083 नि.ला. - 10800*44.93*.8*1 = 388195 कुल लागत - 9834278	6%=590057 1%=98343 = 688400	प्रतिफल राशि ₹ 3550000 213000 + 35500 = 248500	439900	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। भू.ला. की गणना करते समय भूमि का पूरा क्षेत्र लिया जाना चाहिए।
5.	5162/1/828/ 21.07.2016	9.05, 9.05	भू.ला. -70080*9.05*3 = 1902672 नि.ला. - 10800*9.05*1*1 = 97740 कुल लागत - 2000412	6%=120025 1%=20004 = 140029	प्रतिफल राशि ₹ 750000 45000 + 7500 = 52500	87529	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
6.	5362/1/835/ 28.07.2016	6.5, 6.5	भू.ला. -70080*6.5*3 = 1366560 नि.ला. - 10800*6.5*.8*1 = 56160 कुल लागत - 1422720	6%=85363 1%=14227 = 99590	प्रतिफल राशि ₹ 600000 36000 + 6000 = 42000	57590	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।
7.	8927/1/1294/ 15.12.2017	70.2324, 70.2324	भू.ला. - 56640*70.2324*3/2 = 5966945 भू.ला. - 56640*70.2324*1/2 = 1988982 नि.ला. - 9480*70.2324*0.8*1 = 532643 कुल लागत - 8488570	6%=509314 1%=84886 = 594200	प्रतिफल राशि ₹ 7170000 430200 + 71700 = 501900	92300	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को 3 के स्थान पर 2 से विभाजित किया जाना चाहिए।
8.	9074/1/1300/ 20.12.2017	55.60, 16.72	भू.ला. -56640*55.60 = 3149184 भू.ला. -56640*16.72*3 = 2841062 नि.ला. - 8220*55.60*0.8*1 = 365626 नि.ला. - 9480*16.72*0.8*1 = 126804 कुल लागत - 6482676	4%=259307 1%=64826 = 324133	प्रतिफल राशि ₹ 2500000 100000 + 25000 = 125000	199133	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को किसी भी हिस्से से विभाजित नहीं किया जाना चाहिए।

9.	4278/1/1480/ 18.05.2018	10.37, 10.37	भू.ला. - 70080*10.37*1/2 = 363365 नि.ला. - 9360*10.37*0.9*1 =87357 कुल लागत - 450722	6%=27043 1% =4507 = 31550	प्रतिफल राशि ₹ 280000  16800 + 2800 = 19600	11950	दस्तावेज में दर्शाये गये संपत्ति के विवरण के अनुसार भूमि के हिस्से को 3 के स्थान पर 2 से विभाजित किया जाना चाहिए।
10.	4581/1/1492/ 29.05.2018	43.47, 42	भू.ला. -56640*43.47/3 = 820714 नि.ला. - 8220*42*1*1 = 345240 कुल लागत - 1165954	6%=69957 1% =11660 = 81617	प्रतिफल राशि ₹ 1100000  66000 + 11000 = 77000	4617	नि.ला. के लिए आयु घटक 1 के स्थान पर 0.8 का उपकुल किया गया।
11.	1601/1/1015/ 30.03.2017	193, 193	भू.ला. -193*70080 =13525440 नि.ला. - 193*9360*1 =1806480 कुल लागत -15331920	4%=613277 1% =153319 =766596	प्रतिफल राशि ₹ 12520000  500800 + 125200 = 626000	140596	संपत्ति कृष्णा नगर में है और यह एफ के बजाय श्रेणी ई में आती है। इसलिए दरें एफ के स्थान पर ई श्रेणी की लागू की जानी चाहिए।
<b>उप-पंजीयक कालका जी</b>							
12.	1926/1/14563/ 11.05.2017	आनुपातिक भूमि हिस्सा 36.89 (6896*59.78/1117 2.241) प्लिंथ क्षेत्र 59.78	भू.ला. - 36.89*127680*3*1 = 14130346 नि.ला. - 59.78*12840*1*1 = 767575 कुल लागत- 14897921	6%=893875 1%=148979 = 1042854	प्रतिफल राशि ₹ 5949832  376800 + 59499 = 436299	606555	भूमि के हिस्से की राशि की गणना नहीं की गयी, पार्टी द्वारा केवल प्लिंथ क्षेत्र पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया गया ।
13.	1214/1/15314/ 07.03.2019	आनुपातिक भूमि हिस्सा 18.30 (6896*29.66/1117 2.241) प्लिंथ क्षेत्र 29.66	भू.ला. - 18.30*127680*3*1 = 7009632 नि.ला. - 29.66*12840*1*1 = 380834 कुल लागत - 7390466	5%=369523 1%=73905 = 443428	प्रतिफल राशि ₹ 4120000  206000 + 41200 = 247200	196228	स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की गणना अधिसूचना के अनुलग्नक के पैरा 1 और 3 (अर्थात भूमि लागत और नि.ला. अलग-अलग) के अनुसार लागू नहीं की गई।

उप-पंजीयक रोहिणी						
14.	4353/1/6883/ 10.05.2016	34, 34	भू.ला. - 34*70080*1*1 =2382720 नि.ला. - 34*9360*1*1 =318240 कुल लागत - 2700960	6%=162058 1%=27010 = 189068	प्रतिफल राशि ₹ 2500000 150000 + 25000 = 175000	14068 फॉर्म-ए के अनुसार हस्तांतरण संपत्ति का प्लिंथ क्षेत्र 34 वर्गमीटर है, लेकिन गणना के लिए प्लिंथ 34 वर्गमीटर के स्थान पर 11.22 वर्गमीटर लिया गया।
15.	4743/1/6899/ 20.05.2016	60, 60	भू.ला. -60*70080*1*1 =4204800 नि.ला. - 60*9360*1*1 =561600 कुल लागत - 4766400	5%=238320 1%=47664 = 285984	प्रतिफल राशि ₹ 4400000 220000 + 44000 = 264000	21984 फॉर्म-ए के अनुसार हस्तांतरण संपत्ति का प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर है, लेकिन नि.ला. की गणना के लिए प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर के स्थान पर 20 वर्गमीटर लिया गया।
16.	4825/1/6902/ 24.05.2016	60, 60	भू.ला. -60*70080*1*1 =4204800 नि.ला. - 60*9360*1*1 =561600 कुल लागत - 4766400	5%=238320 1%=47664 = 285984	प्रतिफल राशि ₹ 4400000 220000 + 44000 = 264000	21984 फॉर्म-ए के अनुसार हस्तांतरण संपत्ति का प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर है, लेकिन नि.ला. की गणना के लिए प्लिंथ क्षेत्र 60 वर्गमीटर के स्थान पर 20 वर्गमीटर लिया गया।
17.	2511/1/8356/ 07.03.2019	400, 660	भू.ला. - 400*46200*2*1 =36960000 नि.ला. - 660*8040*1*1 =5306400 कुल लागत - 42266400	6%=2535984 1%= 422664 = 2958648	प्रतिफल राशि ₹ 41800000 2508000 + 418000 =2926000	32648 फॉर्म-ए के अनुसार निर्माण का वर्ष 2000 है, इसलिए, संपत्ति के निर्माण की लागत की गणना के लिए आयु घटक 0.09 के स्थान पर 1.0 लागू किया जाना चाहिए।
18.	3068/1/8380/ 22.03.2019	56.144, 56.144	आनुपातिक भूमि का हिस्सा 996.387*56.144/5526.96 = 10.12 भू.ला. - 10.12*70080*3 =2127629 नि.ला. - 56.144*10800*1*1 = 606355 कुल लागत -2733984	6%=164039 1%=27340 =191379	प्रतिफल राशि ₹ 2600000 156000 +26000 =182000	9379 दस्तावेज में संपत्ति के निर्माण की लागत की गणना करते समय सुपर क्षेत्र नहीं लिया गया।



19.	3069/1/8380/ 22.03.2019	29.97, 29.97	आनुपातिक भूमि हिस्सा 996.387*29.97/5526.96 = 5.40 भू.ला. -5.40*70080*3 =1135296 नि.ला. - 29.97*10800*1*1 = 323676 कुल लागत -1458972	6%=87538 1%=14590 =102128	प्रतिफल राशि ₹ 1400000 84000 +14000 =98000	4128	दस्तावेज में संपत्ति के निर्माण की लागत की गणना करते समय सुपर क्षेत्र नहीं लिया गया।
<b>उप-पंजीयक आसफ अली रोड</b>							
20.	4563/1/17407/ 10.05.2018	104.52, 43.025	भू.ला. - 104.52*127680*1/4 =3336278 नि.ला. - 43.025*11160*1*1 =480159 कुल लागत - 3816437	6%=228986 1%=38164 =267150	प्रतिफल राशि ₹ 3500000 210000 +350000 =245000	22150	निर्माण की लागत 43.025 वर्गमीटर (मानचित्र के अनुसार सही प्लिंथ क्षेत्र) के स्थान पर 14 वर्गमीटर ली गयी। हस्तांतरित संपत्ति के कुल मूल्य की गणना के लिए तीसरी मंजिल की छत के अधिकारों के लिए कोई प्रतिफल राशि नहीं ली गई।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

21.	4159/1/17389/ 01.05.2018	125.42, 104.518	भू.ला.-25.09*127680*1 =3203491 नि.ला.-11160*125.423*1*1 =1399721 कुल लागत- 4603212	5%=230160 1%=46032 =276192	प्रतिफल राशि ₹ 3450000 172500 +34500 =207000	69193	निर्माण की लागत रसोईघर, स्नान गृह इत्यादि चौथी मंजिल के निर्माण सहित (सही प्लिंथ क्षेत्र) 125.423 वर्ग मीटर के स्थान पर 20.91 वर्ग मीटर ली गयी।
22.	5113/1/17431/ 30.05.2018	46.01, 46.01	भू.ला.- दो मंजिलों के लिए: 46.01*127680*1*2/5 =2351866 नि.ला.-दो मंजिलों के लिए: 46.01*11160*1*1*2 =1026943 कुल लागत- 3378809	4%=135152 1%=33788 =168940	प्रतिफल राशि ₹ 1695000 67800 +16950 =84750	84190	दो मंजिलों की बिक्री में केवल एक मंजिल की भूमि की लागत शामिल है।
23.	5212/1/17435/ 29.05.2018	71.81, 71.81	भू.ला.-71.81*127680*1/4 = 2292175 नि.ला.-71.81*11160*1*.8 =641120 कुल लागत- 2933295	4%=117332 1%=29333 =146665	प्रतिफल राशि ₹ 2500000 100000 +25000 =125000	21665	भू.ला. 14.362 वर्ग मीटर की अपेक्षा 17.9525(71.81/4) वर्ग मीटर ली गई
24.	4134/1/17388/ 01.05.2018	57, 128.43	भू.ला.-40% 214.05*127680*40/100 = 10931962 नि.ला.-40% 214.05*11160*1.5*.6*40/100 = 859967 कुल लागत- 11791929	6%=707516 1%=117919 =825435	प्रतिफल राशि ₹ 11600000 696000 +116000 =812000	13435	दो मंजिलों सहित कुल सम्पत्ति का 40% हिस्सा हस्तांतरण के अंतर्गत है। प्रथम मंजिल के निर्माण की लागत शामिल नहीं है।
25.	4755/1/17415/ 15.05.2018	18.58, 74.36	भू.ला.-18.58*70080*3*1 = 3906259 नि.ला.-74.36*10800 = 803088 कुल लागत- 4709347	5%=235467 1%=47093 =282560	प्रतिफल राशि ₹ 4000000 200000 +40000 =240000	42560	भू.ला. 14.87 वर्ग मीटर की अपेक्षा 18.58 वर्ग मीटर (8*25/9/50*41.81) ली गई।
26.	1195/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% (117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)] = 3085272 नि.ला. 25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)] = 508005 कुल लागत- 3593277	6%=215597 1%=35933 =251530	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 189000 +31500 =220500	31030	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लाट क्षेत्र 75.24 वर्ग मीटर लिया गया था।
27.	1197/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% {(117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)}] = 3085272	6%=215597	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 189000 +31500	31030	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लाट क्षेत्र 75.24 वर्ग

			नि.ला.-[25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)}] = 508005 कुल लागत- 3593277	1%=35933 =251530	=220500		मीटर लिया गया था।
28.	1196/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% {(117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)}] = 3085272 नि.ला.-[25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)}] = 508005 कुल लागत- 3593277	4%=143731 1%=35933 =179664	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 126000 +31500 =157500	22164	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लॉट क्षेत्र 75.24 वर्ग मीटर लिया गया था।
29.	1194/1/17258/ 06.02.2018	117.4, 71.06 & 117.4	भू.ला.-[25% {(117.4*70080*3/4) +(117.4*70080*3/4)}] = 3085272 नि.ला.-[25%{(10800*71.06*.5) +(117.4*9360*3*.5)}] = 508005 कुल लागत- 3593277	4%=143731 1%=35933 =179664	प्रतिफल राशि ₹ 3150000 126000 +31500 =157500	22164	सही क्षेत्र 117.4 वर्ग मीटर की अपेक्षा सम्पत्ति का प्लॉट क्षेत्र 75.24 वर्ग मीटर लिया गया था।
30.	1130/1/17255/ 03.02.2018	64.431, 42.27	भू.ला.-66.431*56640*3/5 = 2257591 नि.ला.-66.431*9480*.9 = 566789 कुल लागत-2824380	6%=169463 1%=28244 =197707	प्रतिफल राशि ₹ 1800000 108000 +18000 =126000	71707	दस्तावेजों के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार दस्तावेजों में उल्लिखित 42.27 वर्गमीटर के स्थान पर प्लॉट क्षेत्र की गणना 66.431 वर्ग मीटर (55*130/9/50*41.81) निकाली गई।
31.	9802/16705/ 31.10.2016	238.71, 167.09	भू.ला.-238.71*127680/4 = 7619623 नि.ला.-167.09*11160 = 1864724 स्टिल्ट की लागत-32.51*11160 =362812 कुल लागत- 9847159	4%=393886 1%=989472 =492358	प्रतिफल राशि ₹ 8400000 336000 +84000 =420000	72358	मंजिलों की संख्या चार है। चार मंजिलों के लिए हस्तांतरित आनुपातिक भूमि का अधिकार ¼ होना चाहिए जबकि 1/5 लिया गया था। इसके अतिरिक्त, अन्य हिस्सों तथा सामान्य क्षेत्र सहित संपत्ति के अन्य हिस्से को शुल्क की गणना में शामिल नहीं किया।
32.	10734/16745/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6%=1808075 1%=301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000 1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकलता है परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।

33.	10703/16744/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6% = 1808075 1% = 301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000  1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकला परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।
34.	10705/16744/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6%=1808075 1%=301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000  1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकला परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।
35.	10706/16744/ 22.12.2016	1093.14 (28*125+80*125 -65*26.67 वर्ग फीट)(25% प्रत्येक मामले में अंश),1093.14	भू.ला.-1093.14*159840*3/5 = 104836499 नि.ला.-1093.14*15960*0.9 = 15701863 कुल-120538362*25% प्रत्येक का अंश (30134590/- प्रत्येक मामले में)	6%=1808075 1%=301346 = 2109421	प्रतिफल राशि ₹ 27650000  1659000 + 276500 = 1935500	173921	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 1093.14 वर्ग मी. निकला परंतु दस्तावेजों में केवल 1001.65 वर्ग मी. प्लिंथ क्षेत्र का पंजीकरण हुआ है।
36.	1586/16819/ 14.03.2017	138.19, 73.67	भू.ला.-138.19*127680*1/5 = 3528820 नि.ला.-73.67*11160*1*1 = 822157 कुल लागत = 4350977	6%=261059 1% =43510 = 304569	प्रतिफल राशि ₹ 2800000  151200 + 28000 = 179200	125369	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र का परिमाण 35 फीट *42.6 फीट (138.19 वर्ग मी.) निकला परंतु दस्तावेज केवल 73.67 वर्ग मी. की भूमि लागत का पंजीकृत हुआ।
37.	10622/16741/ 20.12.2016	46.45/46.45	भू.ला.-46.45*70080*1/4 = 813804 नि.ला.-46.45*9360*1*1 = 434772 कुल लागत-1248576	6%=74914 1%=12486 =87400	प्रतिफल राशि ₹ 1095000  65700 +10950 =76650	10750	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि क्षेत्र विक्री का 92.85 वर्ग मी. है सुपर क्षेत्र 46.45 वर्ग मी. तथा तल क्षेत्र 41.81 वर्ग मी. है केवल तल क्षेत्र की नि.ला., और सुपर क्षेत्र शामिल नहीं हैं।

38.	9108/16675/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर है। (434 वर्ग गज) आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
39.	9109/16675/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर है। (434 वर्ग गज) आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।

40.	9110/16676/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
41.	9111/16676/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
42.	9130/16677/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।

43.	9131/16677/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
44.	9145/16677/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
45.	9146/16678/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 प्लिंथ क्षेत्र 412.7 (350 (आर) + 62.7(सी))	आवासीय भूमि अंश (आर) 350*362.86/412.7=307.73 व्यावसायिक भूमि अंश (सी) 62.7*362.86/412.7=55.13 भूमि लागत(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भूमि लागत (सी) -5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।

46.	9147/16678/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 तल क्षेत्र 412.7 (350 (आर)+ 62.7(सी)	भूमि का आवासीय हिस्सा (आर)350*362.86/412.7=307.73 भूमि का व्यावसायिक हिस्सा (सी)62.7*362.86/412.7=55.13 भू.ला.(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भू.ला. (सी)-5.51*70080*3 =1158422 नि.ला.(आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला.(सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
47.	9148/16678/ 10.10.2016	प्लॉट क्षेत्र = 362.86 तल क्षेत्र 412.7 (350 (आर)+ 62.7(सी)	भूमि का आवासीय हिस्सा (आर)350*362.86/412.7=307.73 भूमि का व्यावसायिक हिस्सा (सी)62.7*362.86/412.7=55.13 भू.ला.(आर)-.30.77*70080*1 =2156362 भू.ला. (सी)-5.51*70080*3 =1158422 नि.ला. (आर)-35*9360*0.5*1 = 163800 नि.ला. (सी)-6.27*10800*.5*1 = 33858 कुल लागत = 3512442	6%=210747 1% =35124 =245871	प्रतिफल राशि ₹ 3200000  192000 +32000 =224000	21871	प्रस्तुतीकरण के विवरण के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल 362.86 वर्ग मीटर (434 वर्ग गज) है। आवासीय और व्यावसायिक प्लिंथ के आनुपातिक भूमि क्षेत्र को 33.15 वर्ग मीटर तथा 3.135 वर्ग मीटर की अपेक्षा गलत तरीके से क्रमशः 30.83 वर्ग मीटर तथा 5.52 वर्ग मीटर की गणना की।
<b>एसआर, बसई दारापुर</b>							
48.	13712/1/24040/03. 12.2018	207 , 176.62	भूमि (103.8*1+2.9*3+110.32*3+17.42*3)=49 5.72 भू.ला.-495.72*127680 /4 =15823382 नि.ला. -98.1545*11160*1*1 =1095404 कुल लागत- 16918786	4%=676751 1%=169188 =845939	प्रतिफल राशि ₹ 12300000  492000 +123000 =615000	230939	मंजिलों की संख्या चार है। इसलिए, दिया गया कुल प्लिंथ क्षेत्र गलत है। 4 मंजिलों के लिए कुल प्लिंथ क्षेत्र अधिकतम 830.4 वर्ग मीटर हो सकता है। भू-गृह का कुल प्लिंथ क्षेत्र नहीं दिया गया है, इसलिए, हस्तांतरित किए गए क्षेत्र को आधा लिया गया है। इस प्रकार, पंजीकरण शुल्क का भुगतान कम हुआ है।



49.	11513/1/23455/30. 11.2017	167.22 ,78.39	भू.ला.- 167.22*127680/5 =4270130 नि.ला.-78.39*11160*1*1 =874832 कुल - 5144962	4%=205799 1%=51430 257249	प्रतिफल राशि ₹ 4000000 160000 +40000 =200000	57249	हस्तांतरण के अंतर्गत संपूर्ण भू-गृह है, परन्तु प्रतिफल में भूमि का हिस्सा गलत लिया गया है।
50.	7892/1/22852/ 12.08.2016	22.4 , 22.4	भू.ला.-22.4*127680*3*2/3 =5720064 नि.ला.-443750 कुल लागत. - 6163814	6%=369829 1%=61638 =431467	प्रतिफल राशि ₹ 4135000 248100 +41350 =289450	142017	मंजिलों की संख्या केवल तीन थी, परन्तु चार लिया गया।
51.	8108/1/22860/ 22.08.2016	52.91, 52.91	भू.ला.-52.91*127680/2 = 3377774 नि.ला.-52.91*11160*.8 =472381 कुल लागत- 3850155	5%=192508 1%=38502 =231010	प्रतिफल राशि ₹ 2100000 105000 +21000 =126000	105010	मंजिलों की संख्या दो है, जिसमें प्लॉट का आकार 25 वर्ग मीटर है और दस्तावेज के अनुसार हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ क्षेत्र 52.91 वर्ग मीटर है जो कि गलत है।
52.	14021/1/24052/11. 12.2018	50,45	भू.ला.-50*127680/2 = 3192000 नि.ला.-45*11160*.8 =401760 कुल लागत - 3593760	4%=143750 1%=35938 =179688	प्रतिफल राशि ₹ 2400000 96000 +24000 =120000	59688	मंजिलों की संख्या दो है, जिसमें प्लॉट का आकार 12.5 वर्ग मीटर है और दस्तावेज के अनुसार हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ क्षेत्र 45 वर्ग मीटर है जो कि गलत है। गणना में उपकूल किया गया प्लॉट का क्षेत्र 12.5 वर्गमीटर ना होकर 50 वर्गमीटर है।
53.	7393/1/22832/ 01.08.2016	48 ,35	भू.ला.-48*127680/3 = 2042880 नि.ला.-35*11160*.9 = 351540 कुल लागत- 2394420	4%=95777 1%=23944 =119721	प्रतिफल राशि ₹ 1950000 78000 +19500 =97500	22221	दस्तावेज के अनुसार आवृत क्षेत्र 48 वर्ग मीटर है।
54.	11869/1/23469/11. 12.2017	292.55,50.73	भू.ला.-50.73*3*127680/2 = 9715810 नि.ला.-50.73*12840*.7 = 455961 कुल लागत-10171771	6%=610306 1%=101718 =712024	प्रतिफल राशि ₹ 8000000 480000 +80000 =560000	152024	दस्तावेज के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार हस्तांतरण के अंतर्गत क्षेत्र 50.73 वर्ग मीटर है। 15 * 28 + 14 * 9 = 546 वर्ग फीट 546 वर्गफीट = 546/9 * 83.61 * 100 = 50.73 वर्ग मीटर।
55.	11848/1/23468/ 08.12.2017	260.12 ,92.34	भू.ला.- 127680*260.12*1/3*1/2 =5535354 नि.ला.-92.34*11160=1030514 कुल लागत : 6565868	4%=262635 1%=65659 =328294	प्रतिफल राशि ₹ 5186600 207500 +51830 =259330	68964	चूंकि मंजिलें 3 हैं, इसलिए स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते समय प्रतिफल एक मंजिल के आधे हिस्से के लिए आनुपातिक भूमि के हिस्से के रूप में 1/6 वें लिया जाना चाहिए, न कि 1/8 वीं के रूप में माना जाना चाहिए।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

56.	11792/1/23466/ 08.12.2017	75.25 ,37.63	भू.ला.- 75.25*70080/2=2636760 नि.ला.-37.63*9360*0.6 = 211330 कुल लागत - 2848090	4%=113924 1%=28481 =142405	प्रतिफल राशि ₹ 2750000 110000 +27500 =137500	4905	आधे हिस्से का हस्तांतरण किया गया, परन्तु दस्तावेज में प्रतिफल राशि के रूप में आधे हिस्सा का केवल 50% की नि.ला. लिया गया।
57.	11579/1/23457/04. 12.2017	40.14,77.5	भू.ला.- 40.14*70080 =2813011 नि.ला.-77.5*9360*.8 = 580320 कुल लागत-3393331	6%=203600 1%=33933 =237533	प्रतिफल राशि ₹ 3200000 192000 +32000 =224000	13533	निर्माण की लागत 77.5 वर्गमीटर के बजाय 44.5 वर्गमीटर ली गई थी।
58.	11801/1/23466/08. 12.2017	75.25,37.63	भू.ला.- 75.25*70080*1/2 = 2636760 नि.ला.- 37.63*9360*0.6 = 211330 कुल लागत - 2848090	6%=170885 1%=28481 =199366	प्रतिफल राशि ₹ 2750000 165000 +27500 =192500	6866	आधे हिस्से का हस्तांतरण किया गया, परन्तु दस्तावेज में प्रतिफल राशि के रूप में आधे हिस्सा का केवल 50% की नि.ला. लिया गया।
59.	11793/1/23466/08. 12.2017	75.25,75.25	भू.ला.-75.25*70080*1 = 5273520 नि.ला.-75.25*9360*.6) = 422604 कुल लागत- 5696124	4%=227845 1%=56961 =284806	प्रतिफल राशि ₹ 2750000 220000 +55000 =275000	9806	निर्माण की लागत 75.25 वर्गमीटर के बजाय 37.63 वर्गमीटर के लिए ली गई थी।
60.	11529/1/23455/01. 12.2017	41.8 , 40	भू.ला.-41.8*56640*1 = 2367552 नि.ला.-40*8220*4*1 = 1315200 कुल लागत- 3682752	6%=220965 1%=36828 =257793	प्रतिफल राशि ₹ 2700000 162000 +27000 =189000	68793	दस्तावेज में चार मंजिल के स्थान पर केवल एक मंजिल का प्लिंथ क्षेत्र शामिल किया गया।
61.	14530/1/24073/21. 12.2018	50,40	भू.ला.-50*127680/2 = 3192000 नि.ला.-40*11160 =446400 कुल लागत - 3638400	6%=218304 1%=36384 =254688	प्रतिफल राशि ₹ 2100000 126000 +21000 =147000	107688	दस्तावेज के अनुसार मंजिलों की संख्या दो है, जिसमें प्लॉट का आकार 50 वर्गमीटर है और हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ क्षेत्र 40 वर्गमीटर लिया गया है जो कि गलत लगता है।
<b>एसआर, सरोजिनी नगर</b>							
62.	1414/1/150/ 12.04.2016	104.55 , 115	भू.ला.-(1 <sup>st</sup> and 2 <sup>nd</sup> floor) : 104.55*245520*2/3 = 17112744 नि.ला.-115*17400*0.6) = 1200600 कुल लागत- 18313344	6%=1098801 1%=183133 =1281934	प्रतिफल राशि ₹ 10000000 600000 +100000 =700000	581934	फ्लैट के रेट लिए गए, परंतु बी-श्रेणी की मंजिल के रूप में माना जाना चाहिए, क्योंकि आनुपातिक भूमि अधिकार (एफएआर) भी हस्तांतरित किए गये हैं।
63.	4338/1/788/ 29.08.2018	45.9, 287.5	भू.ला.-45.9*127680*1		प्रतिफल राशि	92331	चार मंजिलों का कुल प्लिंथ क्षेत्र 1150 वर्गमीटर है

			= 5860512 नि.ला.-287.5*11160*1 = 3208500 कुल लागत- 9069012	6%=544141 1%=90690 =634831	₹ 7750000  465000 +77500 =542500		और भूमि का क्षेत्रफल 306 वर्गमीटर है। भू-गृह का क्षेत्र गलत लिया गया है। इस प्रकार हस्तांतरण के अंतर्गत प्लिंथ 1150 वर्गमीटर का एक-चौथाई लिया गया है।
64.	1577/1/157/ 23.04.2016	321.91,354.37	भू.ला.-321.91*774000*2/5 =99663336 नि.ला.-354.37*21960*1 =7781965 स्टील्ट पार्किंग की लागत 897.13*21960/4/4) =1231311 कुल लागत- 108676612	5%=5433831 1%=1086766=6 520597	प्रतिफल राशि ₹ 89483333  4543000 +826000 =5369000	1151597	5 मंजिलों में से 2 मंजिलों की हस्तांतरित आनुपातिक भूमि 40% थी ना कि 30%, जैसा कि दस्तावेजों में लिया गया है।
65.	4426/1/511/ 10.10.2017	11.64, 11.64	भू.ला.-11.64*245520*3/2 = 4286779 नि.ला.-11.64*19920 = 231869 कुल लागत - 4518648	6%=271119 1%=45186 =316305	प्रतिफल राशि ₹ 700000  42000 +7000 =49000	267305	निर्मित प्लेटों की न्यूनतम दरों के बजाए दुकान के फ्लोर की गणना की गई।
66.	4600/1/289/ 08.11.2016	14.35, 14.35	भू.ला.-14.35*245520*3 = 10569636 नि.ला.-14.35*19920 = 285852 कुल लागत - 10855488	4%=434220 1%=108555 =542774	प्रतिफल राशि ₹ 3500000  140000 +35000 =175000	367774	निर्मित प्लेटों की न्यूनतम दरों के बजाए दुकान के फ्लोर की गणना की गई।
<b>एसआर, लाजपत नगर</b>							
67.	6079/1/483/ 13/12/2017	50.16, 50.16	भूमि का हिस्सा 50.16/250.8*50.16=10.032 भू.ला.-10.032*127680*1=1280886 नि.ला.-50.16*11160*1=559786 कुल लागत -1840672	4%=73627 1%=18407 =92034	प्रतिफल राशि ₹ 1300000  52000 +13000 =65000	27034	सेवा नगर डी श्रेणी में आता है। तथापि, स्टाम्प ड्यूटी ई' श्रेणी पर लगाई गई।
68.	4337/1/407/ 06.09.2017	150.15 का 10%	भू.ला.-150.5*127680/5 =3843168 नि.ला.-112.56*11160*1 =1256170 कुल लागत -5099338	6%=305960 1%=50993 =356953	प्रतिफल राशि ₹ 3400000  204000 +34000 =238000	118953	आनुपातिक भूमि के हिस्से के बजाए भूमि का हिस्सा 10 प्रतिशत लिया गया।
69.	4642/1/707/ 25.08.2018	217.38 का 10%	भू.ला.-217.38*159840/5 =6949204 नि.ला.-153*13920*1 =2129760 कुल लागत -9078964	(6+6+4)/3% =484211 1%=90789 =575000	प्रतिफल राशि ₹ 6000000 (6+6+4)/3%  320000 +60000 =380000	195000	आनुपातिक भूमि के हिस्से के बजाए भूमि का हिस्सा 10 प्रतिशत लिया गया।

मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व, आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र तथा सा.क्षे.उ. पर प्रतिवेदन

70.	1589/1/71/ 21.06.2016	150.5 का 12.5%	भू.ला.-167.22*127680/5 =4270130 नि.ला.-150.5*11160*1 =1679580 कुल लागत -5949710	5%=297486 1%=59497 =356983	प्रतिफल राशि ₹ 4200000 210000 +42000 =252000	104983	आनुपातिक भूमि के हिस्से के बजाए भूमि का हिस्सा 12.5 प्रतिशत लिया गया।
71.	1598/1/71/ 21.06.2016	167.22	भू.ला.-167.22*159840/5 =5345688 नि.ला.-167.22*13920*.9 =2094932 कुल लागत -7440620	6%=446437 1%=74406 =520843	प्रतिफल राशि ₹ 7500000 450000 +64000 =514000	6843	पंजीकरण शुल्क ₹74,40,620 के बजाय 64,00,000 पर भुगतान किया गया।
72.	2325/1/606/ 01.05.2018	83.61	भू.ला.-83.61*159840/4 =3341056 नि.ला.-13920*83.61 =1163851 कुल लागत -4504907	6%=270294 1%=45049 =315343	प्रतिफल राशि ₹ 400000 271000 +4000 =275000	40343	पंजीकरण शुल्क ₹45,04,906 के बजाय ₹4,00,000 पर भुगतान किया गया।
73.	4805/1/714/ 04.09.2018	418.06 का 10%	भू.ला.-41.806*774000*1 =32357844 नि.ला.-21960*110.14*.9 =2176807 कुल लागत -34534651	5%=1726733 1%=345347 =2072080	प्रतिफल राशि ₹ 15000000 1727500 +150000 =1877500	194580	पंजीकरण शुल्क ₹3,45,34,651 के बजाय ₹1,50,00,000 पर भुगतान किया गया।
74.	6079/1/483/ 13/12/2017	50.16	भूमि का हिस्सा 50.16/250.8*50.16=10.032 भू.ला.-10.032*127680*1 =1280886 नि.ला.-50.16*11160*1=559786 कुल लागत -1840672	4%=73627 1%=18407 =92032	प्रतिफल राशि ₹ 1300000 52000 +13000 =65000	27034	सेवा नगर डी श्रेणी में आता है। तथापि, स्टाम्प ड्यूटी डी श्रेणी की बजाय 'ई' श्रेणी पर लगाई गई।
<b>एसआर, पीतमपुरा</b>							
75.	11281/1/7726/06. 08.2018	62.7,47	भू.ला.-62.7*70080 =4394016 नि.ला.-9360*47*1 =439920 कुल लागत 4833936	6%=290036 1%=48339 =338375	प्रतिफल राशि ₹ 4800000 288000 +48000 =336000	2375	निर्माण घटक 1 के बजाय 0.8 लिया गया।
76.	14667/1/6610/08. 11.2016	-	80000	80000*12*2% =19200	17700	1500	वार्षिक औसत किराए की गणना 12 महीनों के बजाय 11 महीने के किराए पर की गई है।
<b>एसआर, सीलमपुर</b>							
77.	2073/1/4876/ 20.12.2017	35,35	भू.ला.-70080*35/2 =1226400		प्रतिफल राशि ₹ 1150000 46000		हस्तांतरण के अंतर्गत संपत्ति दो मंजिला है परन्तु

			नि.ला.-9360*35 =327600 कुल लागत -1554000	4%=62160 1%=15540 =77700	+11500 =57500	20200	भूमि के हिस्से की गणना करते समय इसे 2 के बजाय 3 से विभाजित किया गया है।
78.	1109/1/4839/ 02.08.2017	41.8,20.9	भू.ला.-56640*41.80 =2367552 नि.ला.-8220*20.90 =171798 कुल लागत -2539350	4%=101574 1%=25394 =126968	प्रतिफल राशि ₹ 2505000 100200 +25050 =125250	1718	निर्माण घटक 1 के बजाय 0.8 लिया गया, निर्माण का वर्ष उपलब्ध नहीं है।
79.	1228/1/4844/ 14.08.2017	83.61,142.13	भू.ला.-56640*83.61*1 =4735670 नि.ला.-8220*142.13 =1168309 कुल लागत -5903979	4%=236159 1%=59040 =295199	प्रतिफल राशि ₹ 49000008 196000 +49000 =245000	50199	स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया। पांचाल विहार और शाहदरा किसी भी श्रेणी में नहीं है और करावल नगर 'एफ' श्रेणी में आता है।
80.	583/1/4907/ 02.04.2018	83.61	भू.ला.-56640*83.61 =4735670	6%=284140 1%=47359 =331497	प्रतिफल राशि ₹ 3865000 231900 +38650 =270550	60947	करावल नगर 'एफ' श्रेणी में है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया।
81.	695/1/4911/ 12.04.2018	106.18	भू.ला.-56640*106.18 =6014035	4%=240561 1%=60140 =300701	प्रतिफल राशि ₹ 4910000 196400 +49100 =245500	55201	करावल नगर 'एफ' श्रेणी में है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया है।
82.	780/1/4915/ 20.04.2018	41.80,41.80	भू.ला.-41.80*56640*1 =2367552 नि.ला.-8220*41.80*1 =343596 कुल लागत -2711148	4%=108446 1%=27111 =135557	प्रतिफल राशि ₹ 2400000 96000 +4000 =120000	15557	करावल नगर 'एफ' श्रेणी में है, जबकि स्टाम्प ड्यूटी 'एफ' के बजाय 'जी' श्रेणी पर लगाया गया है।
<b>कुल</b>						<b>8040741</b>	

- भू.ला.: भूमि लागत, नि.ला.: निर्माण लागत

अनुलग्नक 2.1

पैराग्राफ 2.1.2.8, पैराग्राफ 2.1.2.9 पर एवं पैराग्राफ 2.1.2.13 देखें

नवीनतम वर्ष के लिए विद्युत क्षेत्र उपक्रमों जिनके लेखे को अंतिम रूप दिया गया है, के सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम.सं.	विद्युत क्षेत्र उपक्रम की क्रियाकलाप एवं नाम	लेखाओं की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व निवल लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात् निवल लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य <sup>1</sup>	संचित लाभ/हानि (निवल फ्री रिजर्व्स)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>क.</b>	<b>जेनरेशन</b>								
1.	इन्द्रप्रस्थ विद्युत जेनरेशन कंपनी लिमिटेड	2018-19	69.54	-19.84	449.52	736.54	6699.54	1,144.24	408.46
2.	प्रगति विद्युत कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	679.48	264.38	3,234.61	2,074.19	1216.38	4,697.97	2,623.89
	<b>उप-कुल</b>		<b>749.02</b>	<b>244.54</b>	<b>3,684.13</b>	<b>2,810.73</b>	<b>7915.92</b>	<b>5,842.21</b>	<b>3,032.35</b>
<b>ख.</b>	<b>ट्रांसमिशन</b>								
3.	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2018-19	725.01	398.00	1,144.79	3,951.00	3936.18	3,148.56	-802.44
	<b>उप-कुल</b>		<b>725.01</b>	<b>398.00</b>	<b>1,144.79</b>	<b>3,951.00</b>	<b>3936.18</b>	<b>3,148.56</b>	<b>-802.44</b>
<b>ग.</b>	<b>अन्य</b>								
4.	दिल्ली विद्युत कंपनी लिमिटेड	2017-18	185.60	163.94	109.18	745.05	715.39	-615.17	-1,360.22
5.	डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड <sup>2</sup>	2018-19	0.00	0.00	0.00	0.01	0.23	0.23	0.22
	<b>उप-कुल</b>		<b>185.60</b>	<b>163.94</b>	<b>109.18</b>	<b>745.06</b>	<b>715.62</b>	<b>-614.94</b>	<b>-1,360.00</b>
	<b>कुल कुल</b>		<b>1,659.63</b>	<b>806.48</b>	<b>4,938.10</b>	<b>7,506.79</b>	<b>12,567.72</b>	<b>8,375.83</b>	<b>869.91</b>

<sup>1</sup> निवल मूल्य, प्रदत्त पूँजी, निर्बाध आरक्षितियों व अधिशेष के कुल योग में से संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त होता है।

आईपीजीसीएल के संबंध में ₹ 0.76 करोड़ एवं पीपीसीएल के संबंध में ₹ 0.11 करोड़ के आस्थगित राजस्व व्यय को निवल मूल्य के आकड़े को निकालने के लिए घटाया गया।

<sup>2</sup> डीएसआईआईडीसी एनर्जी लिमिटेड की निवल हानि ₹ 19,500 की है।

**अनुलग्नक 2.2**  
**पैराग्राफ 2.1.2.12 देखें**

**2001-02 से 31 मार्च 2019 तक चार विद्युत क्षेत्र उपक्रमों में निवेशित रा.रा.क्षे.दि.स. निधियों को दर्शाती विवरणी**

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	आईपीजीसीएल				पीपीसीएल				डीटीएल				डीपीसीएल			
	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	आईएफएल इक्विटी में परिवर्तित	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी
2001-02	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	323.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	13.13	635.50	0	0	0	3,452.00	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	464.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	497.54	0	0	75.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	239.00	0	0	0	0	0	0	332.35
2011-12	50.00	0	0	5.00	400.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.00
2012-13	49.00	0	0	4.00	250.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.65
2013-14	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	745.00	0	0	430.95
2014-15	0	0	0	5.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.00
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.18
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176.01
2017-18	0	0	0	1.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	3.57	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>कुल</b>	<b>596.54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.67</b>	<b>2,074.19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.57</b>	<b>3,691.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>745.05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,101.14</b>

**अनुलग्नक 2.3**  
**(पैराग्राफ 2.1.3.3 देखें)**

**31 मार्च 2019 तक राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) से संबंधित इक्विटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	क्षेत्र एवं सा.क्षे.उ. का नाम	विभाग का नाम	निगमित होने का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 <sup>3</sup> के अंत में इक्विटी				वर्ष 2018-19 के अंत में बकाया दीर्घकालिक ऋण			
				रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल	रा.रा.क्षे.दि.स.	भा.स.	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)
<b>क.</b>	<b>सामाजिक क्षेत्र</b>										
1.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यकों के कल्याण	जनवरी-83	33.33	11.88	0.00	45.21	0.92	13.33	0.00	14.25
2.	दिल्ली राज्य सिविल आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	नवम्बर-80	7.00	0.00	0.00	7.00	2.14	0.00	0.00	2.14
	<b>कुल क</b>			<b>40.33</b>	<b>11.88</b>	<b>0.00</b>	<b>52.21</b>	<b>3.06</b>	<b>13.33</b>	<b>0.00</b>	<b>16.39</b>
<b>ख.</b>	<b>प्रतिस्पर्धी वातावरण</b>										
3.	दिल्ली राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	फरवरी-71	21.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	दिसंबर-75	6.28	0.00	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.04
6.	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.04	0.04
7.	डीएसआईआईडीसी मैनटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	उद्योग	मई-11	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	परिवहन	अगस्त-10	10.65	0.00	0.00	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00

<sup>3</sup> 30 सितम्बर 2019 तक प्राप्त नवीनतम लेखे के अनुसार संख्याएँ।



9.	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड	डीएसआईआईडीसी एवं टी.सी.आई.एल. का संयुक्त वेंचर	अप्रैल-87	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल ख-I</b>			<b>37.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1.03</b>	<b>38.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.08</b>	<b>0.08</b>
10.	दिल्ली वित्तीय निगम	वित्त	अप्रैल-67	18.05	0.00	8.43	26.48	33.00	0.00	5.33	38.33
11.	दिल्ली परिवहन निगम	परिवहन	नवम्बर-71	1,983.85	0.00	0.00	1,983.85	11,676.14	0.00	0.00	11,676.14
	<b>कुल ख- II</b>			<b>2,001.90</b>	<b>0.00</b>	<b>8.43</b>	<b>2,010.33</b>	<b>11,709.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5.33</b>	<b>11,714.47</b>
	<b>कुल ख ( I+ II)</b>			<b>2,039.83</b>	<b>0.00</b>	<b>9.46</b>	<b>2,049.29</b>	<b>11,709.14</b>	<b>0.00</b>	<b>5.41</b>	<b>11,714.55</b>
<b>ग.</b>	<b>अन्य</b>										
12.	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी	मई-08	10.76	0.00	0.00	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	शाहजहाँनाबाद पुनिर्विकास निगम	शहरी विकास	मई-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शहरी विकास मंत्रालय	जुलाई-16	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>कुल ग</b>			<b>10.76</b>	<b>250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>सकल कुल (क+ख+ग)</b>			<b>2,090.92</b>	<b>261.88</b>	<b>9.46</b>	<b>2,362.26</b>	<b>11,712.20</b>	<b>13.33</b>	<b>5.41</b>	<b>11,730.94</b>

**अनुलग्नक 2.4**  
(पैराग्राफ 2.1.3.7 देखें)

31 मार्च 2019 को इक्विटी, ऋणों एवं गारंटी के शेष के संबंध में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त लेखाओं एवं राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) के वित्त लेखे के अंतर को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	सा.क्षे.उ. का नाम	राज्य सा.क्षे.उ. के अभिलेखाओं के अनुसार			रा.रा.क्षे.दि. सरकार के वित्त लेखाओं के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.वि.व. अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	33.33	60.72	0.00	38.13	69.82	0.00	-4.80	-9.10	0
2	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	7.00	2.14	0.00	7.00	4.36	0.00	0.00	-2.22	0

अनुलग्नक 2.5

(पैराग्राफ 2.1.3.8 देखें)

कार्यशील राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा), जिनके लेखे उस अवधि के दौरान बकाया हैं, में राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. स.	सा.क्षे.उ. का नाम	अवधि जहाँ तक लेखे को अंतिम रूप दिया गया	अवधि जिसके लिए लेखे बकाया हैं	नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखे के अनुसार प्रदत्त पूँजी	उन अवधि के दौरान, जिनके लिए लेखे बकाया हैं राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश			
					इक्विटी	ऋण	अनुदान/सब्सिडी	कुल
<b>क.</b>	<b>सरकारी कंपनियाँ</b>							
1	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.वि.व. अल्पसंख्यक, दिव्यांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड <sup>4</sup>	2011-12	2012-13 से 2018-19	45.20	0.00	56.00	84.58	<b>140.58</b>
2	दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	21.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>
3	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.00	0.00	0.00	1.65	<b>1.65</b>
4	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड <sup>5</sup>	2016-17	2017-18 से 2018-19	10.65	0.00	0.00	0	<b>0</b>
5	एनडीएमसी स्मार्ट सिटी <sup>6</sup> लिमिटेड	2017-18	2018-19	250.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>
6	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>
	<b>कुल क</b>			<b>334.85</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	<b>86.23</b>	<b>142.23</b>
<b>ख.</b>	<b>वैधानिक निगम</b>							
1	दिल्ली वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	26.48	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	दिल्ली परिवहन निगम <sup>7</sup>	2017-18	2018-19	1,983.85	0.00	<b>0.00</b>	1,855.17	<b>1,855.17</b>
	<b>कुल ख</b>			<b>2,010.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,855.17</b>	<b>1,855.17</b>
	<b>सकल कुल (क+ख)</b>			<b>2,345.18</b>	<b>0.00</b>	<b>56.00</b>	<b>1,941.40</b>	<b>1,997.40</b>

<sup>4</sup> डीएससीएफडीसी के 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

<sup>5</sup> डीटीआईडीसी के 2016-17 की अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

<sup>6</sup> एनडीएमसी स्मार्ट सिटी के 2017-18 अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

<sup>7</sup> डीटीसी के 2017-18 अवधि के लेखे 30 सितम्बर 2019 तक अंतिम रूप दिए जाने के अधीन थे।

अनुलग्नक 2.6

(पैराग्राफ 2.1.3.11 तथा 2.1.3.12 देखें)

राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा), जिनके लिए लेखे को अंतिम रूप दिया गया, की नवीनतम वर्ष के लिए सारांशीकृत वित्तीय परिणाम

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम. स.	सा.क्षे.उ. का क्षेत्र, प्रकार एवं नाम	लेखे की अवधि	जिस वर्ष में प्राप्त हुआ	लाभांश, ब्याज एवं कर से पूर्व निवल लाभ/हानि	कर के पश्चात् निवल लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क.	सामाजिक क्षेत्र									
	कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
1	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.वि.व. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड	2011-12	2018-19	-4.45	-4.85	1.48	45.20	75.54	61.29	16.09
2	दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	2.76	1.98	934.53	7.00	39.18	37.04	30.04
	<b>कुल क</b>			<b>-1.69</b>	<b>-2.87</b>	<b>936.01</b>	<b>52.20</b>	<b>114.72</b>	<b>98.33</b>	<b>46.13</b>
ख.	प्रतिस्पर्धी परिवेश क्षेत्र									
	1. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
3	दिल्ली राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	99.66	-22.36	1,144.52	21	587.46	587.46	566.46
4	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड	2018-19	2019-20	42.88	37.26	1,257.38	6.28	180.28	180.28	174
5	दिल्ली क्रिएटिव आर्ट्स विकास लिमिटेड	2018-19	2019-20	0	0	0	0.01	0.00	-0.04	-0.05
6	डीएसआईआईडीसी लिकर लिमिटेड	2018-19	2019-20	0	0	0	0.01	0.00	-0.04	-0.05
7	डीएसआईआईडीसी मैनटेनेंस सर्विसेज लिमिटेड	2018-19	2019-20	0	0	0	0.01	-0.07	-0.07	-0.08
8	दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	57.02	23.01	68.33	10.65	73.98	73.98	63.33
9	इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	2017-18	2018-19	6.29	3.66	148.31	1.00	22.13	22.13	21.13
	<b>कुल ख 1</b>			<b>205.85</b>	<b>41.57</b>	<b>2,618.54</b>	<b>38.96</b>	<b>863.78</b>	<b>863.70</b>	<b>824.74</b>
	2. कार्यशील सरकारी निगम									
10	दिल्ली वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	-0.01	-4.21	10.29	26.48	67.78	29.45	2.97

11	दिल्ली परिवहन निगम	2017-18	2018-19	175.59	-4,329.41	810.12	1,983.85	-19,812.92	-31,489.06	-33,472.91
	<b>कुल ख II</b>			<b>175.58</b>	<b>-4,333.62</b>	<b>820.41</b>	<b>2,010.33</b>	<b>-19,745.14</b>	<b>-31,459.61</b>	<b>-33,469.94</b>
	<b>कुल (ख I + ख II)</b>			<b>381.43</b>	<b>-4,292.05</b>	<b>3,438.95</b>	<b>2,049.29</b>	<b>-18,881.36</b>	<b>-30,595.91</b>	<b>-32,645.20</b>
<b>ग.</b>	<b>अन्य</b>									
12	जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड	2018-19	2019-20	3.53	2.51	5.63	10.76	23.11	23.11	12.35
13	शाहजहाँनाबाद पुनिर्विकास निगम	2018-19	2019-20	0	0	0	0	0	0	0
14	एनडीएमसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	2019-20	-6.58	-6.12	0	250	229.61	229.61	-20.39
	<b>कुल ग</b>			<b>-3.05</b>	<b>-3.61</b>	<b>5.63</b>	<b>260.76</b>	<b>252.72</b>	<b>252.72</b>	<b>-8.04</b>
	<b>सकल कुल (क+ख+ग)</b>			<b>376.69</b>	<b>-4,298.53</b>	<b>4,380.59</b>	<b>2,362.25</b>	<b>-18,513.92</b>	<b>-30,244.86</b>	<b>-32,607.11</b>

अनुलग्नक 2.7

(पैराग्राफ 2.1.3.15 देखें)

2000-01 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य सा.क्षे.उ. (विद्युत क्षेत्र के अलावा) राज्य सरकार की निधियों को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ करोड़ में)

अ. सामाजिक क्षेत्र (1 एवं 2) तथा ब. प्रतिस्पर्धी परिवेश क्षेत्र (3, 4, एवं 5)															
क्र. सं.	1			2			3			4			5		
वर्ष	दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व. अल्पसंख्यक, विकलांग वित्तीय एवं विकास निगम			दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड			दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड			दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड			दिल्ली परिवहन एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड		
	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी
आरंभ से															
2002 तक	12.77	0	0	7.00	0	0	21.86	0	0	6.28	0	0.2	0	0	0
2002-03	1.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2006-07	1.82	0	0	0	0	0	0.29	0	0	0	0	0.2	0	0	0
2007-08	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2008-09	0.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2010-11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0
2011-12	3.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.59	10.65	0	0
2012-13	0	50.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2014-15	0	6.00	0	0	0	0	-1.15	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0

2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.75	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.50	0	0	0
<b>कुल</b>	<b>33.33</b>	<b>56.00</b>	<b>0</b>	<b>7.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.28</b>	<b>0</b>	<b>9.04</b>	<b>10.65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

ब. प्रतिस्पर्धी परिवेश क्षेत्र (6 एवं 7) स. अन्य (8 एवं 9)												
क्र. सं.	6			7			8			9		
वर्ष	दिल्ली वित्तीय निगम			दिल्ली परिवहन निगम			जियोस्पेशियल दिल्ली लिमिटेड			शाहजहाँनाबाद पुनर्विकास निगम		
	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी	इक्विटी	आईएफएल	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय हेतु अनुदान एवं सब्सिडी
आरंभ से 2002 तक	18.05	0	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	130.67	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	41.87	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	377.30	0	20.18	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	250.00	0	19.00	0.05	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	620.00	0	20.00	10.71	0	0	0	0	1.00
2010-11	0	0	0	219.00	0	65.45	0	0	0	0	0	4.93
2011-12	0	40	0	201.00	0	589.00	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	199.55	0	846.14	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	974.00	0	1.00	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	1,083.00	0	1.00	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	1,234.00	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	1,615.90	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	2,077.18	0	0	0	0	0	0
2018-19	0	0	0	0	0	1,889.45	0	0	0	0	0	0
<b>कुल</b>	<b>18.05</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>1,983.85</b>	<b>0</b>	<b>10,605.84</b>	<b>10.76</b>	<b>2.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.93</b>

**अनुलग्नक 2.8**  
(पैराग्राफ सं. 2.1.3.15 देखें)

**दिपनि को छोड़कर 2002-03 से 2018-19 की अवधि के दौरान राराक्षेदिस द्वारा निवेश तथा सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य का वर्ष-वार विवरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

वित्त वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेशित इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण	परिचालन एवं प्रबंधन व्यय के लिए अनुदान तथा सब्सिडी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	सरकारी ऋण पर औसत ब्याज दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूल करने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल उपार्जन
i	ii	iii	iv	v	vi=iii+iv+v	vii=ii+vi	viii			xi
2002-03	65.96 <sup>8</sup>	1.27	0	0.2	1.47	67.43	11.17	74.96	7.53	23.48
2003-04	74.96	0	0	0.2	0.2	75.16	10.65	83.17	8.00	12.07
2004-05	83.17	0	0	0.2	0.2	83.37	10.34	91.99	8.62	16.70
2005-06	91.99	0	0	0.2	0.2	92.19	8.87	100.36	8.18	21.60
2006-07	100.36	2.11	0	0.2	2.31	102.67	9.35	112.27	9.60	28.44
2007-08	112.27	7.00	0	0.25	7.25	119.52	9.84	131.28	11.76	48.77
2008-09	131.28	0.69	0	0.25	0.94	132.22	9.90	145.32	13.09	-2.25
2009-10	145.32	10.71	0	1.25	11.96	157.28	9.52	172.25	14.97	31.10
2010-11	172.25	6	0	5.18	11.18	183.43	9.10	200.12	16.69	64.42
2011-12	200.12	14.48	40.00	0.59	55.07	255.19	9.77	280.12	24.93	149.54
2012-13	280.12	0	50.00	0.75	50.75	330.87	9.73	363.07	32.19	184.82
2013-14	363.07	0	1	0.75	1.75	364.82	9.21	398.42	33.60	120.75
2014-15	398.42	-1.15	7	0.75	6.6	405.02	8.59	439.81	34.79	123.76
2015-16	439.81	0	0	0.75	0.75	440.56	8.54	478.18	37.62	115.32
2016-17	478.18	0	0	0.75	0.75	478.93	8.65	520.36	41.43	30.36
2017-18	520.36	0	0	1	1	521.36	8.58	566.09	44.73	68.43
2018-19	566.09	0	0	1.5	1.5	567.59	8.64	616.63	49.04	33.34
<b>कुल</b>		<b>41.11</b>	<b>98.00</b>	<b>14.77</b>	<b>153.88</b>					

<sup>8</sup> वर्ष 2001-02 तक दिपनि को छोड़कर सभी 8 सा.क्षे.उ. में राराक्षेदिस द्वारा किया गया यह ऐतिहासिक निवेश है। वर्ष 2001-02 के लिए व.मू. की गणना सरकारी कर्ज पर औसत ब्याज दर के अभाव में नहीं की गई है।



**अनुलग्नक 2.9**

(पैराग्राफ सं. 2.2.2 देखें)

**बवाना औद्योगिक क्षेत्र में मासिक शुल्कों के संग्रह का विवरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सीइटीपी शुल्क	पानी शुल्क	अनुरक्षण शुल्क	कुल संग्रह राशि	रियायत प्राप्तकर्ता को किया गया भुगतान
2012-13	3.33	1.89	शून्य	5.22	5.22
2013-14	5.64	2.67	शून्य	8.31	7.49
2014-15	5.89	3.42	5.52	14.83	7.32
2015-16	6.77	4.73	13.28	24.78	14.47
2016-17	8.56	8.30	28.77	45.63	28.65
2017-18	10.10	11.78	24.84	46.72	40.89
2018-19	16.36	15.44	71.81	103.61	101.30
<b>कुल</b>	<b>56.65</b>	<b>48.23</b>	<b>144.22</b>	<b>249.10</b>	<b>205.34</b>

**नरेला औद्योगिक क्षेत्र में मासिक शुल्कों के संग्रह का विवरण**

(राशि ₹ करोड़ में)

वर्ष	सीइटीपी शुल्क	पानी शुल्क	अनुरक्षण शुल्क	कुल संग्रह राशि	रियायत प्राप्तकर्ता को किया गया भुगतान
2012-13	0.65	शून्य	शून्य	0.65	0.65
2013-14	3.20	0.04	0.19	3.43	3.36
2014-15	3.34	1.57	7.08	11.99	8.42
2015-16	2.68	1.83	8.03	12.54	14.10
2016-17	3.50	2.77	12.89	19.16	14.75
2017-18	3.02	2.49	12.09	17.60	17.30
2018-19	4.18	2.85	17.14	24.17	22.32
<b>कुल</b>	<b>20.57</b>	<b>11.55</b>	<b>57.42</b>	<b>89.54</b>	<b>80.90</b>

### अनुलग्नक 2.10

(पैराग्राफ सं. 2.2.4.1, 2.2.4.2 एवं 2.2.5.1 देखें)

बवाना औद्योगिक क्षेत्र में थर्ड पार्टी इंजीनियर (टीपीई) के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर)\* के अनुसार कमियाँ

क्र.सं.	सेवा	2016-17	2017-18	2018-19
		माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी
1.	नाला पुनर्सफाई कार्य/सिल्ट निकालना	7	8	8
2.	सीवर लाईन	7	10	8
3.	घर-घर कुड़ा/नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू)	7	8	4
4.	सड़क	7	10	8
5.	बागवानी कार्य	7	10	8
6.	पानी	7	10	8
7.	बिजली का काम (स्ट्रीट लाईट)	3	0	0
8.	सीइटीपी	प्रतिवेदन में वर्णित नहीं	2#	8

\* 2016-17 के लिए प्रतिवेदन केवल 7 महीने के लिए, 2017-18 के लिए 10 महीने के लिए तथा 2018-19 के लिए 8 महीने के लिए उपलब्ध थे।

# फरवरी 2018 से पहले यह मुद्दा सूचित नहीं किया गया तथा बाद में सभी महीनों में यह कमी रही।

नरेला औद्योगिक क्षेत्र में थर्ड पार्टी इंजीनियर (टीपीई) के मासिक प्रगति प्रतिवेदन (एमपीआर)\*\* के अनुसार कमियाँ

	2016-17	2017-18	2018-19
सेवा	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी	माह की सं. जिसके लिए एमपीआर के अनुसार कमी थी
नाला पुनर्सफाई कार्य/सिल्ट निकालना	11	12	8
सड़क	12	12	8
बागवानी कार्य	3	12	8
पार्क	12	12	8
बिजली का काम (स्ट्रीट लाइट)	प्रतिवेदन में वर्णित नहीं	9#	8
एमएसडब्ल्यू	प्रतिवेदन में वर्णित नहीं	05 \$	8

\*\* 2016-17 के लिए प्रतिवेदन 12 महीने के लिए, 2017-18 के लिए 12 महीने के लिए तथा 2018-19 के लिए 8 महीने के लिए उपलब्ध थे।

# जुलाई 2017 से पहले यह मुद्दा सूचित नहीं किया गया तथा बाद में सभी महीनों में यह कमी रही।

\$ नवम्बर 2017 से पहले यह मुद्दा सूचित नहीं किया गया तथा बाद में सभी महीनों में यह कमी रही।

**अनुलग्नक 3.1**

**(पैराग्राफ 3.1.1 देखें)**

**एनजीओ का विवरण जिन्होंने 2018-19 के दौरान ₹ 25 लाख या उससे अधिक के सहायता अनुदान प्राप्त किए**

(राशि ₹ लाख में)

क्रम. सं.	एनजीओ का नाम	प्राप्त की गई राशि
<b>शिक्षा निदेशालय</b>		
1.	उमीद आवासीय छात्रावास	38.19
<b>महिला तथा बाल विकास विभाग</b>		
2.	प्रयास ओएचबी 1	63.04
3.	सरस्वती एजुकेशनल सोसायटी	83.25
4.	पारदर्शिता	70.86
<b>स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग</b>		
5.	शरण	41.31
6.	चाईल्ड सरवाईवल इण्डिया	27.49
7.	एसपीवाईएम	33.73
8.	कृष्णा फाउंडेशन	29.91
9.	स्पेस	29.23
10.	शरण-II	40.37
11.	किन्नर भारती	27.82
12.	स्पेस-II	29.32
13.	सहकुल चेरिटेबल ट्रस्ट-आईडीयू	35.36
14.	लव फेथ एण्ड ऐक्शन ट्रस्ट-आईडीयू	28.98
15.	गंगा सोशल फाउंडेशन टी 1-2 (आईडीयू)	29.81
16.	मैट्रिक्स सोसायटी फौर सोशल सर्विसेज (आईडीयू)	26.37
17.	दीपशिखा समिति	26.05
18.	एमआईटीआर (सीबीओ)	26.81
19.	बीपीएस - आईडीयू	35.95
20.	शरण - III	33.38
21.	रूरल एसोसिएशन फौर वूमन एलिगेशन्स ट्रिब्यूट (आरएडब्ल्यूएटी)	28.05
22.	ह्यूमेन डेवलपमेंट सोसायटी	31.65
23.	एसपीवाईएम (II)	26.67
<b>कुल कुल</b>		<b>843.60</b>

**अनुलग्नक 3.2**  
**(पैराग्राफ 3.1.5 देखें)**

**निमलेप को प्रस्तुत किए जा रहे ब्यौरे तथा स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति को दर्शाने वाली विवरणी**

क्र.सं.	निकाय का नाम	निमलेप को लेखे की लेखापरीक्षा सौंपे जाने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी की गई	वर्ष जब तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखे के प्रस्तुत किए जाने में विलम्ब की अवधि (31 मार्च 2019 तक)
1.	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	सौंपे जाने के समतुल्य (निमलेप कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं. 14-लेखापरीक्षा-III/128-98 दिनांक 15-01-2004)	2017-18	2016-17	2010-11	शून्य	शून्य
2.	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान	2017-18 से 2021-22	2015-16	2014-15	2008-09	2016-17 2017-18	2
3.	दिल्ली जल बोर्ड	सौंपे जाने के समतुल्य (निमलेप कार्यालय के स्पष्टीकरण पत्र सं. गोपनीय नोट 497 दिनांक 16-12-2003)	2012-13	2012-13	2005-06	2013-18	5
4.	दिल्ली भवन, तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड	संसद द्वारा अधिनियम के तहत गठित तथा अधिसूचित बोर्ड	2016-17	2015-16	प्रस्तुत नहीं की गई	2017-18	1
5.	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली	2018-19 से 2022-23	2017-18	2016-17	2016-17	शून्य	शून्य
6.	अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली	सौंपे जाने के समतुल्य (जैसाकि अवधि निर्निदिष्ट नहीं थी)	2017-18	2016-17	प्रस्तुत नहीं की गई	शून्य	शून्य
7.	दिल्ली कल्याण समिति	2014-15 से 2022-23	2016-17	2014-15	समिति के एम.ओ.ए. के अनुसार पृ.ले.प.प्र. को विधान सभा में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं थी	2017-18	1
8.	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	सौंपे जाने के समतुल्य (जैसाकि अवधि निर्निदिष्ट नहीं थी)	2010 से आरम्भ किए जाने तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	शून्य	2010 से आरम्भ किए जाने तक लेखे प्राप्त नहीं हुए	2010-18	8
9.	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग	निमलेप के डीपीसी अधिनियम के सेक्शन 19(3) के अंतर्गत लेखापरीक्षा	2017-18	2017-18	2017-18	शून्य	शून्य
10.	दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के सेक्शन 18 (2) के अंतर्गत लेखापरीक्षा संचालित की गई है।	2017-18	2017-18	राज्य विधान सभा में आखिरी पृ.ले.प.प्र. प्रस्तुत करने के संबंध में डीएसएलएसए के पास कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं था।	शून्य	शून्य

**अनुलग्नक 3.3**  
**(पैराग्राफ 3.2.6.2(ग) देखें)**  
**कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन**

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कल्याण योजना	राशि वितरित
1.	मातृत्व लाभ (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 271)	3.52
2.	गृह क्रय या निर्माण हेतु अग्रिम (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 274)	0
3.	निःशक्तता पेंशन अनुग्रह भुगतान (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 275)	0.042
4.	कार्य से संबंधित यंत्रों की खरीद हेतु ऋण (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 276)	0.002
5.	मृत्यु लाभ (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 278) एवं दाह सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 277)	5.88
6.	लाभार्थियों को मेडिकल सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 280)	0.005
7.	बच्चों के शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 281)	104.74
8.	विवाह हेतु वित्तीय सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 282)	4.98
9.	पेंशन योजना (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 273)	2.31
10.	कार्य से संबंधित यंत्रों की खरीद हेतु अनुदान (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 276 क)	0
11.	पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देना एवं निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण एकेडमी की स्थापना (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 283)	0
12.	गर्भपात हेतु वित्तीय सहायता (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 271क)	0
13.	उपयोगिता का सामान प्रदान करना (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 283)	0
14.	परिवार पेंशन (डीबीओसीडब्ल्यू के नियम 283)	0
	<b>कुल</b>	<b>121.47</b>

यद्यपि “मृत्यु लाभ” एवं “दाह सहायता” अलग-अलग योजनाएँ हैं पर व्यय एक साथ किए गए हैं क्योंकि ये दोनों राशियाँ साथ में दी गई है।



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agaudelhi.cag.gov.in](http://www.agaudelhi.cag.gov.in)